सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

जिला आपदा प्रबन्धन योजना, बून्दी

District Disaster Management Plan
(DDMP)
BUNDI

वर्ष (2025–26)

जिला प्रशासन
व
आपदा प्रबन्धन केन्द्र,
ह.च.मा. राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर

विषय सूची

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
	भाग– अ	
अध्याय–1	**प्रस्तावना**	**5–8**
	विकास और आपदा	
1.1	जिला आपदा प्रबन्धन कार्य योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य	
1.2	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण– आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005	
1.3	आपदा कार्ययोजना का मूल्यांकन (संक्षिप्त नोट)	
1.4	स्टेक हॉल्डर्स तथा उनका उत्तरदायित्व/जिम्मेदारी	
1.5	कार्य योजना को कैसे प्रयोग करें	
1.6	कार्य योजना के अनुमोदन हेतु तंत्र–जिला स्तर पर योजना को प्रभावी करने हेतु प्राधिकरण	
1.7	प्लान रिव्यू तथा अपडेशन	**9–17**
अध्याय–2	आपदा, भेद्यता, क्षमता तथा जोखिम आकलन	
2.1	जिले का सामाजिक आर्थिक परिदृश्य	
2.2	जिले में पिछले वर्षों में घटित आपदाओं का विवरण	
2.3	विपदा एवं जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन	
2.4	आपदा, संवेदनशीलता, क्षमता तथा जोखिम हेतु प्राधिकरण/एजेंसी	
2.5	सम्भावित आपदाओं की सूची (तीव्रता तथा उपशमन)	
2.6	क्षमता निर्माण तथा संसाधनों का विश्लैषण	
अध्याय–3	आपदा प्रबंधन के लिये संस्थागत व्यवस्था	**17–18**
3.1	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005	
3.2	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)	
3.3	जिला प्रशासन	
3.4	पुलिस बल तथा अग्निशमन सेवाएं	
3.5	नागरिक सुरक्षा तथा होम गार्ड्स	
3.6	म्ब्े मजनच ंदक बिपसपजपमे ंअपसंइसम पद जीम कपेजतपबज	**18–51**
अध्याय– 4	रोकथाम और शमन उपाय	
4.1	स्ट्रक्चरल शमन उपाय	
4.2	गैर संरचनात्मक शमन उपाय	
4.3	तैयारी क्रियाविधि	
4.4	जागरुकता कार्यक्रम	
4.5	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	
अध्याय– 5	तैयारियों के उपाय	**51–57**
5.1	आपदा प्रबन्धन योजना के तीन चरण	
5.2	प्रथम चरण– आपदा आने से पूर्व की तैयारी की व्यवस्था करना	
5.3	द्वितीय चरण–आपदा के समय और प्रभाव की अवस्था में तात्कालिक राहत व्यवस्था करना	
5.4	तृतीय चरण–आपदा के बाद की पुनर्वास एवं आधारभूत संरचना के बहाली की व्यवस्था करना	
5.5	संवेदनशीलता	
अध्याय–6	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपाय	**58–59**
अध्याय–7	प्रतिक्रिया और राहत उपाय	**59–60**
अध्याय–8	पुर्ननिर्माण, पुनर्वास, और रिकवरी उपाय	**60–61**
अध्याय–9	DDMP के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधन	**62**
अध्याय–10	DDMP के विकास, अपडेशन, मूल्यांकन, निगरानी के लिए प्रक्रिया और कार्यप्रणाली	**62–63**

अध्याय–11	DDMP के कार्यान्वयन के लिए समन्वय तंत्र	**63–71**
अध्याय–12	SOP– मानक ऑपरेटिंग प्रकियाएं तथा चेक लिस्ट SOP द्वारा संक्षिप्त वर्णन	**71–88**
परिशिष्ट नं. 1	जिला प्रोफाईल–आपदाओं का इतिहास	**89–92**
परिशिष्ट नं. 2	आपदा जोखिम प्रबंधन से संबंधित कानून और नीतियां	**92**
परिशिष्ट नं. 3	आश्रय प्रबंधन व्यवस्था	**92–93**
परिशिष्ट नं. 4	मीडिया भागीदारी	**94**
परिशिष्ट नं. 5	चिकित्सा और अस्पताल प्रबंधन योजना	**94**
परिशिष्ट नं. 6	आपदा की रोकथाम के लिये परियोजनाएं	**–**
परिशिष्ट नं. 7	आपदा बाद की क्षति के लिये प्रारुप, हानि, आवश्यकताएं और क्षमता प्रसार	**–**
परिशिष्ट नं. 8	चपेट में आने वाले गांवों तथा कस्बों की सूची	**98–99**
परिशिष्ट नं. 9	जिले में निजी और सार्वजनिक उपलब्ध संसाधनों की सूची, संवेदनशील उद्योग आदि	**100–110**
परिशिष्ट नं. 10	सार्वजनिक तथा निजी आधारिक संरचना की सूची जैसे– आश्रय आदि	**110–115**
परिशिष्ट नं. 11	विभिन्न संस्थाओं,एन.जी.ओ., स्वयं सेवकों की सूची	**115–116**
परिशिष्ट नं. 12	प्रशिक्षित व्यक्तियों की सूची– मशीनरी तथा उपकरण की उपलब्धता	**117–123**
परिशिष्ट नं. 13	आपातकालीन आपूर्तिकर्ताओं की सूची–फोन न0 सहित	**123–125**
परिशिष्ट नं. 14	रेडियो तथा टेलिविजन स्टेशनों की सूची	**125–126**
परिशिष्ट नं. 15	20 एजेंसियों/व्यक्तियों को प्लान के वितरण की सूची	**–**
परिशिष्ट नं. 16	परिवर्णी शब्दों की सूची	**127**
परिशिष्ट नं. 17	फोन डायरेक्ट्री	**128**
परिशिश्ट नं. 18	विधानसभा वार मानचित्र	**136–139**
परिशिश्ट नं. 19	जिला स्तर पर ईसीएफ गठन मानचित्र	**140**

" जिला बून्दी एक परिचय "

राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित बून्दी जिला इतिहास में प्रेम, बलिदान, शौर्य व त्याग की कहानियां समेटे हुए, ऐतिहासिक स्मारकों, सांस्कृतिक समृद्धि और पुरातत्व के वैभव से सराबोर है । कुण्ड-बावडियों की इस ऐतिहासिक नगरी को सिटी ऑफ़ स्टेपवेल्स "बावडियों का शहर" भी कहा गया है । मंदिरों, युद्धप्राचीरों, हवेलियों झरोखों और सांप्रदायिक सदभावना एवं धार्मिक सामंजस्य के बून्दी नगर को हाड़ोती की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है |

लगभग 779 वर्ष पुराने बून्दी को सन् 1241 में हाडा वंश के श्री राव देवा ने मीणा सरदारों से जीता और बून्दी राज्य की स्थापना की । स्वतन्त्रता के बाद अंतिम शासक महाराव श्री बहादुर सिंह रहे। प्राकृतिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध यह जिला खनिज सम्पदाओं का भण्डार समेटे हुये है। वन सम्पदाओं से भरपूर, स्थापत्य कलाए भवन निर्माण कला और विभिन्न ललित कलाओं, सभ्यता जिले में नदियों के किनारे फलीभूत हुई है। जिसके अवशेष नदियों के किनारे बिखरे पडे है। यहां शैल चित्रों के अवशेष से सदियों पुरानी सभ्यता का पता चलता है।

बून्दी जिले का फैलाव 75०19'30" से 76०19'30" पूर्वी देशान्तर एवं 24०59'11" से 25०53'11" उतरी अक्षांश के मध्य है। बून्दी जिले के उतर में टोंक एवं सवाई माधोपुर, पश्चिम में भीलवाडा, उतर-पश्चिम में अजमेर, दक्षिण-पश्चिम में चितौडगढ और दक्षिण में कोटा जिला अवस्थित है ।

अध्याय–1
प्रस्तावना

विकास और आपदा–

आदिकाल से मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए प्रकृति से संघर्ष करता रहा है। आज भले ही मनुष्य ने सामाजिक, वैज्ञानिक व तकनीकी के क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है। तथापि आज भी आपदायें उसके नियन्त्रण से बाहर है। प्राधोगिक एवं औद्योगिक विकास से मनुष्य ने मनुष्यकृत आपदाओं के लिए नये द्वार खोल दिये है। जो दिन–प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है। प्रतिवर्ष विश्व के कई भागों में एक या अधिक प्रकार की आपदाओं का विनाशकारी रूप देखने को मिलता है। जिससे जान व माल की काफी हानि होती है।

भारत में आपदा जोखिम

भारत में अलग–अलग तीव्रता वाली अनेक प्राकृतिक और मापव–जन्य आपदाएं आती रहती है। लगभग 58.6 प्रतिशत भू–भाग सामान्य से लेकर बहुत अधिक तीव्रता वाला भूकम्प संभावित क्षैत्र है, 40 मिलियन हैक्टेयर से अधिक क्षैत्र (12 प्रतिशत भूमि) बाढ और नदी अपरदन संभावित है, 7,516 कि.मी. तटीय क्षैत्र में से लगभग 5,700 कि.मी. क्षैत्र चक्रवात और सुनामी संभावित है, 68 प्रतिशत कृषि योग्य क्षैत्र सूखा संभावित है और पहाडी. क्षैत्रों में भू–स्खलन और हिम–स्खलन की बनी रहती है। आपदाओं/रासायनिक, जैविक विकीरण और नाभिकीय (सी बी आर एन) आपात स्थितियों/आपदाओं की संभावना भी रहती है। आपदा जोखिमों की अत्यधिक सुभेद्यताओं को जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगीकरण, उच्च–जोखिम क्षैत्रों में विकास, पर्यावरण असंतुलन और जलवायु परिवर्तन से जोडा. जा सकता है।

1.1 जिला आपदा प्रबन्धन कार्य योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य–

बहु–आपदा अनुक्रिया योजना

आपदा प्रबन्धन योजना राज्य एवं जिले में होने वाली संभावित आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, चक्रवात, सूखा, महामारी, औद्यागिक व रासायनिक दुर्घटनाएं, आगजनी, सड़क दुर्घटनाएं, रेल व वायुयान दुर्घटनाएं इत्यादि से निपटने हेतु एक सहायक दस्तावेज है। राजस्थान व सूखा एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये हैं। पिछले 60 वर्षों 1950–2010 में मात्र छः वर्ष ही सूखा रहित रहे हैं जबकि 54 वर्षों में राज्य के किसी न किसी जिले का भाग अकाल ग्रस्त रहा है। इस प्रकार राज्य में भीषणतम सूखा लगातार 1965–69, 1979–82, 1984–87, 1991–92 व 1999–2000 में रहा। पिछले दो दशकों में मात्र 1983–84, 1992–93, 1995–96 व 1997–98 ही लगभग सूखा व अकाल रहित रहे हैं। राज्य में अकाल की निरन्तरता व सघनता बढ़ती जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप राज्य के जिन जिलों में सूखा कभी–कभी पड़ता था वह अब स्थाई आपदा बन गया है। संवत 2057 में राज्य के 32 में से 31 जिले सूखा से प्रभावित हुए। सूखा मात्र प्राकृतिक कारणों से ही नहीं वरन् मानव के अनियन्त्रित जल विदोहन, गलत फसलों के चयन, पर्यावरण में
असन्तुलन के कारण भी होता है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सभी वर्ग के लोगों तथा मवेशियों पर पड़ता है। बाढ़ व भूकम्प भी ऐसी आपदाएं हैं जो विस्तृत क्षेत्र में जन, धन एव पर्यावरण को प्रभावित करते हैं जबकि महामारी जैसी आपदा का प्रभाव विशाल जन समूह पर देखा जाता है। इन सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु व्यापक संसाधनों एवं प्रशिक्षित मानवशक्ति की आवश्यकता होती है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना आपदाओं के प्रबंधन हेतु बहु–अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए यह संस्थागत ढांचे की रूपरेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्य–

1. जिले में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना ।
2. जिले में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढ़ाने में उपयोग करना।
3. आपदा न्यूनीकरण ;डपदपउपेंजपवदद्ध के विभिन्न पहलूओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।
4. जिले में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।

5. आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही का क्रियान्वयन करना।

6. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा ;च्वसपबल च्संदद्ध के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबन्धन औजार बनाना।

निश्चित योजना के अभाव में आपदा आने पर कार्यों का समन्वय सुचारू रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान दे दिया जाता है तथा अन्य कार्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति–आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :–

क. प्रतिक्रिया ;त्मंबजपवदध्त्मेचवदेमद्ध कार्यों के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।

ख. भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।

ग. कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण ";जंदकंतपेंजपवदद्ध करना।

घ. उपलब्ध सुविधा और स्त्रोतों की सूची तैयार करना।

ड. स्त्रोतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।

च. सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।

छ. राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

नीतिगत कथन

गुजरात के भुज क्षेत्र में 26.1.2001 को आये विनाषकारी भूकम्प से हुई त्रासदी व जानमाल के भारी नुकसान से पूरे देष को जूझना पड़ा था। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 16 फरवरी 2001 को राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी विभिन्न बिन्दुओं पर विचार किया गया। मुख्य सचिव महोदय ने पिछले साल की तीन मुख्य आपदाओं भरतपुर के आयुध डिपो में आग, बीकानेर के लुणकरणसर में बाढ़ तथा पिछले तीन साल के सूखे के अनुभवों के आधार पर जानकारी देते हुए बताया कि संचार व्यवस्थाओं की असफलता, प्रशासनिक समन्वय की कमी, प्रेस तक सही सूचना का अभाव तथा उपलब्ध संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग न होने के कारण कार्यवाही में देरी होती है। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य एवं जिला स्तर पर इन आपदाओं से निपटने व बेहतर प्रबन्धन के लिए आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जाये ताकि बिना विलम्ब के कार्यवाही की जा सके। आपदा प्रबंधन योजना मे प्रत्येक विभाग की आपदा पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के बाद उनकी भूमिका तथा उपलब्ध संसाधनों का व्यापक उल्लेख होगा। जिससे प्रतिक्रिया के समय को कम करके आपदा को नियंत्रित किया जा सके।

1.2 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण– आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005

23 दिसम्बर 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) अधिनियमित करके एक उचित कदम उठाया। इस अधिनियम में, आपदा प्रबंधन का नेतृत्व करने और उसके प्रति एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(एन डी एम ए), मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणें और कलैक्टर अथवा जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपायुक्त जैसा भी मामला हो, की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणें (डी डी एम ए) के गठन की परिकल्पना की गई थी। विकास संबंधि लाभों को बनाऐ रखने तथा जीवन, आजीविका और सम्पति के नुकसान को कम करने के लिये राहत–केन्द्रित कार्रवाई के पहले के दृष्टिकोण के स्थानपर अब सक्रिय रोकथाम, प्रशमन और तैयारी आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

1.3 आपदा कार्ययोजना का मूल्यांकन (संक्षिप्त नोट)–

आपदा प्रबन्धन कार्य–योजना राज्य एवं जिले में होने वाली संभावित आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, चक्रवात, सूखा, महामारी, औघोगिक व रासायनिक दुर्घटनाएं, आगजनी, सड़क दुर्घटना, रेल व वायुयान दुर्घटना इत्यादि से निपटने हेतु एक सहायक दस्तावेज है। राजस्थान व सूखा एक दूसरे के पर्यायवाची है पिछले 50 वर्षों (1950–2000) में मात्र छः वर्ष ही सूखा रहित रहे है। 44 वर्षों में राज्य के किसी न किसी जिले का भाग अकालग्रस्त रहा है। इस प्रकार राज्य में भीषणतम सूखा लगातार 1965–69, 1979–82, 1984–87, 1991–92, व 1999–2000 में रहा। पिछले दो दषकों में मात्र 1983–84, 1992–93, 1995–96 व 1997–98 ही लगभग सूखा व अकाल रहित रहे है। राज्य में अकाल की निरन्तरता व सघनता बढती जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप राज्य के जिन जिलों में सूखा कभी–कभी पड़ता था वह अब स्थाई आपदा बन गया है। संवत् 2057 में राज्य के 32 में से 31 जिले सूखे से प्रभावित हुए। सूखा मात्र प्राकृतिक कारणों से ही नहीं वरन मानव के अनियन्त्रित जल विदोहन, गलत फसलों के चयन, पर्यावरण में असंतुलन के कारण भी होता है इसका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सभी वर्ग के

लोगों तथा मवेशियों पर पडता है। बाढ़ व भूकंप ऐसी आपदाये हैं जो विस्तृत क्षेत्र में जन, धन व पर्यावरण को प्रभावित करते है। जबकि महामारी जैसी आपदा का प्रभाव विषाल जन समूह पर देखा जाता है। इन सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबन्धन हेतु व्यापक संसाधनों एवं प्रशिक्षित मानव शक्ति की आवश्यकता होती है।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना आपदाओं के प्रबंधन हेतु बहु–अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए यह संस्थागत ढांचे की रूपरेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

इसी प्रकार मार्च माह में गेहूँ कटाई के समय आग का लगना।

1.4 स्टेक हॉल्डर्स तथा उनका उत्तरदायित्व/ जिम्मेदारी–

जिले में समुदाय से लेकर जिला स्तर तक मुख्य हितधारकों की बडी. संख्या है। ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां एवं लाइन डिपार्टमेंट के जाने पहचाने हितधारक समूहों के अतिरिक्त अनेक गैर सरकारी ऐसे हितधारक भी हैं जो आपदा और शांति दोनों स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हितधारक समूहों की सूची–

क्र. सं.	स्तर	हितधारक समूह	मन्तव्य
1.	ग्राम पंचायत स्तर	1. ग्राम पंचायत जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य कमिटी	निर्मल भारत अभियान की यह टीम कमिटी बनाएगी
		2. ग्राम पंचायत बाल कमिटी	समेकित बाल विकास परियोजना की टीम यह कमिटी बनाएगी
		3. ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमिटी	
		4. ग्राम पंचायत शिक्षा कमिटी	सर्व शिक्षा अभियान की टीम यह कमिटी बनाएगी
		5. ग्राम पंचायत भोजन एवं पौषण कमिटी	मिड डे मील के लोग इस कमिटी में होंगे
		6. ग्राम पंचायत स्वास्थ्य कमिटी	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत बनी टीम इस कमिटी में होगी
		7. ग्राम पंचायत वार्ड मेम्बर	

क्र. सं.	स्तर	हितधारक समूह	
2.	जिला स्तर (लाइन डिपार्टमेंट)	1. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	11. नगर निकाय
		2. श्राम संसाधन विभाग	12. जल संसाधन विभाग
		3. पंचायत राज विभाग	13. कृषि विभाग
		4. स्वास्थ्य विभाग	14. पशुपालन विभाग
		5. पुलिस विभाग	15. मत्स्य विकास विभाग
		6. डाक एवं संचार विभाग	16. बीएसएनएल
		7. ग्रामीण विकास विभाग	17. शिक्षा विभाग
		8. सामाजिक सुरक्षा विभाग	18. ऊर्जा विभाग
		9. सांख्यिकी विभाग	19. अग्निशमन सेवा(दमकल)
		10. परिवहन विभाग	20. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
			21. उधोग विभाग
3.	अन्य हितधारक समूह	1. शैक्षणिक संस्थाएं	
		2. वास्तुकार, अभियंता, डिप्लोमा धारक और राज मिस्त्री	
		3. कारीगर शिलपकार समूह	

		4. व्याावसायिक समूह(निजी क्षैत्र के कॉरपोरेट,उद्योग,एसएमई) बाजार एवं बाजार संघ
		5. भूतपूर्व सैनिक एवं सेवानिवृत पेशेवर संघ
		6. स्वास्थ्य संगठन(मेडिकल संघ,केमिस्ट एवं ड्रग ऐसोशिएशन, आरभीसी एवं नर्स संगठन)
		7. इंटर एजेंसी ग्रुप
		8. स्थानीय एवं अंतरराष्ट्रीय मीडिया
		9. स्थानीय स्वैच्छिक संगठन, अंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक संस्थाएं, रेड क्रॉस, राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थाएं
		10. स्वंय सहायता समूह, महिलाएं एवं किसान संगठन,जीविका समूह
		11. ट्रांसपोर्टर(रेल, सड.क, और नाव)
		12. युवा संगठन

1.5 कार्य योजना को कैसे प्रयोग करें– परिस्थितियों के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन योजना के विभिन्न अध्यायों एवं परिशिष्टों में दी गई जानकारी को काम में लेते हुये इस कार्य येजना को प्रयोग में लाएंगे।

1.6 कार्य योजना के अनुमोदन हेतु तंत्र– जिला स्तर पर योजना को प्रभावी करने हेतु प्राधिकरणः–
स्थाई व्यवस्था– जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक जिला आपदा प्रगंधन प्राधिकरण (क्क्ड।) का गठन किया गया है, जिसमें निम्नांकित सदस्य हैं–

क्र.सं.	पदनाम		फोन नम्बर
1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष	2443000
2	पुलिस अधीक्षक	सदस्य	
3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	सदस्य	2443596
4	अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन)	सदस्य सचिव	2443552
5	अधीक्षण अभियंता सार्व.निर्माण वि. वृत्त	सदस्य	2445885
6	अधीक्षण अभियंता जन स्वा.अभि.विभाग	सदस्य	2456448
7	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य	2442895

1.7 प्लान रिव्यू तथा अपडेशन– जिला आपदा प्रबंधन प्लान को जिले परिस्थितियों के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित करते हुये अपडेट किया जाऐगा।

अध्याय – 2
आपदा, भेद्यता, क्षमता तथा जोखिम आंकलन

2.1

प्रशासनिक संरचना

बून्दी जिला निम्न लिखित 6 उपखण्डों एवं 7 तहसीलों में विभाजित है :–

उपखण्ड का नाम	तहसील का नाम	ग्रामों की संख्या
बून्दी	बून्दी	120
	रायथल	69
तालेड़ा	तालेड़ा	108
के.पाटन	के.पाटन	101
लाखेरी	इन्द्रगढ़	122
नैनवां	नैनवां	191
हिण्डोली	हिण्डोली	198
योग (6)	**(6)**	**909**

नोटः– नव निर्मित तहसील रायथल (बजट वर्ष 2023–24)

जिले में एक जिला परिषद, 5 पंचायत समितियां, 184 ग्राम पंचायतें एवं 8 शहरी स्थानीय निकाय हैं जिनका विवरण निम्नानुसार हैं :–

जिला परिषद का मुख्यालय बून्दी स्थित है। जिला परिषद में 23 सदस्य हैं एवं इसके अध्यक्ष जिला प्रमुख हैंः–

पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों का विवरणः–

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या
1.	बून्दी	30
2.	तालेड़ा	33
3.	हिण्डोली	42
4.	के.पाटन	46
5.	नैनवां	33

शहरी स्थानीय निकायों का विवरण

क्र.सं.	स्थानीय निकाय	शहर / कस्बा
1.	नगर परिषद्	बून्दी
2.	नगर पालिका	के.पाटन
3.	नगर पालिका	कापरेन
4.	नगर पालिका	लाखेरी
5.	नगर पालिका	इन्द्रगढ़
6.	नगर पालिका	नैनवां
7.	नगर पालिका	हिण्डोली
8.	नगर पालिका	देई

जिले में 3 विधान सभा क्षेत्रा – बून्दी, हिण्डोली, के.पाटन है। जिला बून्दी (कोटा–बून्दी) व भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रा में आता है।

2.2 भौतिक स्वरूप

क्षेत्राफल

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिले का कुल क्षेत्रफल 5850 वर्ग कि.मी. है। इसकी जनसख्या **888205** है तथा घनत्व 190 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है।

मृदा (मिट्टी)

जिले के दक्षिणी–पूर्वी मैदानी भागों में सामान्तया उपजाऊ काली मिट्टी पाई जाती है तथा उत्तरी–पशिचमी भू–भाग की कठोर एवं पथरीली है।

भूमि उपयोग

जिले का भौगोलिक क्षेत्राफल 5819.38 वर्ग कि0मी0 है। जिले में भूमि का वर्गीकरण वर्ष 2023–24 में निम्न प्रकार था :–

कृषि			
कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल	हेक्टेयर	2023.24	581938
कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि	हेक्टेयर	2023.24	88882
स्थाई चारागाह एवं अन्य गोचर भूमि	हेक्टेयर	2023.24	23140
उपवन तथा फलोद्यान	हेक्टेयर	2023.24	312
कृषि अयोग्य भूमि पडत एवं बंजर सहित	हेक्टेयर	2023.24	35523
शुद्ध बोया हुआ क्षेत्रफल (दुपज घटाकर)	हेक्टेयर	2023.24	269215
एक से अधिक बार बोया हुआ क्षेत्रफल	हेक्टेयर	2023.24	233900
सकल बोया हुआ क्षेत्रफल	हेक्टेयर	2023.24	503115
जोत का औसत आकार	हेक्टेयर	2023.24	2.16

जलवायु

जिले की जलवायु सामान्य रूप से शुष्क एवं स्वास्थ्यवर्धक है। जनवरी महीने के मध्य अधिकतम तापमान का क्रम 22^0 सै. रहता है एवं दैनिक न्यूनतम तापमान का क्रम 6^0 सै. रहता है। मार्च के महीने से तापमान क्रमशः बढ़ता जाता है सामान्यतः मई उष्णतम महीना होता है जबकि मध्य दैनिक अधिकतम तापमान का क्रम 46^0 सै. रहता है। गर्मी के दिनों में पृथक रूप से दिन का तापमान अधिक से अधिक 46^0 सै. तक जा सकता है। नवम्बर मध्य से जनवरी तक मौसम ठंडा रहता है। मानसून में, जो कि जून के तृतीय सप्ताह से प्रारम्भ होकर सितम्बर माह के मध्य तक चलता है, वातावरण आर्द्र रहता है।

वर्षाः–

जिले मे औसत वर्षा 76.41 सेन्टीमीटर होती है। किन्तु यह सामान्यतः दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की और कम होती जाती हे। कुल वार्षिक वर्षा की लगभग 93 प्रतिशत वर्षा माह जून से सितम्बर के महिने मे होती है। इनमे से जुलाई व अगस्त माह मे भारी वर्षो होती हे। माह जनवरी एवं फरवरी माह मे यदा कदा वर्षो होती है।

नदियां, बॉध व तालाबः–

नदियां–चम्बल , मेज, मॉगली, तालेडा व घोडापछाड जिले की प्रमुख नदिया है।
बॉधः–गुढा बॉध , पाईबालापुरा बॉध , बरधा बॉध , माछली बॉध मुख्य बॉध है।
झीले व तालाबः– जिले मे जैतसागर ,फूलसागर, दुगारी का कनकसागर , तलवास का तालाब हिण्डोली तालाब आदि मुख्य प्राकृतिक झीले व तालाब है।

2.3 आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति

प्रमुख फसलेः–

बून्दी जिले मे प्राकृतिक संसाधनो की उपलब्धता के कारण कृषि मुख्य जीविका उपार्जन का प्रमुख स्त्रोत है जिले की प्रमुख फलसो मे धान , गेहूॅ, सोयाबीन, उडद, तिल, सरसो , मक्का व मटर है।
रबी फसलेः–गेहॅ, जो, चना, सरसो, मटर , धनियॉ,मैथी, लहसुन आदि
खरीफ फसले–धान, मक्का, ज्वार, सोयाबीन, मॅूगफली, तिल, गन्ना, उडद, मॅूग आदि

इसके अतिरिक्त जिले मे व्यवसायिक दृष्टी से फल और सब्जियॉ भी बोई जाती है । अमरूद

पपीता , नीबू, और आम के पेड आमतौर पर पाये जाते है। फल व सब्जियॉ प्रचुर मात्रा मे अन्य जिलो को निर्यात की जाती है।

औसत उत्पादन (प्रति हेक्टेयर)			
बाजरा	हेक्टेयर/क्विंटल	2023-24	36050
ज्वार	हेक्टेयर/क्विंटल	2023-24	7020
मक्का	हेक्टेयर/क्विंटल	2023-24	789270
सोयाबीन	हेक्टेयर/क्विंटल	2023-24	517650
तिल	हेक्टेयर/क्विंटल	2023-24	4185
जौ	हेक्टेयर/क्विंटल	2023-24	39260
गन्ना	हेक्टेयर/क्विंटल	2023-24	15770
गेंहूं	हेक्टेयर/क्विंटल	2023-24	6139030
चावल	हेक्टेयर/क्विंटल	2023-24	4077480
राई , सरसों	हेक्टेयर/क्विंटल	2023-24	1312740
मूंगफली	हेक्टेयर/क्विंटल	2023-24	1670
ईसबगोल	हेक्टेयर/क्विंटल	2023-24	-
चना	हेक्टेयर/क्विंटल	2023-24	342270

प्रमुख उद्योग

जिले में पानी, ऊर्जा के साधनों की कमी के कारण औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। जिले में वृहद उद्योग मैसर्स एसोसिएटेड सीमेन्ट कम्पनी लाखेरी व बंगे इण्डिया, रामगंज बालाजी, अडाणी विलमार लिमिटेड सिलोर चौराहा, बून्दी मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त जिले में वर्ष 2015 में लगभग 4540 लघु उद्योग पंजीकृत हैं।

नमदा, दरी, निवार एवं बीड़ी जिले के मुख्य कुटिर उद्योग हैं। इसके अतिरिक्त गांव की पुरानी दस्तकारी जैसे कुम्हारगिरि, कुल्हारगिरि, सुनारगिरि, चमड़े का काम, बढईगिरि, बुनने और कातने के कार्य होते हैं।

संचार एवं यातयात

जिले में दो प्रमुख रेल मार्ग हैं। दिल्ली–मुम्बई रेल मार्ग जो जिले के गुडला, के.पाटन, अरनेठा, कापरेन, लाखेरी व इन्द्रगढ़ तथा कोटा–नीमच रेल मार्ग से जिले के गुडला, देहित, तालेड़ा, कोथ्या, बूदी श्रीनगर, नीम का खेड़ा जुड़े हुए हैं।

जिले से दो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12, 76 एवं एक मेगा हाइवे कोटा से लालसोट गुजरता है जिनकी कुल लम्बाई लगभग 220 कि.मी. है। जिले के लगभग सभी महत्वपूर्ण स्थल सड़को से जुड़े हुए है। जिले में लगभग 160 कि.मी. रेलमार्ग भी है।

जनसंख्या :– 2011 की जनगणना के अनुसार बून्दी जिले की कुल जनसंख्या 1110906 है। जिनका विवरण निम्नानुसार है।

2.0 जनसंख्या- 2011						
क्र. सं.	**वर्ष / तहसील**	**क्षेत्र**	**जनसंख्या**			**projected 2025**
			पुरुष	**स्त्री**	**योग**	
1	2	3	4	5	6	
2011		**ग्रामीण**	**461734**	**426471**	**888205**	**1065634**
		नगरीय	**115426**	**107275**	**222701**	**267188**
		योग	**577160**	**533746**	**1110906**	**1332822**
1-हिण्डोली		ग्रामीण	114242	105726	219968	263909
		नगरीय	857	776	1633	1959
		योग	115099	106502	221601	265868
2- नैनवां		ग्रामीण	92236	84349	176585	211860
		नगरीय	10098	9387	19485	23377
		योग	102334	93736	196070	235237
3- इन्द्रगढ		ग्रामीण	45457	41609	87066	104458
		नगरीय	21004	19645	40649	48769
		योग	66461	61254	127715	153228
4-केशोरायपाटन		ग्रामीण	56203	52409	108612	130308
		नगरीय	23461	21914	45375	54439
		योग	79664	74323	153987	184748
5-बूंदी		ग्रामीण	153596	142378	295974	355098
		नगरीय	60006	55553	115559	138643
		योग	213602	197931	411533	493741

सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां

यहां वर्षों से कई स्थानीय मेले लगते रहते हैं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बूंदी में कजली तीज का मेला और केशवरायपाटन में कार्तिक पूर्णिमा, लाखेरी में गणगौर एवं नैनवां में दहेलवाल जी का मेला मुख्य है। इसके अलावा बूंदी में दशहरा मेला, कापरेन में पशु मेला, तालेड़ा में तेजाजी का मेला, अलोद का पशु मेला मुख्य है।

ऐतिहासिक एवं धामिक केन्द्र

बून्दी शहर एवं जिले में अन्य विभिन्न दर्शनीय स्थलों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. तारा. किला

यह प्रसिद्ध किला बून्दी के उत्तर में 1426 फिट ऊंची पहाड़ियों पर बना हुआ है। राव राजा बरसिंह ने 1354 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। इस ऐतिहासिक दुर्ग की संरचना अत्यन्त शानदार है। यह पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है।

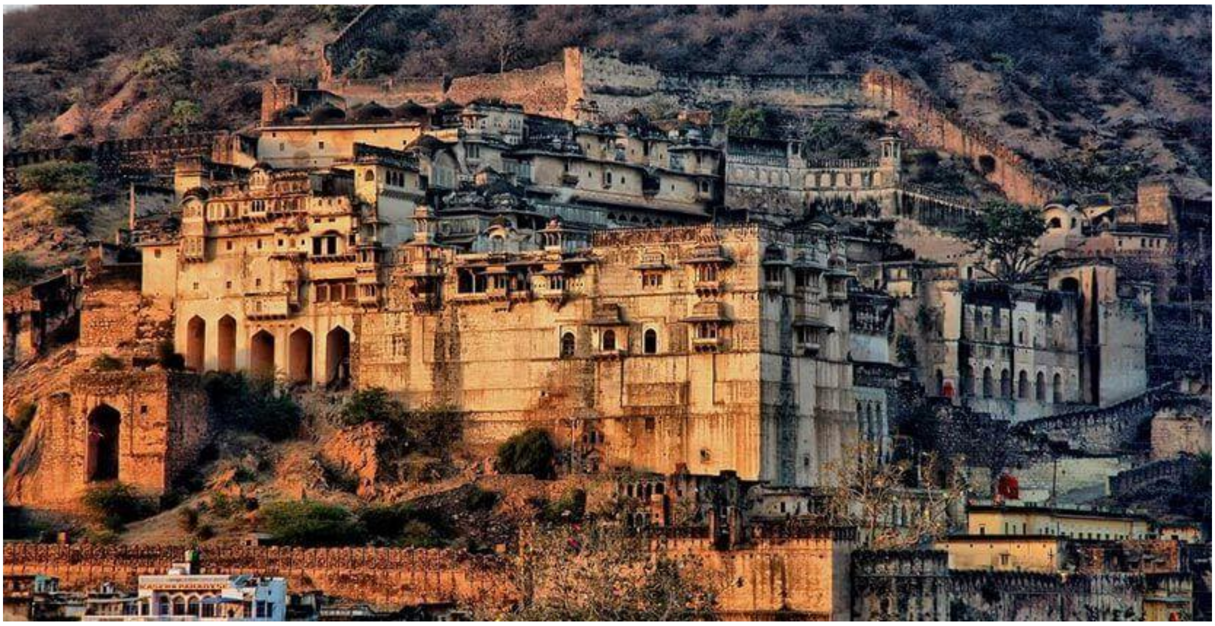

2. बून्दी महल

राजस्थान को अपने महलों पर गर्व है। पर अपनी स्थिति एवं शानो शौकत के कारण राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद बून्दी के महलों का विशेष महत्व है। यह कई महलों का समूह है। जिन्हें हाडा वंश के राजाओं ने अपने राज्यकाल में निर्मित करवाया है। यह अपने अतीत का शानो शौकत और ऐतिहासिक गौरव के साथ–साथ पुरातात्विक उत्कृष्टता के जीते जागते प्रतीक हैं। छत्रा महल बून्दी का सर्वाधिक महत्व का स्थान है। इसका निर्माण महाराव राजा छत्रासाल सिंह ने सन् 1631 में करवाया था। छत्रा महल बून्दी महल में एक चौक के समीप हथियासाल के निकट चित्राशाला है। जिसकी सुन्दर दीवारें भित्ती चित्राों से अलंकृत हैं। इनमें धार्मिक, ऐतिहासिक, शिकार संबंधी दृश्य, हाथी, मोर तथा चित्राों के बोर्डर में छुपी रहस्य मुस्कुराहट तथा सहज श्रृंगार दृर्शकों को अपनी ओर लंबे समय तक आकर्षित करता है। बून्दी चित्राशैली अपने आप में एक मौलिक शैली है। राजस्थान चित्राशैली में बून्दी चित्राशैली का अपना अलग महत्व है। जिस पर मुगल और राजपूत शैली का मिश्रित प्रभाव परिलक्षित होता है तथा यह शैली भारत में ही नहीं वरन विश्व स्तर पर विख्यात है।

3. फूलसागर पैलेस

बून्दी जिले के उत्तर–पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस महल का निर्माण

महाराव राजा भोज सिंह ने करवाया था तथा इनके ख्वास जी ने जोजो का तालाब और इसकी पाल पर बाग बनवाए। महाराव राजा भाव सिंह ने फूलसागर के उत्तर की ओर बाग तथा फव्वारे लगवाए। इनकी निर्माण शैली पर्यटकों एवं आम जनता को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है।

4. चौरासी खम्भों की छतरी इस छतरी में चौरासी खम्भे है। इसका निर्माण महाराव राजा अनिरूद्ध सिंह के धाभाई देवा ने 1683 में करवाया था। यह स्थापत्य काल का एक बेजोड़ नमुना है।

5. सुखमहल

नगर से कुछ ही दूर पहाड़ियों के मध्य एक तालाब है। जिसके किनारे महाराव राजा विष्णु सिंह ने अपने शासन काल में एक सुन्दर महल एवं बाग का निर्माण करवाया। तालाब के दूसरे किनारे से वर्षा काल में इस महल की छटा देखते ही बनती है।

जिले में विषिष्ट एवं सामान्य आपदायें

विषिष्ट आपदायें	संभावित आपदायें
बाढ़	बादल का फटना
सूखा	ओलावृष्टि
दुर्घटना (सड़क,रेल,कुँओं का धसना, कृषि आग, नहरों का टूटना)	अतिवृष्टि
सेम विस्तार	मौसमी कीडों का प्रभाव
भूकम्प	शीतघात एवं ताप (लू)
	रसायनिक, औघोगिक बम विस्फोट

विभिन्न आपदाओं को उनकी तीव्रता, प्रभाव एवं घटित होने के समय के अन्तराल की दृष्टि से मुख्य रूप से दो भागों में बॉटा जा सकता है–

अ. आकस्मिक आपदायें– इस प्रकार की आपदाओं में भूकंप, बाढ, ओलावृष्टि, अग्निकांड, दुर्घटनायें, रासायनिक दुर्घटनाये आती है। तथा उनसे बहुत कम समय में बहुत बड़ी संख्या में मानव एवं पशुधन व मकानों आदि का नुकसान हो जाता है। इन आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिए वहॉ के निवासियों, विभिन्न प्रकार की जन सहयोगी संस्थाओं तथा सरकार द्वारा तुरन्त सहयोग की आवश्यकता होती है एवं कम समय में ही बहुत बडे पैमाने पर संसाधनों एवं बचाव व सुरक्षा दलों, परिवहन के साधनों, आश्रय स्थलों, चिकित्सा एवं भोजन आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है।

ब. धीमी गति की आपदायें–इस प्रकार की आपदाओं में अकाल एवं सूखा जैसी आपदायें आती है जिसका प्रभाव काफी लम्बे समय तक रहता है तथा उसके लिए राहत सामग्री आदि पहुॅचाने के लिए एवं तैयारी के लिए पूर्व में काफी समय मिल जाता है। अकाल के लिए जो राहत कार्य किये जाने की आवश्यकता होती है। उसमें उतनी तत्परता एवं रेस्पोन्स की शीघ्रता नहीं होती है, जितनी की भूकम्प या बाढ़ की स्थिति में होती है। भविष्य में अकाल के प्रभाव को कम करने के लिए सभी विभागों को एक दीर्घकालीन योजना बनाने की आवश्यकता है।

2.4 आपदा, संवेदनशीलता, क्षमता तथा जोखिम हेतु प्राधिकरण/एजेंसी–

निम्न प्राधिकरण/एजेंसीज कार्यरत है–

(अ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)– यह आपदा प्रबंधन के लिये एक शीर्ष

निकाय है, जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री है। यह आपदा प्रबंधन के लिये नीतियां, योजनाएं और दिशानिर्देश निर्धारित करने, आपदाएं आने पर समय पर और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये इनके प्रवर्तन, और कार्यान्वयन को समन्वित करने के लिये उत्तरदायी है। इन दिशानिर्देशों से केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्यों को अपनी–2 आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने में सहायता मिलेगी।

(ब)– राष्ट्रीय कार्यकारी समिति– इस समिति के अध्यक्ष केन्द्रीय गृह सचिव है तथा इसमे कृषि, परमाणु उर्जा,रक्षा, पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण और वन, वित्त, स्वास्थ्य, विद्युत, ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, दूरसंचार, शहरी विकास, जल संसाधन मंत्रालयों / विभागों में भारत सरकार के सचिव तथा चीफ ऑफ द इंटीग्रेटिड डिफेंस सटॉफ ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ्स कमेटी के सदस्यों के रुप में शामिल है। इसकी बैठकों में विदेश, पृथ्वी विज्ञान, मानव संसाधन विकास, खान, नौवहन, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालयों के सचिव तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव विशेष आमंत्रित अतिथि होंगे।

(स) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(एसडीएमए)– राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य में आपदा प्रबंधन के लिये नीतियां और योजनाएं निर्धारित करेगा। यह अन्य बातों के साथ–2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य योजना को अनुमोदित करेगा, राज्य योजना के कार्यान्वयन को समन्वित करेगा, प्रशमन और तैयारी उपायों के लिये प्रावधान की सिफाारिश करेगा, और निवारण, तैयारी और प्रशमन उपायों का एकीकरण सुनिश्चित करने के लिये राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा करेगा।

(द) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला कलक्टर, उपायुक्त अथवा जिला मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, होगा तथा स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि इसका सह–अध्यक्ष होगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिला सतर पर आपदा प्रबंधन के लिये योजना, समन्वय और कार्यान्वयन निकाय के रुप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिये सभी आवश्यक उपाय करेगा। यह, अन्य बातों के साथ–साथ जिले के लिये जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा और राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निवारण, प्रशमन, तैयारी और कार्रवाई उपायों संबंधी दिशानिर्देशों का जिला स्तर पर राज्य सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा पालन किया जाए।

(य) स्थानीय प्राधिकरण– इस नीति के प्रयोजन के लिये स्थानीय प्राधिकरण पंचायती राज संस्थाओं(पी आर आई), नगरपालिकाओं, जिला और कंटोनमेंट बोर्डों और नगर योजना प्राधिकरणों को शामिल करेंगे जो नागरिक सेवाओं को नियंत्रित और संचालित करती है। ये निकाय आपदाओं से निपटने के लिये अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करेंगी, प्रभावित क्षैत्रों में राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियां चलाएंगी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करेंगी। महानगरों में आपदा प्रबंधन संबंधी मुद्दों से निपटने के लिये विशिष्ट संस्थागत ढांचा स्थापित किया जाएगा।

(र) जिला प्रशासन– जिला स्तर पर, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) आपदा प्रबंधन के लिये आयोजना, समन्वयन तथा कार्यान्वयन निकाय के रुप में कार्य करेंगे और एन डी एम ए एवं एस डी एम ए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन के प्रयोजनों के लिये सभी आवश्यक उपाय करेंगें।

2.5 सम्भावित आपदाओं की सूची (तीव्रता तथा उपशमन)

जिले में विषिष्ट एवं सामान्य आपदायें

विषिष्ट आपदायें	संभावित आपदायें
बाढ़	बादल का फटना
सूखा	ओलावृष्टि
दुर्घटना (सड़क,रेल,कुॅओं का धसना, कृषि आग, नहरों	अतिवृष्टि

का टूटना)	
सेम विस्तार	मौसमी कीडों का प्रभाव
भूकम्प	शीतघात एवं ताप (लू)
	रसायनिक, औघोगिक बम विस्फोट
	आग का लगना (फसल कटाई के दौरान)

अध्याय–3

आपदा प्रबंधन के लिये संस्थागत व्यवस्था

3.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005–

इस अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर संस्थागत, विधिक, वित्तीय और समन्वय तंत्र निर्धारित किये गए हैं। ये संस्थाएं समानान्तर ढांचे नहीं हैं तथा ये गहन समन्वय में कार्य करेंगी। नए संस्थागत ढांचे से आपदा प्रबंधन में एक आदर्श बदलाव आने की संभावना है जिससे राहत केन्द्रित दृष्टिकोण के स्थान पर एक सक्रिय प्रणाली स्थापित होगी, जिसमें तैयारी, निवारण और प्रशमन पर अधिक बल दिया गया है।

3.2 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (क्क्ड।)–

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला कलक्टर, उपायुक्त अथवा जिला मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, होगा तथा स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि इसका सह–अध्यक्ष होगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिला सतर पर आपदा प्रबंधन के लिये योजना, समन्वय और कार्यान्वयन निकाय के रुप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिये सभी आवश्यक उपाय करेगा। यह, अन्य बातों के साथ–साथ जिले के लिये जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा और राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निवारण, प्रशमन, तैयारी और कार्रवाई उपायों संबंधी दिशानिर्देशों का जिला स्तर पर राज्य सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा पालन किया जाए।

3.3 स्थानीय प्राधिकरण–

इस नीति के प्रयोजन के लिये स्थानीय प्राधिकरण पंचायती राज संस्थाओं(पी आर आई), नगरपालिकाओं, जिला और कंटोनमेंट बोर्डों और नगर योजना प्राधिकरणों को शामिल करेंगे जो नागरिक सेवाओं को नियंत्रित और संचालित करती है। ये निकाय आपदाओं से निपटने के लिये अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करेंगी, प्रभावित क्षैत्रों में राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियां चलाएंगी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करेंगी। महानगरों में आपदा प्रबंधन संबंधी मुद्दों से निपटने के लिये विशिष्ट संस्थागत ढांचा स्थापित किया जाएगा।

3.4 जिला प्रशासन–

जिला स्तर पर, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) आपदा प्रबंधन के लिये आयोजना, समन्वयन तथा कार्यान्वयन निकाय के रुप में कार्य करेंगे और एन डी एम ए एवं एस डी एम ए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन के प्रयोजनों के लिये सभी आवश्यक उपाय करेंगें।

जिला स्तरीय संस्थानिक व्यवस्था :–

आपदा प्रबन्धन में भागीदार संस्थानों के बहुत स्तर शामिल होगे। राज्य, जिला तथा आपदा स्थल तीन केन्द्रीय स्तर होंगें। राज्य स्तरीय संस्थान नीति निर्णय स्त्राोत का निर्धारण, कार्यो की प्राथमिकता, बजट निर्धारण तथा आपदा संचालन द्वारा प्रषिक्षण का कार्य करेगी।

जिला स्तरीय आपदा प्रबन्धन कमेटी (डी.डी.एम.सी.) एक शीर्ष योजना बनाने की संस्था होगी जो

आपदा प्रबन्ध की तैयारी तथा नवीनीकरण में एक बड़ा रोल अदा करेगी।
जिला कलक्टर के मार्गदर्षन में जिला स्तरीय प्रतिक्रया का समन्वय होना, जो जिला आपदा प्रबन्धन के रूप में कार्य करेगें।

जिला कलक्टर की भूमिका :
डीडीएमसी की मदद से डीडीएमएपी को तैयार कराना, जिला नियंत्रण केन्द्र की स्थापना करना, क्षेत्र में दिया निर्देष की जिम्मेवारी जिला स्तरीय संस्था पर होगी जो अलग–अलग संस्थाओं के माध्यम से चेतावनी से राहत तथा पुर्नवास तक कार्य करेगी। आपदा प्रबन्ध के लिए विषिष्ट कार्य, आपदा स्थल पर होगें। कलक्टर जिला नियंत्रण कक्ष के अभिन्न अंग होगें।
कलक्टर एस.ओ.सी. की सहायता से कार्य करेंगें।
स्थल प्रबन्धक, एस.ओ.सी. का प्रधान होगा।
स्थल संचालन केन्द्र, जिला नियंत्रण केन्द्र को सूचना देगा।
कलक्टर क्षेत्र की प्रतिक्रिया का समन्व करेगें। जिसमें तहसील स्तर पर षिविर, सहायता षिविर तथा पशु शिविर की स्थापना करना शामिल होगा।
डेस्क व्यवस्था कार्यो का विभाजन सूचना इक्ट्ठा करना तथा रिकार्ड संग्रह प्रदान करेगी। जिसमें डेस्क अधिकारी की डी.डी.एम. के प्रति जवाबदेही होगा। प्रत्येक डेस्क पर एक डेस्क अधिकारी नियुक्त होगा। सूचना के आवागमन के प्रबन्धन की व्यवस्था होगी।

3.5 पुलिस बल तथा अग्निशमन सेवाएं–

पुलिस बल तथा अग्निशमन सेवाए, आपदाओं में तत्काल कार्रवाई करेंगे। बहु– जोखिम बचाव क्षमता प्राप्त करने के लिये पुलिस बलों को प्रशिक्षित किया जाता है तथा अग्निशमन सेवाओं का उन्नयन किया जाता है।

3.6 नागरिक सुरक्षा तथा होम गाड्र्स–

नागरिक सुरक्षा तथा होम गाड्र्स द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षैत्र में प्रभावकारी भूमिका अदा की जा सकती है। सामुदायिक तैयारी तथा जन–जागरुकता के लिये उनको तैनात किया जाएगा। किसी आपदा के आने पर स्वैच्छिक रुप से डयूटी स्थानों पर रिपोर्ट करने की संस्कृति को बढावा दिया जाएगा।

3.7 नेशनल केडिट कोर्प्स (एन सी सी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एन एस एस) तथा नेहरु युवा केन्द्र संगठन–

सभी समुदाय आधारित पहलों में सहायता करने के लिये इन युवा आधारित संगठनों की क्षमता को ईष्टतम बनाया जाएगा और आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण का उनके कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा।

जिल में स्थापित सभी राजकीय कार्यालय केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों तथा जिले में कार्यरत विभिन्न स्वयं सहायता समूह आपस में समन्वय स्थापित कर आपदा की स्थिति में कार्य करेंगें।

EOC setup and facilities available in the district- शासन सचिव आपदा एवं सहायता विभाग के निर्देशानुसार कलैक्ट्रेट में पूर्व में कार्यरत कन्ट्रोल रुम को लगातार हेल्प लाईन के लियन में ईमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (ई0ओ0सी0) को मानसून/बाढ. नियन्त्रण कक्ष के रुप में स्थापित किया गया है। अतिवृष्टि एवं बाढ. तथा अन्य प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिये जिला मुख्यालय पर ई0ओ0सी0 निरन्तर 24 घण्टे "राउण्उ दी क्लॉक " कार्यरत रहेगा।

सूचना एवं चेतावनी एजेंसीज– सभी प्रकार की आपदाओं के लिये पूर्वानुमान तथा शीघ्र चेतावनी प्रणालियों को स्थापित किये जाने, उन्नयन किये जाने तथा आधुनिक बनाए जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। विशिष्ट प्राकृतिक आपदाओं की मॉनीटरिंग तथा निगरानी करने के लिये जिम्मेदार नोडल एजेंसियां प्रौद्योगिकीय अन्तरों की पहचान करेगी तथा उनके उन्नयन के लिये परियोजनाओं का प्रतिपादन करेंगी ताकि समयबद्ध तरीके से उनका उन्नयन किया जा सके। बून्दी शहर में नागररिक एवं सुरक्षा विभाग में स्थापित सायरन बजा कर सूचना दी जाएगी तथा कन्ट्रोल रुम से उपखण्ड अधिकारियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए ग्रामों में गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद में लाउड स्पीकर के माध्यम से सूचना दे दी जायेगी।

अध्याय–4
रोकथाम और शमन उपाय

इन वर्षों में विशेष रुप से गंभीर आपदाओं का सामना करने के बाद, आज वहां आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं है, राहत और पुनर्वास की एक संसकृति तैयारियों और शमन की है। समकालीन समय में आपदा प्रबंधन तैयारियों और विचार को कम करने या कमजारियों और इसलिये किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिये किया जा रहा है। डमेंनतमे कम करने पर बहुत जोर देता है।

जिले में आपदा शमन अर्थत तरीकों में दो प्रकार के हैं। संरचनात्मक न्यूनीकरण और गैर–संरचनात्मक न्यूनीकरण।

4.1 जिले की सम्भावित आपदाएं एवं उनसे बचाव हेतु कार्य योजना

सूखा

सूखा जल के अभाव का संचयी प्रभाव होता है जिसका प्रभाव एक प्राकृतिक आपदा के रूप में कृषि, प्राकृतिक परिवेश तथा संबंधित प्रक्रमों पर पड़ता है। इसकी प्रभावशीलता निरन्तर बढ़ती जाती है तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतीय मौसम विभाग ने सूखे को दो भागों में विभक्त किया है–प्रचण्ड सूखा एवं सामान्य सूखा। प्रचण्ड सूखे में 50 प्रतिशत से कम बारिश होती है जबकि सामान्य सूखे में औसत वर्षा से 25 प्रतिशत बारिश कम होती है। सिंचाई आयोग द्वारा दी गई सूखे की परिभाषा के अनुसार यह वह स्थिति है जिसमें उस क्षेत्रा में सामान्य वर्षा से 75 प्रतिशत कम वर्षा हुई हो। यदि यह कमी 25 से 50 प्रतिशत के मध्य है तो इसे सीमित सूखे की स्थिति तथा यदि यह कमी 50 प्रतिशत से अधिक हो तो इसे गंभीर सूखे की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है।

सूखा एक धीरे–धीरे होने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो हमें निपटने का काफी समय देती है। जल का उचित प्रबन्धन न होने के कारण समय के साथ इसका प्रभाव भी बढ़ता जाता है। सूखे का मुख्य कारण बारिश की कमी तथा पानी के सही संरक्षण का अभाव होना है।

सूखे के सामान्य संकेतक

- जलाशयों में पानी का अभाव
- वर्षा का कम होना या समय पर ना होना या कम जल संग्रहण
- भू जल स्तर का कम होना
- कुओं का सूखना
- फसलों का नष्ट होना

सूखे के प्रकार

- **मौसम विज्ञान संबंधी सूखा** :– अपर्याप्त वर्षा, अनियमित वर्षा, पानी का असमान वितरण
- **जल विज्ञान संबंधी सूखा** :– पानी का अभाव, भूजल स्तर का निम्न होना, जल स्त्राोतों का अवक्षय, तालाबों, कुओं तथा जलाशयों का सूखना
- **कृषि संबंधी सूखा** :– फसल अथवा चारे की कमी, मृदा में नमी की कमी।

राजस्थान एवं सूखा एक दूसरे के समानार्थक है।

सूखे की कार्ययोजना

राजस्थान के परिपेक्ष्य में सूखा एक विकराल समस्या हैं परन्तु कुछ दीर्घकालीन उपाय अपनाकर हम इस स्थिति को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं अथवा इसके विकरालता को कम कर सकते0 हैं।

दीर्घकालीन उपाय

- वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करना तथा संरक्षण करना।
- पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना।
- पानी के परम्परागत स्त्राोतों का पुनर्जीविकरण
- अवक्रमित भूमि एवं वनों की पुनः स्थापना सुनिश्चित करना।

- पानी के संग्रहण एवं भू–कूंपों का पुनर्भरण।
- मिट्‌टी व नमी का संरक्षण।
- अत्यधिक मात्राा में पेड़ लगाना तथा पेड़ों की कटाई को रोकना।
- फसल चक्र में फसलों का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग।
- फसलों में फव्वारा पद्यति का विकास करके जल संरक्षण को बढ़ावा देना।
- कृषि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारों व परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देना।
- स्वयंसहायता समूहों का गठन करके लोगों में पानी बचाने के लिए जागरूकता लाना।

सूखा पूर्व तैयारी

- अकाल प्रभावित क्षेत्राों का चिन्हिकरण
- चारा डिपो स्थापित करने हेतु गांवों का चिन्हीकरण
- अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जानवरों के लिए शिविरों के स्थान चिन्हित करना।
- पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं का चिन्हिकरण करना।
- सूखे के दौरान फैलने वाली संभावित बीमारियों से लड़ने हेतु तैयारी करना।
- रोजगार सृजन के अवसर हेतु राहत कार्यों आदि की विकास योजना तैयार करना।

सूखे के समय कार्य योजना

- सूखा प्रभावित क्षेत्राों की घोषणा करना।
- सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं काम में लेना।

जिला प्रशासन

- सहायता विभाग सूखा नियन्त्राण कक्ष की स्थापना करेगा।
- राहत कार्यों की शुरूआत
- कुओं को गहरा करना।
- उपलब्ध पानी के स्त्राोंतों का संवर्धन
- निजी कुओं को किराये पर लेना
- हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाना
- परम्परागत जल स्त्राोतों जैसे बावड़ी, टांकों आदि का पुनः जीविकरण
- आवश्यक खाद्य सामग्री का सार्वजनिक वितरण
- खाद्य सामग्री पर मूल्य नियंत्राण
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, समन्वित बाल विकास सेवाएं, मध्याह्‌न योजना कार्यक्रम, अन्नपूर्णा आदि का क्रियान्वयन
- पशुओं के लिए चारा डिपो स्थापित करना (परिशिष्ट संख्या 14)
- पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना
- किसानों को सिंचाई हेतु बिजली व डीजल उपलब्ध करना।
- प्रभावित क्षेत्राों में रोजगार सृजन
- अकाल राहत के तहत आरम्भ किये गये कार्यों हेतु मजदूरों को समय पर भुगतान

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- प्रभावित जनसामान्य की चिकित्सकीय देखभाल सुनिश्चित करना
- मौसमी बीमारियों/संक्रामक रोगों की रोकथाम के लियें चिकित्सकीय एवं पेरोमेडीकल स्टॉफ की

उचित व्यवस्था

- राहत कार्य के स्थलों पर मेडीकल किट एवं स्टॉफ की उपलब्धता सुनिश्चित करना

पशुपालन विभाग

- मवेशियों के लिए शिविर लगाना
- संक्रामक रोगों की रोकथाम के लियें पशुओं की उचित चिकित्सकीय देखभाल करना।
- बड़ी संख्या में पशुओं की मृत्यु रोकने के लिये पशु चिकित्सक कर्मी, दवाईयां एवं समय पर उनका संचालन करना।
- पशुओं के लिए चारा तथा पानी उपलब्ध कराना।
- पशुओं को उचित स्थान पर स्थानान्तरित करना ।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिाकी

- प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्राा में जल की आपूर्ति एवं उसका परिवहन सुनिश्चित करना।
- पीने के पानी की व्यवस्था हेतु टैंकर्स, कैनवस बैग व हैण्ड पाईप लाइन की व्यवस्था करना।
- ग्रीष्म ऋतु आपात योजनाओं का प्रभावी एवं समय पर क्रियान्वयन

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

- समाज के कमजोर तबके के समूह के बचाव हेतु अन्त्योदय अन्न, अन्नपूर्णा अन्न योजना, गरीबी की रेखा से नीचे वाले तबके सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन
- काम के बदले अनाज योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन

स्वंय सेवी संगठन

- राहत कार्यो एवं पेयजल आपूर्ति में स्वयं सेवी संगठनों की भागीदारी इस विपत्ति हेतु ज़िला प्रशासन को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना

समेकित बाल विकास सेवाएं

- बच्चों एवं गर्भवती माताओं हेतु समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन
- राहत कार्य स्थलों पर पूरक पोषहार उपलब्ध कराना।

सिंचाई

- सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हेतु नहरों को पूर्ण क्षमता से चलाना
- दोषपूर्ण नलकूंपों की मरम्मत करना।
- राहत कार्यो के अर्न्तगत जल संरक्षण/एकत्रीकरण के कार्यो का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना

कृषि विभाग

- खेती के लिए बीज तथा कीटनाशक दवाईयाँ उपलब्ध कराना।
- फसलों का चक्रानुक्रम, नर्सरी तथा कृषि निवेशों की व्यवस्था करना।

वन विभाग

- वन भूमि में चरागाह उपलब्ध कराना।
- ईंधन आदि के लिए पेड़ों की सूखी टहनियाँ उपलब्ध कराना।

विद्युत विभाग

- विद्युत की नियमित व पर्याप्त आपूर्ति का प्रबन्ध

सूखा से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें।

- लगातार समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि पर प्रसारित होने वाली चेतावनियों को सुने व उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करें।
- पानी की बचत करें तथा इसे बर्बाद होने से रोकें। जब भी नल से पानी व्यर्थ बहता देखें तुरन्त नल को बंद करें।
- गिलास में एक बार में उतना ही पानी ले जितनी आपको प्यास हे। पूरा गिलास भरकर पानी लेकर व झूठा छोड़ने से पानी बरबाद होता है, अगर कोई मेहमान भी गिलास में पानी छोड़ जाए तो उसे पेड़ पौधों में डालें।
- पाईप लाइन अथवा टंकी से पानी लीक होते ही उसे ठीक करवायें, ताकि बून्द–बून्द करके पानी बेकार न बहता रहे।
- कहीं भी पाईप लाईन टूटी हो और पानी सड़क अथवा अन्य किसी स्थान पर व्यर्थ बह रहा हो तो जलदाय विभाग को सूचित करें तथा लिकेज को रोके के प्रयास करें।
- घरों में वे ही पौधे लगायें जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। घास में दो दिन में एक बार पानी दें। फल, सब्जी व कपड़े धोकर पानी नाली की जगह घास अथवा पौधों में ड़ालें।
- जल संग्रहरण हेतु बनये गये कुओं, तालाब आदि की सफाई रखें।
- सोने से पहले घर के सारे नलों को अच्छी तरह से बन्द करें।
- ब्रश अथवा मन्जन करते समय नल खुला न छोड़ें बल्कि एक मग अथवा गिलास में पानी भसरकर दांत साफ करें।
- नहाते समय बाल्टी व मग का प्रयोग करके नहाएं कयोंकि फव्वारे व टब बाथ से पानी अधिक बर्बाद होता है।
- शेविंग करते समय नल खुला न रहने दे। जब मुंह धोने की जरूरत हो तभी नल खोलें व पानी का उपयोग करें।
- हाथ साफ करने के लिये पहले साबुन लगाये व बाद में नल खोल कर हाथ धोयें।
- अपनी गाड़ी को साफ करने के लिये पानी के पाईप का प्रयोग न कर गीले तथा सादे कपड़े का प्रयोग करें।
- फर्श साफ करने के लिये घरों को धोने के बजाय पोंछा लगाकर साफ करें।
- कम से कम बर्तनों का प्रयोग कर हम बर्तनों को धोने के उपयोग में आने वाले पानी को बचा सकते हैं।
- जल संरक्षण के लिये किये जा रहे प्रयासों में अपना सहयोग सुनिश्चित करें।

बाढ़

प्राकृतिक जल चक्र का एक अंग बाढ़ भी है। जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध वर्षा से है एवं यह जल प्रबन्धन को प्रभावित करती है। यदि किसी क्षेत्रा में वर्षा अधिक मात्राा में होती है, तो नदियाँ असंतुलित होकर उफान अवस्था में आ जाती है और बाढ़ की उत्पत्ति होती है। इस विकट पर्यावरणीय परिस्थिति का प्रभाव उक्त क्षेत्रा की पारिस्थितिकी पर भी पड़ता है। बाढ़ का सामान्य अर्थ होता है–विस्तृत स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहना। यद्यपि बाढ़ के लिए प्रकृति ही उत्तरदायी है लेकिन मानवीय क्रियाकलाप भी कम उत्तरदायी नहीं हैं।

भारत भी बाढ़ से प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। विश्व में बाढ़ से होने वाली 20 प्रतिशत मौतें भारत में होती है। भारत के कुल क्षेत्राफल का आठवां भाग बाढ़ से प्रभावित होता है जो कि लगभग 4.10 करोड़ हैक्टेयर है।

बाढ़ के मुख्य कारण

- अत्यधिक वर्षा
- बांध का टूटना
- पेड़ों की संख्या में कमी
- वृहत अपवाह क्षेत्रा
- उष्ण कटिबंधीय व विक्षोभ
- अपवाह में अवसादीकरण
- बादल का फटना
- भूकम्प

1. बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना :–

जल संसाधन खण्ड, बून्दी के कार्यालय में बाढ़ नियंत्रााण कक्ष की स्थापना दिनांक 15 जून से प्रारम्भ कर दी जावे । नियंत्रााण कक्ष का टेलीफोन नं. 0747–2443428 व अधिशाषी अभियन्ता के मो0 नं. 7597660377 हैं।

2. वाहन व्यवस्था :–

वर्तमान में खण्डीय कार्यालय के पास कोई ट्रक, ट्रेक्टर वाहन एवं नाव की व्यवस्था नहीं है।

3. अन्य व्यवस्था :–

बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु इस खण्ड में 2000 कट्टे खाली सदैव उपलब्ध हैं

4. वैकल्पिक मार्ग :–

संभावित बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर प्रभावित व्यक्तियों को संलग्न सूची में उल्लेखित अनुसार वैकल्पिक मार्ग द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकेगा ।

5. बॉधों की मरम्मत हेतु सामग्री पहुंचाने वाले रास्ते की सूची संलग्न हैं ।

6. वर्षा मापक केन्द्र :–

खण्ड में स्थापित निम्नलिखित वर्षा मापक केन्द्रों की प्रातः 8 बजे तक की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराने हेतु अधिक्षण अभियन्ता, सिंचाई जिम्मेदार होंगे।

वर्षा मापक केन्द्रों की सूची निम्न प्रकार हैं :–

1. अभयपुरा
2. गुढ़ा डेम
3. चॉदा का तालाब
4. बरधा बांध (परि.ख.)
5. गरडदा बांध (परि.ख.)
6. कार्यालय जल संसाधन खण्ड बून्दी
7. वर्षा की सूचना संकलित कर जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष को प्रातः 9 बजें तक सूचित कर दिया जावेगा ।
8. इस खण्ड के अधीन निम्नलिखित वायरलेस सेट स्थापित किये जाते हैं –
   1– जल संसाधन खण्ड , बून्दी (बाढ़ प्रकोष्ठ)
   2– गुढ़ा बांध
   3– अभयपुरा बांध
   4– चॉदा का तालाब
   5– बरधा बांध
   6– गरडदा बांध
9. बॉधों के भराव की सूचना सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता सीधे बाढ नियन्त्रण कक्ष को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेगें ।
10. आवश्यकता पडनें पर नावों की व्यवस्था अपने स्तर पर करेंगे।

: बॉधो के जलस्तर की सूची :

जल संसाधन विभाग के मुख्य मुख्य बाँध एवं तालाबो के पूर्ण भराव की क्षमता निम्न प्रकार है

क्र. स.	नाम बांध / तालाब	कुल क्षमता (Mcft)	कुल भराव (फीट मे)	प्रभावित गांवो की सूची
अधिषाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड़ बून्दी				
1	गुढा बांध	3375.00	34.50	विवरण संलग्न है (परिशिष्ट क)
2	बून्दी का गोठडा	670.00	24.50	विवरण संलग्न है (परिशिष्ट क)
3	दुगारी	639.00	10.00	दुगारी बॉसी
4	पाईबालापुरा	458.00	25.00	भजनेरी, माणा, डोकुन
5	पेच की बावडी	198.50	18.00	पेच की बावडी, काला माल
6	रोनिजा	185.00	24.00	गोठडा
7	बंसोली	132.00	9.00	बंसोली, मोडसा
8	मोतीपुरा	132.20	17.00	मोतीपुरा, झोपडिया पोह का नाला
9	बटावदी	114.30	10.00	केथूदा, सूँसा
10	बांक्या खाल	109.25	12.50	सहसपुरिया, रामपुरिया सिंघाडी
11	इन्द्राणी	197.00	18.00	विवरण संलग्न है (परिशिष्ट क)
12	मरडिया	141.45	18.04	मरडिया, ओवण
13	नारायणपुरा	84.88	29.84	नारायणपुरा, रानी की झो., बहादुरपुरा
14	चान्दा का तालाब	120.56	24.60	विवरण संलग्न है (परिशिष्ट क)
15	मेण्डी बांध	96.57	10.50	मेण्डी
16	बड़ानयागांव लघु सिंचाई परियोजना	207.00	15.00	बोरदा
17	माछली	195.60	13.00	विवरण संलग्न है (परिशिष्ट क)
18	सथूर माता जी	31.80	12.00	सथूर, बडौदिया
अधिषाषी अभियन्ता जल संसाधन परियोजना खण्ड़ बून्दी				
1	बरधा बांध	1023.00	21.00	विवरण संलग्न है (परिशिष्ट क)
2	भीमलत	412.11	36.00	विवरण संलग्न है (परिशिष्ट क)
3	अभयपुरा	262.74	26.25	विवरण संलग्न है (परिशिष्ट क)
4	चाकन ल. सि. परियोजना	455.15	17.06	विवरण संलग्न है (परिशिष्ट क)
5	गरडदा म.सि. परियोजना	1568.00	62.00	विवरण संलग्न है (परिशिष्ट क)

बाढ़ से बचाव कन्टेन्जेंसी प्लान :–

परिशिष्ट 'अ' पर वर्णित ऐसे बाधों की सूची है जिनके गेज प्रतिदिन रिकार्ड किये जाते है और जिनकी सूचना खण्डीय कार्यालय में स्थित बाढ़ प्रकोष्ठ में टेलिफोन / वायर लेस से संकलित की जाती है, और मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग कोटा, जिला प्रशासन एवं उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाती है। इस परिशिष्ट मे जल संसाधन विभाग बून्दी के नियन्त्रणाधीन बाँधो की पूर्ण जानकारी निम्न प्रकार है।

<u>1.गुढ़ा बांधः–</u> यह बांध मेज नदी पर गुढ़ा गांव के निकट स्थित बून्दी जिले का सबसे बडा बांध है। इसकी कुल भराव क्षमता 3375 मि0 घन फीट तथा पूर्ण भराव गेज 34.5 फीट है। बांध का डिजाईन फलड डिस्चार्ज 230000 क्यूसेक है जिसे बांध के दांये किनारे स्थित गेट्स एवं वेस्टवियर के जरिये निकाला जाता है। बांध से 50,000 क्यूसेक पानी छोडे जाने पर बांध के नीचे स्थित मेज नदी पर

बून्दी, दबलाना मार्ग पर स्थित पुलिया पर 10 फीट पानी आ जाता है एवं नदी के किनारे स्थित गांव बिछडी, चेता, अलोद व दबलाना मुख्यतः प्रभावित होते है। वर्ष 1986 में बांध से 1,06,000 क्यूसेक पानी छोडा गया जिससे अलोद पुलिया पर 15.00 फीट पानी रिकार्ड किया गया। जिससे उस समय अलोद एवं दबलाना गांव के नदी के किनारे स्थित निवासियों को ऊंचे स्थान पर स्थानान्तरित किया गया। इस बॉध के अधिकतम फ्लड डिस्चार्ज से खटखड से नैंनवा व लाखेरी मार्ग भी अवरूद्ध हो जाता है। वर्ष 2019 के मानसून के दौरान पानी की अत्याधिक आवक होने के कारण 80 हजार क्यूसेक पानी छोडने पर राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर बडानयागांव के नजदीक स्थित पुलिया की स्लेब के स्तर तक पानी चला था तथा पुलिया को खतरा हो गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रोजेक्ट इंजीनियर के साथ इस क्रम में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के कक्ष में मिटिंग हुई थी, जिसमें इस ब्रिज के अतिरिक्त स्पान बढाने के लिए प्रोजेक्ट इन्जीनियर को कहा गया था। उक्त कार्य अभी तक सम्पादित नही हुआ है।

(क) प्रभावित गॉवः—

बांध से उपरोक्त संदर्भित फ्लड डिस्चार्ज छोडने पर निम्नलिखित गांव प्रभावित होगेंः—

1.बोरखेडा 2. मांगलीकला 3. बीछडी 4. अलोद 5. डाबला 6. दबलाना 7. डगारिया 8. अणदगंज 9.चेता

(ख) सुरक्षा व्यवस्था :—

बांध में अधिक पानी से होने वाली क्षति के बचाव हेतु बांध पर 4400 खाली कट्टो में मिट्टी भरकर बांध की पाल पर रखवाया जाता है। बांध से पानी निकासी की सूचना सहायक अभियन्ता द्वारा नियन्त्रण कक्ष बून्दी, उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली, थाना दबलाना को दी जाती है। पानी निकासी की सूचना जल संसाधन नियन्त्रण कक्ष बून्दी द्वारा जिला नियन्त्रण कक्ष को दूरभाष पर दी जाती है। जिला नियन्त्रण कक्ष बून्दी बाढ़ की स्थिति में दबलाना, हिण्डोली एवं बसोली थानाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करता है।

(ग) सम्पर्क मार्गः—

1. सामान्य स्थिति में गुढ़ा बांध पर बून्दी से राष्ट्रीय राजमार्ग—52 पर 15.00 किमी0 बडानया गांव के बांई तरफ स्थित होलासपुरा नहर के सहारे 10.00 किमी0 लम्बी पक्की सड़क द्वारा बांध के स्पिल वें पर पहुॅचा जा सकता है।
2. मिट्टी के बांध पर राष्ट्रीय राजमार्ग—52 पर बून्दी से 19.00 किमी. पर स्थित चतरगंज गांव के निकट बांध की बांई मुख्य नहर के सहारे 8.50 किमी0 लम्बी पक्की एवं कच्ची सडक द्वारा बांध के बांयें हिस्से पर पहुचा जा सकता है।
3. गुढ़ा बांध पर बून्दी से राष्ट्रीय राजमार्ग—52 पर 11 किमी0 बसोली मोड से 10 किमी0 राष्ट्रीय राजमार्ग—148डी से दायीं तरफ मुडकर 1.5 किमी0 सड़क द्वारा बांध के गेटो पर पहुॅचा जा सकता है।
4. वर्षाकाल में एक कनिष्ठ अभियन्ता का मुख्यालय गुढ़ा बांध पर किया जाता है।

2. बून्दी का गोठडा बांध

यह बांध बेजान नदी पर स्थित है एवं बून्दी से 35 किमी0 दूर है। इसकी कुल भराव क्षमता 670 मि0 धन फीट तथा पूर्ण भराव गेज 24.50 फीट है बांध का फ्लड डिस्चार्ज 2250 क्यूसेस पानी निकाले जाने पर बांध के नीचे स्थिति गांवों के निचले क्षेत्रों में पानी भर जाता है। मुख्यतः गोठडा, लुहारिया एवं बालग्राम प्रभावित होते है। इस बांध की अधिकतम फ्लड़ लिफ्ट 2.10 फीट वर्ष 2019 में नापी गई थी। जिससे सिर्फ गोठडा गांव में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर सूचना दबलाना पुलिस थाने में दी जाती है।

(क) सुरक्षा व्यवस्था :—

बांध में अधिक पानी से होने वाली क्षति के बचाव हेतु बांध पर 1200 खाली कट्टो में मिट्टी भरकर बांध की पाल पर रखवाया जाता है

(ख) बांध पर पहुचने का मार्गः—

1. बून्दी से हिण्डोली मेण्ड़ी होकर गोठड़ा पंहुचा जा सकता है।

3. दुगारी बांध :

दुगारी बांध नैनवां तहसील के ग्राम दुगारी में रियासत काल का निर्मित है। उक्त बांध का भराव 10 फीट तथा भराव क्षमता 639 मि0घन फीट है।

(क) प्रभावित ग्राम :—

अधिक पानी आने की स्थिति में ग्राम दुगारी एवं बांसी प्रभावित होगें।

(ख) सुरक्षा व्यवस्था :–
बांध में अधिक पानी से होने वाली क्षति से बचाव हेतु बांध पर 1000 खाली कट्टो में मिट्टी भरकर बांध पर रखवाया जाता है।

(ग) सम्पर्क मार्ग :–
बून्दी से बांध पर पहुंचने हेतु बून्दी नैनवां वाया दुगारी पक्के रोड से बांध पर पहुंचा जा सकता हैं।

4. पाईबालापुरा बांध :
पाईबालापुरा बांध भजनेरी नदी पर ग्राम मेणा एवं पाई के पास नैनवां तहसील में स्थित है, बांध का पूर्ण भराव गेज 25 फीट है। बांध की भराव क्षमता 458.00 मि0घन फीट है।

(क) प्रभावित ग्राम :–
बांध में अधिक पानी के निकासी से ग्राम मेणा भजनेरी, एवं ढोकून ग्राम प्रभावित होते है।

(ख) सुरक्षा व्यवस्था :–
बांध में अधिक पानी से होने वाली क्षति से बचाव हेतु बांध पर 1200 खाली कट्टो में मिट्टी भरवाकर बांध की पाल पर रखवाया जाता है।

(ग) सम्पर्क मार्ग :–
बून्दी से पाईबालापुरा बांध पर पहुंचने के लिए फुलेता और देई के मध्य से बंजारों के झौपडा के पास से कच्चा रास्ता एवं नैनवां से 8 किमी. पक्की सड़क के रास्ते से सुरक्षित बांध पर पहुंचा जा सकता हैं।

5. पेच की बावडी बॉध
पेच की बावडी बांध बैजान नदी पर सेलादाता गांव के पास तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे स्थित है। जो कि बून्दी से 37 किमी एवं हिण्डोली से 12 किमी. दूरी पर है। बांध की भराव क्षमता 198.50 मी0 घनफुट है। बांध का पूर्ण भराव 18 फीट है।

(क) प्रभावित गॉव
बॉध से पानी डिस्चार्ज होने पर पेंच की बावडी, कालामाल गॉव प्रभावित होगा।

(ख) सुरक्षा व्यवस्था :–
बांध में अधिक पानी होने से क्षति के बचाव हेतु बॉध पर 1000 खाली कट्टो में मिट्टी भरकर बॉध की पाल पर रखवाया जाता है।

(ग) सम्पर्क मार्गः–
बॉध पर पहॅुचने हेतु बून्दी से जयपुर रोड हिण्डोली पेच की बावडी व पेच की बावडी से 2 किमी. सैलादाता गांव होते हुये बॉध पर पहॅुचा जा सकता है।

6. रोनीजा बांध :
रोनीजा बांध हिण्डोली तहसील के ग्राम रोनीजा के समीप स्थित है। इस बांध का भराव 24 फीट तथा भराव क्षमता 185 मि0घन फीट है। इस बांध की अधिकतम फ्लड लिफ्ट 5.80 फीट वर्श 2019 में मापी गई।

(क) प्रभावित ग्राम :–
विषम परिस्थितियों में अधिक बाढ की स्थिति में रोनीजा एवं लुहारिया ग्राम प्रभावित होगें।

(ख) सुरक्षा व्यवस्था :–
बांध को अधिक पानी से होने वाली क्षति के बचाव हेतु 700 खाली कट्टो में मिट्टी भरकर बांध की पाल पर रखवाया जाता हैं।

(ग) सम्पर्क मार्ग :–
यह बांध बून्दी नैनवां रोड वाया गोठडा मार्ग पर गोठडा से 5 किमी. दूरी पर स्थित है। मुख्य सड़क से नहर के साथ–साथ 1.00 किमी. चलकर बांध पर पहुंचा जा सकता है।

7. बंसौली बांधः
बंसौली बांध देई से 5 किमी. दूर स्थानीय नाले पर स्थित है। उक्त बांध की भराव क्षमता 132.00

मि0घन फीट है। बांध का पूर्ण भराव गेज 9.00 फीट है। साधारण तया उक्त बांध में भराव क्षमता से कम ही पानी आता है तथा अधिक पानी आ जाने पर वेस्टवीयर के जरिये बांध का पानी नाले से पास कर दिया जाता है जो आगे जाकर माछली नदी में निकलता है।

(क) प्रभावित ग्राम :–

बांध से अधिक पानी के डिस्चार्ज से बंसौली व मुरडिया गांव प्रभावित होता है।

(ख) सुरक्षा व्यवस्था :–

बांध में अधिक पानी से होने वाली क्षति से बचाव हेतु बांध पर 700 खाली कट्टों में मिट्टी भरकर बांध की पाल पर रखवाया जाता है।

(ग) सम्पर्क मार्ग :–

बंसौली बांध पर बून्दी नैनवां रोड़ से कस्बा देई होकर देई से इन्द्रगढ़ रोड़ वाया बंसौली से 5 किमी. पक्के रोड से 1 किमी नहर के सहारें बांध पर पहुंचा जा सकता है।

8. मोतीपुरा बॉध

मोतीपुरा बॉध स्थानीय नाले पर मोतीपुरा गॉव त0 नैनवा, जिला बून्दी में दो पहाड़ियों के बीच स्थित है। बांध की भराव क्षमता 132.20 मि0घन फीट एवं बांध का पूर्ण भराव गेज 17.00 फीट है।

(क) प्रभावित गॉव

बॉध से पानी डिस्चार्ज होने पर मोतीपुरा गॉव प्रभावित होगा।

(ख) सुरक्षा व्यवस्था :–

बांध में अधिक पानी होने से क्षति के बचाव हेतु बांध पर 700 खाली कट्टो में मिट्टी भरकर बांध की पाल पर रखवाया जाता है।

(ग) सम्पर्क मार्गः–

1. बॉध पर पहॅुचने हेतु बून्दी नैनवां रोड वाया खटकड मोतीपुरा से 2 किमी. चलने पर बॉध पर पहॅुचा जा सकता है। बून्दी से बांध स्थल लगभग 65 कि.मी. है।
2. बून्दी से हिण्डोली, नैनवां होते हुए फूट का तालाब स्थान से कच्चे रास्ते के जरिए 3 कि.मी. चलने पर बांध पर पहॅुचा जा सकता है। बून्दी से बांध की दूरी लगभग 93 कि.मी. है।

9. बटावदी बांध :–

बटावदी बांध स्थानीय नाले पर तहसील नैनवां में ग्राम बटावदी एवं सूंसा के पास स्थित है। बांध की भराव क्षमता 114.3 मि0घन फीट है। बांध का पूर्ण भराव 10.00 फीट है।

(क) प्रभावित ग्राम :–

बांध से अधिक पानी डिस्चार्ज होने पर गांव सूंसा का कुछ क्षेत्र प्रभावित होता है।

(ख) सुरक्षा व्यवस्था :–

बांध में अधिक पानी से होने वाली क्षति से बचाव हेतु बांध पर 700 खाली कट्टों में मिट्टी भरकर बांध की पाल पर रखवाया जाता है

(ग) सम्पर्क मार्ग :–

बटावदी बांध पर पहुंचने के लिए बून्दी से जैतपुर पहुंचकर वाया तलवास मार्ग से करवर पहुंचकर 5 किमी केथूदा होते हुए बांध पर तथा नैनवां से वाया बामनगांव इन्द्रगढ रोड से कैथूदा पहुंचकर 3 किमी. चलने के बाद बांध पर सुरक्षित पहुंचा जा सकता है।

10. बांक्या खाल बांध :

बांक्या खाल बांध हिण्डोली उपखण्ड मुख्यालय से बांई तरफ 5 किमी दूरी पर रामपुरिया ग्राम के पास स्थित है। बांध का भराव 12.50 फीट एवं भराव क्षमता 109.25 मि0घन फीट है।

(क) प्रभावित ग्राम :–

यदि बांध अधिक बाढ़ से प्रभावित होता है तो रामपुरिया, सिंघाडी ग्राम प्रभावित होगें।

(ख) सुरक्षा व्यवस्था :–

बांध को अधिक पानी से होने वाली क्षति से बचाव हेतु 800 खाली कट्टों में मिट्टी भरकर बांध की पाल पर रखवाया जाता हैं।

(ग) सम्पर्क मार्ग :–

बून्दी जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12 पर हिण्डोली उपखण्ड मुख्यालय से 5 किमी चलकर बांध

पर पहुंचा जा सकता है।

11. इन्द्राणी बांध

यह बांध इन्द्राणी नदी पर एवं इन्द्रगढ़ कस्बे के पास स्थित है। इस बांध की कुल भराव क्षमता 197.00 मि0घन फीट है एवं इसका पूर्ण भराव गेज 18.00 फीट है। बांध की कुल लम्बाई 3750 फीट है। बांध की भराव क्षमता से अधिक पानी को बांध के 500 फीट लम्बे वेस्ट वियर द्वारा निकालने की व्यवस्था है। वेस्ट वियर द्वारा कुल 13250 क्यूसेक पानी सुरक्षित रूप से निकाला जा सकता है। 13250 क्यूसेक निकाले जाने पर बांध को वेस्ट वियर पर 3.65 फीट पानी होगा। इससे अधिक पानी बांध से निकाले जाने पर नदी के सहारे ग्रामों के निचले क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। इससे प्रभावित गांव इन्द्रगढ़, छत्रपुरा, मोहनपुरा, मुई एवं चक खेडी गांव है। इनमे सबसे अधिक प्रभावित इन्द्रगढ़ एवं मोहनपुरा है जो नदी के किनारे बांध से 1 किमी0 पर ही स्थित है।

(क) सुरक्षा व्यवस्था :–

बांध में अधिक पानी से होने वाली क्षति के बचाव हेतु बांध पर 700 खाली कट्टो में मिट्टी भरकर बांध की पाल पर रखवाया जाता है

(ख) सम्पर्क मार्गः–

1. बून्दी से, लाखेरी–इन्द्रगढ़ 90 किमी0 (पक्का मार्ग) इन्द्रगढ़ से बांध पर पहुंचा जा सकता है।
3. बून्दी से जेतपुर, तलवास, करवर होते हुए इन्द्रगढ़ पहुचा जा सकता है यह रोड पक्का है तथा 73 किमी0 दूर है।

12. मरडिया बांध :

मरडिया बांध तहसील हिण्डोली के मरडिया ग्राम से 2 किमी दुरी पर स्थित है।
इस बांध का भराव 18.04 फीट एवं भराव क्षमता 141.45 मि0 घन फीट है।

(क) प्रभावित ग्राम :–

विषम परिस्थितियों में बाढ़ की स्थिति में ग्राम मरडिया का बन्धा का खेडा प्रभावित होगा।

(ख) सुरक्षा व्यवस्थाः–

बांध को अधिक पानी से होने वाली क्षति से बचाव हेतु 600 खाली कट्टों में मिट्टी भरकर बांध की पाल पर रखवाया जाता हैं।

(ग) सम्पर्क मार्ग :–

बून्दी जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से बसोली रोड पर 19 किमी से बांई तरफ 7 किमी पक्का एवं 2 किमी. कच्चा चलकर बांध पर पहुंचा जा सकता है।

13. नारायणपुरा बांध :

नारायणपुरा बांध तहसील हिण्डोली के नारायणपुरा ग्राम से 2 किमी दूरी पर स्थित है। इस बांध का भराव 29.84 फीट एवं भराव क्षमता 84.88 मि0 घन फीट है।

(क) प्रभावित ग्राम :–

विषम परिस्थितियों में बाढ़ की स्थिति में ग्राम नारायणपुरा प्रभावित होगा।

(ख) सुरक्षा व्यवस्था :–

बांध को अधिक पानी से होने वाली क्षति से बचाव हेतु 600 खाली कट्टों में मिट्टी भरकर बांध की पाल पर रखवाया जाता हैं।

(ग) सम्पर्क मार्ग :–

बून्दी जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से बसोली रोड पर 10 किमी से बांई तरफ 3 किमी पक्के पहुंच मार्ग

से बांध स्थल पर पहुंचा जा सकता है।

14. चांदा का तालाबः–

यह बांध लोकल नाला पर दुल्हेपुरा गांव के पास स्थित है। इस बांध की भराव क्षमता 120. 56 मि0घ0 फीट एवं पूर्ण भराव गेज 24.60 फीट है, वर्तमान में इस बाधं का पूर्ण भराव 21.60 फीट है, इस बांध की कुल लम्बाई 1395 मीटर है इस बांध का फ्लड डिस्चार्ज 20000 क्यूसेस है जिसे बांध के बाईवाश एवं वेस्ट वियर से बांध में पानी की अधिक आवक हो जाने की वजह से घोडा पछाड से निकाला जाता है। बांध से निकला पानी सीधा दुल्हेपुरा पंहुचता है। वर्षा में बून्दी से बांध पर पंहुचने के लिए नमाना–लोईचा होते हुए गुंवार गांव के पास लोकल नाला पार करके पहुँचना पड़ता है। मांगली नदी में अतिवृष्टि के समय बून्दी–गंवार मार्ग अवरूद्ध हो जाता है। इस स्थिति में बांध तक नही पहुंचा जा सकता है। वर्षाकाल में एक कनिष्ठ अभियन्ता का मुख्यालय बांध पर किया जाता है।.

(क) प्रभावित गांवः–

बांध से फ्लड डिस्चार्ज छोडने पर निम्न गांव खासतौर से प्रभावित होते है।

1. दुल्हेपुरा 2. श्यामु 3. चांदा का तालाब

(ख) सुरक्षा व्यवस्था :–

बांध में अधिक पानी से होने वाली क्षति के बचाव हेतु बांध पर 2000 खाली कट्टो में मिट्टी भरकर बांध की पाल पर रखवाया जाता है एवं जल संसाधन विभाग द्वारा इस बांध पर एक वायर लेस सेट की व्यवस्था है जिसका सीधा सम्पर्क बाढ़ नियन्त्रण कक्ष बून्दी से है। प्रतिदिन इसके गेज व पानी निकासी की मात्रा के बारे में सूचना नियन्त्रण कक्ष बून्दी को दी जाती है।

15. मेण्डी बांध :

मेण्डी बांध हिण्डोली मेंण्डी रोड पर मेण्डी ग्राम के नजदीक स्थित है। इस बांध का भराव 10.50 फीट एवं भराव क्षमता 96.57 मि0 घन फीट है।

(क) प्रभावित ग्राम :–

विषम परिस्थितियों में बाढ़ की स्थिति में ग्राम मेंण्डी प्रभावित होगा।

(ख) सुरक्षा व्यवस्था :–

बांध को अधिक पानी से होने वाली क्षति से बचाव हेतु 800 खाली कट्टों में मिट्टी भरकर बांध की पाल पर रखवाया जाता हैं।

(ग) सम्पर्क मार्ग :–

बून्दी से सड़क के रास्ते से अलोद, धोवडा होते हुए मेण्डी चौराहे से हिण्डोली जाने वाले रास्ते पर 2 किमी. चलकर कच्चे रास्ते से 2 किमी चलकर बांध पर पहुंचा जा सकता है। बून्दी से हिण्डोली से मेंण्डी मार्ग से भी पहुँचा जा सकता है।

16- बडानयांगाव लघु सिंचाई परियोजना :–

बडानयांगाव लघु सिंचाई परियोजना ग्राम बोरदा के पास उड्डयन नदी पर स्थित है। मिट्टी के बांध की कुल लम्बाई 1200 मीटर है। बांध का भराव 15 फीट एवं भराव क्षमता 207 मि0 घन फीट है। विषम परिस्थितियों में बाढ़ की स्थिति में गॉव बोरदा प्रभावित होगा।

(क) सुरक्षा व्यवस्था :–

बांध को अतिवृष्टि से बचाव हेतु 1000 खाली कट्टों में मिट्टी भरकर बांध की पाल पर रखवाये जाते है।

(ख) सम्पर्क मार्ग :–

बांध बून्दी से 19 किमी दूर बोरदा गांव के पास स्थित हैं। बून्दी अलोद मार्ग से आकोदा मार्ग से बोरदा गांव पहॅुचा जा सकता हैं।

17. माछली बांध :–

माछली लघु सिंचाई परियोजना ग्राम सहण तहसील नैनवां में माछली नदी पर स्थित है। बांध की भराव क्षमता 195.60 मी0 घन0. फुट है। बांध का पूर्ण भराव गेज 13 फीट है।

(क) प्रभावित गांव :–

बांध से पानी डिस्चार्ज होने पर निम्नलिखित गांव खासतौर पर प्रभावित होते है।

1. सहण 2. झौपडे 3. बिहारीपुरा 4. मोडसा

(ख) सुरक्षा व्यवस्था :–

बांध में अधिक पानी से होने वाली क्षति के बचाव हेतु बांध पर 1000 खाली कट्टो में मिट्टी भरकर बांध की पाल पर रखवाये जाते है।

18. सथूर लघु सिंचाई परियोजना :–

सथूर माताजी ग्राम सथूर के पास चन्द्रभागा नदी पर स्थित है। मिट्टी के बांध की कुल लम्बाई 795 मीटर है। बांध का भराव 12 फीट एवं भराव क्षमता 31.80 मि0 घन फीट है। विषम परिस्थितियों में बाढ़ की स्थिति में गॉव भीलो का झोपडा, सथूर प्रभावित होगें।

(क) सुरक्षा व्यवस्था :–

बांध को अतिवृष्टि से बचाव हेतु 600 खाली कट्टो में मिट्टी भरकर बांध की पाल पर रखवाये जाते हैं।

(ख) सम्पर्क मार्ग :–

बांध बून्दी से 16 किमी दूर स्थित हैं। बांध पर बून्दी से सथूर गांव से होकर देवझर महादेव के रास्ते से पहॅुचा जा सकता हैं।

19. बरधा बांध :–

यह बांध तालेडा नदी पर स्थित स्टेट समय का बांध है। इसकी कुल भराव क्षमता 1023 मि0घन0 फीट एवं पूर्ण भराव गेज 21.03 फीट है। बांध की कुल लम्बाई 2200 फीट है जिसमें से 500 फीट (नान आवर फ्लो) व 1700 फीट (ओवर फ्लो) पक्का मेसनरी बांध है। बांध से अधिकतम पानी की निकासी 43000 क्यूसेक पर ओवरफ्लो सेंक्शन पर 4.00 फीट फ्लड लिफ्ट होती है।

(क) सुरक्षा व्यवस्था :–

बांध में अधिक पानी से होने वाली क्षति के बचाव हेतु बांध पर 1000 खाली कट्टो में मिट्टी भरकर बांध की पाल पर रखवाया जाता है एवं जल संसाधन विभाग द्वारा इस बांध पर एक वायर लेस सेट की व्यवस्था है जिसका सीधा सम्पर्क बाढ़ नियन्त्रण कक्ष जल संसाधन खण्ड बून्दी से है। प्रतिदिन इसके गेज तथा पानी की निकासी की मात्रा के बारे में सूचना नियन्त्रण कक्ष बून्दी को दी जाती है।

(ख) सम्पर्क मार्ग :–

1. उक्त बांध पर बून्दी से पहुंचने के दो रास्ते है बून्दी से बरूंधन रोड से लक्ष्मीपुरा (पक्का रास्ता) लक्ष्मीपुरा से पहाड़ी रास्ता 5.00 कि0मी0 दुर जो मांगली एवं घोडा पछाड नदी पर स्थित पुलिया पर पानी आने पर अवरूद्ध होगा, शेष काल में कभी भी पहुंचा जा सकता है।
2. कोटा से, तालेडा से अल्फा नगर से बरधा बांध पर पक्का रास्ता है।

20 भीमलत एवं अभयपुरा बांध

अभयपुरा बांध भीमलत नदी पर स्थित मिट्टी का बांध है। अभयपुरा बांध के ऊपर इसी नदी पर भीमलत बांध स्थित है। अभयपुरा बांध की भराव क्षमता 262.40 मि0घन फीट है तथा पूर्ण भराव गेज 26.25 फीट है तथा भीमलत बांध की भराव क्षमता 412.11 मि0घन फीट है तथा पूर्ण भराव गेज 36 फिट है। इस बांध पर 182 मीटर लम्बाई का वेस्ट वियर से 18490 क्यूसेक पानी की निकासी की जा सकती है। इस बांध से 18490 क्यूसेक पानी की निकासी होने पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। बांध के नीचे ग्राम मेघारावत की झोपडिया स्थित है। जिसकी सुरक्षा हेतु हालांकि एक गाइडबंध बनाया हुआ है फिर भी ग्राम मेघारावत की झोपडिया में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है।

(क) सुरक्षा व्यवस्था :–

बांध में अधिक पानी से होने वाली क्षति के बचाव हेतु बांध पर 1500 खाली कट्टो में मिट्टी भरकर बांध की पाल पर रखवाया जाता है एवं जल संसाधन विभाग द्वारा इस बांध पर एक वायर लेस सेट की व्यवस्था है जिसका सीधा सम्पर्क बाढ़ नियन्त्रण कक्ष जल संसाधन खण्ड बून्दी से है।

प्रतिदिन इसके गेज तथा पानी की निकासी की मात्रा के बारे में सूचना नियन्त्रण कक्ष बून्दी को दी जाती है।

(ख) सम्पर्क मार्ग :—

बून्दी चित्तौड मार्ग से बांध पर पॅहुचा जा सकता है। बांध से 10000 क्यूसेक पानी छोडे जाने की स्थिति में श्रीनगर गांव के पास मांगली नदी में मिलने पर बून्दी से नमाना, गरडदा रोड पर लगभग 3 फीट पानी आ जाता है एवं रास्ता यातायात के लिए रूक जाता है। बाढ़ के कारण विपरित परिस्थितियों में कोटा बिजौलिया रास्ते से डेम तक पहुचॅा जा सकता है।

21. चाकन बांध :

चाकन लघु सिंचाई परियोजना इन्द्रगढ़ तहसील में ग्राम गुढा के पास चाकन नदी पर निर्मित है। मिट्टी के बांध की कुल लम्बाई 3270 मीटर है। बांध का भराव 17.06 फीट एवं भराव क्षमता 455.15 मि0 घन फीट है।

(क) सुरक्षा व्यवस्था :—

बांध को अतिवृष्टि से बचाव हेतु 500 खाली कट्टो में मिट्टी भरकर बांध की पाल पर रखवाया जाता है।

22. गरडदा बांध :

गरडदा मध्यम सिंचाई परियोजना ग्राम होलासपुरा तहसील बून्दी में बून्दी शहर से 25 किमी दूरी पर मेज नदी की सहायक मांगली नदी पर स्थित है। गरडदा बांध की भराव क्षमता 1568 मि0घन फीट है तथा पूर्ण भराव गेज 62.00 फीट है। बांध का कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त दिनांक 15.8.2010 को बांध River portion में क्षतिग्रस्त हो गया था। जिसका पुनरूद्धार कर जून 2022 मे कन्ट्रोल फीलिंग के तहत 61 प्रति ात जल भराव किया गया। वर्तमान मे बांध का कार्य पूर्ण कर आगामी मानसून मे 100 प्रति ात जल भराव किया जावेगा। अधि ोश जल (Surpuls water) ओवरफ्लो व बायवाश से निकाला जावेगा।

(क) प्रभावित ग्राम :—

बांध से होलासपुरा, अनुपपुरा, पराना ग्राम प्रभावित होगें।

(ख) सुरक्षा व्यवस्था :—

बांध मे प्रथम बार पूर्ण भराव की स्थिति मे बांध को अधिक पानी से होने वाली क्षति से बचाव हेतु 4000 खाली कट्टो मे मिट्टी भरकर बांध की पाल पर रखवाया जाता है एवं 2000 खाली बैग्स की व्यवस्था की गई है। प्रथम बार भरने की स्थिति में साईट कैम्प पर एक्सवेटर /जेसीबी म ीन व डम्पर की व्यवस्था रखी गई है एवं जल संसाधन विभाग द्वारा इस बांध पर एक वायर लेस सेट की व्यवस्था है जिसका सीधा सम्पर्क बाढ़ नियन्त्रण कक्ष जल संसाधन खण्ड बून्दी से है। प्रतिदिन इसके गेज तथा पानी की निकासी की मात्रा के बारे में सूचना नियन्त्रण कक्ष बून्दी को दी जाती है।

(ग) सम्पर्क मार्ग :—

कोटा—बून्दी राष्ट्रीय राजमार्ग पर नमाना मोड से नमाना लोईचा होकर गरडदा बांध साईट पर पहुंचा जा सकता है, व बून्दी से सिलोर मार्ग से नमाना लोईचा होते हुये भी गरडदा बाधं पर पहुचां जा सकता है।

जल संसाधन खण्ड व परियोजना खण्ड बून्दी के अधीन बांधो से सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/कनि0 अभियन्ता व मेट की सूची

S.No.	Name of Dam	AEn/J.En./ Mate		Phone No./Mobile No.	
1	Gudha Dam	Sh Deepak Chaturvedi	A.En	9829371666	
		Sh.B L Meena	J.En.	9414490106	
		Sh.Ram Ratan	Mate	7023744760	
2	Indrani Dam	Sh. Subhash Gurjar	A.En.	7790808178	
		Sh. Lokesh Nagar	J.En.	9983777347	

		Sh. Mulchand	Mate	8769839876	
3	Pai Balapura	Sh. Subhash Gurjar	A.En.	7790808178	
		Sh. Badri Lal	J.En.	9166004814	7014680603
		Sh Umed Singh	Mate	9166740556	
4	Bundi ka Gothra	Sh. Subhash Gurjar	A.En.	7790808178	
		Sh. Badri Lal	J.En.	9166004814	7014680603
		Sh. Mohan Lal	Mate	9860347063	
5	Ronija	Sh. Subhash Gurjar	A.En.	7790808178	
		Sh. Badri Lal	J.En.	9166004814	7014680603
		Sh. Ramdhan	Mate	9649397239	
6	Bansoli	Sh. Subhash Gurjar	A.En.	7790808178	
		Sh. Lokesh Nagar	J.En.	9983777347	
		Sh. Tejmal	Mate	8741944352	
7	Dugari dam	Sh. Subhash Gurjar	A.En.	7790808178	
		Sh. Badri Lal	J.En.	9166004814	7014680603
		Sh Umed Singh	Mate	9166740556	
8	Batawadi dam	Sh. Subhash Gurjar	A.En.	7790808178	
		Sh. Lokesh Nagar	J.En.	9983777347	
		Sh. Mulchand	Mate	8769839876	
9	Motipura	Sh. Subhash Gurjar	A.En.	7790808178	
		Sh. Lokesh Nagar	J.En.	9983777347	
		Sh. Tejmal	Mate	8741944352	
10	Machhali dam	Sh. Subhash Gurjar	A.En.	7790808178	
		Sh. Lokesh Nagar	J.En.	9983777347	
		Sh. Tejmal	Mate	8741944352	
11	Chanda ka Talab	Sh Deepak Chaturvedi	A.En	9829371666	
		Sh. Ajay Gurjar	J.En.	9413959592	
		Sh. Bhawar lal saini	Mate	9413260788	
12	Pech ki Bawari	Sh Pradeep Kumar	A.En	8890527342	
		Bhawar singh Hada	J.En.	9610227722	
		Sh. Bhawar Lal Gujer	Mate	7073082843	
13	Bankya khal	Sh Pradeep Kumar	A.En	8890527342	
		Bhawar singh Hada	J.En.	9610227722	
		Sh. Moti	Mate	9602126889	
14	Mardia dam	Sh Pradeep Kumar	A.En	8890527342	
		Sh Dhanraj Meena	J.En.	9782821171	
		Sh. Sambhu Singh	Mate	9649677372	
15	Mendi dam	Sh Pradeep Kumar	A.En	8890527342	
		Bhawar singh Hada	J.En.	9610227722	
		Sh. Harnath	Mate	9784929471	
16	Narayanpura	Sh Pradeep Kumar	A.En	8890527342	
		Sh Dhanraj Meena	J.En.	9782821171	
		Sh. Sambhu Singh	Mate	9649677372	
17	BadaNayaGaon MIP	Sh Deepak Chaturvedi	A.En	9829371666	
		Sh. Neeraj Ku. Meena	J.En	8432645807	
		Sh. Ram lal	Mate	7073082843	
18	Sathurmataji	Sh Pradeep Kumar	A.En	8890527342	
		Sh Dhanraj Meena	J.En.	9782821171	
		-	-		
19	Bhimlat/ Abhaypura	Sh Arun Kumar Meena	A.En	9414844215	
		Sh. Mahendra Kumar Bairwa	J.En.	9660569636	
		Sh. Raj Kumar Koli	J.En.	8058502722	
		Miss Preeti Saini	J.En.	7976803433	

		Sh. Radheshyam	Mate	8696264994	Abhaypura
20	Burdha dam	Sh. P C Meena	A.En.	9414746618	
		Sh. Lokesh Nagar	J.En.	9351898863	
		Sh. Rajendra Prasad Meena	J.En.	9571960225	
		Sh. Rahul Sharma	J.En.	8963073029	
		Sh. Ram Niwas	Mate	9079110509	
21	Chakan dam	Sh. Ravi Kumar Singh	A.En	7340566433	
		Sh. Raj Kumar Saini	J.En.	9660079711	
22	Gararda Dam	Sh Hemraj Saini	A.En	9079660192	
		Sh. Ramesh Kumar	J.En.	9599494055	
		Sh. Nagendra Singh	J.En.	9828091962	

बाढ़ कार्य योजना :—

बाढ़ के कारण होने वाली जान हानि व माल हानि को संरचनात्मक व गैर संरचनात्मक कदम उठाकर काफी हद तक कम किया जा सकता है। संरचनात्मक कदमों से बाढ़ के पानी से नुकसान पहुंचने वाले स्थानों पर जाने से रोका जाता है तथा गैर संरचनात्मक उपायों से नुकसान सम्भावित क्षेत्रों में से बस्तियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरिक किया जाता है।

संरचनात्मक उपाय —

1. जलाशयों की खुदाई तथा गाद निकालना तथा प्राकृतिक अपवाह पर हुए अतिक्रमण को मानसून के आने से पहले हटाना।
2. प्राकृतिक अपवाह में आने वाली रेल पटरियों के नीचे तथा सड़क पुलों के नीचे से मिट्टी निकालना।
3. बाढ़ सम्भावित क्षेत्राों में से पानी निकालने हेतु निकास व्यवस्था को बनाना।
4. मानसून से पहले सभी नदियों व ड्रेन से पानी का सुरक्षित निकास, तथा प्राकृतिक अपवाह तन्त्रा का निरीक्षण, जल निकास हेतु पम्प हाऊस तथा चलित पम्पों की मरम्मत।
5. नदी के बान्ध में छिद्रान्वेषी व सुरक्षित क्षेत्राों की शिनाख्त करना।
6. तटबन्ध पर बनाये गये स्थानीय बान्धों को वर्षा ऋतु के आने से पहले हटा देना।

गैर संरचनात्मक उपाय

पारम्परिक इन्जीनियरिंग विधियों से पूर्ण रूप से बाढ़ नियन्त्रित नहीं की जा सकती परन्तु जन सहभागिता से बाढ़ के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

- बाढ़ के मैदान का पेटीकरण व भू उपयोग को नियन्त्रित करना
- बाढ़ का पूर्वानुमान तथा चेतावनी देना।
- बाढ़ से सुरक्षित घरों का निर्माण।
- संवेदनशील क्षेत्राों में साईन बोर्ड प्रदर्शित करना।
- बाढ़ से बचने के लिए जन चेतना शिविरों का आयोजन।
- बाढ़ के प्रभाव से बचने के लिए क्या करें क्या न करें को विभिन्न सूचना माध्यमों जैसे रेड़ियो, अखबार, दूरदर्शन तथा बुकलेट से लोगों तक पहुंचाना।
- भू उपयोग को नियमों के माध्यम से नियन्त्रित करके जान, माल तथा भौतिक संसाधनों का खतरा कम किया जा सकता है।
- आपदा सम्भावित क्षेत्राों में दुर्घटना में घायल या मृत लोगों का सीधा सम्बन्ध जनसंख्या घनत्व से होता है। अतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्राों में जनसंख्या घनत्व को निर्धारित करना चाहिए तथा अगर पहले से लोग बसे हुए हैं तो भू उपयोग नियन्त्राण करके नियमों को पालन करें। संवेदनशील क्षेत्राों के लोगों को दूसरे स्थानों पर स्थानान्तरित करने से सामाजिक व आर्थिक प्रभाव होते हैं। अतः इन क्षेत्राों में जोखिम को कम करने के लिए विशिष्ट कार्य योजना बनानी चाहिए। उच्च बाढ़ सम्भावित क्षेत्राों के जोखिम को कम करने के लिए प्रकृति व पशुओं के लिए सुरक्षित स्थानों पर वनों के लिए आरक्षित करना।
- हल्के भवन निर्माण सामग्री का बाढ़ संभावित क्षेत्राों में प्रयोग पर रोक लगानी चाहिये तथा मिट्टी

के बने घरों को केवल उन क्षेत्राों में अनुमति दी जानी चाहिये जहां पर बाढ़ नियन्त्राण के उपाय कर लिए गये हैं। बचाव हेतु एस्केप रूट का चयन तथा उच्च स्थानों का चयन पहले से निर्धारित होना चाहिए।

कंट्रोल रूम :–

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्राण कक्ष, जयपुर में जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर स्थित सिंचाई भवन में स्थापित किया जाता है। इसके प्रभारी अधिकारी उप निदेशक (जल विज्ञान) सिंचाई है और उनका यह कार्यालय वायरलैस एवं टेलीफोन दोनों से ही जुड़ा हुआ है एवं चौबीसों घण्टे कार्यरत रहता है। इसके अतिरिक्त जयपुर मुख्यालय पर वृत स्तर का बाढ़ नियंत्राण कक्ष स्थापित किया जाता है। जिले में भी बाढ़ से निपटने हेतु 15 जून से 15 सितम्बर तक बाढ़ नियंत्राण कक्ष सिंचाई विभाग में स्थापित किया गया है। जिस पर चौबीसों घण्टे बाढ़ एवं वर्षा संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान जारी रखा जायेगा। राज्य मुख्यालय पर स्थित बाढ़ नियंत्राण कक्ष का टेलीफोन नम्बर 0141–2227403 है।

क. सं.	**कार्यरत कन्ट्रोल रूम**	**दूरभाष नम्बर**
1	राज्य कन्ट्रोल रूम, जयपुर	2227403
2	जिला कन्ट्रोल रूम, बून्दी	2447480
3	सिंचाई विभाग, बून्दी	2443428

सिंचाई विभाग

- सुरक्षित स्थानों का चयन
- सहायता राशि तथा रोजगार उपलब्ध कराने का प्रबन्धन
- वाहनों की उपलब्धता निश्चित करना।
- सिविल डिफेंस विभाग को भी पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिये जाते हैं एवं होमगार्ड को आपातकालीन स्थिति में सहायता करने हेतु हमेशा तैयार रहने के निर्देश दे दिये जाते हैं।
- बाढ़ की स्थिति में कई प्रकार की बीमारियां फैल जाती है इसलिए चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि संबंधित बीमारियों में काम आने वाली दवाईयों का प्रचुर मात्राा में भण्डारण करके सभी चिकित्सालयों में आवश्यकता पड़ने पर दवाईयां काम में लिये जाने हेतु रिजर्व रख दी जावें।
- सिंचाई विभाग बांधों के पानी से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के अतिरिक्त अतिवृष्टि के कारण जल पलायन की स्थिति में नोडल एजेन्सी के रूप में राज्य सरकार के आदेशानुसार कार्य करेगा।
- अतिवृष्टि की स्थिति में परिस्थितियों से निपटने हेतु सामग्री तैयार रखना।
- उपलब्ध नावों की सूची।
- तैराकों की सूची।

चिकित्सा विभाग–

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग का नोडल अधिकारी होता है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर चिकित्सा संसाधन/सुविधाओं का प्रयोग किया जा सकता है।

आपात कालीन सेवाओं के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिले तथा ब्लॉक स्तर पर भी एक–एक रेपिड रेसपोन्स टीम का गठन करेंगे।

1.	चिकित्सा अधिंकारी	01
2.	स्वास्थ्य निरीक्षक	01
3.	मेल नर्स	01
4.	एमपीडब्ल्यू	01
5.	वार्ड बॉय	01
6.	वाहन चालक मय वाहन	01

आपदा की सूचना प्राप्त होते ही रेस्पोन्स टीम तुरन्त प्रभावित स्थल पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार उपलब्ध करायेगी, गंभीर रोगियों को प्राथमिक उपचार पश्चात् अस्पताल में भेजेगी एवं आवश्यकता

होने पर (महामारी के समय) रोकथाम की कार्यवाही करना आदि। अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति को मध्य नजर रखते हुए जिले के सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं पेरा मेडिकल स्टाफ को मुख्यालय पर रहने हेतु पाबन्द किया जायेगा।

जन.स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- जिले में बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु नियत्राण कक्ष की स्थापना की गई है जो 24 घण्टे कार्यरत रहेगें।
- संकटकाल में विभाग द्वारा पानी की सप्लाई पुनः शुरू की जाने की व्यवस्था की जायेगी।
- पेयजल के शुद्विकरण हेतु पर्याप्त मात्राा में ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध कराना।
- समस्त अधिशाषी अभियन्ताओं, सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं एवं तकनीकी कर्मचारियों को इस दौरान् मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देश दिये जाएंगे।

जिला रसद विभाग

- जिला रसद विभाग आपदा के समय खाद्य सामग्री तथा केरोसिन, पेट्रोल व डीजल उपलब्ध करायेगा।

पशुधन एवं डेयरी विकास विभाग

- संभावित आपदा से प्रभावित पशुओं में सक्रांमक रोग, कुपोषण एवं अन्य उत्पन्न विकृतियों से बचाव हेतु जिला स्तर पर सूचनाओं के सम्प्रेषण एवं नियत्राण हेतु जिला प्रभारी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- मोबाइल टीम, आपदाओं के कारण पशुओं में संभावित संक्रामक रोगों से बचाव हेतु वैक्सीन एवं विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु मांग अनुसार अनुमोदित औषधिया उपलब्ध करायेगी।
- तहसील मुख्यालय पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी तहसील स्तर के जोन प्रभारी के रूप में तैनात करना।
- जोन प्रभारी संबंधित तहसील में आउट ब्रेक अथवा अन्य पशु विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु पशु पालन जिला नियंत्राण कक्ष, विकास अधिकारी, तहसीलदार, थानाधिकारी से सम्पर्क में रहते हुए प्राप्त सूचनाओं/निर्देशानुसार क्षेत्रा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को क्षेत्रा विशेष में भिजवाने हेतु प्राधिकृत किया हुआ है तथा प्रत्येक स्थिति के नियंत्राण हेतु जोन प्रभारी को उत्तरदायी बनाया गया है।
- जोन प्रभारी ही क्षेत्रा की सूचनाओं का सम्प्रेषण करने हेतु प्राधिकृत है। प्रत्येक ग्राम स्तर पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा सहायक, पशुधन सहायक को भी आवश्यक निर्देश प्रदान कर आपदा से उत्पन्न विकृतियां/समस्याओं से निपटने के लिए जोन प्रभारी एवं जिला पशुपालन नियंत्राण कक्ष से सम्पर्क में रह कर कार्य करने के लिए प्राधिकृत है।

विद्युत विभाग–

जिले में विद्युत का संरचनात्मक ढांचा स्थित होने के कारण इनके रख रखाव एवं सही संचालन हेतु पूर्ण व्यवस्था है फिर भी यदा कदा, आंधी, तुफान, भारी वर्षा अथवा अन्य प्राकृतिक घटनाओं के कारण बिजली के तार टूटना या अन्य तरह की दुर्घटना घटित होना स्वाभाविक है।

- वृत स्तर पर आपदा निवारण प्रकोष्ठ स्थाई रूप से कार्य करेगा एवं सहायक अभियंता स्तर का अधिकारी प्रकोष्ठ प्रभारी होंगे।
- विद्युत लाईनों/तार टूटने एवं इनमें करंट आने की सूचना मिलने पर तुरन्त लाईनों में विद्युत प्रवाह बंद कर दिया जावें तथा सुधार कार्यवाही शीघ्रता से पूरी करना।
- आवश्यकता पड़ने पर कट्रोल रूम में सूचना देकर तुरन्त प्रभाव से बिजली विभाग के किसी भी अथवा सभी अधिकरियों व कर्मचारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये जा सकते हैं।

पुलिस विभाग –

- आपदा के वक्त जिला पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ मिलकर कानून व्यवस्था

बनाये रखने के लिए जिम्मेदार ह्रोगा।

- आपदा से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा
- कन्ट्रोल रूम की संचार व्यवस्था वायरलैस, टेलीफोन, डी/आर बल को परिवहन हेतु छोटी–बड़ी गाड़ी अच्छी स्थिति में दुरूस्त होनी चाहिये।
- कन्ट्रोल रूम में 24 घण्टे की सेवायें कार्यरत होगी तथा आरएएफ, आरएसी की टुकड़ियां तैनात रहेगी
- ये टुकड़ियां लाठी, ढाल गैस, गन, हथियारों से सुसज्जित हो।

एन.सी.सी/एन.एस.एस.–

- आपदा के समय एनसीसी कैडेट्स व संबंधित स्टाफ घर–घर जाकर लोगों को राहत सामग्री पहुंचाकर जन जीवन को राहत पहुंचाने में मदद करेगा।

अग्नि शमन केन्द्र –

जिला मुख्यालय पर 2 अग्निशमन केन्द्र कार्यरत है जिसमें वर्तमान में 2 अग्निशमन वाहन उपलब्ध है। आग की स्थिति से निपटने के लिए **101** पर तुरन्त फोन किया जा सकता है।

नगरपरिषद/नगरपालिकाएं

- नालों की सफाई का कार्य करवाना।
- बहाव क्षेत्रा में अतिक्रमण हटाना।
- ट्रेक्टर, ट्रोली तथा पम्पसेटों की उपलब्धता कराना।
- मिट्टी के कट्टे उपलब्ध कराना।

सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं का योगदान

आपदा के समय सहायता उपलब्ध कराने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं से भी मदद ली जायेगी।

दुर्घटना

विज्ञान व तकनीकी विकास ने मानव जीवन को सुखदायी बना दिया है जिसके फलस्वरूप आज दूरियों को घण्टों में गिना जाने लगा है। परन्तु यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन न करने, असावधानी व तकनीकी खराबी के कारण दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है।

भारत में दुर्घटनाओं के कारण जितने लोग मरते हैं उनमें लगभग 37 प्रतिशत केवल सड़क दुर्घटनाओं के फलस्वरूप मरते हैं। स्थिति की भयावता का अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन हर घंटे में 10 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु का ग्रास बनते हैं एवं इनसे चार गुना अर्थात 40 व्यक्ति घायल होते हैं, जिनमें बहुत से उम्रभर के लिये अपंग हो जाते हैं।
मोटर वाहनों की संख्या के अनुपात के आधार पर भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है एवं इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम दुर्घटनाओं पर रोक लगाएं ताकि इसमें मरने वालों के आंकड़ों में कमी भी की जा सके।

सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण :

- गाड़ी चलाने में लापरवाही
- यातायात नियमों का पालन न करना
- खराब सड़कें
- सड़कों पर अत्यधिक वाहन व भीड़
- गाडियों का अनुचित रखरखाव

रेल दुर्घटनाएँ :–

बूंदी जिला पि?ाचमी रेलवे की बडी रेल लाईन से जुडा है। कोटा–सवाई माधोपुर को जोडने वाली रेल लाइन गुडला, के.पाटन, अरनेठा, काप्रेन, घाट का बराना, लबान, लाखेरी और इन्द्रगढ व सुमेरगंजमंडी स्टेशनों से होकर गुजरती है। इस रेल्वे लाइन का मुख्य लाभ लाखेरी की ए.सी.सी. फेक्ट्री को मिला है, तथा केशवरायपाटन सहकारी षुगर मिल भी इसी रेल लाइन पर स्थित है। इस रेलवे लाइन पर जम्मूतवी, कन्याकुमारी, अमृतसर, बम्बई, दिल्ली के बीच चलने वाले व्यस्त यातायात की गाड़ियां चलती है; द्रुतगामी गाडियों में से कुछ गाडियां इन्द्रगढ, लाखेरी के रेलवे स्टेशनों पर रूकती है। जिले में गुजरने वाली रेलवे लाइन की लम्बाई 72 कि.मी. है।

दूसरी रेल लाइन कोटा से चित्तौडगढ और नीमच के मध्य वर्ष 1989–90 से प्रारम्भ हुई। इस रेलवे लाइन पर गुडला, देहित, तालेडा, कोथ्या, बून्दी श्रीनगर, नीम का खेडा रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे लाइन की लम्बाई जिले में श्रीनगर रेलवे स्टेशन तक 48 कि.मी. है।

सड़क दुर्घटनाएँ

बूंदी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 गुजरता है, जो उत्तर से हिण्डोली तहसील से षुरू होकर दक्षिण में बून्दी तहसील तक जाता है, जिसकी लम्बाई 104 कि.मी. है जो जिले को दिल्ली, जयपुर, टोंक, कोटा, इन्दौर, बम्बई आदि महत्वपूर्ण षहरों से सीधा जोडता है। जिस पर से प्रतिदिन लगभग 10000 वाहन गुरजते हैं तथा हाइवे पर भारी वाहनों का दबाव बना रहता है। यहां पर अधिकतर दुर्घटनाएं ओवर टेकिंग के कारण होती है।

बूंदी जिले के मुख्य दुर्घटना संम्भावित मार्ग व क्षेत्राों का विवरण

सड़क मार्ग	दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रा
1. जयपुर – कोटा राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 52	1. कोटा–बूंदी की बावडी
	2. बल्लोप
	3. मांगली नदी के मोड पर
	4. बंगे इण्डिया लिमिटेड़, बून्दी
	5. रामगंज बालाजी
	6. बून्दी बाईपास
	7. तालाबगांव मोड पर
	8. चतरगंज
	9. हिण्डोली
	10. देवा का खेडा
2. मेगा हाइवे कोटा से लालसोट	11. गामछ से बाबई
3. एन.एच. 76	12. डाबी से धनेश्वर

दुर्घटना कार्य योजना

दुर्घटनाएं कहीं भी किसी भी रूप में घट सकती हैं। अगर कोई दुर्घटना हो गयी है तो दुर्घटनाग्रस्थ आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम दुर्घटनागस्त आदमी को लाचार न छोड़कर उसकी मदद करें तथा 100, 101, 102, 104 व 108 पर तुरन्त सूचना दें। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध अन्य लोग भी उसकी मदद कर सकते हैं।

दुर्घटना से पूर्व

संरचनात्मक उपाय – दुर्घटना संभावित क्षेत्राों का चिन्हीकरण करना तथा जरूरत के अनुसार वहां गति अवरोधक, साइन बोर्ड आदि लगाये जाएं।

गैर संरचनात्मक उपाय – सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए

- सड़क नियमों का पालन करें।
- तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाए।
- शराब पीकर गाड़ी न चलाये।

- हैलमेट पहने, सीट बैल्ट बांध।
- बांई तरफ से ओवरटेक न करें।
- हाथ देकर एकदम न मुड़े।
- दांई व बांई ओर ध्यान से देखकर ही सड़क पार करें
- आगे चलते वाहन से दूरी बनाये रखें।
- रात्रि में वाहन की हेडलाइट को डिप करके ही चलें।
- बच्चों को सड़क पर न खेलने दें।
- बच्चों को गाड़ी न चलाने दें।

दुर्घटना के दौरान

जिला प्रशासन का कर्त्तव्य
- दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरन्त चिकित्सालय पहुंचाने की व्यवस्था करना।
- राहत शिविरों का प्रबन्धन।
- अफवाहों को फैलने से रोकना।
- असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना।
- पीड़ितों को आर्थिक मदद देना।
- जनता तक सही सूचना पहुंचाना।
- हानि का आंकलन करना।

चिकित्सा विभाग
- जिले में उपलब्ध चिकित्सालयों, चिकित्सकों व मेडिकल स्टोरों की सूची
- डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करना।
- एम्बुलेंस का प्रबन्ध करना।
- प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- दवाईयों व उपचार के अन्य साधन उपलब्ध कराना।

पुलिस विभाग
- दुर्घटना स्थल पर भीड़ को संतुलित करना।
- कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना।
- संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना।

रेल्वे विभाग
- जनता तक सही सूचना पहुंचाने के लिए नियंत्राण कक्ष स्थापित करना।
- चिकित्सा व्यवस्था करना।
- एक्सीडेंट वैन की व्यवस्था करना।
- खोज व बचाव दल का प्रबन्ध करना।
- पीड़ितों की पहचान करना तथा उन्हें आर्थिक मदद देना।

परिवहन विभाग
- घायलों को पहुंचाने हेतु यातायात साधनों का प्रबन्ध करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग
- वैकल्पिक रूट की व्यवस्था
- क्षतिग्रस्त वाहनों को उठाने के लिए क्रेन, ट्रेक्टर, डम्पर, एल.एन.टी. आदि की व्यवस्था।

नगर परिषद / पालिका / पंचायत

- टैंटों की व्यवस्था।
- पानी के टैंकरों की व्यवस्था ।
- अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था।
- जनरेटरों की व्यवस्था।
- मृतकों के अन्तिम संस्कार हेतु प्रबन्ध।
- दुर्घटना स्थल पर साफ सफाई की व्यवस्था करना।

रसद विभाग

- खाद्य सामग्री तथा भोजन के पैकेटों की व्यवस्था करना।
- केरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि की व्यवस्था करना।

स्वयंसेवी संघटन

- राहत व बचाव के कार्यो में प्रशासन की मदद करना।
- पीड़ित लोगों को उपचार की सेवाओं की व्यवस्था करना।

जनता का कर्तव्य

दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध लोगों का कर्त्तव्य है कि वे अपने स्तर पर पीड़ित व्यक्ति की जांच करें तथा उसको शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायें। उच्च न्यायालय के अनुसार अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकों का कर्त्तव्य है कि घायल व्यक्ति का तुरन्त उपचार करें तथा घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल न की जाये।

अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश है तो –

- आवाज देकर, गाल पर थपकी देकर, कान को चुटकी से दबा कर आंख खुलवाने की कोशिश करें।
- आंख न खोलने पर पता लगाएं कि छाती अथवा पेट पर सांस चल रही है या नही।
- इसके लिए नाक या मुंह के सामने हाथ रखकर या कान को मुंह के पास ले जाकर महसूस करे तथा हाथ या गर्दन की नब्ज देखें।

(ये सभी काम पूरे शरीर पर सरसरी निगाहें दौड़ाते हुए जल्द से जल्द ही कर लें, नही तो घायल पूर्ण बेहोशी (कोमा) में चला जाएगा)

सांस व दिल की धड़कन चलाने के लिए

- सबसे पहले घायल को पीठ के बल सख्त जमीन या तख्ते पर लिटा दें तथा उसके कपड़ों को ढीला कर दें।
- सिर को पीछे की ओर करें जिससे जबान की रुकावट खत्म हो जाएं।
- ठोड़ी को आगे ले आएं जिससे रूकावट खुल जाएं।
- जबड़े का नीचे का हिस्सा ऊपर की ओर उठाकर आगे कर दें।
- इसी के साथ दोनों पैर एक–डेढ़ फीट ऊंचे करें। इससे पैरों का खून मस्तिष्क में जाएगा तथा उसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी।
- यदि सांस की नली में थूक, खून या उल्टी इकट्ठी हो तो घायल को एक करवट देकर किसी कपड़े या रूई से निकाल दें।
- यदि इतने पर भी सांस चलना शुरू न हो तो मुंह से मुंह लगाकर एक मिनिट में 15 से 18 बार

सांस दें। यदि पेट में हवा भरती नजर आए तो हाथ से नाभि के ऊपर के हिस्से को दबाकर हवा निकाल दें।

- मुंह से नाक द्वारा अथवा एयरवे या एम्बू रीससिटेटर से भी सांस दी जा सकती है।

यदि दिल की धड़कन रूक गई हो तो बंद मुट्ठी के निचले हिस्से से छाती के बीच में एक मुक्का मारें अथवा 4–5 से.मी. का दबाव डालते हुए एक मिनिट में 60–80 बार दबायें।

यदि एक्सीडेन्ट में घाव हो गए हैं और खून बह रहा हो तो

- रोगी को बिठा या लिटा दें ताकि खून कम बहे।
- घाव पर साफ कपड़े की पट्टी लगा कर हथेली से दवाब डालें तथा दबाव बनाए रखें।
- घायल भाग को स्थिर रखें।
- बहते खून को रोकने के लिए हाथ तथा पैर पर रबड बैंड, ;ज्वनतदपुनमजद्ध या कपड़े से बंध लगा दें तथा उसे हर 30 मिनट बाद ढीला करके फिर लगाएं। ताकि आगे का हिस्सा काला न पड़े।

यदि घायल को मानसिक आघात (सदमा) लगा हो जैसे–

- चक्कर तथा शिथिलता
- उल्टी होना
- ठंडी व गीली त्वचा
- बेहोशी
- धमनी की धड़कन क्षीण तथा तीव्र होना
- शरीर की जीवन आवश्यक क्रियाएं मंद हो जाना

तो खून को बहने से फौरन रोकें। खून की कमी से होने वाली जटिलताओं के अलावा इसको देखकर घायल व्यक्ति का मानसिकता सदमा विशेष रूप से बढ़ता है।

- रोगी को तसल्ली दें तथा उसका डर दूर करें।
- पीठ के बल लिटा दें। सिर नीचा करके एक ओर झुका दें।
- रोगी को कम्बल में लपेट दें।
- प्यास लगे तो पानी के घूँट, चाय, कॉफी या तरल पदार्थ दें।
- जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएँ।

जलते हुए व्यक्ति का बचाव

- घटनास्थल से दूर ले जाकर जले हुए हिस्से पर 10 मिनट तक ठंडे पानी का प्रवाह करते रहें।
- जले हुए हिस्से को साफ मुलायम कपड़े या गॉज़ से ढक दें तथा रोगी को तुरन्त अस्पताल पहुंचायें।

आग

मानव सभ्यता के विकास के क्रम में आग का स्थान महत्त्वपूर्ण है। प्रारम्भिक काल में मानव स्वरक्षा के लिए तथा भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग करता था। वर्तमान समय में भी आग का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी। आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीषण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते हैं। उपहार सिनेमा काण्ड व डबवाली अग्निकाण्ड इस प्रकार की आपदा के उदाहरण है।

व्यवसायिक व रिहायसी भवनों में आग की दुर्घटनाएं प्रायः सामान्य बात हो गई हैं घरों में या व्यवसायिक प्रतिष्ठनों में अगर आग लग जाये तो वह अनियन्त्रित हो जाती है क्योंकि वहां पर

लकड़ी, कपड़े, रासायनिक पदार्थ, रसोई गैस, मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। बिजली के उपकरणों के द्वारा शहरों में विशेषतया बहुमंजिली इमारतों में सही ढंग से व समय पर देखभाल न करने व लापरवाही से उसका प्रयोग करने के कारण भयावह आग लग जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रैल—मई स्थानीय लोग अपने खेतों में आग लगाकर लापरवाही से छोड देते हैं। मोटर मार्गों की मरम्मत और डामर डालते समय श्रमिक आग लगाकर छोड़ देते हैं। अधिक तापमान, कम नमी, वायु वेग तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग लगने की सम्भावना बढ़ जाती है। ज्वलनशील घास—पत्ती, लकड़ी एवं सड़क पर चलती मोटर गाड़ी की चिनगारी पड़ने पर एवं कभी—कभी बिजली गिरने से भी आग लग जाती है।

शहर में अधिकतर अग्निकाण्ड मानवजनित होते हैं। बिजली सॉर्ट सर्किट व आकाशीय बिजली गिरने से आग लगती है। अग्निकाण्ड से जन हानि, पशुहानि, निजी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को काफी क्षति होती है।

बूंदी जिले में अधिकतर आग का?ातकारो के द्वारा कडवी (चारा) इकटठे करने वाले स्थानों पर बीडी या सिगरेट की चिंगारी से लगती है। पूर्व में डाबर कलां ग्राम में आग कई बार लग चुकी है जिसे गांव स्तर पर ही काबू कर लिया गया था।

बूंदी जिले में आग से प्रभावित हाने वाला संभाव्य क्षेत्रा – बूंदी शहर में रीको औद्योगिक क्षेत्रा, पेट्रोल पम्प, छविग्रह, मेरिज गार्डन, निजी इमारतें, कटला आदि आग से प्रभावित होने वाले क्षेत्रा है।

अग्निकाण्ड की अन्य सम्भावनाएँ

सामान्य रूप से होने वाले अग्निकाण्डों के अतिरिक्त कुछ अग्निकाण्ड की घटनाएं ऐसी भी हो सकती है, जिन पर यदि त्वरित नियन्त्राण न किया जाये तो वे अत्यधिक भंयकर रूप ले सकती है—यथा— वे औद्योगिक इकाईयां जहां अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों का भण्डारण अथवा प्रयोग होता है।

कार्य योजना

जिला स्तर पर आग से निपटने हेतु प्रबन्ध योजना तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि दुर्घटना के समय न्यूनतम समय में तत्परतापूर्वक कार्यवाही करके स्थिति की भयावहता पर अंकुश लगाया जा सके।

आग से बचने सम्बन्धी सावधानियां

बिजली

- बिजली की फिटिंग कुशल मिस्त्राी (कारीगर) से ही करवायें।
- बिजली कभी भी डाईरेक्ट लाईन से ना लें।
- बिजली का उपयोग कभी भी ओवर लोड ना लें।
- बिजली की फिटिंग हेतु आई.एस.आई. द्वारा पास फिटिंग सामान या यंत्राों का उपयोग करें
- बिजली या किसी प्रकार का वेल्डिंग करवाते समय ध्यान रहें कि उसमें जलने वाला पदार्थ भरा न हो।
- बिजली के स्टोव में टू पिन का ही प्रयोग करें।
- पाण्डाल मण्डप या अस्थाई सभी मण्डप में बिजली की आग इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखें।
- बिजली के मीटर से अनावश्यक छेड़खानी ना करें।

रसोई घर :—

- रसोई घर में जलने वाले पदार्थो का भण्डारण नही करना चाहिये।
- गैस सिलेण्डर या नलकी को समय—समय पर गैस कम्पनी से चैक करवायें, गैस की नलकी आई.एस.आई. मार्का ही होनी चाहिये।
- साड़ी का पल्लू तथा अन्य लटकने वाले कपड़ो का ध्यान रखें।

- रसोई खुली व खिड़कीदार हो।
- अगर मालूम हो जावे कि गैस लीक कर रही है तो बिजली के स्वीच को ऑन, ऑफ ना करें।
- कार्य पूरा होने पर रेग्यूलेटर को ऑफ करना ना भूले।
- अगर नलकी में आग लग रही हो तो रेग्यूलेटर को बन्द करें, अथवा सिलेण्डर को बाहर खींच लें।
- आग लगने पर गैस कम्पनी, फायर ब्रिगेड (101) अथवा पुलिस (100) को टेलीफोन करें।
- गैस ज्यादा लिकेज हो तो ऊपर मंजिल वालों को सूचित करते हुये रसोई के सारे खिड़की दरवाजे खोल दें।

- रसोई में पानी के स्प्रे या गीले कम्बल का उपयोग करें।

गांवों व जंगल की आग के बचाव

- कभी भी चूल्हे को खुला ना रखें।
- चिमनी, लालटेन, लेम्प आदि को शीशे से ढक कर ही रखें।
- बीड़ी सिगरेट आदि के टुकड़ो को पूर्ण रूप से बुझाकर ही फैंके।
- पिकनिक मनाते समय आग अगर जलाई हो तो उसे पूर्ण रूप से बुझाकर आवें।
- जंगल से रेल, बस या कार आदि से गुज़रते समय जलती बीड़ी सिगरेट के टुकड़े ना फैंके।
- घास खलिहान पुआल आदि को पूर्ण सुखाकर ढेरी बनावे जिससे की स्पोन्टेनिकस कम्बसन से आग लगने का खतरा न हो।
- एक ढेरी से दूसरी ढेरी की दूरी 60 फीट होना।
- ढेरी की ऊंचाई 20 फीट से अधिक ना हो।
- 500 मन से अधिक ढेरी ना हो।
- खलिहान गांव से दूर होने चाहिए और ऐसी जगह होने चाहिये जहां पर पानी आसानी से मिल सके।
- गांवों में अधिक बाडे आदि नही होने चाहिए।
- बाड़ या फूस आदि पर कांच के टुकड़े आदि नही फैकने चाहिये।
- खलिहानों या कच्चे छप्परों के पास आतिशबाजी नही करें।
- रेल्वे लाईन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
- खलिहानों में चाय नाश्ता आदि ना बनावें।
- कच्चे मकानों या खलिहानों को बनाते समय बिजली के तारों का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।
- गांवों में फायर पार्टी का गठन करना चाहिये तथा उनको समय समय पर ट्रेनिंग व संयुक्त अभ्यास करवाना चाहिये।
- गांव के बीच जहां चौपाल हो वहां पर फायर की स्थापना जैसे घण्टी (साईरन) बीटर्स, फावड़े बैलवे कापा हुक, बाल्टी, टार्च, स्टेम्प नजदीकी फायर ब्रिगेड के नम्बर आदि होना।
- अग्नि रेखाओं को तैयार करना एवं उनका रखरखाव
- आग लगने की दिशा में प्रति अग्नि व्यवस्था करना
- अग्नि के परिप्रेक्ष्य में असुरक्षित वन क्षेत्रा की जांच करना

हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट स्टोर्स या मार्केट

- किसी भी बिल्डिंग को बनवाने से पहले यह ज़रूरी है कि मार्केट में आग लगने पर इसको बचाने के लिए बडी गाड़ियां आराम से चारों तरफ घुम सकें।
- बिल्डिंग कोड रूडकी द्वारा पास, पानी का पर्याप्त स्टोरेज होना।

- बिल्डिंग में दो स्टेपर केस (सीढ़ी) होना अतिआवश्यक है।
- निकासी का रास्ता साफ सुथरा हो।
- उसमें आग बुझाने के यंत्राो जैसे स्प्रींकलर डेन्चर, राईजर, हाईडेन्ट पाईन्ट इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये।
- बिजली की, पानी, मोटर व डीजल पम्प की व्यवस्था होना।
- जगह जगह पर फायर पाईन्ट की व्यवस्था होना।
- अपार्टमेन्ट में रहने वालों का वाच ड्यूटी स्टाफ को फायर की ट्रेनिंग होना।
- फायर सर्विस से एन.ए.सी. लेकर ही पैट्रोल पम्प, फैक्ट्री, होटल, अपार्टमेन्ट मार्केट बिल्डिंग का निर्माण करवाया जावे। जिससे कि वहां पर पर्याप्त मात्राा में पानी की गाड़ियां भी पहुंच सकें।
- बिजली या ट्रांसफार्मर आदि का सही स्थान का चयन।
- पैट्रोल पम्प, सिनेमाघरों, फैक्ट्रीयों आदि में समय समय पर अग्निशमन यंत्राों की चैकिंग या संयुक्त अभ्यास करवाना/इत्यादि।

आग लगने पर कार्यवाही–

यदि सूचना सीधे फायर स्टेशन पर प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल तत्काल घटना स्थल के लिए प्रस्थान करेगा और साथ ही अग्निकाण्ड की सूचना सम्बन्धित थाना/तहसील/जिला मुख्यालय को भेजेगा। सूचना की गम्भीरता के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित जिला कलेक्टर स्वयं स्थल पर शीघ्र पहुंचेंगे और राहत कार्य का संचालन प्रारम्भ कर देंगे। तहसील मुख्यालय पर सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदार जो भी वरिष्ठत्तम अधिकारी उपलब्ध होंगे यथाशीघ्र घटनास्थल पर पहुचेंगे तथा समस्त राहत/बचाव कार्यों का समन्वय करेंगे। क्षेत्राधिकारी पुलिस भी अग्निकाण्ड की सूचना मिलने पर शीघ्रातिशीघ्र स्थल पर पहुंचेंगे। स्थिति की गम्भीरता के मूल्यांकनोपरान्त साइट इमरजेन्सी डाइरेक्टर यह निर्णय लेंगे कि जनपद मुख्यालय से किस प्रकार की और कितनी सहायता प्राप्त की जानी है और तद्नुसार जिला कन्ट्रोल रूम के माध्यम से अध्यक्ष, ''समेकित आपदा प्रबन्ध समिति'' को सूचित करेंगे।

यदि अग्निकाण्ड की सूचना सीधे जिला मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूप को प्राप्त होती है तो कन्ट्रोल रूम जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए यह जानकारी प्राप्त करेगा कि सम्बन्धित क्षेत्रा के फायर स्टेशन से अग्निशमन दल घटनास्थल के लिए प्रस्थान कर गया या नहीं । यदि अग्निकाण्ड भीषण होने की सूचना है और ऐसा अनुमान होता है कि जिला मुख्यालय से और अग्निशमन दल तत्काल भेजना आवश्यक है तो जिला मुख्यालय से अग्निशमन दल तत्काल भेज दिया जायेगा इसी प्रकार यदि जिला मुख्यालय से फायर स्टेशन को सीधे सूचना प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल सीधे घटनास्थल को प्रस्थान करेगा और साथ ही घटना की सूचना कन्ट्रोल रूप तथा जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को देगा।

आग लगने पर विभिन्न विभागों की भूमिका –

जिला कलेक्टर

- समग्र समन्वय एवं पर्यवेक्षण
- सूचना की प्रमाणिकता ज्ञात करना।
- सहायता सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण मय नकद सहायता
- विधि एवं शांति व्यवस्था संबंधी समस्याएं

अग्निशमन केन्द्र :– नियंत्राण कक्ष

- अग्निशमन वाहनों व कर्मियों की उपलब्धता
- अग्निशमन वाहनों का समय पर प्रतिस्थापन

- समीपवर्ती ज़िलों एवं अन्य संस्थानों जैसे सेना, पेट्रोलियम एसोसियेशन, पुलिस, नागरिक सुरक्षा, आदि में अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आग से घिरे व्यक्तियों का बचाव
- अन्य अग्नि सुरक्षा सामग्री यथा लाईफ जैकेट, आक्सीजन सिलेण्डर सीढी, मिट्टी के थेले आदि।
- रेडक्रास लायन्स क्लब एवं अन्य गैर राजकीय संस्थानों से समन्वय।
- अग्निशमन के यन्त्राों की उपलब्धता

नागरिक सुरक्षा

- प्रशासन एवं जनता के साथ त्वरित संचार व्यवस्था
- प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना
- प्रभावित क्षेत्रा समीप से जनता/जनसामान्य को हटाना
- अग्नि शमन हेतु प्रशिक्षित स्वंय सेवकों की सहायता लेना
- डिविज़न एवं पोस्ट एवं सेक्टर वार्डन को सूचित करना
- वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करना

पुलिस

- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना
- जनसामान्य को सूचित करने हेतु संचार व्यवस्था
- प्रभावित क्षेत्रा के पास से जन सामान्य को हटाना

विद्युत

- विद्युत आपूर्ति की समुचित देखभाल
- अन्य दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावित क्षेत्राों की बिजली काटना

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिाकी विभाग

- नियमित एवं अन्य स्त्राोतों से जल की उचित आपूर्ति
- अग्निशमन वाहनों हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

- प्राथमिक उपचार
- राजकीय एवं निजी अस्पतालों से सम्पर्क करना
- पीड़ितों को समय पर अस्पताल पहुंचाना
- औषधियों की व्यवस्था करना
- मेडिकल स्टोर/थोक एवं खुदरा विक्रेताओं से सम्पर्क करना
- चिकित्सकों एवं पेरा मेडिकल स्टॉफ की उपलब्धता

गैर राजकीय संगठन

- प्रतिबद्ध स्वंय सेवकों की उपलब्धता कराना
- राहत शिविर लगाना
- सहायता सामग्री का वितरण

पशुपालन

- पशु चिकित्सालयों से सम्पर्क करना
- पशुधन की देखभाल हेतु उपलब्ध कर्मियों को कार्यरत करना

नगर परिषद

- राहत शिविर (रेन बसेरा) का प्रबन्धन
- टेंट हाउस की व्यवस्था करना
- प्रभावित क्षेत्राों की समुचित सफाई व्यवस्था एवं स्वास्थकर स्थितियों की देखभाल
- राहत शिविर हेतु विद्यालयों एवं अन्य बड़े प्रतिष्ठानों की सूची

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

- व्यापारियों व हलवाइयों से सम्पर्क कर भोजन की व्यवस्था करना
- भोजन पैकेट एवं राहत सामग्री का वितरण
- राहत सामग्री हेतु स्वंय सेवकों के साथ समन्वय
- राहत सामग्री के एक पैकेट में रखी जाने वाली सामग्री सुनिश्चित करना

आग लगने पर क्या करें, क्या न करें

क्या करें :–

- आग लगने पर फोन नम्बर 101 पर तुरन्त अग्निशमन विभाग को सूचित करें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर लोगों को निकालने के लिए हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें।
- जब यह निश्चित हो जाये कि अन्तिम आदमी भी बाहर आ गया है तो दरवाजा बंद कर दें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर तुरन्त बाहर खुले स्थान पर पहुंच जायें।
- अगर संभव हो तो नाक व मुंह को गीले कपड़े से ढक लें।
- सावधानीपूर्वक निर्देशकर्ता के आदेशों का पालन करें।
- अगर आग लगने पर किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो अपने कमरे में ही रहें।
- नेतृत्वकर्ता को बिल्डिंग छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घटना स्थल पर कोई भी आदमी अन्दर न रह गया हों यहां तक कि उसे बाथरूम की भी जांच कर लेनी चाहिए।

क्या न करें :–

- गैस स्टोव, बिजली के उपकरण व बटन काम में न लें।
- आग लगने पर मकान की छत पर न जायें।
- लिफ्ट का प्रयोग न करें।

परिवार के सभी सदस्यों को आग से निपटाने के लिए प्रशिक्षण दें।

भूकम्प

भूकम्प पृथ्वी के आन्तरिक असन्तुलन, भ्रंशन, भूपटल का संकुलन तथा प्लेट विवर्तनिक कारणों से आता है। सामान्यतः भूगर्भिग चट्टानों के विक्षोभ के स्त्राोत से उठने वाली लहरदार कम्पन्न को भूकम्प कहते हैं। जिस प्रकार शान्त जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर आयात आने वाले स्थानों के चारों ओर लहर उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार भूगर्भिक चट्टानों में विक्षोभ केन्द्र से से चारों ओर भू–तरंगे प्रवाहित होती हैं। अधिकांशतः भूकम्प भूतल से ठीक 50 से 100 कि.मी. की गहराई का उत्पन्न होते हैं। जिस स्थान पर ये उत्पन्न होते हें, उसे उद्‌गम केन्द्र या भूकम्प मूल कहते हैं। इस उद्‌गम केन्द्र के ठीक ऊपर भूसतह पर स्थित स्थान को अधिकेन्द्र कहते हैं।
भूकम्प एक आपदा के रूप में प्रलयंकारी तबाही मचाता है। भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ तथा आग आदि को गतिशील कर देता है। भूकम्प के कारण जहाँ एक ओर प्राकृतिक

परिदृश्य विकृत होता है, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं को भी हानि पहुँचती है, जिसकी पुनः पूर्ति दीर्घकाल में ही सम्भव हो पाती है तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राष्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता है।

26 जनवरी, 2001 को गुजरात में 6.9 रिक्टर मापक पर भूकम्प आया था। यह विगत 150 वर्षों में सर्वाधिक भीषणतम भूकम्प था। जिसका केन्द्र भुज से 60 किमी दूरी पर था। इस भूकम्प से लगभग 20,000 लोग काल का ग्रास बन गये तथा 33,000 से ज्यादा लोग घायल हो गये। राज्य में लगभग 30 हजार करोड़ रु. की सम्पत्ति नष्ट हो गयी। इस भूकम्प से कच्छ जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ जिसके 550 गांव पूर्ण रूप से तबाह हो गये तथा 16,000 लोग मारे गये।

भूकम्प के मुख्य कारण

- ज्वालामुखी क्रिया
- भ्रंशन
- भूसंतुलन में अव्यवस्था
- जलीय भार
- भूपटल में संकुचन
- गैसों का फैलाव
- प्लेट विवर्तनिकी

भूकम्पों की तीव्रता

बिल्डिंग मेटेरियल एण्ड टेक्नॉलोजी प्रमोसन काऊंसिल (BMTPC) ने एटलस के अनुसार सिसमिक जोन नक्से तैयार कर इसे पाँच भागों में विभक्त किया है। अनुमानतः संशोधित मर्करी मापक ;डेड्ढ पर प्ट.ट तीव्रता वाले भूकम्प 7700 वर्ग कि.मी. में महसूस होते हैं जबकि IX-X तीव्रता वाले भूकम्प 500,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्रा में महसूस किये जाते हैं।

1) **क्षेत्रा** :– इस क्षेत्रा में संशोधित मरकरी मापक के अनुसार IX या इससे अधिक तीव्रता का भूकम्प सम्भावित है। इस क्षेत्रा को अत्यधिक नुकसान सम्भावित क्षेत्रा भी कहा जाता है।

2) **क्षेत्रा** :– इस क्षेत्रा में संशोधित मरकरी मापक पर MM VII सम्भावित है इसे उच्च नुकसान सम्भावित क्षेत्रा भी कहते हैं।

3) **क्षेत्रा** :– इस क्षेत्रा में मरकरी मापक पर MM VII की तीव्रता भूकम्प आ सकता है इसे मध्यम नुकसान सम्भावित क्षेत्रा के नाम से भी जाना जाता है।

4) **क्षेत्रा** :– क्षेत्रा में सम्भावित तीव्रता MM VI है इसे संशोधित सरकारी मापक पर निम्न नुकसान सम्भावित क्षेत्रा भी कहते है।

5) **क्षेत्रा** :– इस क्षेत्रा के लिए संशोधित मरकरी स्केल पर MM V या इससे भी कम तीव्रता का भूकम्प संभावित है।

भूकम्पों की तीव्रता	**तीव्रता के लक्षण** भूकम्पों का प्रभाव)	**रिक्टर मापक परिणाम**
यान्त्रिाक	केवल भूकम्प लेखी यन्त्रा से भूकम्प का अनुभव होता है।	0
क्षीण	केवल कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा अनुभव	3.5
अल्प	आराम करते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव	4.2
साधारण	चलते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव तथा खड़ी निर्जीव वस्तुओं क कम्पन	4.3
आद्रबल	सभी को अनुभव, सोये व्यक्ति जाग जाते हैं।	4.8
प्रबल	सभी लटकी वस्तुएँ हिलने लगती है।	4.9–5.4
अतिप्रबल	दीवारों में दरार पड़कर भूकम्प का आतंक छा जाता है।	5.5–6.1
विनाशात्मक	ऊँची इमारतें गिर जाती हैं, मकानों में दरार पड़ जाती है।	6.2

विनष्टकारी	मकान धँस जाते हैं। भूमि में दरारे पड़ जाती हैं। पाईप लाईने टूट जाती है।	6.2—6.9
सर्वनाशी	धरातल में लम्बी दरारें पड़ जाती है। ढालों में भूस्खलन होता है।	7.0—7.3
अतिविनाशी	पुल, रेलवे लाइनें टूट जाती है। महान् भू—स्खलन नदियों में बाढ़ आ जाती है।	7.4—8.1
प्रलयकारी	सर्वनाश, धरातलीय पदार्थ हवा में उछलने लगते हैं। धरातल में धँसाव तथा उभार उत्पन्न हो जाते हैं।	8.1 से अधिक

बूंदी जिले को भूकम्पीय खण्डों की भारतीय मानक स्पेसिफिकेशन के अन्तर्गत खण्ड प्ट में रखा गया है एवं भूकम्प के विगत वर्षो के आंकड़ें यह प्रदर्शित करते है। कि हाल के कई वर्षो में यहां कोई विनाशकारी भूकम्प नही आया है। किन्तु बढ़ते शहरीकरण जो ऊंची इमारतों एवं खरीददारी के परिसरों के रूप में बढ़ रहा है चिंता का मुख्य विषय है। परिसरों हेतु आवष्यक मानकों का पालन यहां नही किया जाता है।

बूंदी जिले में भूकम्प आने पर जिला प्र`शसन द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। एजेन्सी द्वारा भूकम्प से प्रभावित होने वाले सम्भावित क्षैत्राों जेसे महत्वपूर्ण इमारतें ऐतिहासिक स्थल, बांध इत्यादि तथा जोखिम सम्भावित एवं उनकी संरचना को प्रारम्भिक रूप से चिन्हित कर लिया गया है।

कार्य योजना

भूकम्प की स्थिति में मुख्य विभागों की कार्य योजना निम्न रहेगी :

जिला प्रशासन

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- आपदा स्थल पर नियन्त्राण कक्ष की स्थापना करना।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाएं रखना ।
- प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीड़िया के जरिये उसे लोगों तक पहुँचाना।

नागरिक सुरक्षा बल, एन.सी.सी., एन.एस.एस. तथा स्काउट्स एण्ड गाईड्स

- स्वयं सेवियों की उपलब्धता निश्चित करना।
- मलबे में फंसे हुए लोगों को निकालने में प्रशासन की सहायता करना।
- पीड़ितों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना।

पुलिस प्रशासन

- कानून एवं व्यवस्था की सार संभाल करना।
- वायरलेस आदि से सूचना पहुचाना।
- संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।
- राजकीय एवं निजी क्षेत्रा में उपलब्ध जे.सी.बी. एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था करना।
- अन्य ऊँचे व आपदा सम्भावित भवनों की जांच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

- आपदा स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना।
- लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- बुरी तरह घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाना।
- चिकित्सकों, पेरा मेडिकल स्टाफ व दवाईयाँ उपलब्ध कराना

अग्निशमन केन्द्र, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वयंसेवी संस्थाऐं, नगर परिषद्, विद्युत, पशुपालन, दूर संचार विभाग, सिंचाई तथा अन्य विभाग सामान्य कार्य योजना के तहत अपना कार्य पूर्ण करेंगे।

क्या करें क्या न करें

भूकम्प पूर्व

- हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि गंभीर भूकंप के फलस्वरूप अधिकांश समस्याएं गिरती हुई वस्तुओं जैसे छत का प्लास्टर, विद्युत उपकरण आदि से होती है, भूमि की क्षति से नही।
- अलमारियों में सिर से ऊंचे स्थान पर भारी वस्तुओं को न रखे। भारी गमलों वाले पोधों को झूलने हेतु नही लटकाए। किताब रखने की अलमारी, केबिनेट एवं दीवार पर लगी सजावटी वस्तुएं पलट कर गिर सकती है।
- खिड़की तथा भारी वस्तुएं जो गिर सकती है उन्हें बिस्तर से दूर रखे। बिस्तर के ऊपर दर्पण, पिक्चर फ्रेम आदि नही लटकायें।
- ऐसे उपकरण जो गैस, विद्युत लाईन को क्षति पहुंचा सकते हैं उन्हें मज़बूती प्रदान करें।
- लटकाने वाले बिजली के सामन मज़बूती के साथ छत पर लगावें तथा निकास के रास्ते में भारी अस्थिर वस्तुओं को न रखें।
- आपातकालीन सामग्री (जल, दीर्ध अवधि तक रहने वाला तुरंत तैयार करने योग्य भोजन, प्राथमिक उपचार किट, दवाईयां,, आग बुझाने के उपकरण आदि) को अपने घर अथवा कार में सुगम पहुंच हेतु उपलब्ध रखें।

आपदा के दौरान व पश्चात

- शांत रहे, घबराएं नहीं।
- कांच, खिड़की, अलमारी, केबीनेट एवं बाहरी दरवाजों से दूर रहें। यदि हो सके तो मेज पलंग आदि मजबूत फर्नीचर के नीचे घुस जायें अथवा दरवाजे के नीचे या किसी कोने में बैठ जाएं व अपना सिर एवं शरीर अपने हाथों, तकिया, कम्बल, किताबो आदि से ढक लें ताकि गिरने वाली वस्तुओं से स्वंय की रक्षा कर सकें।
- बाहर की तब तक न भागे जब तक सुनिश्चित हो जाये कि जहां से निकल रहे हैं वह रास्ता सुरक्षित है।
- भूकम्प के दौरान बाहर निकलने के लिए स्वचालित सीढ़ियों का उपयोग न करें संभवतः विद्युत आपूर्ति बंद हो सकती है। सीढ़ियों की ओर न भागे, क्योंकि ये धरातल की तुलना में अधिक क्षतिग्रस्त हो सकती है तथा इससे निकास भी संभवतः प्रभावित हो सकता है।
- कभी भी मुख्य द्वारा से बाहर की ओर व मुख्य बड़ी दीवार के नजदीक खड़े न हों क्योंकि सामान्यतः यह असुरक्षित स्थान है।
- जब आप बाहर है तो भूकम्प की स्थिति में इमारतों, दीवारों, पेड़ो एवं विद्युत तारों से दूर रहें। खुले क्षेत्रा में तब तक रूकें जब तक कंपन खत्म न हो।
- अगर आप वाहन चला रहे हैं तो गाड़ी को भवन व बड़े पेड़ों से दूर सुरक्षित स्थान पर रोक कर खड़े हो जायें एवं अन्दर रहें। यद्यपि कंपन विस्तृत रूप में आ सकते है। किन्तु यह प्रतीक्षा करने के लिये सुरक्षित स्थान है। पत्थर की सरुचनाओं अथवा ऊंची इमारतों के नजदीक न रहें। फ्लाई ओवर, पुल के नीचे या ऊपर न रहें।

- वाहन चलाते समय भूकम्प से होने वाले खतरों जैसे गिरती हुई वस्तुएं, गिरी हुई विद्युत लाईनों, टूटे अथवा धंसे हुए रास्तों ऐव पुलों को अवश्य देखों।
- भूकम्प झटके रूकने पर मलबे में फसें लोगों को निकलवाने में मदद करें।
- चोट की जांच करें, तथा घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करें। पुलिस 100/अग्निशमन केन्द्र 101/रोगी वाहन 102 को सूचना दें।
- आग की जांच करें।
- गैस के लीक की संभावना से इमारत को खाली करें। गैस स्टोव, मोमबत्ती व माचिस न जलायें।
- विद्युत को तब तक न जलायें जब तक यह सुनिश्चित न हो जाये कि गैस लीक नही हो रही है।
- आपातकालीन अवस्था को छोड़कर फोन का उपयोग न करें।
- भीषण भूकम्प के कुछ दिनों बाद तक भूकम्प के पश्चात के झटकों के लिये तैयार रहें जो सामान्यतः बड़े भूकम्प के बाद आते हैं एवं ये पहले से ही क्षतिग्रस्त/ कमजोर ढांचों को अतिरिक्त हानि पंहुचा सकते है।

साम्प्रदायिक तनाव

भारत देश में अनेक धर्मो के लोग एक साथ रहते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता एवं सामाजिक विद्वेषो के कारण छोटे–छोटे झगड़े कई बार साम्प्रदायिक तनाव का रूप ले लेते है। जिसके कारण शहरी व ग्रामीण क्षेत्राो में तनाव होने तथा प्रतिकूल प्रक्रिया होने की संभावना बनी रहती है । उपद्रव होने पर जन–धन राष्ट्रीय सम्पत्ति का काफी नुकसान होता है । **बूंदी जिला** सांप्रदायिक सौहार्द का उत्कृष्ट उदाहरण है। फिर भी प्रशासनिक दृष्टि से **नैनवां, अलोद, बडोदिया, जमीतपुरा** को संवेदनशील माना गया है।

ओलावृष्टि

ओला वृष्टि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका आकलन पूर्व में नही किया जा सकता। यह प्रकृति का प्रकोप है जो आँधी की तरह आती है एवं तूफान की तरह चली जाती है। इसका कोई निश्चित स्थान नही होता तथा यह हवा के रूख एवं उसकी गति के अनुसार उसी दिशा को क्षति ग्रस्त करते हुए निकलता हैं।

ओलावृष्टि के कारण व्यक्तियों, पशुधन एवं सर्वाधिक नुकसान फसलों व फलदार वृक्षों को होता है। जिले में ओलावृष्टि कभी भी किसी भी क्षेत्रा में प्राकृतिक आपदा के रूप में प्रकट हो सकती है। ओलावृष्टि से व्यक्तिगत/पशुधन/फसलों की हानि का आँकलन करने हेतु उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को तत्काल निर्देशित करना प्रशासन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है ।

ओलावृष्टि से बचने के उपाय एवं व्यवस्थाएँ –

यद्यपि ओलावृष्टि आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोप है, जो किसी भी क्षेत्रा में कम–ज्यादा हो सकती है। इसके लिए तात्कालिक बचाव के उपाय किया जाना ही संभव हो सकता है। फसलों के नुकसान का आँकलन भी तात्कालिक ही सम्भव है । ऐसे क्षेत्रा में जिला प्रशासन, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार दौरा कर क्षेत्रीय जनता से संपर्क कर जन/पशुधन की हानि पर तात्कालिक राहत उपलब्ध कराना तथा ओलावृष्टि से पीड़ित गाँवों को चिन्हित करते हुए फसलों को हुए नुकसान की बाबत किसानों को राहत पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं।

बांध टूटना

सामान्यतः वर्षा के जल प्रवाह को रोक कर जल का उपयोग कृषि सिंचाई, उद्योगों को जलापूर्ति एवं पेयजल हेतु बांधों का निमार्ण किया जाता है। राजस्थान जैसे शुष्क एवं अर्द्धशुष्क जलवायु वाले राज्य में जल का अत्यधिक महत्व है। इस क्षेत्रा में बूंद–बूंद जल संग्रहीत करने की परिपाटी रही है। इसी

के फलस्वरूप प्रदेश की जनता, जो कि कृषि पर निर्भर है, अपनी आजीविका चलाती है। वहीं दूसरी ओर कभी–कभी अत्यधिक वर्षा की स्थिति में यही बांध इनकी आजीविका के साथ–साथ जान पर भी उतारू हो जाते हैं। जिसका कारण बांध के रख रखाव में लापरवाही बरतना होता है। बांधों के टूटने की स्थिति में निकटवर्ती क्षेत्राों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

बांधों के रखरखाव के संबंध में आवश्यक है कि

- वर्षा पूर्व बांधों पर बने अतिजल निकास द्वारो की ग्रीसिंग की जानी चाहिए।
- जल निकास द्वारों को खोलने हेतु आवश्यक उपकरण जैसेः चेन, रस्सा, चाबी आदि की जाँच स्वयं अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।
- बांधों पर तैनात चौकीदारों को सावधान कर दिया जाना चाहिए एवं ड्यूटी शिफ्ट में बांट देनी चाहिए।
- पूर्व चेतावनी हेतु नियन्त्राण कक्ष की स्थापना की जानी चाहिए।
- बाँधों के क्षेत्रा में आने वाली जनता को भी सम्भावित आपदा हेतु तैयार किया जाना आवश्यक है।
- बाँधों की दीवारों के कमजोर भागों की मरम्मत करवायी जानी चाहिए।

6.9 रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ

तीव्र औद्योगिक विकास के परिपेक्ष्य में औद्योगिक एवं रासायनिक क्षेत्रा में दुर्घटनाओं की संभावनाएँ बढ़ रही हैं। कुछ बड़ी दुर्घटनाएँ जैसे : भोपाल गैस कांड और अग्नि एवं विस्फोटक क्षेत्राों की दुर्घटनाएँ अहम है।
सुरक्षात्मक दृष्टि से गुणवत्तापूर्ण मशीनों, प्रशिक्षित मजदूरों और गहन मापदण्डों के मानक संस्थापन की आवश्यकता है। संसार में सर्वाधिक औद्योगिक दुर्घटनाएं भारत में होती है। इन दुर्घटनाओं को टालने के लिए उद्योगों में आन्तरिक एवं बाहय दोनों प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए तथा साथ ही मॉक ड्रिल का होना भी आवश्यक है।

प्रभाव :–

औद्योगिक दुर्घनाओं के सम्भावित प्रभाव निम्नलिखित हैं।

- जान की क्षति
- घाव होना अथवा आग से जलना
- जहरीले द्रवों/गैसों से बीमार होना
- माल की क्षति

साथ ही इससे रोडवेज, विद्युत एवं जल आपूर्ति जैसी सेवाओं में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है। जब प्रभाव बड़े क्षेत्रा में होता है तो यह जिला प्रशासन का दायित्व हो जाता है कि वह अपने स्तर पर आपदा से निपटे।

ताप (लू) एवं शीतघात

तापघात (लू)

राजस्थान राज्य में तापघात एवं शीतघात दोनो प्रकार की आपदाओं की सम्भावनाएं यहाँ की जलवायु के कारण देखी जाती है साथ ही मोटी बालू भूमि की विशेषता है कि गर्मी के मौसम में बालू शीघ्र गर्म होकर कम दबाव के क्षेत्राों का निर्माण करने के फलस्वरूप गर्म व तीव्र हवायें प्रवाहित होती हैं जिसे स्थानीय भाषा में 'लू' कहा जाता है वहीं दूसरी ओर शीत ऋतु में बालू मिट्टी वाले क्षेत्राों में अधिक ठण्ड पाई जाती है।

मार्च से जून का समय ऐसा है जब तापमान में निरन्तर वृद्धि होती है और मई व जून वर्ष का सर्वाधिक गर्म हिस्सा होता है। मई में माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 47 से. और माध्य दैनिक

न्यूनतम तापमान 24.3^0 से. रहता है। जून में रात्रि का तापमान मई की अपेक्षा अधिक होता है। गर्मी के मौसम में धूल भरी गर्म हवाएं चलती हें जिससे बेचैनी बढ़ जाती है व गर्मी बहुत भीषण हो जाती है। किसी–किसी दिन अधिकतम तापमान 44^0 से या 46^0 से तक पहुंच जाता है।

तापघात के लक्षण

- अत्यधिक पसीना आना
- सिरदर्द होना
- उल्टी होना
- जी मिचलाना
- आलस्य और थकान
- शरीर के तापमान का बढ़ जाना

तापघात से बचाव के उपाय

- गर्म मौसम में घर से बाहर धूप में न जाये।
- अगर घर से बाहर जावें तो सिर पर पगड़ी या मोटा वस्त्रा लपेट लें।
- अधिक मात्राा में जल का सेवन करें।
- भोजन करके ही घर से बाहर निकलें, भूखे पेट न निकलें।
- अगर व्यक्ति तापघात से पीड़ित हो तो शरीर के चारो तरफ गिली पट्‌टी लपेट दें व पंखा करें।
- व्यक्ति को आराम करने दें।
- यदि व्यक्ति पानी की उल्टियाँ करे या उसकी चेतना में बदलाव आये तो उसे कुछ भी खाने व पीने को न दें।
- व्यक्ति को गर्म स्थान से हटाकर ठंडे स्थान पर ले जायें।
- अगर तंग कपड़े हों तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें।
- कम खाना खाये और अधिक बार खायें। अधिक और भारी खाना पचाने में कठिन होता है और शरीर में आतंरिक तापमान को बढ़ाता है। जिससे स्थिति अधिक गम्भीर हो जाती है।
- यदि तबीयत ज्यादा खराब हो जावे तो तुरन्त चिकित्सक के पास ले जावें।
- अधिक प्रोटीन वाले खने से परहेज रखें जैसे मांस व मेवे जो शारीरिक ताप बढ़ाते हैं।
- खुले में कार्य करने वाले मजदूरों के कार्य करने का समय सुबह और शाम होना चाहिए।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

- लोगों को तापघात के लिए जागृत बनाने कि इसका प्रभाव क्या होता है तथा क्या करे, क्या ना करे की जानकारी प्रदान करें, जो ऊपर बतायी गयी है।
- चिकित्सा संस्थाओं को तापघात से निपटने के लिए पूर्व में तैयार रहने की चेतावनी देना।
- संचार माध्यम के जरिये जनता को शिक्षित करना।
- दोपहर के समय होने वाले समारोहों, जहाँ अधिक लोग एकत्रित हो, को रोका जाना चाहिए।
- तापघात में क्या करें, क्या ना करें हेतु लोगों को विद्यालयों, शैक्षणिक कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जागृत करें।

शीतल तरंगे

आधे नवम्बर के बाद जनवरी तक दिन और रात दोनों के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। जनवरी में, जो कि सबसे ठण्डा महीना होता है माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 22.0^0 से. व माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 4^0 से. रहता है। शीतकाल के दौरान जब उत्तरी भारत से होकर गुजरने वाले मौसम सम्बन्धी विक्षोभों के फलस्वरूप शीत लहरें इस जिले को प्रभावित करती हैं तो उस समय न्यूनतम तापमान पानी के जमाव बिन्दु से दो या तीन डिग्री नीचे तक भी चला जाता है।

लोगों को क्या जानकारी दी जानी चाहिए ?

- ज्यादा तहों के कपड़े पहने और अपने सिर को ढक कर रखें।
- पतले कपड़ों की ज्यादा परतें, एक गर्म कपड़े की बजाए ज्यादा गर्म होता है।
- गर्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय, सिर को ढककर रखना है। बाहर जाने पर यदि आप काँपने लगे या थकान महसूस करें, या आपकी नाक, अंगुलियाँ, एडियाँ ठंडी हो जाए तो जल्दी से भीतर चले जाएँ।
- मौसम की स्थिति से सवाधान रहें। मौसम एकदम से बदल सकता है। तापमान तेजी से गिर सकता है? ठंडी हवा बढ़ सकती है या बर्फ गिर सकती है।
- पशुओं को ढके हुए स्थान में रखें। पानी का इंतजाम करें। सर्दी में ज्यादातर पशुओं की मौतें संक्रमण से होती है।
- अनावश्यक भ्रमण को रोकें। घर के भीतर सर्वाधिक सुरक्षित स्थान रहता है।
- समय पर भोजन करें। भोजन शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है।
- संक्रमण रोकने के लिए पेय लें। गर्म पेय जैसे कि चावल का पानी या सन्तरे का जूस लें। केफिन व मदिरा से परहेज करें।
- अत्यधिक ठंडी श्वांस से बचने के लिए मुँह को ढक कर रखें, गहरी सांस न लें और कम बोलें।
- सूखे रहें। गीले कपड़े तुरन्त बदल लें क्योंकि ये गर्मी को शरीर से जल्दी बाहर कर देते हें।
- गर्म कंबल या चद्दर इस्तेमाल करें।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

- जरूरतमंद व घरहीन व्यक्ति सर्वाधिक संवदेनशील होते हैं उनको जिला प्रशासन शरण स्थल देवें।
- गरीब, बेसहारा लोगों पर ध्यान दें जो बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन बाजारो आदि खुले स्थानों पर शरण लेते हैं उन्हें गर्म स्थानों में जगह दें या सामुदायिक केन्द्रों में रखें और जरूरत का सामान उपलब्ध करावें।
- कंबल और भोजन बांटे।
- गश्त पर मोबाइल टीमे लगाई जानी चाहिए, जो लोगों को जरूरत के समय मदद कर सके।

अध्याय–5

तैयारियों के उपाय

आपदा प्रबन्धन योजना के विभिन्न चरणों का विवरण

5.1 आपदा प्रबन्धन योजना के तीन चरणः–

विभिन्न प्रकार की आपदाओं की रोकथाम, नियन्त्रण एवं प्रबन्धन के लिए अलग–अलग प्रकार के उपायों की विभिन्न चरणों में आवश्यकता होती है। अतः इन तीनों चरणों में आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर किये जाने वाले कार्यों का उल्लेखित किया जाना आवश्यक है। अतः किसी भी प्रकार के आपदा प्रबन्धन के लिए तीन चरण निम्न प्रकार से हैः–

1. प्रथम चरण– आपदा आने से पूर्व की तैयारी की व्यवस्था करना।
2. द्वितीय चरण– आपदा के समय और प्रभाव की अवस्था में तत्कालिक राहत व्यवस्था करना।
3. तृतीय चरण– आपदा के बाद की पुर्नवास एवं आधारभूत संरचना के बहाली की व्यवस्था करना।

इनका विस्तार देने से पूर्व वो विभाग जो आपदा के दौरान मुख्यतः कार्य करेंगें–

1. जिला कलक्टर
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग
3. पेयजल विभाग
4. विद्युत विभाग
5. रसद विभाग
6. चिकित्सा एवं स्वास्थय विभाग
7. पुलिस विभाग
8. नागरिक सुरक्षा विभाग
9. इनके अतिरिक्त वो संगठन जो एम्बुलेंस रखते हैं, जो खाने–पीने की सेवा करते हैं, जो स्वास्थय सेवाओं में लगे हैं इत्यादि (इनकी सूची परिशिष्ठ में लगी हुई है)

5.2. प्रथम चरण– आपदा आने से पूर्व की तैयारी की व्यवस्था करना :–

आपदा घटित होने से पूर्व के प्रथम चरण में आपदा की रोकथाम, भावी आपदा के प्रभाव एवं खतरों में कमी के प्रयास तथा आपदा से पूर्व तैयारियां (च्तमअमदजपवदए डपजपहंजपवद ंदक च्तमचंतमकदमे) शामिल है। इस चरण में आपदा से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकडों का संग्रहण, आपदा के समय काम आने वाले उपलब्ध संसाधनों की सूची, विभिन्न आपदाओं से निपटने की कार्य योजनाओं का निर्माण, जनता एवं प्रशासनिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, आपदा के कारणों एवं आपदा से निपटने के उपायों के बारे में जन जागृति लाना तथा विभिन्न आपदाओं से संबंधित नोडल विभागों व संस्थाओं द्वारा कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक्षन प्लान के माध्यम से निपटने की पूर्व तैयारी जैसे महत्वपूर्ण बिन्दु आते है। जिला स्तर, विभागीय स्तर तथा राज्य स्तर पर आपदा से पूर्व तैयारी में निम्न बिन्दुओं का समावेष किया जावेगा :–

1. **भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क तैयार करना**– केन्द्र सरकार के निर्देषानुसार भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क (प्क्त्छ) के तहत प्रत्येक जिले में कन्ट्रोल रूम की स्थापना एवं **जिला कलक्टर के पास कम्प्यूटर में वेबसाईट पर विभिन्न प्रकार की आपदाओं में राहत एवं बचाव कार्य को तेजी से करने के लिए शासन एवं शासकीय संस्थाओं एवं निजी व्यक्तियों के पास उपलब्ध सामग्री एवं मानव संसाधन तथा विभिन्न प्रकार के मशीन एवं उपकरणों तथा यातायात के विभिन्न साधनों की उपलब्धता की विस्तृत जानकारी प्रत्येक जिले के लिए तैयार की जायेगी।** आपदा की स्थिति में उनका आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सके। उपलब्ध सामग्री की सूची में उनकी उपयोगिता संबंधी जानकारी तथा उनका पूरा पता टेलीफोन नं0 के भी उपलब्ध होगा, ताकि इसका आवश्यकता के समय तत्काल उपयोग किया जा सके या उन्हें तुरन्त बुलाया जा सके।

अ–विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए जिस सामग्री एवं व्यक्तियों की आवश्यकता है और जो जिलों में शासकीय, अशासकीय व निजी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है उनकी जानकारी तैयार की जावेगी, जिससे आपदाओं की स्थिति में जिन जिलों एवं राज्य के बाहर जहां भी वे संसाधन उपलब्ध होगें उन्हें तुरन्त वहां से बिना किसी विलम्ब से मंगाया जा सकेगा।

ब–सामग्री मानव संसाधन, मशीनों व यंत्रों और उपकरणों के संबंध में एकत्र की गई जानकारी का प्रत्येक छः माह में उनकी उपलब्धता, उनके धारक का पता व टेलीफोन एवं उनकी चालू स्थिति के बारे में पुनरावलोकन किया जायेगा व उन्हें आवश्यकतानुसार संशोधित व आदिनांक किया जायेगा। यह सारी जिम्मेदारी जिले के जिला कलक्टर की होगी, परन्तु राज्य सरकार के स्तर पर विभिन्न विभागध्यक्षों का कर्तव्य होगा कि वह अपने जिले संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश देकर उन्हें पांबद करें कि वे आवश्यक सूचनायें जिला कलक्टर को उपलब्ध करायें व उसमे नियमित रूप से प्रत्येक छः माह में संशोधन की कार्यवाही करावे।

2. **आपदा के समय संचार व्यवस्था का तंत्र छिन्न**– भिन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक वैकल्पिक संचार व्यवस्था स्थापित करने हेतु आवश्यक तैयारी करने की कार्यवाही की जावेगी। जिससे उसका उपयोग आपदा के समय प्रचलित संचार व्यवस्था में अवरोध होने पर किया जा सके। प्रयत्न किया जायेगा कि प्रौधोगिकी की सहायता से ऐसा संचार तंत्र विकसित किया जावें, जो प्रभावित न हो। संचार व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में उसे अतिशीघ्र पुनस्थापित करने की व्यवस्था की जावेगी। **अतः राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर कम्प्यूराईजड नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जायेगें।**

3. **नियोजित विकास करना**–विकास का आपदा के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान है।

दीर्घकालीन आपदा प्रबन्धन के लिए आवश्यक है कि योजनाबद्ध विकास के माध्यम से सभी विभागों को आपदाओं की रोकथाम एवं आपदाओं के भविष्य में प्रभाव व खतरों का कम करने के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं को सतत् विकास प्रक्रिया में शामिल किया जावे। जैसे– सभी जिला अस्पतालों का आपातकालीन ऑपरेशन थियरेटरों से सुसज्जित होना, 24 घंटे विधुत व्यवस्था होना, एम्बुलेंसों की व्यवस्था, भविष्य में बनने वाले स्कूल भवनों, सरकारी भवनों आदि को उँचे क्षेत्रों में निर्माण करना जो भविष्य में आपदा के समय आश्रय स्थलों के रूप में काम आ सके।

4. **कानून, नियम उपनियम तथा दिषा–निर्देष का निर्माण करना**– सफल आपदा प्रबन्धन के लिए आवश्यक है कि किसी भी प्रकार की आपदा स्थिति से निपटने के लिए स्पष्ट नीतियां, दिषा–निर्देशों एवं नियम हों एवं उनकी सरकारी विभागों, संस्थाओं, एवं निजी व्यक्तियों द्वारा सख्ती से पालना सुनिश्चित हो, इसके मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है–

क–भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में भवनों के निर्माण की संरचना व डिजाईन के लिए भूकम्परोधी तकनीकी के उपयोग से निर्माण के स्पष्ट नियम/उपनियम व भवनों के रैट्रोफिटिंग संबंधी विभिन्न दिशा–निर्देश।

ख–भूकम्प एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भूमि के प्रयोग एवं नियोजन के स्पष्ट नियम एवं प्रावधान।

ग–फसल चक्र के स्पष्ट प्रावधान, दिशा–निर्देश व पूर्ण निर्धारित जिम्मेदारी।

घ–महामारी फैलने की स्थिति में क्या कार्य योजना होगी, स्पष्ट दिशा निर्देश व विभागों की पूर्ण निर्धारित जिम्मेदारी।

ड–बाढ़, आंधी, तुफान की स्थिति में तात्कालिक राहत के स्पष्ट निर्देश।

च–आपदा प्रबन्धन से संबंधित कानूनों व नियमों का निर्माण।

छ–पूर्व निर्मित कानूनों, नियमों, उपनियमों, व पुराने फेमिन कोड व अन्य विभागीय मैन्युअल एवं विभिन्न दिशा निर्देशों में संषोधन।

ज–बडे शहरों में बहुमंजिले भवनों में आग में बचाव के समस्त उपायों को आई.एस. कोड व एन.बी. कोड के प्रावधान को भवन निर्माण कानून में जोडने बाबत नियमों में संशोधन।

5. **आपदा प्रबन्धन कार्य योजनाओं का निर्माण करना**– सभी आपदाओं से प्रभाव रूप से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में आपदा से प्रभावी रूप से निपटने के लिए राज्य स्तर की आपदा प्रबन्धन योजना बनायेगें व समय समय पर उन्हें आदिनांक करने के साथ उसका प्रत्येक वर्ष पूर्वाभ्यास करेगें।

6. **आपदा पूर्व चेतावनी का विकसित ढांचा तैयार करना**– आपदा से पूर्व चेतावनी यदि उचित स्तर पर हो सके तो आपदा के प्रभाव व खतरों को काफी सीमा तक कम किया जा सकता है। जिला प्रशासन एवं आपदा से संबंधित नोडल विभाग पूर्व चेतावनी की पूर्व सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे।

7. **आपदा प्रबन्धन की लोचपूर्ण प्रकिया अपनाना**– कानूनी पेचीदगियों की वजह से कई बार आपदा की स्थिति में राहत व बचाव में अनावश्यक देरी हो जाती है। अतः आपदा के समय, विभिन्न प्रकार के सामान के कय, पुर्नवास व विभिन्न प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता तुरन्त सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन को आपदा व परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की छूट होनी चाहिये। इस संबंध में सरकार की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देशों की आवश्यकता है।

8. **क्षमता निर्माण करना**– किसी भी आपदा के प्रभावी के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, निजी संस्थाओं व आपदा से प्रभावित जन समुदाय के क्षमता निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्षमता निर्माण के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है–

1. आपदा से संबंधित खतरों के बारे में जनता को पूर्ण जानकारी।
2. आपदा से निपटने के लिए उचित तात्कालिक उपायों का जनता को ज्ञान।
3. आपदा से निपटने के लिए विशेष ज्ञान के समवर्गो की स्थापना एवं प्रशिक्षण व रिसर्च की उपलब्धता।
4. आपातकालीन आपदा के रेस्पोन्स मेकनिज्म की स्थापना करना, जिससे आपदा के विशिष्टीकरण कैडर को तुरन्त पद स्थापित किया जा सके।
5. आपदाओं से संबंधित ज्ञान एवं उनसे निपटने के लिए उपायों का माध्यमिक स्तर एवं उच्च कक्षाओं की स्कूलों में पाठयक्रम में लागू करना।
6. विभिन्न आपदाओं की आवश्यकतानुसार भवन सरचनाओं एवं माडलों तथा भवनों के रेट्रोफिटिंग का ज्ञान सभी लोागो को प्रदान करना एवं सभी इन्जिनियरिंग कॉलेजों के पाठयक्रमों में उन्हें लागू करना।

7. आपदा के समय काम आने वाले विभिन्न उपकरणों की आमजन को जानकारी।
8. विभिन्न आपदाओं में विभिन्न प्रकार की प्राथमिक उपचार व्यवस्था के बारे में संभावित आपदाओं के क्षेत्रों के लोगों को ज्ञान उपलब्ध कराना एवं प्रत्येक गांव व मौहल्ले में प्राथमिक उपचार व्यवस्था की टीमें गठित करना।
9. ग्राम स्वयंसेवा गठित टीमों द्वारा आपदा के समय लोगों को किस प्रकार आश्रय स्थलों पर पहुंचाया जाये एवं पीडित व्यक्ति को कहॉ एवं किस अस्पताल में पहुंचाया जावें इन सबकी पूर्ण जानकारी।
10. आपदा के तुरन्त बाद प्रशासन के बजाए आपदा से पीड़ित पक्ष को उसके पडोसी या उसके गांव व कालोनी के लोगों द्वारा मदद सबसे पहले उपलब्ध करवाई जाती है। अतः संभावित आपदा के क्षेत्रों के गांव व कस्बों में सतर्कता समितियों व स्वयंसेवी संगठनों का निर्माण करना।

9. **प्रषिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना–**

विभिन्न आपदाओं के नोडल विभाग क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रषिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगें। राज्य स्तर पर कार्यक्रम की नोडल एजेन्सी एच.सी.एम. रीपा होगी।

1. ऐसे व्यक्ति जिसे आपदा प्रबन्धन में सक्रिय रूप से जुडे रहने की आवश्यकता है उनकी सूची बनाई जावेगी और उन्हें बचाव व राहत के कार्य तथा आपदा प्रबन्धन का प्रशिक्षण दिया जावेगा। इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम एक विशेषज्ञ समिति द्वारा बनाया जायेगा और इसका अनुमोदन प्रशासनिक विभाग से प्राप्त किया जावेगा।
2. इसके अतिरिक्त आपदा से संबंधित व्यक्तियों को उनके कार्यों से संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया जावेगा जिससे आपदा के समय व बिना किसी पर्यवेक्षण के अपने कार्य को कर सके।
3. उपयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से आपदा प्रबन्धन में लगे व्यक्तियों के तकनीकी, वैज्ञानिक व प्रबन्धकीय ज्ञान को प्रतिवर्ष अद्यतन किया जावेगा।
4. जिला स्तर पर भी आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित कोर ग्रुप गठित किये जावेगें।

10. स्वास्थ्य एवं मेडिकल केयर व्यवस्था–

किसी भी आपदा में पीडित पक्ष को तुरन्त राहत पहुंचाने में मेडिकल केयर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः चिकित्सा व्यवस्था की इतनी क्षमता एवं संसाधनों की उपलब्धता भली प्रकार से होनी चाहिए जो किसी भी प्रकार की आपदाओं का मुकाबला करने में सक्षम हो। ऑपरेषन थियेटरों का सुसज्जित व पर्याप्त मात्रा में होना, उनमें 24 घंटे विधुत व्यवस्था राज्य एवं जिला स्तर पर विकसित हो एवं पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंसों एवं मोबाईल टीमों की उपलब्धता होनी चाहिये।

5.3 द्वितीय चरण–

आपदा के समय और प्रभाव की अवस्था में तात्कालिक राहत व्यवस्था करना–

इस चरण में राज्य प्रषासन के आपदा के विरूद्ध शीघ्रता से निपटने की सक्षमता का विकास, आपदा से पूर्व विभिन्न प्रकार के आपदा समूहों एवं संस्थाओं को दिये गये विशिष्ट प्रकार की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण में प्रदत सक्षमताओं के विकास का बहुत बडा योगदान होता है। इसी के साथ उस प्रशिक्षित स्टाफ को आपदा स्थल पर तुरन्त नियुक्ति उचित सूचना का प्रवाह तथा त्वरित निर्णय की क्षमता का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है।

आपदा से निपटने की कार्यवाही इसकी पूर्व तैयारी सतर्कता एवं इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। आपदा से निपटने के लिए इस चरण के बिन्दु निम्न प्रकार है–

1. **संचार व्यवस्था एवं कन्ट्रोल रूम की स्थापना करना–**

1. आपदा के तुरंत बाद जिला स्तर पर केन्द्रीय आपदा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा जो टेलीफोन, फैक्स, वायरलेस, ईमेल सुविधा व अन्य आधुनिक संचार के साधनों से युक्त होगा। इस आपदा नियंत्रण कक्ष का प्रभारी अधिकारी जिला स्तर का एक वरिष्ठ अधिकारी होगा तथा यह नियंत्रण कक्ष जिला स्तर पर आपदा से संबंधित की जाने वाली समस्त कार्यवाही के लिए मुख्य केन्द्र बिन्दु रहेगा। यहां आपदा संबंधी सूचनायें प्राप्त की जावेगी तथा नियत्रंण व रोकथाम की कार्यवाही के लिए निर्देष जारी किये जायेगें। यहां से सूचना माध्यमों व आम जनता के लिए आवष्यक सूचनायें सामान्य रूप से जारी की जावेगी व जानकारी मांगी जाने पर उपलब्ध भी कराई जावेगी।

2. आपदा स्थिति में आपदा स्थल के पास भी नियंत्रण कक्ष आवश्यकतानुसार स्थापित किये जायेगें

जहां से बचाव कार्य एवं राहत कार्यों का समन्वय किया जावेगा। जिला स्तर पर राहत कार्यों से संबंध विभागीय कार्यालयों में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जायेगें जिससे वे विभागीय कार्यवाही को निर्देशित कर सके।

3. जैसे ही किसी आपदा की संभावना की जानकारी प्राप्त होती है वेसे ही आम जनता तथा प्रभावित होने वाली संभावित आबादी को सभी आधुनिक सूचना माध्यमों से बगैर किसी विलम्ब के सूचित किया जावेगा। आपदा की प्रकृति को देखते हुए प्रभावित व्यक्तियों एवं उनकी सम्पति की रक्षा के पूर्ण प्रयास किये जायेगें।
4. विशेष रूप से बनाये गये कार्यदलों के द्वारा बचाव कार्य बिना किसी विलम्ब के किये जायेगें। जहां तक संभव होगा आपदा प्रभावित क्षेत्र के समीक्षा राहत उपलब्ध करवाने का प्रयत्न किया जायेगा, जिससे सहायता में अनावश्यक विलम्ब न हो।

2. **सर्च एवं रेस्क्यू टीम का गठन करना–**

आपदा से प्रभावित क्षेत्र में सर्च एवं रेस्क्यू टीम जितना त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुंचेगी उतना ही जल्दी आपदा से प्रभावित लोगों को बचाया जा सकेगा। आपदा से प्रभावित एवं आपदा में फंसे हुए लोगों को त्वरित गति से बाहर निकाला जायें उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल भेजा जायें उन्हें सुरक्षित स्थानों पर बसाया जावें यह सब जिम्मेदारी जिला कलक्टर एवं जिले में स्थित सभी विभागों की होगी तथा हर संभव मदद सर्च एवं रेस्क्यू टीम को उपलब्ध कराई जावेगी। राज्य स्तर पर स्थापित सर्च एवं रेस्क्यू टीमों से जल्दी से जल्दी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भेजने की व्यवस्था की जायेगी।

3. **आवष्यक सेवाओं की बहाली करना–**

आपदा की स्थिति में बिजली पानी, संचार के साधन सडक, पूल, आदि की बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते है। अतः इन समस्त प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं के ढांचागत निर्माण की पुनः बहाली सरकार की प्रथम प्राथमिकता होगी जिससे आपदा से मुकाबला करने में तात्कालिक राहत में कोई व्यवधान उस समय नहीं हो तथा किसी भी प्रकार की अन्य खतरनाक परिस्थितियां बन गई हो तो उनका भी शीघ्र निवारण किया जावें। जिला प्रशासन, सभी विभागों एवं स्थानीय संस्थाओं एवं जनता के पूर्ण सहयोग के साथ समस्त ढांचागत विकास की बहाली की कार्यवाही की जायेगी।

4. **आपदा पीडितों को आश्रय स्थलों पर भोजन, स्वास्थ्य एवं सफाई की व्यवस्था कराना–**

आपदा के समय खाध आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था गडबडा जाती है। अधिकांश लोागों के मकान ध्वस्त हो जाते है। या बाढ़ भूकम्प व अग्निकांड की स्थिति में उन्हें सुरक्षित आश्रय स्थलों पर पहुंचाना होता है। इन कैम्पों में खाने पीने तथा स्वास्थ्य एवं सफाई की प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता हेाती है।

5. **आपदा के बाद राहत आंकलन करना–**

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जिला प्रषासन एवं संबंधित विभागों के माध्यम से आपदा से प्रभावित फसलों के नुकसान, ध्वस्त मकान एवं मनुष्य एवं पशुओं के हुए नुकसान का तुरन्त सर्वे किया जायेगा जिससे पीड़ित पक्ष को तुरन्त राहत पहुचांई जा सके।

अ– जन एवं सम्पदा की हानि के आंकलन के लिए जिला कलक्टर एक ऐसी सुनियोजित व्यवस्था रखेगें जो आवश्यकता पडने पर तुरंत कार्यवाही करें। आपदा के कारण जो व्यक्ति अपनी सम्पति छोड़कर अन्यत्र चले जाते है। उनकी सम्पति की रक्षा की व्यवस्था के प्रयास किये जायेगें।

ब– संभागीय आयुक्त एवं राज्य सहायता आयुक्त को राहत एवं बचाव कार्य की प्रगति, आंकलित जन एंव सम्पति की हानि तथा बचाव व राहत कार्यों में लगने वाली सामग्री व जनशक्ति की आवश्यकता की जानकारी निरन्तर दी जावेगी।

6. **राहत पीडितों के लिए राहत पैकेज उपलब्ध करना–**

आपदा से पीड़ित व्यक्तियों के हुए नुकसान के मुआवजे हेतु उन्हें नकद धनराशि या वस्तुओं के रूप में सरकार एवं दानदाताओं के द्वारा मदद प्रदान की जाती है। उसकी एक सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहियें। राहत सभी प्रभावित व्यक्तियों को प्राप्त होनी चाहियें। उसमें किसी भी प्रकार धर्म, जाति, समुदाय, लिंग आदि का भेदभाव नहीं होना चाहिये।

7. **आश्रय स्थलों एवं अस्पताल में पीडित व्यक्तियों को पहुंचाने की परिवहन की व्यवस्था करना–**

आपदा के समय पीडित व्यक्तियों को अस्पताल एवं आश्रय स्थलों तक परिवहन करने की तुरन्त आवश्यकता हेाती है। यह व्यवस्था परिवहन विभाग की देखरेख में निजी व्यक्तियों एवं आर.एस. आर.टी.सी. की बसों से उपलब्ध कराई जावें। कई बार सरकारी बसें एवं ट्रक बिना किराये के

उपलब्ध नहीं होते है अत ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार कलक्टर के पास परिवहन के साधन किराये पर लेने के लिए विशेष कोष की व्यवस्था करायेगी। यह कोष राज्य सरकार दानदाताओं एवं निजी आपरेटरों से एक निश्चित शुल्क लगाकर बनाया जा सकता है।

8. **क्रेन बुलडोजर एव आवष्यकतानुसार संसाधनों का अधिग्रहण करना–** कई बार भूकंप एवं मकानों के ढ़हने की स्थिति में काफी लोग दब जाते है उन्हें तुरंत निकालने के लिए क्रेन, बुलडोर एवं अन्य मशीनों की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जिला कलक्टर को इन मशीनों को जुटाने एवं अधिग्रहण के समस्त अधिकार होगें। उनके किराये एवं फंसे हुए आदमियों को निकालने का जो भी खर्चा होगा उसे राज्य सरकार वहन करेगी तथा ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की टेंडर प्रकिया या अन्य किसी भी प्रकार के नियमों की छूट जिला कलक्टर को होगी।

5.4 तृतीय चरण–

आपदा के बाद की पुनर्वास एवं आधारभूत संरचना के बहाली की व्यवस्था करना–

आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति स्थापित करने के समस्त प्रयास शीघ्र किये जायेगे। मूलभूत अधोसंरचनात्मक तथा सामुदायिक सुविधाओं को पुनस्थापित करने का सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। इस चरण के बिन्दु निम्न प्रकार है–

1. विस्तृत हानि का आंकलन–

आपदा के समय प्रारम्भिक हानि के फोरीतौर के आंकलन के बाद इस चरण में संभावित हानि का विस्तृत आंकलन किया जाता है। जिससे सामान्य स्थिति की बहाली के शीघ्र परिणाम सुनिश्चित हो तथा आपदा के दीर्घकालीन प्रभावों को कम किया जा सके। सरकार की मूलभूत नीति आपदा के सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणामों को समाप्त कर एक स्थाई सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं में सुधार की होगी।

2. **प्रभावित लोगों को पुनःस्थापना–**

यदि राज्य सरकार यह उचित समझती है कि प्रभावित लोगों को उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें मूल आबादी से स्थानान्तरित कर दूसरी जगह बसाने की आवश्यकता है तो उस स्थिति में उन्हें बसाने हेतु सरकारी उपलब्ध जमीन का आवंटन एवं यदि जमीन उपलब्ध नहीं हो तो भूमि अधिग्रहण करके उपलब्ध करा सकती है। इसके लिए एक व्यावहारिक पुनर्स्थापना पैकेज बनाया जा सकता है। सरकार विधुत, पेयजल की सुविधा तथा उस बस्ती में रोजगार के साधनों की उपलब्धता एवं बच्चों के लिए स्कूल आदि की व्यवस्था कर सकती है।

3. पुनर्स्थापना एवं पुनः सरंचना योजनाओं की स्वीकृति–

दीर्घकालीन विकास को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभागों द्वारा उचित योजनाओं की पहचान, स्वीकृति के लिए विस्तृत एस्टीमेंट बनाना उसकी तकनीक एवं वितीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिससे की इन दीर्घकालीन योजनाओं को अति शीघ्र सम्पन्न कराया जा सके।

4. धन का आवंटन एवं ऑडिट करना–

विभिन्न माध्यमों से वित व्यवस्था के बाद विभिन्न मदों के लिए धन के आवंटन एवं बजट का नियंत्रण एवं आडिट आवश्यकता इस चरण में होती है। जिससे कि धन का किसी प्रकार का दुरूपयोग नहीं हो सके।

5. परियोजना प्रबन्धन–

पुनर्वास एवं पुननिर्माण योजनाओं की सतत रिव्यू एवं मोनीटरिंग की आवश्यकता है इसके मुख्य निम्न कार्य है–

- भवनों का आपदा प्रुफ एवं रेट्रोफिटिंग
- रेट्रोफिटिंग की संरचनाओं एवं नमूनों का निर्माण
- आपदा से क्षतिग्रस्त सडकें, पूल, बांध कैनाल आदि के भी स्ट्रोफिटिंग की संरचना के प्रस्ताव।
- आधारभूत ढांचा निर्माण सुविधाएं जैसे सड़क, पावर स्टेषन एयरपोर्ट, बस स्टेशन, रेलवेलाईन, आदि योजनाओं का मोनीटरिंग।
- स्वास्थ्य केन्द्रो का निर्माण प्राथमिक उपचार केन्द्र, डाक्टरों व सर्जनों की आवश्यकता
- ध्वस्त औघोगिक इकाईयो की पुनस्थापना
- आजीविका का पुनर्स्थापना।
- आपदाओं से पीड़ितों को मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों को सलाह मशवरा।

6. **संचार नेटवर्क एवं जनजागृति–**

किसी भी आपदा के स्थाई समाधान में शक्तिशाली संचार के साधनों का ढांचागत विकास एवं उससे जनता को आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के बाद की समस्त जानकारी यदि सहजता से उपलब्ध हो तो आपदा प्रबन्धन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

5.5 संवेदनषीलता–

किसी भी स्थान की संवेदनशीलता वहां के लोगों के जीवन स्तर, वहां की स्थिति, रहने के स्थान व घटना घटने के समय पर निर्भर करती है। लोग स्थिति स्थान समय घटना भवन आधारभूत ढांचा, जीवन धारक वस्तुओं की पूर्ति का मार्ग, परिवहन, दूरसंचार, जनसुविधाएं, आवश्यक जन सेवायें जैसे स्वास्थ्य, जलापूर्ति, तथा कृषि भौतिक साधन है। जिनसे भौतिक संवेदनशीलता का आंकलन किया जाता है।

घरों को उनकी बनावट तथा भवन सामग्री के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते है–

अ– मिट्टी की दीवार ढालू, कच्ची मिट्टी की ईटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर।

ब– पकी हुई ईंटों या बडे पत्थर के घर।

स– सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकडी के ढांचे के साथ।

द– हल्के, लकडी, पतो आदि की झोपड़ियॉ।

अ– मिट्टी की दीवार ढालू, कच्ची मिट्टी की ईटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर– जिले का लगभग 15 प्रतिषत भाग संशोधित सरकारी मापक के अनुसार टप्प् (डड्डै) तक तीव्रता के भूकम्प आने के मध्यम नुकसान प्रभावित क्षेत्र में आता है।

ब– पकी हुई ईंटों या बडे पत्थर के घर– जिले में पकी हुई ईटों या बडें पत्थरों के बने घरों को अत्यधिक नुकसान वाले संभावित क्षेत्र में मध्यम नुकसान होने की संभावना है।

स– सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकडी के ढांचे के साथ– इस तरह के घरों को कम नुकसान होने की संभावना है अर्थात भूकम्प की दृष्टि से कुछ हद तक इन्हें ठीक कहा जा सकता है।

द– हल्के, लकडी, पत्तो आदि की झोपड़ियॉ– हल्के भवन निर्माण के घर जैसे झोपड़ियॉ, हल्के लकडी पतो आदि की सामग्री से बने हुए है जो भूकम्प की दृष्टि से तो काफी सुरक्षित है लेकिन तेज हवायें अगर 47 एम/सै. से चलती है तो इन घरों मे अत्यधिक नुकसान की संभावना है।

य– आर्थिक, सामाजिक, संवेदनषीलता–हानि, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, गौण प्रभाव, गरीबी, संसाधनों की कमी।

5.6 खतरा

भौतिक, सामाजिक एवं पारिस्थितिक आदि कमजोर संरचनाओं को खतरा अधिक होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि विपदा की प्रचण्डता कितनी है और असुरक्षा की स्थिति कितनी थी। खतरा, विपदा और संवेदनशीलता पर निर्भर करता है।

5.7 चेतावनी यंत्र की संभाल :– चेतावनी यत्रं की संभाल व उनकी जांच होती रहनी चाहिए **जिले में इसके लिए प्रतिवर्ष नागरिक सुरक्षा विभाग में लगे सायरन की जांच होती रहती है इसके अलावा गांवो में चेतावनी के लिए गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकरों की जांच के लिए समय समय पर राज्य सरकार के विशेष अभियानों की घोषणा करवाकर उनकी जांच कर ली जाती है।**

5.8 ई.ओ.सी. की जांचः– कन्ट्रोल रुम की जांच नियमित होती रहती है, निरन्तर दूरभाष संपर्क बनाए रखा जाता है। कन्ट्रोल रुम से विशेष व त्वरित सूचनाऐं भिजवाई जाती हैं।

5.9 विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय–

एक आपदा के लिए प्रारंभिक प्रतिक्रिया आमतौर पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समर्थित आपात सेवाओं द्वारा प्रदान की जाती है, लेकिन कई एजेंसियां शामिल हो सकती है। आपातकालीन सेवाओं में तत्परता बनाए रखने के लिये इतना है कि वे एक तेजी से प्रतिक्रिया प्रदान करते है। और जितनी जल्र्दी हो सके स्थानीय अधिकारियों और अन्य सेवाओं को सचेत कर सकते हैं। सभी संगठनों को एक आपदा के लिये जल्दी से जवाब की जरुरत की व्यवस्था जो अल्प सूचना पर सक्रिय किया जा सके, की व्यवस्था होनी चाहिए। इन व्यवस्थाओं को स्पष्ट रुप से स्थापित और प्रस्थापित किया जाना चाहिये।

हालांकि, पुलिस, फायर ब्रिगेड और अस्पताल सेवाओं की तरह अलग–2 आपातकालीन सेवाओं की भागीदारी अनिवार्य है। इस तरह के स्थानीय निकायों, रेलवे, एयर लाईनों आदि के रुप में कुछ अन्य जनोपयोगी सेवाओं को प्रभावी ढंग से स्थिति से निटने के लिये ज्यादातर मामलों में शामिल किया जाना हैं। बचाव और वसूली का काम प्रभावी होने के लिये है, तो इन सभी विभिन्न एजेंसियों को एक

समन्वित तरीके से एक साथ काम करना है। ये सभी एजेंसियां इसलिये और काम करने का सिस्टम जिम्मेदारी का एक दूसरे के क्षैत्रों के बारे में पता होना चाहिये। व्यापक चर्चा और योजना बना मंच है और प्रत्येक एजेंसी के निम्नतम पदाधिकारी को कमान की श्रंखला नीचे फैसले के संचार में इन एजेंसियों के बीच समझोते और उनके प्रशिक्षण का अत्यंत महत्व है, इसलिये इतना है कि वे जो कि अन्य के लिये जिम्मेदार हैं के रुप में जानते अपनी भूमिका और जिम्मेदारी के बारे में पता कर रहे हैं और एसी स्थिति में मल्टी सर्विस भागीदारी के लिये जरुरत की सराहना कर सकते हैं।

5.10 समयानुकूल तैयारीः–

जिले में मार्च– अप्रेल का माह रबी की फसल का कटाई का समय होता है, इस समय प्रायः फसलें सूखी हुई होती हैं तथा उनमें मशीनों द्वारा कटाई करते समय आग लगने की संभावना रहती है, इसकी पूर्व तैयारी हेतु नगर निकायों के अग्निशमन वाहन तैयार रखे जाते हैं तथा पेयजल विभाग के टैंकर भी तैयार रखे जाते हैं।

5.11 स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारीः–

आपदा या विपदा आने पर चिकित्सा एवं स्वास्थय सुविधाओं का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, **जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम उप स्वास्थय केन्द्र बन चुके हैं इसके अलावा सुविधाऐं निम्न प्रकार हैं–**

जिले में चिकित्सा संस्थानो की वर्तमान स्थिति

मेडिकल कॉलेज	1
जिला अस्पताल	1
उप जिला अस्पताल	4
जिला क्षय निवारण केन्द्र	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र / रा.चि.	8
प्राथमिक स्वा. केन्द्र / डिस्पेंसरी	33
शहरी प्रा. स्वा. केन्द्र	02
उप स्वा. केन्द्र	....

अध्याय– 6

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपाय

1. दृष्टिकोण– आपदाएं समय–समय पर अपनी विनाश लीला से जनजीवन, पशुओं के साथ–साथ समाज की आधारभूत संरचनाओं को बुरी तरह प्रभावित करती रही है। कभी प्राकृतिक ताक कभी मानवजनित आपदाओं से अपने देश का कुछ न कुछ हिस्सा प्रभावित होता रहा है। चाहे 1934 का बिहार भूकम्प हो या 2001 में गुजरात का भूकम्प, 1999 में उडीसा का सुपर साईक्लोन हो या 2004 में देश के कुछ हिस्सों में सुनामी कहर, 2008 में बिहार का कोसी प्रलय हो या 2009 का सूखा।

राजस्थान में सूखा या अकाल की स्थिति रहती आई है जिससे बडी संख्या में मानव तथा पशु प्रभावित हुए हैं तथा अकाल मौत का शिकार हुये है। बून्दी जिले में से चम्बल एवं अन्य 3–4 नदियां गुजरती है, जो बरसात के मौसम में अक्सर ओवरफ्लो हो जाती है, जिससे कई बार बाढ की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे जानमाल का नुकसान झेलना पडता है। इसके अलावा यहां सूखा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, शीतलहर, लू, आग आदि आपदाऐं अपना प्रभाव दिखाती रहती है।

भारत सरकार ने वर्ष 2005 में स्थिति की गंभीरता को समझते हुए देश की संसद में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया और तदनुसार आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटने के लिये राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर क्रमशः राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया। उपरोक्त दोनों प्राधिकरणों के दिशा निर्देशों के तहत संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों की निगरानी में आपदा प्रबंधन हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किये गए हैं जो सराहनीय कदम है। इसी के साथ ही सामुदायिक स्तर पर आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा प्रबंधन में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा स्वयं सेवी संगठनों की अहम भूमिका रही है।

13 वें वित्त आयोग का मानना है कि किसी भी प्रकार के आपदा के विषम परिस्थितियों के कारण एवं प्रभाव से होने वाले जान माल के नुकसान को प्रभावी रूप से कम करने के लिये प्रशिक्षित लोगों का बहुत बडा. योगदान होता है।

जब भी कोई आपदा घटती है, सबसे पहला मदद करने वाला स्थानीय व्यक्ति ही होता है, परन्तु वे किसी भी आकस्मिक घटना में कार्य करने के लिये प्रशिक्षित नहीं होता। किसी भी आपदा में प्राथमिक कार्य जान एवं माल की सुरक्षा होता है। स्थानीय समुदाय स्थानीय खतरों एवं संसाधनों को बेहतर तरीके से जानता है, परंतु उनके बेहतर उपयोग करना नहीं जानता। अतः यह आवश्यक है कि इनकी आपदा प्रबंधन में कार्य करने हेतु क्षमतावर्धन की जाए।

2. क्षमता निर्माण हेतु योजना–

क्षमता निर्माण के दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल होंगेः

– प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना जिससे कि क्षैत्रीय असमानताओं तथा बहु–आपदा प्रवणता को ध्यान में रखते हुए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिये समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों को विकसित किया जा सके।

– राज्यों तथा राज्य तथा स्थानीय स्तर के प्राधिकारियों से संबद्ध कार्यान्वयन के प्रभारी अन्य पणधारियों से परामर्श करने की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों के संबंध में अवधारणा विकसित करना।

– अपनी कुशलता सिद्व कर चुके ज्ञान–आधारित संस्थानों को अभिज्ञात करना।

– अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षैत्रीय सहयोग को बढावा देना।

– पारंपरिक तथा विश्व स्तर की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों तथा प्रौद्योगिकी को अपनाना।

– राज्य/जिला/स्थानीय स्तर पर विभिन्न आपदा कार्रवाई दलों की क्षमता का विश्लैषण करना।

संस्थागत क्षमता निर्माण– जिला स्तर पर जो प्रसिद्ध संस्थान हैं, जो आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण दे रहे हैं, इन्हें वित्तीय सहायता देकर सुदृढ किया जाएगा। इसके अलावा सभी प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, पुलिस अकादमियों, ग्रामीण विकास के जिला स्तरीय संस्थानों , अर्धसैनिक बल आदि आपदा से संबंधित कौशल का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। क्षैत्रीय तथा स्थानीय आवश्यकताओं के मद्देनजर मौजूदा संस्थानों की क्षमता को उन्नत करने की आवश्यकता है।

सामुदायिक क्षमता निर्माण– समुदायों की क्षमता निर्मित करना, क्षमता विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि समुदाय ही आपदा को सर्वप्रथम झेलते हैं। इसमें जागरुकता, सुविज्ञ करना, अभिविन्यास, समुदायों तथा समुदाय के नेताओं के कौशल को विकसित करना शामिल है। नागरिक सुरक्षा तथा गैर–सरकारी संगठनों/रेड क्रास एवं स्वयं सहायता दलों जैसे स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त होने वाली सहायता को प्रोत्साहन दिया जाएगा। नेतृत्व तथा अभिप्रेरण की समग्र जिम्मेवारी राज्य तथा जिला प्राधिकारियों के समग्र मार्गदर्शन के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारियों, पंचायती राज संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों की होगी।

Training of trainers

नागरिक सुरक्षा/स्वंय सेवक (समसत विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।)

3. आपदा प्रबंधन की शिक्षा

- स्कूलों– जिले के समस्त विद्यालयों में प्रार्थना सभा में आपदा के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी जाएगी व बचाव के उपाय बताए जाएंगे। बच्चे आगे जन–जन तक यह जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेंगे।
- मॉडल विद्यालयों में आपदा केन्द्र का गठन किया जाएगा, तथा प्रत्येक नोडल विद्यालय में एक अध्यापक को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और यह प्रशिक्षित अध्यापक आपदा दल के सदस्यों को आपदा प्रबंधन की जानकारी प्रदान करेगा।
- कॉलेजों (मेडिकल तथा इंजीनियरिंग) में भी आपदा प्रबंधन की शिक्षा दी जानी चाहिए।

4. कौशल उन्नयन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जांच करना– समय–समय पर इन कौशन उन्नयन प्रशिक्षणों की आवश्यक जांच की जाएगी।

5. प्रशिक्षित पेशेवरों की सूची, इंजीनियर्स, वास्तुविद, डेंवदे, चिकित्सा, बचाव विशेषज्ञ

(समस्त विवरण परिशिष्ट में है)

अध्याय– 7

प्रतिक्रिया और राहत उपाय

बून्दी जिले में जैसे चम्बल नदी एवं 3–4 अन्य नदीयां, बाईं मुख्य नहर चम्बल नदी कोटा बैराज, एवं कजली तीज का मेला होने के कारण बाढ के साथ–साथ भगदड., अग्निकाण्ड, भूकम्प इत्यादी घटनाऐं संभावित है, इस आपदा से निपटने हेतु कानून व्यवस्था/सुरक्षा/रेस्क्यू सर्विस इत्यादि हेतु मानवशक्ति उपलब्ध है।
ऑनरोल नफरी में अन्य विभिन्न कार्यों में दक्ष स्वयंसेवकों जैसे वाहन चालक, प्लम्बर, इलैक्ट्रिशियन, सूची परिशिष्ट में संलग्न है।

आवश्यकता होने पर उक्त मैन पावर निम्नानुसार समय में उपलब्ध करवाई जा सकती है।

1. छः घण्टे के नोटिस पर– 20 प्रतिशत
2. 12 घंण्टे के नोटिस पर– 50 प्रतिशत
3. 18 घण्टे के नोटिस पर– 70 प्रतिशत
4. 24 घण्टे के नोटिस पर– 100 प्रतिशत

बहु– आपदा प्रतिक्रिया योजना, तैयारी तथा मूल्यांकन

1. नुकसान तथा आवश्यकता/जरूरत का त्वरित मूल्यांकन किया जाता है।
2. प्रतिक्रिया प्रवाह चार्ट तैयार किया जाता है।

चेतावनी –

1. पूर्व चेतावनी प्रणाली, गावो तथा जिले की बीच संचार प्रणाली– समुचित संचार का व्यवस्था की जाएगी।
2. चेतावनी का प्रसार– सरल भाषा में प्रसार, विभिन्न मीडिया स्त्रोतो से चेतावनी जारी करवाई जाएगी।

EOC की सक्रियता . शासन सचिव आपदा एवं सहायता विभाग के पत्रांक एफ8(1)आ.प्र.एवं सहा. /बाढ./2025/राजकाज रेफ. नं. 15321268 दिनांक 15.05.25 की अनुपालना में कलैक्ट्रेट में कार्यरत कन्ट्रोल रुम को लगातार हेल्प लाईन के लियन में ईमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (ई0ओ0सी0) मानसून/बाढ. नियन्त्रण कक्ष के रुप में स्थापित किया जाता है। अतिवृष्टि एवं बाढ. तथा अन्य प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिये जिला मुख्यालय पर ई0ओ0सी0 निरन्तर 24 घण्टे "राउण्ड दी क्लॉक " कार्यरत रहेगा।

संसाधनों का जुटाव– आपदा के दौरान जिले के समस्त विभागों से समन्वय कर संसाधनों का जुटाव किया जाता है।
सहायता हेतु बाहरी मदद मांगना– आवश्यकता पडने पर पडौसी जिलों, राज्य स्तर, अन्य पडोसी राज्यों से मदद मांगी जाएगी।
मीडिया प्रबंधन/समन्वय/सूचनाओं का प्रसार– सूचना प्रसार हेतु मीडिया से समन्वय कर उचित प्रबंधन किया जाएगा तथा समय रहते सूचनाओं का प्रसार किया जाएगा।
रिपोर्टिंग–

1. सूचना प्रबंधन, परिस्थितियों की रिपोर्ट, प्रकाशानार्थ विज्ञप्ति
2. प्रलेखन, सफलता की कहानियां, भविष्य के लिए सबक

सहायता के लिए उतरादायी मुख्य हित्ताधारी– परिशिष्ठ पर सलंग्न।

अध्याय– 8

पुर्ननिर्माण, पुनर्वास, और रिकवरी उपाय

परिचयः– आपदाएं एक समाज के सामान्य जीवन में अचानक व्यवधान का कारण है और इस

हद तक कि सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सभी प्रकार के समाज के लिए उपलब्ध तंत्र परेशानी के कारण जीवन और संपत्ति का नुकसान। एसे में लोग तथा अधिकारी दोनों अनजान पकडे जाते हैं और परिस्थितियों में पहल और दिशा की अपनी भावना खो देते हैं। नतीजतन, राहत कार्य प्रभावित होता है और अनावश्यक रुप से देरी।

ऐसे मामलों में, एक आपदा तैयारी योजना का अस्तित्व अत्यंत उपयोगी हो सकता है। व्याकुल अधिकारी तो अपने हाथ में दिए गए निर्देशों का पालन करें जो वे कर सकते है और यह भी उनके मातहत और प्रभावित लोगों को निर्देश जारी करने का एक पूरा सेट है। यह न केवल बचाव और राहत कार्य को तेज करने, बल्कि पीडितों का मनोबल बढाने का असर है।

<u>अल्पकालीन योजना और दीर्घकालीन योजना</u>

8.1 लघु अवधि योजना—अल्पकालीन योजनाएं कार्रवाई आधारित होती है और कम से कम समय में सामान्य स्थिति बहाल करने के उद्देश्य से की जाती है।

किसी भी योजना का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक क्षेत्र और एजेंसियां हैं। इनके कार्यान्वयन और समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा जहां यह लागू होगा, परिभाषित करने के लिए किया जाएगा। एक बार जब सीमाओं को परिभाषित कर रहे हैं, निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता होगी—

1. राहत के रूप में जुटाऐ जाने वाले संसाधनों के लिए आवश्यक सामग्री की राशि तीवव्रा के आकडों पर आधारित है और पिछले आपदा रिकार्ड में क्षेत्र में विभिन्न आपदाओं का प्रसार किया जा सकता हैं।
2. कुछ क्षैत्र आपदा से ग्रस्त है और हर बार राहत प्रदान की जाती है, इन राहत और बचाव अभ्यास के भविष्य की योजना बनाने के लिए सामग्री के रूप में सेवा करने के लिए तैयार हो जाते है।
3. लघु अवधि की योजना आपदाओं की घोषणा विशेष प्रकार के क्षेत्र की असुरक्षा के आधार पर किया जाना चाहिए। आपदाओं पर भविष्यवाणियां उपयोगी अभ्यास पर कार्यवाही की योजना है जो सबसे आवश्यक होगा ,में व्याख्या की जानी चाहिए।
4. लघु अवधि की योजना सुझाव और जिला/राज्य ,गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों से संबधित सभी विभागों की क्षमताओं को शामिल करना चाहिए। इसलिए योजनाओं पर उनकी जानकारी शामिल करने के लिए उचित स्तर पर समितियों की स्थापना के द्वारा तैयार किया जा सकता है।

<u>आपदा के बादः—</u>

8.1.2 बचाव संचालन

आपदा के तुरंत बाद, जिला मजिस्ट्रेट, नियंत्रण और सभी गतिविधियों के समन्वय के लए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा। बचाव ,निकासी और राहत में सहायता के लिए स्थानीय सेना /नौसेना/वायू सेना इकाइयों के साथ सम्पर्क करना चाहिए।सरकार के संगठन और निजी क्षेत्र से अधिकार मांग करने के लिए संसाधनों, सभी विभागों से सामग्री और उपकरण लेगा। वह उधोग को निर्देशित करने के लिए उनके ऑनसाइट और ऑफसाइट आपदा प्रबधन योजना को सक्रिय करने की युक्ति होगी। साइट संचालन केन्द्र की व्यवस्था के साथ प्रभावित क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। पशु शिविरों की स्थापना के लिए अधिकृत होगा। वह राज्य के राहत आयुक्त एवं संभागीय आयुक्त को प्रारंभिक सूचना रिपोर्ट और कार्यवाही रिपोर्ट भेजेगें। परंपरागत रूप से, चिंन्हित एसडीएम कार्यालय और स्थानीय पुलिस स्टेशन, दोनों जिला स्तर के नीचे मुख्य सरकारी एजेसियों, जो बडी दुर्घटनाओं/आपदा खतरों की स्थिति में आपातकालीन संचालन के लिए ट्रिगर तंत्र आरम्भ कर रहे है। कम गम्भीर आपदा खतरा/दुर्घटना की स्थिति में एसडीएम कार्यालय और स्थानीय पुलिस स्टेशन ट्रिगर तंत्र को शुरू करने और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों की मदद से एक आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए जारी रहेगा। डीडीएमसी जानकारी प्राप्त होने पर , दो एजेंसियों में से किसी से स्थानीय संसाधनों को बढानें और चिन्हित प्रतिक्रिया एजेंसियों को उचित निर्देश देने के लिए उचित निर्णय लिया जायेगा ।

8.1.3 राहत अभियान की सूचना

बाद बचाव चरण खत्म हो गया है, जिला प्रशासन नकद या आपदा के पीडितों को वस्तु के रूप में तत्काल राहत सहायता प्रदान करेगा। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, आए भुकम्प ,आग, बाढ, दंगे,

आतकंवादी हमले आदि की तरह या तो प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के पीडितों को राहत प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

8.1.4 पुनर्वास क्रियाओं की सूचना

अल्वावधि प्रतिकिया में पुनर्वास अंतिम कदम है। हादसा कमान प्रणाली के रूप में पुनर्वास चरण खत्म हो गया है। उसे निष्क्रिय कर दिया जायेगा। इसके बाद सामान्य प्रशासन आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुननिर्माण के शेष कार्यो को ले जायेगा।

8.2 दीर्घकालिक योजनाः— स्थिति हमेशा लंबी अवधि की योजना का वारंट नही है। लेकिन इस तरह की योजनाएं आपदा शमन की एक संस्कृति का निमार्ण करने के लिए और क्षेत्र के जोखिम को कम करने के उद्वेश्य से सक्षम होनी चाहिए।

1. एक दीर्घकालीन योजना की तैयारी के लिए सबसे बडी आवश्यकता है एक क्षेत्र में अपनी जरूरत की स्थापना। क्षेत्र के जोखिम और इसके कियान्वयन की लागत और समग्र विकास के लिए अन्य जरूरतों के बीच संसाधन ट्रेडऑफ के आधार पर स्थापित किया जा सकता है। इस संदर्भ में लंबी अवधि के आपदा शमन योजना या समग्र विकास योजना के भाग के रूप में पुनर्वास योजना महत्वपूर्ण हो जाती है।

2.पुनर्वास योजना के मामले में नुकसान है कि समुदाय में जगह ले ली है , के स्तर का फेसला लंबी अवधि का हस्तक्षेप आवश्यक नही है । पुनर्वास की रणनीति नुकसान का आकलन रिपोर्ट पर काफी निर्भर करेगा।

3.एक समुदाय , जो विस्तार में अपनी जरूरतों और अपेक्षाओं का अध्ययन करता है और अपनी पंरपराओं और रीति रिवाजों को बनाए रखने के लिए करना चाहते है बाहर करना चवाहता है के विस्तृत सर्वेक्षण , बाहर ले जरने के लिए है। यह एक हस्तक्षेप की रणनीति है कि समुदाय के लिए स्वीकार्य निर्णय लेने में एक निवेश के रूप में काम करेगा।

4.दीर्घकालिक योजना समग्र विकास और बुनियादी जरूरतों को संतोषजनक आश्रय,आर्थिक और समुदाय के सामाजिक जीवन प्राप्त करने का एक उद्वेश्य होना चाहिए। आपदा जोखिम को कम करना अपने आप में उद्वेश्य नही है और एक उद्वेश्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन होना चाहिए।

5.लंबी अवधि की योजना संसाधन गहन है।उसमें निर्णय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किया जाना चाहिए। कई मामलों में जहां स्थानान्तरण के माध्यम से पुवर्चास के लिए जरूरत है, ण्क ही भुमि की अनुपलब्धता के कारण लागू नही हकया जा सकता है।

6.लंबी अवधि की योजना केवल गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सफलतापुर्वक लागू किया जा सकता है। इन निकायों की भागीदारी आवश्यक है।

8.3 बीमाः— आपदा के दौरान राजकीय एवं निजी बीमित सम्पत्तियों की क्षतिपूर्ति की त्वरिता कार्यवाही हेतु बीमा कम्पनियों से त्वरित कार्यवाही की पहल की जावें एवं आवास व्यवस्था हेतु हुड़को एवं गृह निर्माण में लगी अन्य एजेन्सियों से प्रशासनिक सम्पर्क कर कार्यवाही की व्यवस्था की जावे।

अध्याय— 9

क्कडच के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधन

1. राज्य —
   - राज्य बजट / प्लान फण्ड
   - राज्य शमन निधि
   - राज्य प्रतिक्रिया निधि
1. जिला
   - जिला प्लानिंग फण्ड
   - जिला शमन निधि
   - जिला प्रतिक्रिया निधि
2. आपदा जोखिक बीमा
3. बुनियादी ढांचा / आजीविका की बहाली के लिए अन्य वित्तपोषण विकल्प

अध्याय– 10

क्क्डच के विकास, अपडेशन, मूल्यांकन, निगरानी के लिए प्रकिया और कार्यप्रणाली

10.1 तैयारी और DDMP का अपडेशन–

संगठनात्मक DDMP में दिया सुझाव निम्नलिखित अवधारणाओं के आधर पर किया जायेगाः– योजनाओं के मामले में ही काम करेंगे। जब वर्तमान संगठनाततत्मक ढांचा अपने गैर आपातकालीन कर्तव्यों को करने के लिए जिम्मेदार है तो यह काम अच्छी तरह से किया जाता है । यह सबसे अच्छा है कि आपातकाल के दौरान संगठन द्वारा कार्य किया जाता है। संकट में सरकार से सबसे कम समय पर तत्काल मुलाकात की जानी चाहिऐ। स्थानीय योजनाओं में यदि आवश्यक हो तो पूरक, अगले उच्च अधिकार क्षेत्र से प्रतिक्रिया के लिए कह सकते है। स्वैच्छिक प्रतिक्रिया और निजी क्षेत्र की भागीदारी की मांग की और जोर दिया जाना चाहिए। आपातकालीन प्रबंधन साझेदारी प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के सभी चरणों के लिए महत्वपूर्ण है। जिले की जिला आपदा प्रबधन योजना एक सार्वजनिक दस्तावेज होगा। क्क्डच योग और जिले के सभी क्षैतिज और उर्ध्वाधर आपदा प्रबधन की योजना का पदार्थ है। क्षेतिज योजनाओं में पुलिस, अग्निशमन सेवा, एमएमसी के रूप में लाइन विभागों द्वारा तैयार योजना शामिल है, और एफसी विभाग, सिविल डिफेंस और अन्य विभागों और कार्यक्षेत्र की योजना, उप मंडल की योजना, सामुदायिक योजना, स्कूल योजना, अस्पताल, निचले स्तर पर आदि योजनाओं में शामिल और राज्य आपदा प्रबधन योजना और उच्च स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबधन योजना है। जिला आपदा प्रबधन योजना की तैयारी जिले के जिला आपदा प्रबधन समिति की जिम्मेदारी है। पहला मसौदा योजना पर **DDMC** में चर्चा की जायेगी और बाद में **DDMC** अध्यक्ष इसमें सुधार हेतु सुझाव देगें ।

योजना के दस्तावेज को अद्यतन करने में एक ही प्रक्रिया का पीछा किया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन योजना, जिला आपदा प्रबंधन समिति द्वारा प्रतिवर्ष अपडेट किया जा रहा है। दस्तावेज को अद्यतन करने के लिये, सभी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर योजनाएं एकत्र की है और जिला आपदा पंबंधन योजना (**DDMP**) को शामिल किया जाएगा।

10.2 जिला आपदा पंबंधन योजना (**DDMP**) का रेगुलर अपडेशन–

क्क्डच को अद्‌यतन करने की उपरोक्त प्रक्रिया के अलावा, एक नियमित रुप से डेटा संग्रह प्रणाली जिले के आपातकालीन परिचालन केन्द्र (इओसी) में स्थापित किया जाएगा और सत्यापित डेटा अध्यक्ष, **DDMC** की देखरेख में प्रभारी ईओसी द्वारा अपलोड किया जाएगा।

10.3 पोस्ट आपदा मूल्यांकन तंत्र–

आपदाएं हमेशा अप्रत्याशित होती है। प्रत्येक आपदा मानव जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान का कारण बनती है, और हर आपदा के लिये एक विशेष अंतराल के बाद दोहराता है। इसके अलावा एक विशेष आपदा से सबक सीखकर किसी संभावित खतरे के लिये योजना बनाने में मदद मिलेगी।

DDMC अध्यक्ष आकार और सुरक्षा की एक विशेष आपदा पर ध्यान दिये बिना डेटा इकट्‌ठा करने के लिए विशेष व्यवस्था करेगा। इस पोस्ट में आपदा मूल्यांकन तंत्र को अच्छी तरह से **crosschecked** और आगे के संदर्भ के लिए ईओसी में प्रलेखित किया जाएगा। योग्य व्यवसायों, विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं और एकत्र आंकडों के साथ स्थापित किया जाएगा। इस दस्तावेज को उचित ध्यान में रखते हुये राहत और पुनर्वास उपायों के साथ किया जाएगा।

10.4 जिला आपदा प्रबन्ध योजना को अद्यतन करने की अवधिः–

इस कार्ययोजना को प्रति वर्ष अद्यतन किया जाता है तथा उतरदायी विभागीय नोडल अधिकारियों के नाम तथा उनके दूरभाष नम्बर प्रति छः माह बाद अद्यतन कर दिये जाते हैं।

10.6 जिला आपदा प्रबन्धन योजना को डीडीएम तथा एसडीएम की वेबसाईट पर अपलोड करनाः–

कार्य योजना को तैयार कर हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी राज्य स्तर पर भिजवा दी जाती है, इसको वेबसाईट पर अपलोड राज्य स्तर से किया जाता है।

10.7 अनुमोदित मॉकड्रिल कार्य योजना :–

मॉकड्रिल का आयोजन जिला प्रशासन तथा नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा विभागीय

निर्देशानुसार समय–समय पर आयोजित किये हैं यथाः– बम विस्फोट, आग लगना, भगदड़ मचना आदि।

10.5 निष्कर्ष–

जिला स्तर के विभिन्न विभागों को विभिन्न गतिविधियां सौंपी गई है। इन विभागों की विभागीय नियमावलीनीचे अलग–अलग अधिकारियों की जिम्मेदारियां रखना, आपदाओं को रोकने के लिये और एक आपदा की स्थिति में उचित प्रतिक्रिया गतिविधियों की शुरूआत के लिए जिम्मेदारियों को भी शामिल किया है। हालांकि , इस योजना की जिममेदारियों को संबधित विभागीय मैनुअल में निर्धरित करने के लिए सीमित नही है। यह एक त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया क लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करने के लिए प्रयास करता है । विभिन्न संसाधन संग्रठनों के अधिकारियों को आपदा की स्थिति या एक आपदा के खतरे में अपने दम पर कार्यवाही शुरू करने की उम्मीद कर रहे है।लेकिन वे निश्चित रूप से जिला मजिस्ट्रेट और ईओसी कार्यवाही के बारे में सूचित उनके दवारा लिया गया था और उच्च अधिकारी से निर्देशो के अनुसार तुरंत कार्य करने के लिए उम्मीद कर रहे है।एक आपदा की स्थिति में, एक त्वरित राहत एवं बचाव मिशन के लिए आवश्यक है । हालांकि आगामी नुकसान काफी हद तक कम किया जा सकता है,तो पर्याप्त तैयारियों के स्तर को प्राप्त कर रहे है। वास्तव में, यह अतीत में देखा गया है , कि जब कभी ध्यान पर्याप्त तैयारियों के उपाय करने के लिए भुगतान किया गया है, जीवन और संपति को नुकसान काफी कम हो गया है।

अध्याय– 11
क्क्डच के कार्यान्वयन के लिए समन्वय तंत्र

11.1 आपातकालीन सहायता कार्यो **(ESFs)**

आपातकालीन सहायता कार्यो **(ESFs)** विभिन्न पहचान की प्रतिक्रिया टीम है, जो किसी भी आपात स्थिति से पहले अपनी ताकत का आकलन कऱेगें और उसके अनुसार उनके मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार कऱेगे किसी भी आपदा को कम करने के लिए कर रहे है। उनकी अच्छी तरह से तैयारियों में किसी भी आपदा/आपातकालीन स्थिति के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। इन आपातकालीन सहायता कार्यो (**(ESFs)**कुछ जरूरत के अनुसार पहचान की जायेगी एसे **(ESFs)** चेतावनी (संचार) **(ESFs)** –सडक, मलबे निकासी **(ESFs)** –राहत आदि इसलिए आपातकालीन सहायता कार्यो **(ESFs)**में महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया प्रदान करने के रूप में किसी भी आपदा के दौरान महसूस किया कार्य होता है।

(ESFs) का एक प्रभावी संचालन प्रणाली के लिए निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

–वयक्तिगत **(ESFs)** उनका मानक परिचालन प्रकिया एसओपी और योजना तैयार करना होगा।
–इन योजनाओं को जिला रिस्पांस योजना के फार्म करने के लिए एकीकृत किया जाएगा
–समय समय पर प्रत्येक **(ESFs)** सिमुलेशन व्यायाम (मॉक डिल)का अभ्यास उनकी संबनदें समझने के लिए होगा।
–वे नियमित रूप से उनकी प्रतिक्रिया प्रणाली को अदयतन करने के लिए है।

एक पुल राज्य, जिला स्तर और आनसाइट स्तर की इमरजेंसी आपरेशन केन्द्रों के बीच एक सूचना के आधार पर समर्थन करने के रूप में कार्य करने के लिए, वहां एक जिला इमरजेंसी आपरेशन सेंटर होने के लिए है और जमीनी स्तर से जानकारी इकटठा करने के लिए परिचालन हो रहा है, जिला स्तर के साथ ही राज्य स्तर के रूप में।

आपातकालीन सहायता कार्यो ,अपने दल के नेताओं और सर्मथन एजेंसी की सूची निम्न तालिका में जानकारी दी जाती हैः–

ESF	Function	Team leader	Participation agencies

ESF1	coordination	Distrist magistrate	DIG/SSP,ADM city, nagar parished special officer,special officer district fire officer, chief medical officer,Dist supply officer,city magistrate RTO, Executive Engineer, PWD , District information officer, Civil defence, Home guards and all other relevent departments
ESF2	communication	SSP	ham radio operator clubs,Existing wireless operators(police,fire,revenue) Telecom dept, mobile operators, FM radio Doordarshan radio
ESF3	Debris clearance	Municiple commissioner	nagarparished,Forest officer, PWD NCC, Zila sanik Board Nearst army cant
ESF4	information dissemination	VC-MDA	NGO,Emergency operation centre, Media,NSS,scout & guide,education department
ESF5	Emergency Medical response	CMO/CMS Health	civil hospital,nagar parished,blood bank,red cros society, Nursing home, lion clubs, ambulance service, medicine stokist
ESF6	Evacuation(search & rescue)	Chief fire officer	Fire service,police officer cum dog handler,civil defence,home gaurd,health,NCC,NSS,Zila sanik Board Nearst army cant
ESF7	Relief	ADM	District Supply officer, Food corporation of india, Local civil supply
ESF8	Electricity water Transport	ADM	DM office,Police(traffic), Transport Dept,Public Health Engineering, Water Resource,PWD(Roads)
ESF9	Law and order	ADM	SDM, ADDi.S.P., Home Guards, Other paramilitary agencies

11.2 जिला स्तर पर (ESFs) संगठन सैटअप–

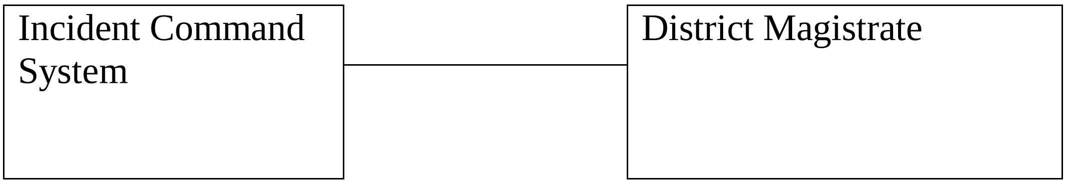

Disaster Management Team

Heads of Primary Agencies of all ESFs
- Fire Services
- Telephone
- Department of Revenue
- police Service
- District Health Department
- Jal Board
- Department of food and civil supply
- Municipal Corporation
- Power/ Electricity Department
- transport Department

Quick Response Teams: Field workers at the time of any emergency and works according to their ESF function. They are members of primary and secondary agencies

Primary Agencies

Secondary Agencies

These are the agencies coordinates under various ESFs as per their secondary functions and abilities

11.3 जिम्मेदारियां और विभिन्न सरकारी विभागों के कार्य–

1. **समन्वय–**

टीम लीडरः जिलाधिकारी

भाग लेने वाली एजेंसियां–एसएसपी(एफ/आर), एडीएम(कानून और व्यवस्था), नगर निगम, एमडीए, जिला अग्निशमन अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, सिटी मजिसट्रेट, डीटीओ, युवा सह–समन्वयक, इंजीनियरिंग, लोक निर्माण विभाग, सिविल डिफेंस, होमगार्ड और अन्य संबंधित विभाग।

किसी भी आपदा की प्रत्याशा में जिला प्रशासन विभिन्न एहतियाती कदम उठाएगा। नियंत्रण कक्ष, नदी और नहर तटबंधों में पिछले उल्लंघनों के बंद होने के कामकाज और कमजोर अंक, बारिश रिकॉर्डिंग और वर्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने, गेज पढने का संचार, बाढ./ चक्रवात क्षेत्रों के कामकाज, शक्ति, नौकाओं की तैनाती, अस्थाई वीएचएफ स्टेशनों, टेलिफोन लाइनों की व्यवस्था, खाद्य सामग्री के भंडारण, जल निकासी, पशु चिकित्सा के उपाय, बाढ./चक्रवात में आश्रयों का चयन आदि के लिये ठीक से व्यवस्था की योजना बनाई जाएगी।विभिन्न विभागों के सरकारी अधिकारियों को आपदा के दौरान अपने कर्तव्यों से अवगत करवाया गया है।

2. **संचार–**

टीम लीडरः एसपी, बून्दी

एजेंसियां– हैम रेडियो आपरेटर क्लब,वायरलैस ऑपरेटरों,दूरसंचार पिभागए मोबाइल आपरेटरो,एफ एम रेडियो,रेजीमेन्ट सेना,दूरदर्शन,रेडियो।

विभागीय योजनाएं:–

दूरसंचार विभाग के साथ समन्वय में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग एक आपातकालीन संचार योजना माध्यमिक सहायक एंजेसियो की सहायता से कार्यात्मक अवधारणा का समर्थन करने के लिए विकसित करना होगा ।

अत्यावश्यकता:–

यह संभव है कि टेलीफोन सेवा भुकम्प में बहुत बुरी तरह से बाधित हो जायेगी, टेलीफोन प्रणाली के सभी घटक समान रूप से प्रभावित हो जायेगें , लेकिन शुरू में भूमि आधारित घटकों की विफलता कुल प्रणाली की विश्वसनीयता की एक सामान्य विफलता का कारण होगा। टेलीफोन प्रणाली को धीरे– धीरे सुधार करके प्राथमिकताओं के अनुसार सेवा में वापस लाया जाता है।

इस कार्य में केवल आपातकालीन संचार आवश्यकताओं तक सीमित है, जैसे आपदा के दौरान सार्वजनिक क्षैत्र की संचार बहाली दूरसंचार विभाग के आपातकालीन कार्यों के एक भाग के रुप में है।

तत्काल कार्य–

– नुकसान की प्रारंभिक रिपोर्ट का संग्रह

– राज्य/ देश के बाकी हिस्सों के साथ संचार की स्थापना के संबंध में प्रभावित क्षैत्रों की स्थिति

– क्षैत्र में प्रमुख अधिकारियों की स्थिति

– राज्य आपातकालीन ऑपरेशन केन्द्र, जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के रुप में अच्छी तरह से राहत केंद्रों के साथ रेडियो संचार स्थापित करना

प्रारंभिक कार्रवाई–

– प्रभावित क्षेत्र के भीतर परिचालन दूरसंचार सुविधाओं को पहचानें

– प्रभावित साइट के लिये दूरसंचार सुविधाओं को ले जाने के लिये आपातकालीन परिचालन सेवायें
स्थापित करना

– उनकी सुविधाओं के पुनर्निमाण की दिशा में निजी दूरसंचार कंपनियों के वास्तविक और सुनियोजित
कार्रवाई को पहचानें।

3. मलबा मंजूरी–

टीम लीडरः नगर आयुक्त

एजेंसियां– नगर निगम, लोक निर्माण विभाग(सडक एवं भवन निर्माण), विद्युत बोर्ड, जन स्वा0 अभि0 विभाग, जल बोर्ड

तत्काल कार्य–

– सभी तकनीकी अधिकारियों को तत्काल प्रतिक्रिया के लिये अधिसूचित किया जाएगा

– आवश्यकताओं की बचत व जीवन को बचाने के लिये संसाधनों के संचालन का प्रावधान करना

– सभी सड.कों, नींव और खम्भों के नीचे पानी के निरीक्षण सहित पुलों का निरीक्षण

– पारगमन और राहत शिविरों, केंद्रों और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांचने के लिये स्थानों की पहचान करने में जिला मजिस्ट्रेट की मदद करना

– तैयार पृथ्वी की चेन, केबल के साथ उपेरण, क्रेन, ट्रेक्टर की मांग और ईंधन के बफर स्टॉक की व्यवस्था

– सडकें जो अस्पताल और मंख्य सडकों के लिये खोला जाएगा, की प्राथमिकता सूची तैयार करना

– राहत शिविरों और आपदा पीडितों को चिकित्सा सुविधा के लिये अस्थाई पारगमन के लिये उपयोग के लिये अस्थाई सडकों का निर्माण

– संभावित तकनीकी नुकसान का आकलन

– तोडफोड., मलबे के मार्ग निकाससी आदि

4. सूचना प्रसार–

टीम लीडर– पीआरओ

– आपात स्थिति की सही समय पर और सुसंगत जानकारी प्रदान करने के लिये सरकार और समाचार मीडिया के सभी सतरों की एक जिम्मेदारी है। संभावना है कि मीडिया बिजली विफलताओं के कारण उचित परिचालन नहीं कर सके, फिर भी मीडिया बाद में स्थानीय प्रसार के लिये जानकारी इकटठा करने के लिये उपस्थित होगा। मीडिया आपदा की स्थिति के बारे में जनता को सूचित करने के लिये प्रमुख संसाधन है और कुछ रेडियो प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक भूमिका के लिये उन्मुख किया गया है।राहत , पुनर्वास और बहाली गतिविधियों के लिये आवश्यक है कि मीडिया और प्राथमिकता के उच्च सतर के उपयोग के लिये रेडियो प्रसारण क्षमता को बहाल करने के लिये सेट किया जाना चाहिए।

आपातकालीन घोषणाओं को पहुंचाने और राज्य सरकार की घोषणाओं की पूर्व से प्रसारण की व्यवस्था , जीवित रहने का संकल्प और जिला प्राधिकारी को सहायता के प्रावधान शामिल हैं।

एक बडी. आपदा में एक सार्वजनिक सूचना केन्द्र जिला समन्वय समिति (जन सूचना केंद्र) का एक

अभिन्न अंग के रूप में स्थापित किया जाएगा।

– मीडिया सार्वजनिक जानकारी क्षमताओं को होने वाले नुकसान के निर्धारण में सहायता करता है।

– जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से परिचालन मीडिया के लिये सार्वजनिक सूचना घोषणाएं अद्यतन

गुजरती है।

5. इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस –

टीम लीडर– सीएमएचओ

ऐजेंसियां– नगर निगम, ब्लड बैंक, इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, निजी अस्पताल, एनएसएस, रोटरी क्लब, एंबुलेंस सेवा, चिकित्सा Stockiest

आवश्यकता– एक गंभीर आपदा में सवास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली शायद किसी अन्य तरीके से अधिक इसके प्रभाव की विशेषता है। वहां कई घायल व्यक्तियों के होने की संभावना, चोट के प्रकार, मलबे के नीचे फंस जाने में तत्काल असपताल देखभाल की आवश्यकता है। एक ही समय में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिये आवश्यक सुविधाएं पहुंचाना जरूरी है।

– सभी राज्य और जिला स्तर स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी है कि घायलों के लिये आपातकालीन चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिये जुटें। गंभीर रूप पे घायलों को अस्पताल में निरंतर देखभाल,

–एक स्थान, जहां बीमार और घायलों की देखभाल की जा सके वहां के लिये धायलों की निकासी,

– आम जनता की शिक्षा के माध्यम से महामारी की रोकथाम

– चिकित्सा की आपूर्ति, रक्त और रक्त उत्पादों के वितरण के लिये राज्य स्तरीय समन्वय, एंबुलेंसस सेवाओं का संचालन

– महामारी के दौरान टीकाारण कार्यक्रम की शुरूआत।

– स्वास्थ्य विभाग के कुछ सुरक्षित स्थानों की पहचान करने के लिये प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों के रूप में इस्तेमाल करते हैं और जब भी जरूरत, रोगियों को शिफ्ट करने के लिये है, प्रत्येक वार्ड में आम जनता के प्राथमिक चिकित्सा और डिस्पेंसरी, रक्त, पटटी, कपास, बेंजीन, डेटॉल और जीवन रक्षक दवाओं/ इंजेक्शन की एक आरक्षित स्टॉक बनाए रखना चाहिये, के लिये प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।

तत्काल कार्य–

– जिले के लिये नोडल स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति करना

– सुनिश्चित करें कि जिले के भीतर काम कर रहे कार्मिक, जिला नोडल अधिकारी के सीधे नियंत्रण में आते हैं

– आपातकालीन रोगी के लिये कपडे., मोबाइल अस्पताल, उपकरण आदि तैयार रखना,

– रोग के प्रकोप या प्रसार को रोकने, मानसिक स्वास्थ्य की जरूरतों के लिये भाग लेने, आवश्यक रूप में जहां स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में जहां निजी क्षेत्र की दवा की दुकानों से काम बंद हैं में आवश्यक दवाओं और आपूर्ति का विस्तार, आदि।

6. निकासी (खोज एवं बचाव)–

टीम लीडरः मुख्य अग्निशमन अधिकारी

एजेंसियां– जिला मजिस्ट्रेट, नगर परिषद, सार्व0 निर्माण विभाग, फायर सर्विस, पुलिस अधिकारी सह डॉग हैंडलर, नागरिक सुरक्षा, हॉमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, जिला सैनिक बोर्ड, निकटतम सेना टुकडी.

आवश्यकता–

शहरी क्षैत्रों में इमारतों के ढहने, आग आदि में सेना के बूते बचाव स्थितियों को हल करने में शामिल हो सकते है। इन स्थितियों में व्यापक मलबे में, जहां स्पष्ट पता नहीं चलता, तो बचाव की विशेष जरूरत है। कुछ बचाव स्थितियों में फंसे लोगों को निकालने में भारी वस्तुओं को ले जानें में कटौती की जानी चाहिये, शायद टनलिंग तकनीक की जरूरत हो सकती है। अक्सर जहां एसे हालात हों, वहां अन्य विशिष्ट कौशल जैसे प्राथमिक उपचार के परे ऑन दृश्य चिकित्सा देखभाल के रूप में लागू किया जाना चाहिये।

तत्काल कार्यः

– घायल लोग हैं, जो क्षतिग्रस्त भवनों और अन्य संरचनाओं के मलबे में फंसे हों का पता लगाएं

– क्षतिग्रस्त भवनों और संरचनाओं की सुरक्षा का पता लगाएं

– ऑन साईट चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिये ढही संरचनाओं से मृत को हटाने में सहायता

– खोज और भारी बचाव दल को इस तरह से आयोजित किया जाना चाहिये कि कम से कम एक प्रशिक्षित कर्मियों की टीम उसके सहायकों के द्वारा पीछा के आदेश में रहता है। इसके अलावा वहां एक सर्जन, एक संरचनात्मक इंजीनियर, एक रसद व्यक्ति, खोजी कुत्ते और मजदूर आदि जैसे विशेषज्ञों के साथ एक जिला समन्वयक टीम हानी चाहिये।

– भारी बचाव समूह, भारी उपकरण समुह, सहायक बचाव समूह आदि तैयार रखने चाहिये।

7. राहत–

टीम लीडर– एडीएम

एजेंसियांः जिला आपूर्ति अधिकारी, भारतीय खाद्य निगम, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, स्थानीय नागरिक आदि

आवश्यकताः–

इस आपातकालीन स्थिति में अस्थाई आश्रय, आपदा के शिकार लोगों के लिये समन्वित राहत सामग्री के थोक वितरण के प्रावधान शामिल है। जिले में एक गंभीर आपदा आश्रय और भोजन की जरूरत में लोगों की एक बडी. संख्या छोड. देगा, परिवार के सदस्य अलग हो सकते हैं और जीवित बचे लागों के बारे में जानकारी के लिये भारी मांग हो जाएगी। कई लोगों को तत्काल भावनात्मक समर्थन और संकट परामर्श की आवश्यकता होगी, हालांकि इमरजेंसी सामाजिक सेवाओं के प्रावधान के लिये प्राथमिक जिम्मेदारी, जिला प्रशासन और नगर पालिकाओं के साथ टिकी हुई है।

तत्काल कार्य–

– रेलवे स्टेशन, हवाई अडडे, बस स्टेशन पर राहत सामग्री की आवाजाही के लिये अलग–अलग बिंदुओं पर लामबंदी केन्द्र की स्थापना,

– आपदा की घटना के 2–3 घंटे के भीतर राहत सामग्री तैयार रखने के लिये आपूर्तिकर्ताओं को सूचित करें

– राहत सामग्री के परिवहन के लिये व्यवस्था

– राहत शिविरों की स्थापना करने के लिये बिल्डिंग, फर्नीचर, स्थानीय कार्यालय आदि जुटााने में सहायता करें।

– आपदा में शामिल परिवारों का पंजीयन, पीडितों के ठिकाने के विषय में रिश्तेदारों और दोसतों से पूछताछ का जवाब देने, अलग परिवार के सदस्यों का पुनर्मिलन और Evacuees की संख्या पर प्रतिक्रिया कार्यकर्ताओं को जानकारी प्रदान करना

–भोजन, गर्म पेय और स्नैक्स से स्वसथ्य की रक्षा के लिये, प्रतिक्रिया कर्मियों की ताकत बनाए रखने के लिये और पीडितों को आश्वस्त करने के प्रावधान।

8. बिजली और जल आपूर्ति–

टीम लीडरः एडीएम

एजेंसियां– डीएम कार्यालय, पुलिस (ट्रेफिक), परिवहन विभाग, पीएचईडी, सार्व0 निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग डिवीजन

प्राथमिक कार्यः

– सभी स्तरों पर और सभी नोडल सहायता एजेंसियों के लिये चिकनी परिवहन लिंक सुनिश्चित करें

– अन्य राज्यों से सहायता के लिये बिजली की आपूर्ति के बुनियादी ढांवे को नुकसान का आकलन

– प्राथमिकता के आधार पर सबसे अधिक प्रभावित स्थलों पर बिजली वितरण प्रणाली की बहाली में खोज और बचाव कार्य में मदद करना

– जीवन रक्षक इमारतों में बिजली उपलब्ध कराना

– स्वच्छ पेयजल की खरीद

– सीवर पाईप, पेयजल से अलग रखा जाए।

9. कानून एवं व्यवस्था–

टीम लीडरः एडीएम

एजेंसियां– एसडीएम अपर, एसपी, होमगार्ड, अर्धसैनिक एजेंसियां

कानून और व्यवस्था की दिनचर्या में पुलिस की गतिविधियों की एक व्यापक रेंज है। यदि आवश्यक हो तो कानून और व्यवस्था की बहाली केलिये वहां सामान्य रूप से पालन करने वाला Law होना चाहिये। प्रतिक्रिया समारोह कानून और व्यवस्था की गतिविधियों के रखरखाव के अपने प्राथमिक लक्ष्य के रूप में हो।

संभावना मौजूद है कि एक भूकम्प, जेल या सुधार केन्द्रों पर भौतिक सुरक्षा का उल्लंघन का कारण है और एक आंतरिक दंगा या भागने की संभावना को जन्म दे सकती है।

तत्काल कार्यः

– जान बचाने और चोट या संपत्ति के नुकसान को रोकने के लिये किसी भी आवश्यक कार्सवाई के लिये बाहरी मदद लेना

– मार्ग नुकसान का आकलन करने, योग्य आपातकालीन मार्गों की पहचान की अनुमति ली जाए

– आकलन और क्षमताओं के भीतर अन्य नुकसान की रिपोर्ट

– लोगों की मृत्यु के कारणों की जांच में सहायता, शरीर मचान क्षैत्रों की सुरक्षा, शव की पहचान

– आपातकालीन सूचनाओं के प्रसार में सहायता

– समन्वय केंद्रों की मैपिंग और उन्हें तत्काल रेडियो संचार का प्रावधान हो।

विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय–

एक आपदा के लिए प्रारंभिक प्रतिक्रिया आमतौर पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समर्थित आपात सेवाओं द्वारा प्रदान की जाती है, लेकिन कई एजेंसियां शामिल हो सकती है। आपातकालीन सेवाओं में तत्परता बनाए रखने के लिये इतना है कि वे एक तेजी से प्रतिक्रिया प्रदान करते है। और जितनी जल्ञी हो सके स्थानीय अधिकारियों और अन्य सेवाओं को सचेत कर सकते हैं। सभी संगठनों को एक आपदा के लिये जल्दी से जवाब की जरुरत की व्यवस्था जो अल्प सूचना पर सक्रिय किया जा सके, की व्यवस्था होनी चाहिए। इन व्यवस्थाओं को स्पष्ट रुप से स्थापित और प्रस्थापित किया जाना चाहिये।

हालांकि, पुलिस, फायर ब्रिगेड और अस्पताल सेवाओं की तरह अलग–2 आपातकालीन सेवाओं की भागीदारी अनिवार्य है। इस तरह के स्थानीय निकायों, रेलवे, एयर लाईनों आदि के रुप में कुछ अन्य जनोपयोगी सेवाओं को प्रभावी ढंग से स्थिति से निटने के लिये ज्यादातर मामलों में शामिल किया जाना हैं। बचाव और वसूली का काम प्रभावी होने के लिये है, तो इन सभी विभिन्न एजेंसियों को एक समन्वित तरीके से एक साथ काम करना है। ये सभी एजेंसियां इसलिये और काम करने का सिस्टम जिम्मेदारी का एक दूसरे के क्षैत्रों के बारे में पता होना चाहिये। व्यापक चर्चा और योजना बना मंच है और प्रत्येक एजेंसी के निम्नतम पदाधिकारी को कमान की श्रंखला नीचे फैसले के संचार में इन एजेंसियों के बीच समझोते और उनके प्रशिक्षण का अत्यंत महत्व है, इसलिये इतना है कि वे जो कि अन्य के लिये जिम्मेदार हैं के रुप में जानते अपनी भूमिका और जिम्मेदारी के बारे में पता कर रहे हैं और एसी स्थिति में मल्टी

सर्विस भागीदारी के लिये जरुरत की सराहना कर सकते हैं।

11.3 ब्लॉक तथा ग्राम स्तर पर सम्नवय तंत्र–

जिला स्तर से आपदा के समय निर्देश ई.ओ.सी. के माध्यम से उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी को दिये जाएंगे, उपखण्ड अधिकारी तहसीलदार तथा विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित करेगा, तहसीलदार पटवार हल्का स्तर पर पटवारी को तथा ब्लॉक विकास अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से गांवों में आपदा से बचाव व निर्देश प्रसारित करवाऐंगें।

11.4 राज्य स्तर से समन्वय एवं संपर्क–

जिला आपदा प्रबंधंक प्रारम्भिक सूचना एक्शन टेकन रिपोर्ट, मुख्य सचिव, सहायक आयुक्त, ईमरजैंसी ऑपरेशन सैंटर तथा संभागीय आयुक्त को भेजेगा तथा राज्य स्तर से जो भी निर्देश प्राप्त होंगें उन्हें कन्ट्रोल रुम के माध्यम से अधीनस्थों को प्रेषित करेगा।

11.5 ब्लॉकों तथा ग्रमों का आपस में सम्नवयः–

ब्लॉक विकास अधिकारी आदेश निकालकर ग्राम विकास अधिकारियों तथा सरपंचों को आपदा के समय गांवों का आपसी संपर्क तथा ग्राम पंचायतों का आपस में समन्वय संपर्क बनाने हेतु निर्देशित करेगा एवं आपस में आवश्यक संसाधनों के विनिमय हेतु निर्देशित करेगा। इसी प्रकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ब्लॉकों को आपस में सामंजस्य बनाने हेतु ऊपर वर्णित अनुसार आदेश जारी करेगा।

11.6 अन्य जिलों के साथ सम्नवयः–

संभागीय आयुक्त संभाग के जिला कलक्टरों को आपदा के समय जिलों को आपसी संपर्क तथा समन्वय संपर्क बनाने हेतु निर्देशित करेगा एवं आपस में आवश्यक संसाधनों के विनिमय हेतु निर्देशित करेगा।

11.7 सामुदायिक टास्क फोर्स (सिविल डिफेंस, रेड क्रॉस एनवाईकेएस, एनएसएस, एनसीसी आदि) के लिये एसओपी–

Task Force Group	Primary	Secondary
Search and Rescue	**To trace and locate people who are physically traooed and distressed, people in the buldings and houses etc.** **To move out these people to the safe locations indentified in advance and to organize futher care.**	**Administering primary health care to rescued victims.** **Assisting the sanitation group in carcass disposal and the cremation of dead bodies.** **cordinatiion with the evacuation teamto shift rescued persons to safe shelters in case of recurring heavy rains.**
First Aid and Health	**To provide primary health care to the ill or injured until more advanced care is provided and the patient is transported to a hospital.**	**Assisting the sanitation team to inoculate against water borne and other diseases.** **Assisting the communication team to disseminate precautionary information on post-disaster health hazards and remedies.**

Water	**Restoring and maintaining the water supply and minimum quality and quantity parameters.**	**Assisting the sanitation team in ensure that there is enough water stored in buckets at latrines and for bathing.** **Assisting the sanitation team in deciding the location for the construction of latrines away from ground water sources.** **Assisting the shelter group to ensure that there is sufficient water stored in the water tank in the safe shelter.**
Sanitation	**To ensure that the minimum basic facilities such as temporary toilets and common bathing units are constructed near the relief camp, that these facilities and the surroundings are kept clean, garbage disposed, dead bodies cramated and that normal drainge systems function smoothly.**	**Assisting the shelter team to ensure that water spouts and water harvesting tanks at the safe shelter are clean and functional.** **Assisting the relief group to ensure that containers for storing water are clean, narrow necked and covered.**
Relief Coordination	**To establishing contact with the District Control Room and organizing the distribution of assistance in teams of food, water, medicines and so on, in a fair and equitable manner.**	**Co-oridnating with the shelter group in the distribution of material for the construction of temporary shelters.** **Assisting the shelter group to ensure that the safe shelter is well stocked in terms of dry food, water and so on in order to cater for the needs of evacuees after a cyclone or flood warning has been issued.**
Warning and communication	**To ensure that: (a) the warning of the impending disaster reaches every single household, thereby allowing people to take timely action to protect their lives and property (b) accurate information is provided regularly as events unfold (c) information flows quickly and reliably upwards to District level to Community/Neighbourhood/Villege level.**	**Assisting the relief group in disseminating information about the quantity and type of ration to be distributed for each distribution cycle.** **Assisting the sanitation group in raising awareness about water borne diseases and vaccination programs.**
Evacuation and Shelter Management	**To construct/ identify maintain and make repairs to the flood shelter, to evacuate people on receipt of a warning and to make all the neccessary arrangements to accommodate evacuees during a flood.**	**Assisting the Communities in accessing compensation.** **Assisting the relief group in stocking up dry food, medicines, water and temporary shelter materials.** **Assisting the sanitation group in the construction of latrines, soak pits and drainage channels.**

अध्याय– 12

SOP – मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियाएं तथा चेक लिस्ट SOP द्वारा संक्षिप्त वर्णन

12.1.1 जिला प्रशासन/जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका

जिलाधिकारी के निद्रेशन पर्यवेक्षण और आपदाओं के लिए और जिला स्तर की योजना की तैयारी के लिए राहत उपायों की निगरानी के लिए जिला स्तर पर केन्द्र बिन्दु होगें। जिला मजिस्ट्रेट जिला स्तर पर सभी विभागों के पदाधिकारियों से अधिक समन्वय और पर्यवेक्षी शक्तियों का प्रयोग करेगें। आपदा शमन या राहत के लिए वास्तविक संचालन के दौरान सभी कलेक्टरों की शक्तियों/डीसीएस

काफी बढा रहे है,आम तौर पर इस विषय पर निर्देश या आदेश खडें हो कर, या दवचारा विशिष्ट सरकारो का आदेश है ,यदि ऐसा है तो जरूरी है। कभी कभी संब
धित राज्य परमिट के प्रशासनिक संस्कृति, हालाकि अनौपचारिक रूप में कलेक्टर उच्च शक्ति आपात सिथितियों में प्रयोग करने के लिए निर्णय लेने में सक्षम होगें। जिला मजिस्ट्रेट जिले, अर्थात सेना,वायु सेना और जल संसाधन आदि के बचाव में जिला प्रशासन और राहत कार्यो के प्रयास के पूरक के मंत्रालय में राज्य, केन्द्र सरकार के अधिकारियों के साथनिकट सर्म्पक बनाए रखना होगा। जिला मजिस्ट्रेटभी गैर सरकारी ऐसी स्थितियों में काम करने में सक्षम संगठनों को जुटाकर सभी स्वेच्छिक प्रयासों में समन्वय करेगा।

आपदा के समय में कर्तव्य

–दर्शनीय स्थलो पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अतिक्रमण की रोकथाम, लूटमार को रोकने के लिए

आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि बचाव वाहनों की मुक्त आवाजाही हो सके।

–लोगो की निकासी

–शवों और दनके निपटान की व्यवस्था

–घायलो के लिए चिकित्सा व्यवस्था

– भोजन एवं पानी की लाइनों की आपूर्ति

–टेंट,धातु शेड की तरह अस्थायी आश्रय

–संचार और सूचना तंत्र की अहाली

–परिवहन मार्गो को बहाल करना

–नुकसान और क्षतिग्रस्त क्षेत्रो का आकलन करना

–महिला प्रतिनिधियों की योजना, निर्णय लेने कार्यान्वयन और मूल्याकंन

12.1.2 पुलिस के लिए कार्य योजना

–आपातकालीन सेवाओं के साथ संयोजन के रूप में जीवन की बचत

– आपातकालीन सेवाओं और अन्य संगठनों की समन्वय

–यातायात और भीड पर नियत्रण

कोलेशन औरन करणीय जानकारी के प्रसार

–पीडितों की पहचान

जल्द से जल्द सामान्य स्थिति की बहाली

प्रवेश और भीड नियंत्रण

जब भी किसी क्षेत्र में आपदा आती है तो पुलिस प्रशासन को उस क्षेत्र को अपने घेरे में लेकर उस क्षेत्र में भीड पर नियंत्रण करेगी और वहा पर पुलिसकर्मियों दवारा तत्काल यातायात व्यवस्था को सुधारेगी ताकि आपातकालीन सेवाओं के वाहनो को साइट तक पहुचने के लिए कोई बाधा का सामना न करना पडे। जिससे फायर बिग्रेड, एबूलेस और अन्य आपदा से संबधित वाहन भी उस क्षेत्र में जल्दी से जल्दी पहुंच सके। आपदा से प्रभावित लोगो को उस क्षेत्र से बाहर निकालने की व्यवस्था करेगी।

खोज, बचाव और निकासी

आपदा के दौरान पुलिसकर्मी उस प्रभावित स्थान पर पहले पहुंच कर आपातकालीन सेवा कर्मियों के आने तक साइट से हताहतों की संख्या को कम करना चाहिए। अन्य सेवाओं और बचाव तथा निकासी के संचालन में स्थानीय प्राधिकारी का पूर्ण सहयोग करेंगें।

दृश्य नियंत्रण और कानूनी कर्रवाई–

यह महत्वपूर्ण है कि किसी बडी. घटना के आसपास के क्षेत्र को दृश्य के लिये संरक्षित किया जाना चाहिये, ताकि पीडि.तों की सुरक्षा और संरक्षण हो सके। आपदा के दौरान चौरी, लूटपाट आदि के कारण प्रभावित व्यक्तियों का संरक्षण होना चाहिये।

यह स्वीकार किया जाना चाहिये कि पुलिस अधिकारियों की बडी. संख्या को इस उददेश्य को प्राप्त करने के लिये जिला या हादसा कमांडर के नियंत्रण में सुदृढीकरण के लिये जल्दी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

वीआईपी दर्शक–

आपदा के समय वीआईपी के द्वारा दर्शन से जो प्रतिक्रिया होगी वह प्रभावित लोगों का मनोबल बढा सकती है। यह देखा गया है कि मंत्रियों, संसद और राज्य विधानसभाओं, स्थानीय पार्षदों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं आदि के लिये आपदा के दृश्य का दौरा करने और सार्वजनिक

चिंता जाहिर करने से घायलों का मनोबल बढता है। कभी कभी आपदा साइट के लिये अपनी यात्रा पर प्रतिकूल बचाव कार्य प्रभावित होने की संभावना रहती है, खासकर अगर हताहत अभी भी फंसे हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि उनके दर्शन, बचाव और जीवन को बचाने का काम सिर्फ पुलिस का नहीं है। आपदा प्रतिक्रिया के समन्वयक के रुप में, उन्हें जमीनी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये।हालांकि इस मामले में यात्रा से बचना असंभव हो जाता है, अतः इसे दर्शन के समय ठीक करना चाहिये। उनकी सुरक्षा के लिये अतिरिक्त जरुरत भी समस्या का एक कारण होगा।

स्वागत केन्द्र–

आपदाओं के हाल के अनुभव से पता चला है, अगर उनका मानना हे कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को प्रभावित किया गया हो सकता है, यह संभव है कई लोग एसी यात्रा टर्मिनल के रुप में दृश्य के लिये या बैठक के अंक के लिये करेंगे। दोस्तों और रिश्तेदारों के लिये आवश्यक एक स्वागत केन्द्र स्थानीय प्राधिकारी और वाणिज्यिक, औद्योगिक या अन्य संगठनों का संबंध है और पुलिस, स्थानीय प्राधिकारी और तैयार स्वैच्छिक संगठनों द्वारा स्टॉफ के साथ परामर्श पुलिस द्वारा स्थापित किया जाना चाहिये। एक आपदा में प्रभावित लोगों की पूरी संभव जानकारी मदुनपतमते को दी जानी चाहये।सामान्य पूछताछ के लिये यह सबसे अच्छा विशिष्ट स्रोत है।दोस्तों और रिश्तेदारों को गहन चिंता, सदमे या दुःख महसूस हो सकता है, अतः सहानुभूति और समझ के साथ इलाज किया जाना चाहिये। स्वागत केन्द्र को देखकर बिन बुलाए मीडिया प्रतिनिधियों या दर्शकों द्वारा परेशन किया जा रहा हो तो उन लोगों को अंदर आने से रोकना चाहिये।

12.2.2.2 चेतावनी प्रसार की प्राप्ति पर विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही–

आपदा की चेतावनी मिलते ही जिला आपदा प्रबंधंक सभी विभागों को आपदा के दौरान की जाने वाली कार्यवाही को सुनिश्चित करने को आदेशित करेगा। अफवाहों से बचने की अपील करेगा तथा सोशल मिडिया व मिडिया के माध्यम से निर्देश प्रसारित करवाएगा।

12.2.2.3 आपात काल के दौरान वित्त एवं तकनीकी संसाधनों की व्यवस्था –

इस परिस्थिति में जिला आपदा प्रबंधक सहायता कोष में उपलब्ध बजट, सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान तथा नगर निकाय के प्रमुखों से संपर्क कर उनकी मद में उपलब्ध बजट से आपातकालीन स्थिति वाला बजट तुरन्त जारी करवाकर व ओर अधिक आवश्यकता के लिए नियमानुसार ओर बजट की व्यवस्था करवाएगा। जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग, सार्व. निर्माण विभाग के पंजीकृत ठेकेदारों से समन्वय स्थापित कर उनसे तकनीकी संसाधन लेगा।

12.1.3 फायर सर्विस के लिये कार्य योजना–

– फायर सर्विस के नोडल अधिकारी त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय करेंगे।
– त्वरित प्रतिक्रिया दल ऑनसाइट म्बे पर तैनात किया जाएगा।
– सूचना के अनुसार, पर्याप्त अधिकारियों को साइट के लिये भेजा जा सकता है।
– साइट पर , संवेदनशील क्षेत्रों के बारे में जानकारी इकटठा करने के लिये स्थानीय स्वंयसेवकों और स्थानीय लोगों से सम्पर्क किया जाएगा ताकि खोज और बचाव अभियान में भारी घने क्षैत्रों, बडे. भवनों, सामुदायिक केन्द्र, होटल, अस्पताल, सार्वजनिक इमारतों में एक उचित माध्यम से जगह ले सकें और किसी भी अन्य क्षैत्र की बडी. भीड. को नियन्त्रित किया जा सके।
– घायल लोगों को अत्यंत सावधानी से क्षतिग्रसत भवनों से बाहर रखा जाना चाहिये।
–महिलाओं और बच्चों की विशेष देखभाल की जानी चाहिये क्योंकि वे अधिक प्रभावित है और किसी भी आपात स्थिति में असहाय होने की संभवना रहती है।

12.1.4 नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के लिये कार्य योजना–

रिस्पांस एक्टिवेशनः

–नोडल अधिकारी ईओसी तक पहुंचने और त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय करेंगे।
– त्वरित प्रतिक्रिया दल ऑनसाइट म्बे पर तैनात किया जाएगा।
– सूचना के अनुसार, पर्याप्त अधिकारियों को साइट के लिये भेजा जा सकता है।

की जाने वाली कार्रवाईः

–समर्थन ओर कानून व्यवस्था के लिये हादसा कमान प्रणाली के साथ समन्वय स्थापित कर खोज और बचाव

व औसत दर्जे प्रतिक्रिया और ट्रामा काउंसलिंग

– क्षतिग्रस्त और घ्वस्त हो चुकी संरचनाओं का पता लगाएं और प्रभावित लोगों को बचाएं।

– महिलाओं और बच्चों के समूहों के लिये विशेश देखभाल करना

– मेडिकल टीम के साथ प्रभावित लोगों को प्राथमिक चिकित्सा में मदद करना

12.1.5 नगर परिषद के लिये कार्य योजना–

रिस्पांस एक्टिवेशनः

– नोडल अधिकारी त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय करेंगे।

– त्वरित प्रतिक्रिया दल ऑनसाइट म््ब्े पर तैनात किया जाएगा।

– सूचना के अनुसार, पर्याप्त अधिकारियों को साइट के लिये भेजा जा सकता है।

की जाने वाली कार्रवाईः

– भारी अरसीसी मलबे लाने और मलबे के नीचे क्नउउपमे रखा जाएगा। इस खोज और बचाव अभियान के प्रदर्शन की सुविधा होगी।

– मलबे और सड.क मंजूरी के लिए उपकरण समर्थन में मुख्य भूमिका ग्रहण करेंगे।

– जेसीबी, ठोस जरुरत के अनुसार आवश्यक कटर जैसे उपकरणों की व्यवस्था करेगा।

– सहायक एजेंसियों के नोडल अधिकारियों से कर्मियों को तुरंत प्रभावित साइट के लिये रवाना हाने तथा मलबे निकासी ऑपरेशन शुरु करने हेतु मुलाकात करेंगे।

– सभी समर्थक ऐजेंसियां आपदा साइट और आसपास सड.क/रेल नेटवर्क और संरचनाओं का निरीक्षण करेंगे।

– आपदा पीडि.तों के लिये अस्थाई पारगमन और राहत शिविरों और चिकित्सा सुविधाओं के उपयोग के लिये काम करेंगे। असपताल में पीडि.तों के लिये खान–पान केन्द्रों की स्थापना

– प्रत्यक्ष और उपकरण सहायता, राहत शिविरों की स्थापना, स्वच्छता और स्वास्थ्य सहयता प्रदान करने के लिये राज्य स्तर पर सम्पर्क करेगा।

12.1.6 सार्व0 निर्माण विभाग के लिये कार्य योजना–

रिस्पांस एक्टिवेशनः

– पीडब्ल्यूडी के नोडल अधिकारी त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय करेंगे।

– त्वरित प्रतिक्रिया दल ऑनसाइट **EOCs** पर तैनात किया जाएगा।

– सूचना के अनुसार, पर्याप्त अधिकारियों को साइट के लिये भेजा जा सकता है।

की जाने वाली कार्रवाईः

– भारी आरसीसी मलबे लाने और मलबे के नीचे क्नउउपमे रखा जाएगा। इस खोज और बचाव अभियान के प्रदर्शन की सुविधा होगी।

– मलबे और सड.क मंजूरी के लिए उपकरण समर्थन में मुख्य भूमिका ग्रहण करेंगे।

– जेसीबी, ठोस जरुरत के अनुसार आवश्यक कटर जैसे उपकरणों की व्यवस्था करेगा।

– सहायक एजेंसियों के नोडल अधिकारियों से कर्मियों को तुरंत प्रभावित साइट के लिये रवाना हाने तथा मलबे निकासी ऑपरेशन शुरु करने हेतु मुलाकात करेंगे।

– सभी समर्थक ऐजेंसियां आपदा साइट और आसपास सड.क/रेल नेटवर्क और संरचनाओं का निरीक्षण करेंगे।

– पीडब्ल्यूडी भी उचित लाश निपटान सुनिश्चित करने और चिकित्सा प्रतिक्रिया पर भ्ै्थ के साथ समन्वय करेगा।

– अस्थाई सड.कों का निर्माण करेगा।

– सभी पक्का और **unpaved** सड.क, धार उमजंसपदह सहित पट्टी और सतह की मरम्मत का कार्य।

जल बोर्ड के लिये कार्य योजना–

रिस्पांस एक्टिवेशनः

– पीडब्ल्यूडी के नोडल अधिकारी त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय करेंगे।

– त्वरित प्रतिक्रिया दल ऑनसाइट **EOCs** पर तैनात किया जाएगा।

– सूचना के अनुसार, पर्याप्त अधिकारियों को साइट के लिये भेजा जा सकता है।

की जाने वाली कार्रवाईः

– पानी की लाईन की क्षति और प्रदूषण का त्वरित आकलन।
– पानी के अैंकरों की आपूर्ति
– प्रतिक्रिया टीमों की तैनाती, मरम्मत और पानी की आपूर्ति लाइनों को बहाल करना

12.1.7 जल निकासी के लिये कार्य योजना एवं बाढ. नियंत्राण विभाग–

रिस्पांस एक्टिवेशनः

– सिंचाई विभाग के नोडल अधिकारी एवं बाढ. नियंत्रण विभाग त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय करेंगे।
– त्वरित प्रतिक्रिया दल ऑनसाइट म्ब्े पर तैनात किया जाएगा।
– सूचना के अनुसार, पर्याप्त अधिकारियों को साइट के लिये भेजा जा सकता है।

की जाने वाली कार्रवाईः

– **QRTs** पानी की आपूर्ति के लिये दल के नेता के साथ समन्वय स्थापित करेगा
– **QRTs** बुनियादी सुविधाओं की बहाली के लिये समन्वय स्थापित करेगा
– **QRTs** ईओसी के लिये स्थिति और कार्रवाई की प्रगति की रिपोर्ट देगा

12.1.8 खादय एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिये कार्य योजना–

रिस्पांस एक्टिवेशनः

– नोडल अधिकारी त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय करेंगे।
– त्वरित प्रतिक्रिया दल ऑनसाइट **EOCs** पर तैनात किया जाएगा।
– सूचना के अनुसार, पर्याप्त अधिकारियों को साइट के लिये भेजा जा सकता है।

की जाने वाली कार्रवाईः

– राहत सामग्री की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये **ESFs** के साथ समन्वय
– प्रभावित लोगों के लिये मुफ्त रसोइ की सतत व्यवस्था
– साइट राहत शिविरों में रिपोर्ट करना
– प्रभावितों को खाद्य सामग्री के वितरण का प्रबंध करना
– कार्रवाई की प्रगति की रिपोर्ट ईओसी पर देना

12.1.9 परिवहन विभाग के लिये कार्य योजना–

– निकासी में मदद करना
– को झोंपडियां प्रदान करने में नोडल अधिकारी की सहायता करेंगे
–प्रभावित क्षैत्र में परिवहन के बुनियादी ढांचे की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी के लिये एजेंसियों से अनुरोध ओर समर्थन

12.1.10 दूरसंचार विभाग–

– बीएसएनएल संचार सुविधाओं की बहाली के लिये मुख्य रुप से जिम्मेदार है।
– बीएसएनएल, जानकारी के निर्बाध प्रवाह के लिये प्रतिक्रिया के प्रयासों में राज्य सतर पर संवेदनशील ढंग से आउटरीच को पुरा करेगा
– दल का नेता आपातकालीन मरम्मत टीमों के लिये आवश्यक उपकरण, टेंट और भोजन के साथ सुसज्जित प्रेषण हेतु जाएगा
– अन्य सहायता एजेंसियों अथ्रात निजी टेलिफोन ऑपरेटरों को सिमिति से संवाद करेगा
– निजी दूरसंचार कंपनियों के लिये कार्रवाइ की एक योजना पर काम करेंगे और बैठक बुलाने पर चर्चा करने के तौर–तरीकों को अंतिम रुप देना
– सार्वजनिक ओर इस बारे में जानकारी मीडिया के माध्यम से घोषणा हेतु टेलिफोन की सुविधा स्थापित करना
– की गई कार्रवाई से जिले के साथ–साथ राज्य के अधिकारियों को सूचित करना

12.1.11 हैम रेडियो ऑपरेटरों के लिये कार्य योजना–

– हैम क्लबों को सूचित करें, अन्य भागों से व्यक्तियों, जिला, राज्य
– जितनी जल्दी हो सके एक हैम संचार प्रणाली स्थापित करने के लिये अपने सदस्यों को सक्रिय करें
– महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ साझा करने के लिये समन्वय तंत्र
– मुख्य संचार संपर्कों तथा वैकल्पिक संचार नेटवर्क के सेट के रुप में बहाल करना

12.1.12 स्वास्थ्य सेवाओं के लिये कार्य योजना–

रिस्पांस एक्टिवेशनः
– नोडल अधिकारी समर्थन ऐजेंसियों के अधिकारियों से मुलाकात करेंगें
– **ESF** के साथ समन्वय में, यह विकित्सा पेशेवरों और सहायकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करेगा
– मदद तर्ज पर **ESF** की मदद से अस्पतालों में अस्थाई सूचना केन्द्रों की स्थापना और प्रसार चेतावनी
सुनिश्चित करेगा

की जाने वाली कार्रवाईः
– आवश्यक दवाइयां, टीके, मलहम, दवाओं आदि का पर्याप्त स्टॉक
– रोगी की देखभाल के लिये प्रणालीगत दृष्टिकोण प्रदान करें।
– सभी रोगियों का इलाज कर दनका रिकार्ड रखने के लिए ट्रेकिंग प्रणाली को अपनाए।
– मोबाइल अस्पताल की तैनाती की जाये
– **QRT** स्थिति और कार्यवाही पर प्रगति संबधित ईओसी एस को टीम दवारा रिपोर्ट करेगे
– **QRT** प्रभावित पीडितों की जरूरतों की समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगा

12.1.13 रेड क्रॉस सोसायटी के लिए कार्य योजना

रिस्पांस एक्टिवेशन
–नोडल अधिकारी फत्ज्े को सक्रिय करेगें
–चिकिम्सा पेशेवरों औार सहायकों की पर्याप्त संख्या मं उपलग्ध कराने के लिए पर्याप्त दवाएं और आवश्यक सामग्री के साथ साइटों तक पहुचने के लिए मदद करना
–मदद तर्ज पर मै्थ की मदद में अस्पतालों में अस्थायी सूचना केन्द्रों की स्थापना और प्रसार चेतावनी सुनिश्चित करें।

की जाने वाली कार्यवाही
–एम्बूलैंस सेवा प्रदान करना
–स्थलों पर प्राथमिक चिकित्सा शिविरों की व्यवस्था
–गम्भीर रूप से घायल पीडितों के प्रबन्धन के लिए तैयार सभी अस्पतालों में मदद करने के लिए
–आवश्यक दवाइया,टीके,मलहम,दवाओं आदि का पर्याप्त स्टॉक की व्यवस्था करने में मदद करने के लिए
–मोबाइल अस्पतालों की तैनाती के रूप में आवश्यक
– **QRTs** स्थिति और कार्यवाही पर प्रगति संबधित ईओसी एस को टीम दवारा रिपोर्ट करेगे
– **QRTs** प्रभावित पीडितों की जरूरतों की समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगा

12.1.14 चुने हुए गैर सरकारी संगठनों/आरडब्लयूए और एनवाईकेएस के लिए कार्य योजना

प्राकृतिक आपदाओं के प्रबधन में उभरते रूझान आपदा प्रबधन एजेंसियों और प्रभावित समंदाय के बीच एक कुशल संचार लिंक प्राप्त करने का सबसे प्रभावी वैकल्पिक साधन के रूप में एक गैर सरकारी संगठनों की भूंमिका पर प्रकाश डाला है ठेठ आपदा की स्थिति में, वे निगरानी और प्रतिक्रिया में तैयारियो राहत और बचाप पुनर्वास और पुनमिार्ण में मदद की हो सकती है और यह भी।
गैर सरकारी संगठनों की भूमिका आपदा प्रबधंन में एक संभावित प्रमुख तत्व है। वे समुदाय की भागीदारी को लागू करने के लिए सरकारी एंजेसियों पर एक बढत हासिल गैर सरकारी संगठनों जमीनी स्तर पर काम कर रही एक उपयुक्त विकल्प प्रदान कर सकते है। क्योकि एनजीओ सेक्टर समुदाय के आधार के साथ मजबूत संबधों की है और प्रकियात्मक मामलों तुलना –ए– पिज सरकार में काफी लचीलापन प्रर्दशन कर सकते है
गैर सरकारी संगठनों कह गतिविधियों का आयोजन/आरडब्लयूए/एनवाईकेएस/आपदा प्रबधन के विभिन्न चरणों में

Stage	Activity
Pre-Disaster	**Awareness and information,Training of local volunteers,Avocacacy and planning**
During diaster	**immediate rescue and first aid, including psychological and supply of food,water, medicines and other immediate need materials ensuring danitation and hygiene demage assessment**
Post Disaster	**Technical and material aid in reconstruction assistance in seeking financial aid monitoring**

12.1.15 सूचना एवं प्रसार की योजना :–

आपदा की चेतावनी मिलते ही जिला आपदा प्रबंधंक सभी विभागों को आपदा के दौरान की जाने वाली कार्यवाही को सुनिश्चित करने को आदेशित करेगा। अफवाहों से बचने की अपील करेगा तथा सोशल मिडिया व मिडिया के माध्यम से निर्देश प्रसारित करवाएगा। जिले में सूचनओं के लिए एनआईसी तथा सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग के माध्यम से त्वरित सूचनओं के संवंहन के लिए सुनिश्चिता लाने के लिए आदेशित करेगा। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार सेवा प्रदायगी एजेंसी भारत संचार निगम लिमिटेड के माध्यम से उनके दूरसंचार तंत्र को हर वक्त चालू रखने के लिए उनको पाबंद करेगा। जिले में दूरसंचार के क्षेत्र में कार्यरत अन्य एजेंसीयों के क्षेत्रीय प्रबन्धकों से सामंजस्य बैठाकर उनसे भी सूचना एवं प्रसार की सुदृढ़ता बनाये रखने के लिए आदेशित करेगा।

12.1.15 आपतकाल के दौरान मिडिया प्रबन्धः–

जिला आपदा प्रबन्धक आपातकालीन स्थिति के पैदा होते ही अफवाहों से बचने की अपील करेगा तथा सोशल मिडिया व मिडिया के माध्यम से निर्देश प्रसारित करवाएगा। इस दौरान प्रिन्ट मिडिया व इलेक्ट्रॉनिक मिडिया से अपील करेगा कि वे विरोधाभास तथा अराजकता वाली खबरों को आम जनता में ना आने दें तथा जैसे दो देशों का युद्ध चल रहा है तो मिडिया से अपील करेगा कि ऐसी खबर प्रसारित न करें जिससे दुश्मन देश को अपने देश की कार्ययोजना पता चल सके तथा ना ही ऐसी कोई टेलीकास्टिंग करे जिससे कि उनको अपनी हर गतिविधि का पता चलता रहे। दंगो या भगदड़ के दौरान ऐसी कोई सूचना प्रसारित न करें जिससे कि हालात ओर बदतर हो जाएं व आमजन में भय पैदा हो जाए। इसकी मॉनटिरिंग के लिए एक सैल का गठन किया जाए ताकि इस प्रकार की गतिविधियों को तुरन्त रोका जा सके।

<u>चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग :</u>

जिले बून्दी में प्रायः माह जून के मघ्य में मानसून प्रवेश करता है तथा अधिक वर्षा होने से जूलाई के मध्य में नदी एवं नालों भी पानी आने की संम्भावना रहती है। जो लगभग अक्टूबर माह तक बहता है।

साथ ही क्षेत्र में आंतककारी घटनाओं, असामाजिक तत्वों द्वारा की जाने वाले आगजनी,तोड–फोड, फिदायीन हमलों, महामारी / अकाल की आशंका,ओलावृष्टि,अतिवृष्टि,जमीन धंसना इत्यादि प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपआदों के समय जान–माल की हानि से बचाव, रोकथाम एवं उपचार बाबत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आपात कार्ययोजना निम्न प्रकार से है :–

<u>जिले में चिकित्सा संस्थानो की वर्तमान स्थिति</u>

मेडिकल कॉलेज	1
जिला अस्पताल	2
उप जिला अस्पताल	1
जिला क्षय निवारण केन्द्र	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र / रा.चि.	17
प्राथमिक स्वा. केन्द्र / डिस्पेंसरी	30
शहरी प्रा. स्वा. केन्द्र	02

13. चिकित्सा व्यवस्था हेतु अधीनस्थ क्षेत्र की चिकित्सा संस्थाओं में 24 घण्टे निम्नलिखित व्यवस्थाएं उपलब्ध रहेगीं :– चिकित्सा संस्थान में 24 घंटे आपातकालीन रूम खुला रखा जायेगा एवं राउंड द क्लॉक स्टाफ की ड्यूटी सुनिश्चित होगी, चिकित्सा संस्थान के कन्ट्रोल रूम में आवश्यक जीवन रक्षक औषधियां उपलब्ध रहेगी, विभाग के पास एम्बुलैंस मय वाहन उपलब्ध रहेंगे, जिला अस्पताल में आपातकालिक चिकित्सा व्यवस्था हेतु 10 बैड एंव सामु. / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 5 अतिरिक्त बैड की व्यवस्था रखी गई है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बैड की व्यवस्था भी की जा सकती है।

<u>जिलें में उपलब्ध 104,108 एवं बेस एम्बूलेन्स की सूची –</u>

108 Emergency Ambulance

S.No.	District	Block	Vehicle Reg No.	Base Location	AC Functional / Non Functional
1	Bundi	Bundi	RJ14PD7035	PHC Namana	Functional
2		Bundi	RJ14PE8045	Police Line Bundi	Functional
3		Bundi	RJ14PG3967	CHC Khatkar	Functional
4		Hindoli	RJ14PE7815	CHC Basoli	Functional
5		Hindoli	RJ14PE8048	CHC Hindoli	Functional
6		Hindoli	RJ14PF7018	PHC Bundi Ka Kotda	Functional
7		Kapren	RJ14PE7817	CHC Lakheri	Functional
8		Kapren	RJ14PE8047	CHC Keshoraipatan	Functional
9		Kapren	RJ14PG4007	CHC Deikheda	Functional
10		Kapren	RJ14PE8049	Police Station Kapren	Functional
11		Kapren	RJ14PG5449	CHC Indergarh	Functional
12		Nainwa	RJ14PE7554	CHC Dei	Functional
13		Talera	RJ14PE7816	Ps Talera	Functional
14		Talera	RJ14PE8050	CHC Dabi	Functional
15		Bundi	RJ14PD7115	Brij Sundar Sharma Govt. Hospital	Functional
16		Nainwa	RJ14PE7622	CHC Nainwa	Functional

104 Emergency Ambulance

S.No.	District	Block	Vehicle Reg No.	Base Location	AC Functional / Non Functional
1	Bundi	Nainwa	RJ08PA1922	Dei	Functional
2		Nainwa	RJ08PA2315	PHC Banman Gaon	Functional
3		Nainwa	RJ14Pf 5841	Nainwa	Functional
4		Nainwa	RJ14PF6748	Bansi	Functional
5		Hindoli	RJ14PE6665	Dablana	Functional
6		Hindoli	RJ08PA2273	Hindoli	Functional
7		Talera	RJ08PA2261	Talera	Functional
8		Talera	RJ14PE6538	Barundhan	Functional
9		Talera	RJ14PF7439	Suwansa	Functional
10		K.PATHAN	RJ14PE6671	K.PATAN	Functional
11		K.PATHAN	RJ14PE7455	Kapren	Functional
12		K.PATHAN	RJ14PE6539	J.K.BARANA	Functional
13		K.PATHAN	RJ08PA2294	Lakheri	Functional
14		K.PATHAN	RJ08PA2277	Badakhera	Functional

Base Ambulance

S.No.	District	Block	Vehicle Reg No.	Base Location	AC Functional / Non Functional
1	Bundi	GH Bundi	RJ08PA1217	District Hospital (P.M.O.) Bundi	Functional
2		GH Bundi	RJ08PA1218	District Hospital (P.M.O.) Bundi	Functional
3		GH Bundi	RJ08PA2285	District Hospital (P.M.O.) Bundi	Functional
4		Bundi	RJ08PA0870	Chc Khatkhad	Functional
5		Bundi	RJ08PA2269	Chc Khatkhad	Functional
6		Bundi	RJ08PA1469	Phc Gudhanawat	Functional
7		Bundi	RJ08PA1543	Phc Matunda	Functional
8		Bundi	RJ08PA----	Phc Namana	Functional
9		Bundi	RJ08PA1077	Phc Nim Ka Khera	Functional
10		Bundi	RJ08PA2284	Phc Raithal	Functional
11		Hindoli	RJ08PA0159	Chc Hindoli	Functional
12		Kapren	RJ08PA2370	Chc Indergurh	Functional
13		Kapren	RJ08PA2272	Chc K.Patan	Functional
14		Kapren	RJ08PA2274	Chc Kapren	Functional
15		Kapren	RJ08PA2266	Chc Lakheri	Functional
16		Kapren	RJ08PA2276	Phc Balkasa	Functional
17		Kapren	RJ08PA2271	Phc Barakhera	Functional
18		Kapren	RJ08PA2293	Phc J.K. Barana	Functional
19		Kapren	RJ08PA2270	Phc Mayza	Functional
20		Kapren	RJ08PA2268	Phc Sumandi	Functional
21		Nainwa	RJ08PA0184	Chc Dei	Functional
22		Nainwa	RJ08PA2302	Chc Jajawar	Functional
23		Nainwa	RJ08PA0843	Chc Karwar	Functional
24		Nainwa	RJ08PA2262	Chc Karwar	Functional
25		Nainwa	RJ08 PA 1570	Chc Nainwa	Functional
26		Nainwa	RJ08 PA 0100	Chc Nainwa	Functional
27		Nainwa	RJ08PA2278	Phc Sameedhi	Functional
28		Nainwa	RJ08PA2215	Phc Talwas	Functional
29		Talera	RJ08PA2263	Chc Dabi	Functional
30		Talera	RJ08PA0784	Chc Dabi	Functional
31		Talera	RJ08PA0023	Chc Talera	Functional

32		Talera	RJ08PA0078	Phc Lambakho	Functional
33		Talera	RJ08PA2314	Phc Thikariya Charnan	Functional

चिकित्सालयों की सूची

1. जिले में स्थित राजकीय चिकित्सा संस्थानों की सूचनाऐं

क. स.	तहसील / ब्लॉक	चिकित्सालयो का नाम	कार्यरत मेडिकल स्टाफ		चिकित्सालय में उपलब्ध संसाधन की संख्या						
			डाक्टर	अन्य स्टॉफ	ऐम्बुलेन्स	स्टेचर	ईसीजी	एक्सरे	ब्लड बैंक	ईएनटी	औथोपेडिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जिला मुख्यालय बून्दी	सा.चि. बून्दी	51	250	3	20	7	2	1	1	–
2	हिण्डोली	सीएचसी हिण्डोली	8	9	1	5	1	1	1	–	–
3		सीएचसी अलोद	4	10	0	2	0	0	0	–	–
4	नैनवां	सीएचसी नैनवां	6	15	3	5	1	1	1	–	–
5		सीएचसी देई	5	17	0	2	1	1	0	–	–
6	तालेडा	सीएचसी तालेडा	9	15	2	5	1	1	1	–	–
7		सीएचसी डाबी	4	9	1	3	1	1	0	–	–
8	काप्रेन	सीएचसी काप्रेन	6	10	2	5	1	1	1	–	–
9		सीएचसी लाखेरी	5	9	2	5	1	1	1	–	–
10		सीएचसी इन्द्रगढ	2	10	1	3	1	1	0	–	–
11		सीएचसी के.पाटन	8	9	1	3	0	1	1	–	–
12		सीएचसी देईखेडा	4	7	1	2	1	0	0	–	–

जिले में कार्यरत राजकीय चिकित्सालयों मे सम्पर्क हेतु सूचना

क.स.	तहसील /ब्लॉक	चिकित्सालयो का नाम	फोन/मोबाईल सं.		दक्षता/विशेषज्ञता		अन्य विवरण
			कार्यालय	निजी			
1	2	3	4	5	6	7	10
1	जिला मुख्यालय बून्दी	सा.चि. बून्दी	7472443456	9950833830		Pediatric	–
2	हिण्डोली	सीएचसी हिण्डोली	7436276726	9414341062	MBBS		–
3		सीएचसी अलोद	7436274770	8003239370	MBBS		–
4	नैनवां	सीएचसी नैनवां	7436274469	9414962948	MBBS		–
5		सीएचसी देई	7437255060	9414230891	BDS		–
6	तालेडा	सीएचसी तालेडा	7437213688	9694014803	MBBS		–
7		सीएचसी डाबी	-	9571809009	MBBS		–
8	कापे्रन	सीएचसी कापे्रन	7438265438	9414260742		JS Surgery	–
9		सीएचसी लाखेरी	7438261087	9828561081	MBBS		–
10		सीएचसी इन्द्रगढ	743853033	9587236803	MBBS		–
11		सीएचसी के.पाटन	7438264720	9413128642	MBBS		–
12		सीएचसी देईखेडा	7438268870	7891422060		–	

निजी चिकित्सालयो की सूचनाऐं

क.स.	तहसील/ब्लॉक	चिकित्सालयो का नाम	कार्यरत मेडिकल स्टाफ		चिकित्सालय में उपलब्ध संसाधन की संख्या						
			डाक्टर	अन्य स्टॉफ	ऐम्बुलेन्स	स्टेचर	ईसीजी	एक्सरे	ब्लड बैंक	ईएनटी	औथोपेडिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बून्दी	व्यास नर्सिग होम	2	12	0	2	1	0	0	0	0
2		अनुराग नर्सिग होम	3	11	2	4	2	2	0	1	1
3		बून्दी हॉस्पी0 एण्ड रिसर्च सेन्टर	6	20	0	4	2	2	0	0	0
4		माया हॉस्पीटल	1	13	0	7	1	1	0	0	0
5		के0के0 हॉस्पीटल	1	15	0	5	1	1	0	0	0
6		माहेश्वरी चिल्ड्रन हॉस्पी0	1	6	0	2	0	1	0	0	0
7		सदासुखी नर्सिग होम	1	8	0	2	0	1	0	0	0
8		सिटी हॉस्पीटल	1	3	0	0	0	0	0	0	0
9		महात्मा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पी0	1	5	0	1	1	1	0	0	0
8	कापे्रन	कृष्णा नर्सिग होम	1	8	0	2	1	1	0	0	0
9	तालेडा	के0एम0हॉस्पीटल	2	3	0	0	0	0	0	0	0

जिले में कार्यरत निजी चिकित्सालयों मे सम्पर्क हेतु सूचना

क.स.	तहसील /ब्लॉक	चिकित्सालयो का नाम	फोन/मोबाईल सं.		दक्षता/विशेषज्ञता		अन्य विवरण
			कार्यालय	निजी			
1	2	3	4	5	6	7	10
1	बून्दी	व्यास नर्सिंग होम	7472443389	-		Gynecologist	–
2		अनुराग नर्सिंग होम	7472443660	9829035666		Orthopedic	–
3		बून्दी हॉस्पी0 एण्ड रिसर्च सेन्टर	7472442230	9414175230		Surgery	–
4		माया हॉस्पीटल	-	9414175660		Surgery	–
5		के0के0 हॉस्पीटल	-	9414310137		Surgery	–
6		माहेश्वरी चिल्ड्रन हॉस्पी0	7472444666	9414175566		Pediatric	–
7		सदासुखी नर्सिंग होम	7472442280		MBBS		–
8		सिटी हॉस्पीटल	-	8890890999		Physician	–
9		महात्मा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पी0	-	9414015102		Pediatric	–
8	काप्रेन	कृष्णा नर्सिंग होम	-	9413070429		Gynecologist	–
9	तालेडा	के0एम0हॉस्पीटल	-	9414230457		Gynecologist	–

चिकित्सको की सूची

P.B.S.S. GENERAL HOSPITAL BUNDI

S.N	Dr. Name	Post	Mobile Number
1	Dr. Navneet Vijay	S.S. Eye (PMO)	9414256978
2	Dr. Gajananad Verma	S.S. Pead	9950833830
3	Dr. T.C. Mahaver	S.S. Med.	9414346137
4	Dr. Dhanraj Madhur	S.S. Ortho	9414175970
5	Dr. Naresh Jatoliya	S.S. ENT	9887403999
6	Dr. D.S. Sharma	J.S. Pead	9414256645
7	Dr. Prabhakar Vijay	J.S. Surgery	9414175401
8	Dr. Rakesh Taneja	J.S. Surgery	9829425465
9	Dr. Anil Gupta	J.S. Anets.	9829176256
10	Dr. O.P. Verma	S.M.O. (DY CONTROLLER)	9829577333
11	Dr. Dinesh Sharma	J.S. Eye	9414321678
12	Dr. Pukhraj Meena	J.S. Surgery	9414732043
13	Dr. Anil Saini	J.S. Surgery	9414745112
14	Dr. Kilesh Chand Meena	S.M.O.	9414986363
15	Dr. C.L Dadhich	S.M.O.	9829408428
16	Dr. Nirmal jain	S.M.O.	9829918244
17	Dr. Babulal Meena	S.M.O.	9414986685
18	Dr. Manoj Jain	S.M.O.	9829158040
19	Dr. Permanand Meena	S.M.O.	9414393945
22	Dr. M. Bindra	M.O.	9636588684
24	Dr. Suresh Agarwal	M.O.	9460275750
25	Dr. Govind Gupta	M.O.	9414233609
26	Dr. Laxmi Parihar	M.O.	7597808253

27	Dr. Manju Yugal	M.O.	9414256526
29	Dr. Udesh Sharma	M.O.	9413537586
30	Dr. Raghuveer Meena	M.O.	9414939313
31	Dr. Manju Bathriya	M.O.	9462970519
32	Dr. Anil Arora	M.O.	9460862486
34	Dr. Yashwant	M.O.	9414286864
35	Dr. Pawan Bharadwaj	M.O.	9461053644
36	Dr. D.D. Meena	M.O.	9462542840
37	Dr. Gorishankar	M.O.	9799806812
38	Dr. Anil Jangir	M.O.	9001052919
39	Dr. Shivani Meena	M.O.	8104450165
40	Dr. Satyananayan Meena	M.O.	9672406800
41	Dr. B.S.Meena	M.O.	9414341027
42	Dr. Yogesh Sharma	M.O.	9461752010
43	Dr. Nirmala Meena	M.O.	9414939313
44	Dr. Kalp Sandliya	M.O.	9680626346
45	Dr. Preeti Chouhan	M.O.	9468525288
46	Dr. Bhag Chand Nagar	M.O.	9413825805
48	Dr. Rashmi Gupta	M.O.	9636253011
49	Dr. Amar Sharma	M.O.	9669940151
50	Dr. Kishan Lal Badhiliya	M.O.	9694944069
51	Dr. Laxmi Naranyan Meena	S.M.O.	9414331507
52	Dr. Latif ul Hasan	M.O.	9414903465
53	Dr. Harish Tiwari	PHYTHTROPIST	9413067788
54	Dr. Laxmi Varma	M.O.	9929326464
55	Dr. Rajesh Vrandwani	M.O.	9414226878
56	Dr . Jitender Chouhan	M.O.	
57	Dr. Vijay Sharma	M.o	9829795432

क्र.सं.	चिकित्सा संस्था का नाम	चिकित्सक का नाम	eksckbZy uEcj
1	**मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी**	**डॉ सुरेश जैन**	**9829680813**
2	**प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बून्दी**	**डॉ नवनीत विजय**	
3	**अति0 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी**	**डॉ0 भरतराज मीणा**	**9166360920**
4	**आरसीएचओ**	**डॉ0 जे. पी. मीणा**	**9414175113**
5	**उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा0)**	**डॉ0 अविनाश शर्मा**	**9460678070**
6	**लेप्रोसी**	**डॉ0 सी. पी. वर्मा**	**9413118305**
7	**टी0बी0**	**डॉ0 डी. के. माथुर**	**9414986611**
8	चिकि0 अधि0 (लीव रिजर्व)	डॉ0 शुभम व्यास	9468663552
9	चिकि0 अधि0 (लीव रिजर्व)	रिक्त	
10	जिला कार्यक्रम प्रबंधक एनआरएचएम	श्री देवराज गुर्जर	9468968314

11	**बीसीएमओ बून्दी**	**रिक्त**	
12	सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र खटकड	डॉ0 गोरधनलाल नागर	9887755724
13	सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र खटकड	डॉ0 रोहित जैन	
14	सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र खटकड	रिक्त	
15	सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र खटकड	डॉ0 योगेन्द्र कुमार साहु	9571377331
16	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नीम का खेडा	डॉ0 दिवाकर जैन	9461423092
17	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र माटून्दा	डॉ0 जावेद अख्तर	9602255684
18	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नमाना	डॉ0 दिक्षा रेवाल	9414175622
19	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुढानाथावत	रिक्त	
20	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रायथल	डॉ0 अविनाश शर्मा	9784708777
21	**बीसीएमओ कापरेन**	**रिक्त**	
22	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देहीखेडा	डॉ0 अमरजीत मीणा	9667979125
23	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देहीखेडा	डॉ0 दिनेश कुमार शर्मा	9828321890
24	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देहीखेडा	डॉ0 विक्रम सिंह हाडा	9950091588
25	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देहीखेडा	डॉ0 ललित मीणा	8769600983
26	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देहीखेडा	डॉ0 चन्द्रन मीणा	9602447679
27	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काप्रेन	डॉ0 राजेश मीणा	9799161544
28	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काप्रेन	डॉ0 अन्जू वर्मा	9799161544
29	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काप्रेन	डॉ0 समीर टण्डन	8003361466
30	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काप्रेन	डॉ0 जगदीश प्रसाद मीणा	9414539450
31	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काप्रेन	डॉ0 ओजस्विनी	
32	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काप्रेन	डा0 बृजमोहन मालव	
33	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काप्रेन	डा0 बृजसुन्द्रर मीणा	
34	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाखेरी	डा0 सुनीता दुआ	9828561081
35	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाखेरी	डॉ0 राजेन्द्र	9460426422
36	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाखेरी	डॉ0 शोभागमल मीणा	
37	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाखेरी	डॉ0 राजेश वर्मा	9460937809
38	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाखेरी	**डॉ0 मांगी लाल मीणा ख.मु.चि.**	9460033822
39	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाखेरी	डॉ0 महावीर मीणा	
40	सामु0स्वा0केन्द्र, इन्द्रगढ़	डॉ0 दिनेश कुमार शर्मा	9828321890
41	सामु0स्वा0केन्द्र, इन्द्रगढ़	डा0 मुकेश शर्मा	9929298492
42	सामु0स्वा0केन्द्र, इन्द्रगढ़	डॉ0 गणेश लाल मीणा	9784004098
43	सामु0स्वा0केन्द्र, इन्द्रगढ़	डॉ0 अक्षिता अग्रवाल	
44	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के0पाटन	डा0 महावीर दीक्षित	9413085985
45	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के0पाटन	डॉ0 वेदान्ति सिंह	9828782807

46	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के0पाटन	डॉ0 के.बी. शर्मा	9414617583
47	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के0पाटन	डॉ0 मन्जू चन्देल	9413128642
48	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के0पाटन	डॉ0 रियाज मोहम्मद	9214955340
49	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के0पाटन	डॉ0 राजदीप मीणा	9414750153
50	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के0पाटन	डॉ0 उमेश मीणा	9928675729
51	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के0पाटन	डॉ0 सतीश सक्सेना	9982147567
52	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के0पाटन	डॉ0 आयुषी अग्रवाल	
53	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडाखेडा	डॉ0 देवकीनन्दन	9166478864
54	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडाखेडा	डॉ0 कोस्तुभ सिंह	
55	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सु0मण्डी	डॉ0 धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता	
56	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सु0मण्डी	डॉ0 अभिषेक कसेरा	
57	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अरनेठा	डॉ0 अदीब अमीर अंसारी	
58	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अरनेठा	डॉ0 धर्मेन्द्र सिंह	8764314451
59	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झाली जी का बराना	डॉ0 योगश श्रीवास्तव	
60	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मायजा	डॉ0 महेन्द्र कुमार गोचर	8441920510
61	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, समीधी	डॉ0 मिथलेश गोस्वामी	
62	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलकासा	डॉ0 स्वेता भगवती	8094709730
63	सामुदायिक स्वा0 केन्द्र करवर	डॉ0 मुरारी लाल	9414746655
64	बीसीएमओ तालेडा	रिक्त	
65	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तालेडा	**डॉ0 मोहन लाल वर्मा ख.मु.चि.**	9414346038
66	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तालेडा	डॉ0 राजीव मथुरिया	
67	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तालेडा	डा0 चेतन मालव	9456330220
68	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तालेडा	डॉ0 राजकुमार काबरा	9828131956
69	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तालेडा	डॉ0 परमानन्द गुप्ता	9772334101
70	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तालेडा	डॉ0 पुरूषोत्तम कु.महावर	9784834356
71	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तालेडा	डॉ0 प्रेमचन्द मालव	9694014803
72	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तालेडा	डॉ0 निशा शर्मा	9782139184
73	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तालेडा	डॉ0 जगदीश अग्रवाल	9414595900
74	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तालेडा	डॉ0 रोशन आरा	9875646357
75	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डाबी	डॉ0 के0बी0 मालव	9571809009
76	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डाबी	डॉ0 रजा खान	
77	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डाबी	डॉ0 जितेन्द्र कुमार यादव	
78	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डाबी	डॉ0 सुर्यप्रकाश कलवार	
79	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ठिकरिया चारणान	डॉ0 मधु सिंह	8875759857
80	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुंवासा	डॉ0 राम मनोहर कुशवाह	9887612974

81	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरूंधन	डॉ0 शिरिष मण्डावरा	
82	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरूंधन	डॉ0 नरेश कुमार मेवाडा	9462729729
83	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लाम्बाखोह	डॉ0 हरिश मीणा	
84	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ज0 सा0 बांध	डॉ0 गोरांग जोशी	
85	बीसीएमओ हिण्डोली	**डॉ0 दुर्गा शंकर वर्मा**	9929742220
86	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अलोद	डॉ0 मो0 शाहिद	9166044143
87	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अलोद	डॉ0 अमित मालव	8003239370
88	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अलोद	डॉ0 स्वाती प्रजापत	
89	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिण्डोली	डॉ0 जगवीर सिंह	9414341062
90	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिण्डोली	रिक्त	
91	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिण्डोली	डॉ0 रमेश चन्द कुशवाह	8955882051
92	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिण्डोली	डॉ0 इकबाल अली	
93	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिण्डोली	डॉ0 मनीष शर्मा	
94	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिण्डोली	डॉ0 सुरेन्द्र मीणा	
95	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानीपुरा	डॉ0 सुभेन्द्र दत खरेडिया	
96	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानीपुरा	रिक्त	
97	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दबलाना	डॉ0 आशीष शर्मा	
98	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दबलाना	डॉ0 उमा शंकर सेनी	
99	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडानयागांव	डा0 विनय भार्गव	9413471924
100	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडानयागांव	डॉ0 परितोष श्रंगी	
101	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बसोली	डॉ0 सरेश जाट	
102	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोठडा	डॉ0 कुलदीप सिंह	
103	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थाना	डॉ0 अर्पित पारीक	
104	बीसीएमओ नैनवा	**डॉ0 आशीष अग्रवाल**	9460665188
105	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नैनवां	डॉ0 समदरलाल मीणा	9414962948
106	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नैनवां	रिक्त	
107	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नैनवां	डॉ0 गोपाल लाल नागर	9828682073
108	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नैनवां	डॉ0 आरती जैन	9784335135
109	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नैनवां	डा0 कृष्ण कुमार	9352167899
110	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नैनवां	डॉ0 विनीत गुप्ता	9414963036
111	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देई	**डॉ0 योगेश पंवार**	9414230891
112	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देई	डॉ0 संकल्प शर्मा	8962206640
113	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देई	डॉ0 के के गुनेशवाल	8890879132
114	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देई	डॉ0 केशव शर्मा	8619545694
115	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देई	डॉ0 वन्दना बुजेटिया	7737678794

115	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तलवास	डॉ0 राजेश मीणा/रोहित जेन	9414425940
116	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दुगारी	पीपीपी मोड	
117	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बामणगांव	पीपीपी मोड	
118	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बांसी	डॉ0 कौशल कुमार गोयल	7597474640
119	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बांसी	डॉ0 निकिता गुप्ता	
120	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जजावर	पीपीपी मोड	
121	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करवर	डॉ0 मुरारी लाल	
122	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुढादेवजी	डॉ0 दीपक चोपडा	

चिकित्सा सम्बन्धी उपकरणों की सूची

तहसील	अस्पताल एवं डायग्नोसिस केन्द्र	फोन नं.	उपकरणों का प्रकार	संख्या
बून्दी	समान्य चिकित्सालय, बून्दी	2443456	एक्स–रे	2
			ई.सी.जी. मशीन	2
			सोनोग्राफी	1
			डेन्टल केयर	1
			ENT एवं नेत्रा विभाग	1
			आई.सी.यू.	1
के.पाटन	सामु.स्वा.केन्द्र, कापरेन	265438	एक्सरे मशीन	1
			ई.सी.जी. मशीन	1
नैनवा	समु. प्राथमिक स्वा.केन्द्र, नैनवा	257080	एक्सरे मशीन	1
			ई.सी.जी. मशीन	1
नैनवा	सामु.स्वा.केन्द्र, देई	255060	एक्सरे मशीन	1
			ई.सी.जी. मशीन	1
			डेन्टल चेयर	
इन्दरगढ़	सामु.स्वा.केन्द्र, इन्दरगढ़	261140	एक्सरे मशीन	1
			ई.सी.जी. मशीन	1

चल चिकित्सालयों की सूची

तहसील	विशेषज्ञता	क्षमता	कर्मचारी संख्या	फोन
बून्दी	जे0एस0नेत्रा	1	5	2442895

बून्दी जिले में कार्यरत 108 एम्बूलेन्स की सूची

क्र.स.	108 का पदस्थापन	रजिस्ट्रेशन नम्बर	वाहन पर कार्यरत पायलट का नाम	वाहन पर कार्यरत ईमटी (जीएनएम) का नाम ं.	मोबाईल नम्बर

1	बून्दी	RJ-14 Pc-5449	दिनेश, मांगीलाल	भगवान मीण, भरत	9672974869
2.	हिण्डोली	RJ-14 PB-7121	गोविन्द सिंह, मधुसुदन	नूतन शर्मा, शबीर हुसैन	9672972741
3.	बसोली	RJ-14 PB-8967	राजेन्द्र कुमार, रामलक्ष्मण	अनिल प्रतिहार, रमेश	9672977036
4.	बून्दी का गोठडा	RJ-14 Pd-0378	हेमराज,इमदाद अली	गोपाल,पवन	9672978887
5.	के0पाटन	RJ-14 Pd-0005	परमानन्द, रामविलास	अजय,निर्मल	9672978527
6.	लाखेरी	RJ-14 PB-7286	दामोदर,महावीर	असलम,महेश	9672977037
7.	काप्रेन	RJ-14 Pc-5071	दिलखुश, सुवालाल	गुलाम हैदर,सुरेश	9672974108
8.	नैनवॉ	RJ-14 Pc-5070	शंकर, सीताराम	मानसिंह,प्रदीप	9672974107
9.	डाबी	RJ-14 Pb-7418	अजरूद्दिन, भगचन्द	रितेश, अमरचन्द	9672977035
10.	तालेड़ा	RJ-14 Pb-7416	रामसिंह,महादेव	राधेश्याम,देशराज	9672977034

बून्दी जिले में कार्यरत 104 एम्बूलेन्स की सूची

क्र.स.	104 का पदस्थापन प्राथ./सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	रजिस्ट्रेशन नम्बर	वाहन पर कार्यरत पायलट का नाम	सी.यू.जी. नम्बर
1	सुवांसा	RJ-08- PA 1109	संजय कुमार	7412027620 80034311612
2	हिण्डोली	RJ-08- PA 1355	अशोक कुमार, राजकुमार	7412027622 9784692022
3	दबलाना	RJ-08- PA 1108	अम्बालाल, रमेश सैनी	7412027618 9636045159
4-	बडाखेड़ा	RJ-08- PA 1107	मुकेश मीणा	7412027614 9950517784
5-	कापरेन	RJ-08- PA 1359	दिनेश मीणा, साबूद्दीन	7412027627 9928012510
6-	के.पाटन	RJ-08- PA 1361	तुलसीराम, शोभागमल	7412027626 9799096603
7	लाखेरी	RJ-08- PA 1358	दिलजीत सिंह, सोनू कुमार	7412027621 9929488012
8-	बराना	RJ-08- PA 1110	भवरंसिंह प्रथम व भॅवर सिंह द्वितिय	7412027615 9784120750
9-	बामनगाँव	RJ-08- PA 1105	शिवराज	7412027616
10	बांसी	RJ-08- PA 1106	अकरम, बनवारीलाल	7412027617 9784873672
11	देई	RJ-08- PA 1357	फौजी लाल, सागर	7412027625 9001123448

12	नैनंवा	RJ-08- PA 1356	रामफूल, विनोद कुमार	7412027623 9414919532
13	बरूंधन	RJ-08- PA 1104	मोहनलाल, महावीर वर्मा	7412027619 9772139337
14	तालेड़ा	RJ-08- PA 1360	हेमराज, आबिद अली	7412047624 9636572049

बून्दी जिले में कार्यरत बेस एम्बूलेन्स की सूची

क्र. स.	बेस एम्बूलेन्स का पदस्थापन	रजिस्ट्रेशन नम्बर	वाहन पर कार्यरत पायलट का नाम	वाहन पर कार्यरत ईमटी (जीएनएम) का नाम .	मोबाईल नम्बर
1	बून्दी	RJ-08 PA-1309	समीर	हरीश	7412027226

Annexure

परिशिष्ट–1: जिला प्रोफाईल–

भौगोलिक स्थिति

बून्दी जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्व में एक अनियमित समलम्ब चतुर्भुज आकार लिये हुये $24^{0}54'$से $25^{0}53'$ उत्तरी अक्षांश तथा $75^{0}19'$ से $76^{0}19'$ तक पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसकी लम्बाई पूर्व से पश्चिम तक 111 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक लगभग 104 किलोमीटर है। जिले के उत्तर में टोंक, सवाई माधोपुर, दक्षिण–पश्चिम में चित्तौडगढ़ और पश्चिम में भीलवाड़ा तथा दक्षिण–पूर्व में कोटा जिला है। इस क्षेत्रा की सबसे बडी विशेषता यह है कि इसके उत्तर–पूर्व और दक्षिण– पश्चिम दिशाओं में दो पर्वत श्रेणियां फैली हुई है। यह क्षेत्रा मुख्यतः विन्ध्याचलीय चट्टानों से बना है तथा पहाड़िया व पर्वत मालाएं इसकी विशेषता है। जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 1793 फिट तक की है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हिण्डोली तहसील में सथूर में है। जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1793 फिट है। जिले का उत्तरी– पश्चिम भू भाग अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रा है। यहां की भूमि कठोर और पथरीली है, परंतु दक्षिणी–पूर्वी मैदानी भागों में सामान्यतया उपजाऊ काली मिट्ठी पाई जाती है।

जिले में पांच मुख्य नदियां चम्बल, मेज, मांगली, तालेड़ा एवं घोड़पछाड़ तथा लगभग 43 तालाब हैं। जिनमें फूलसागर, दुगारी झील, हिण्डोली का तालाब, नैनवां का तालाब, तलवास का तालाब, जैतसागर एवं नवलसागर प्रमुख हैं।

आर्थिक स्थिति

प्रमुख फसलेः–

बून्दी जिले मे प्राकृतिक संसाधनो की उपलब्धता के कारण कृषि मुख्य जीविका उपार्जन का प्रमुख स्त्रोत है जिले की प्रमुख फलसो मे धान , गेहूॅ, सोयाबीन, उडद, तिल, सरसो , मक्का व मटर है।

रबी फसलेः–गेहॅ, जो, चना, सरसो, मटर , धनियॉ,मैथी, लहसुन आदि

खरीफ फसले–धान, मक्का, ज्वार, सोयाबीन, मॅूगफली, तिल, गन्ना, उडद, मॅूग आदि

इसके अतिरिक्त जिले मे व्यवसायिक दृष्टी से फल और सब्जियॅा भी बोई जाती है ।अमरूद पपीता , नीबू, और आम के पेड आमतौर पर पाये जाते है। फल व सब्जियॅा प्रचुर मात्रा मे अन्य जिलो को निर्यात की जाती है।

क.सं.	फसलो का नाम	उत्पादकता किलोग्राम / है0 वर्ष 2016–17
1	बाजरा	1093
2	ज्वार	546
3	गेहूॅ	4171
4	मक्का	2907
5	जो	2993
6	चावल	2228
7	चना	1130
8	तिल	187
9	मॅूगफली	2029
10	मटर (फली)	3031
11	गन्ना	61908

12	सोयाबीन	931
13	सरसो राई	1400
14	आलू	6781
15	लाल मिर्च	886
16	मूॅग	438
17	उडद	443
18	मसूर	1018
19	तारामीरा	433
20	धनियॉ	1078
21	जहसुन	4505
22	मेथा	1546

प्रमुख उद्योग

जिले में पानी, ऊर्जा के साधनों की कमी के कारण औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। जिले में वृहद उद्योग मैसर्स एसोसिएटेड सीमेन्ट कम्पनी लाखेरी व बंगे इण्डिया, रामगंज बालाजी, अडाणी विलमार लिमिटेड सिलोर चौराहा, बून्दी मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त जिले में वर्ष 2015 में लगभग 4540 लघु उद्योग पंजीकृत हैं।

नमदा, दरी, निवार एवं बीड़ी जिले के मुख्य कुटिर उद्योग हैं। इसके अतिरिक्त गांव की पुरानी दस्तकारी जैसे कुम्हारगिरि, कुल्हारगिरि, सुनारगिरि, चमड़े का काम, बढईगिरि, बुनने और कातने के कार्य होते हैं।

संचार एवं यातयात

जिले में दो प्रमुख रेल मार्ग हैं। दिल्ली–मुम्बई रेल मार्ग जो जिले के गुडला, के. पाटन, अरनेठा, कापरेन, लाखेरी व इन्द्रगढ़ तथा कोटा–नीमच रेल मार्ग से जिले के गुडला, देहित, तालेड़ा, कोथ्या, बूदी श्रीनगर, नीम का खेड़ा जुड़े हुए हैं।

जिले से दो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12, 76 एवं एक मेगा हाइवे कोटा से लालसोट गुजरता है जिनकी कुल लम्बाई लगभग 220 कि.मी. है। जिले के लगभग सभी महत्वपूर्ण स्थल सड़को से जुड़े हुए है। जिले में लगभग 160 कि.मी. रेलमार्ग भी है।

जनसंख्या :– 2011 की जनगणना के अनुसार बून्दी जिले की कुल जनसंख्या 1113725 है। जिनका विवरण निम्नानुसार है।

2.0 जनसंख्या- 2011						
क्र. सं.	**वर्ष / तहसील**	**क्षेत्र**	**जनसंख्या**			**projected 2025**
			पुरुष	**स्त्री**	**योग**	
1	2	3	4	5	6	
2011		ग्रामीण	461734	426471	888205	1065634
		नगरीय	115426	107275	222701	267188
		योग	577160	533746	1110906	1332822

1-हिण्डोली	ग्रामीण	114242	105726	219968	263909
	नगरीय	857	776	1633	1959
	योग	115099	106502	221601	265868
2- नैनवां	ग्रामीण	92236	84349	176585	211860
	नगरीय	10098	9387	19485	23377
	योग	102334	93736	196070	235237
3- इन्द्रगढ	ग्रामीण	45457	41609	87066	104458
	नगरीय	21004	19645	40649	48769
	योग	66461	61254	127715	153228
4-केशोरायपाटन	ग्रामीण	56203	52409	108612	130308
	नगरीय	23461	21914	45375	54439
	योग	79664	74323	153987	184748
5-बूंदी	ग्रामीण	153596	142378	295974	355098
	नगरीय	60006	55553	115559	138643
	योग	213602	197931	411533	493741

सामाजिक स्थितिः– यहां वर्षों से कई स्थानीय मेले लगते रहते हैं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बूंदी में कजली तीज का मेला और केशवरायपाटन में कार्तिक पूर्णिमा, लाखेरी में गणगौर एवं नैनवां में दहेलवाल जी का मेला मुख्य है। इसके अलावा बूंदी में दशहरा मेला, कापरेन में पशु मेला, तालेड़ा में तेजाजी का मेला, अलोद का पशु मेला मुख्य है।

स्थानीय प्रशासन

बून्दी जिला निम्न लिखित 6 उपखण्डों एवं 6 तहसीलों में विभाजित है :–

उपखण्ड का नाम	तहसील का नाम	ग्रामों की संख्या	जनसंख्या (2011)
बून्दी	बून्दी	166	413605
तालेड़ा	तालेड़ा	106	
के.पाटन	के.पाटन	122	154415
लाखेरी	इन्द्रगढ़	121	127881
नैनवां	नैनवां	190	196121
हिण्डोली	हिण्डोली	186	221703
योग (6)	**(6)**	**891**	**1113725**

जिले में एक जिला परिषद, 5 पंचायत समितियां, 183 ग्राम पंचायतें एवं 6 शहरी स्थानीय निकाय हैं जिनका विवरण निम्नानुसार हैं :–

जिला परिषद का मुख्यालय बून्दी स्थित है। जिला परिषद में 23 सदस्य हैं एवं इसके अध्यक्ष जिला प्रमुख हैं:–

पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों का विवरणः–

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या
1.	बून्दी	30
2.	तालेड़ा	32
3.	हिण्डोली	42

4.	के.पाटन	46
5.	नैनवां	33

शहरी स्थानीय निकायों का विवरण

क्र.सं.	स्थानीय निकाय	शहर / कस्बा
1.	नगर परिषद्	बून्दी
2.	नगर पालिका	के.पाटन
3.	नगर पालिका	कापरेन
4.	नगर पालिका	लाखेरी
5.	नगर पालिका	इन्द्रगढ़
6.	नगर पालिका	नैनवां

जिले में 3 विधान सभा क्षेत्रा – बून्दी, हिण्डोली, के.पाटन है। जिला बून्दी (कोटा–बून्दी) व भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रा में आता है।

परिशिष्टः– 2 आपदा जोखिम प्रबंधन से संबंधित कानून और नीतियां

परिशिष्ट :– 3 आश्रय स्थल सूचना

सामुदायिक भवन

S. No.	Name and Location	No. of Rooms	Construction Type
	Tehsil : Bundi		
	Rajat Grah	3	Pucca
	Devpura	2	Pucca
	Banganga	2	Pucca
	Jailkund	1	Pucca
	Rainbasera (In hospital campus)	1	Pucca
	Rainbasera (Lanka Gate)	6	Pucca
	Gurunanak colony,Bundi	**1**	Pucca
	Undalion ki dungari	**2**	Pucca
	Indra colony,bundi	2	Pucca
	Raiger basti	3	
	Bidi karkhana	4	
	Tehsil : K-PATAN		
	Balaji bagichi ke pas ward no8 kapren	1	Pucca
	Shiv nagar ward no12 kapren	2	Pucca
	Ambedker com.hall ward no. 18 k.p.	1	Pucca
	Kalyan pura com. hall ward no. 16 k.p.	1	Pucca
	Tehsil : INDERGARH		
1.	Ward no. 1, indergarh	1	Pucca
2.	Ward No. 4 Bihari Mandir Lakheri	2	Pucca
3.	Ward no. 8, indergarh	1	Pucca
4.	Harijan colony , lakheri	2	Pucca
5.	Tambol khana, lakheri	2	Pucca
6.	Naka No. 1 lakheri	2	Pucca
7.	Station area lakheri	2	Pucca
8.	Samudayak Bhawan Lakheri	3	Pucca
	Tehsil : NAINWA		

1-	**P.W.D. rest house, nainwa**		Pucca

विश्राम स्थलों की सूची

S.No.	Name and Location	No. of Rooms	Construction Type	Tel. No.
	Tehsil : Bundi			
	Digamber Jain Khandelwal Dharamshala	13	Pucca	
	Sant Kanwar Ram Dharamshala	11	Pucca	2443686
	Dhan Mandi Dharamshala	42	Pucca	2442971
	Kailash Narayan Dharamshala	10	Pucca	
	Karigar Dharamshala	13	Pucca	2443005
	Dak Buglow Bundi	5	Pucca	
	Circuit House Bundi	5	Pucca	
	krishi upaj mandi rest house	4	Pucca	
	Rain basera , lanka gate bundi	4	Pucca	2443903
	Tehsil : HINDOLI			
	Chater ganj nursery (forest deptt-)	3	Pucca	
	Rest house Gudha bandh (irrigation deptt-)	2	Pucca	
	Rest house Sanwat garh (irrigation deptt-)	2	Pucca	
	Rest house Gotheda (irrigation deptt-)	3	Pucca	
	Tehsil : NAINWA		Pucca	
	Gandhi visharam girh	3	Pucca	
	Dhakdo ki dharm shala	10	Pucca	
	Shanti veer jan dharm shala	4	Pucca	
	Jain dharm shala ,chandra prabhu ji	6	Pucca	
	Jain dharm shala ,dai	4	Pucca	
	Jain dharm shala ,Nasiya ji ke pas,dai	6	Pucca	
	Tehsil : k.patan			
1-	Vishram girh ,sichaie colony, k.patan	3	Pucca	
2.	Vishram girh Chamble sichaie colony, k.patan	2	Pucca	
	Tehsil : Indergarh			
1-	Trust Mandir Chandra Bihari Dharmshala	7	Pucca	
2-	Radhika Vishram Grah	3	Pucca	

परिशिष्ट–4: मीडिया भागीदारी–

टीम लीडर– पीअरओ– आपात स्थिति की सही समय पर और सुसंगत जानकारी प्रदान करने के लिये सरकार और समाचार मीडिया के सभी सतरों की एक जिम्मेदारी है। संभावना है कि मीडिया बिजली विफलताओं के कारण उचित परिचालन नहीं कर सके, फिर भी मीडिया बाद में स्थानीय प्रसार के लिये जानकारी इकटठा करने के लिये उपस्थित होगा। मीडिया आपदा की स्थिति के बारे में जनता को सूचित करने के लिये प्रमुख संसाधन है और कुछ रेडियो प्रसारण मीउिया में लंबे समय तक भूमिका के लिये उन्मुख किया गया है। राहत , पुनर्वास और बहाली गतिविधियों के लिये आवश्यक है कि मीडिया और प्राथमिकता के उच्च्य सतर के उपयोग के लिये रेडियो प्रसारण क्षमता को बहाल करने के लिये सेट किया जाना चाहिए।

आपातकालीन घोषणाओं को पहुंचाने और राज्य सरकार की घोषणाओं की पूर्व से प्रसारण की व्यवस्था , जीवित रहने का संकल्प और जिला प्राधिकारी को सहायता के प्रावधान शामिल हैं।

एक बडी. आपदा में एक सार्वजनिक सूचना केन्द्र जिला समन्वय समिति (जन सूचना केंद्र) का एक अभिन्न अंग के रूप में स्थापित किया जाएगा।

मीडिया सार्वजनिक जानकारी क्षमताओं को होने वाले नुकसान के निर्धारण में सहायता करता है। जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से परिचालन मीडिया के लिये सार्वजनिक सूचना घोषणाएं अद्यतन

गुजरती है।

आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में सूचना और जानकारी के प्रचार में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इलैक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया दोनों की बहुमुखी क्षमता को पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा। मीडिया के साथ प्रभावकारी सहभागिता को सामुदायिक जागरुकता, शीघ्र चेतावनी तथा विभिन्न आपदाओं के संबंध में प्रचार व शिक्षण के क्षैत्र में कार्यान्वित किया जाएगा।

परिशिष्ट–5:– चिकित्सा और अस्पताल प्रबंधन योजना–

आंतरिक सुरक्षा,प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन,नरेगा,अकाल एवं बाढ नियंत्रण के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आपात योजना

जिले प्रायः माह जून के मध्य में मानसून प्रवेश करता है तथा नदी, नालों में भी पानी आने की संम्भावना रहती है। जो लगभग अक्टूबर माह तक बहता है।

साथ ही क्षेत्र में आंतककारी घटनाओं, असामाजिक तत्वों द्वारा की जाने वाले आगजनी, तोड–फोड, फिदायीन हमलों, महामारी/अकाल की आशंका, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, जमीन धंसना इत्यादि प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपआदों के समय जान–माल की हानि से बचाव, रोकथाम एवं उपचार बाबत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आपात कार्ययोजना निम्न प्रकार से है :–

जिले में चिकित्सा संस्थानो की वर्तमान स्थिति

मेडिकल कॉलेज	1
जिला अस्पताल	1
जिला क्षय निवारण केन्द्र	1
उपजिला चिकित्सालय	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/रा.चि.	17
प्राथमिक स्वा. केन्द्र/डिस्पेंसरी	30
उप स्वा. केन्द्र	211

(1) आंतरिक सुरक्षा,प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन, अकाल एवं बाढ आदि के प्रकार

(क) आंतरिक सुरक्षा/आंतककारी हमलों के दौरान :–जिले में भीड–भाड वाले तथा आंतककारी हमले के संभावित संवेदनशील क्षेत्रों (जिनकी संभावित सूची निम्न प्रकार से है) में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक/ अप्राकृतिक आपदा जैसे आंतकवादी (फिदाइन हमले) हमले, बम्ब ब्लास्ट, गोलीबारी, कारखानों में दुर्घटना,धरना ,प्रदर्शन,विरोध प्रदर्शन,चक्काजाम आदि के दौरान होने वाले जान–माल की हानि, घायलों के तुरन्त उपचार की व्यवस्था नजदीकी चिकित्सा संस्थाओं में की गई है।

संवेदनषील क्षेत्र :–

1.रेलवे स्टेशन, बून्दी
2.बस स्टैण्ड बून्दी
3.राजकिय जिला सामान्य चिकित्सालय, बून्दी
4..कलेक्ट्रेट एवं न्यायालय परिसर, बून्दी
5.चारभूजा जी का मंन्दिर, बून्दी
6..सदर बाजार, बून्दी ।

(ख)सम्भावित बाढ प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत चिकित्सा संस्थानः–

चम्बल, एवं अन्य नदीयों के बहाव क्षेत्र में आनी वाले चिकित्सा संस्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीएचसी/उप स्वास्थ्य केन्द्रों को निर्देशित कर दिया गया है कि किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा/बाढ के प्रकोप से होने वाली आपदाओं से बचने के लिए अपने संस्थान में आवश्यक औषधि का भण्डारण रखे एवं आवश्यकता पड़ने पर बचाव व उपचार कार्य आरम्भ करेगें। सर्वे,बचाव एवं उपचार बाबत आर.आर.टी तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ कर देगी। ब्लीचिंगपाउडर, ओ.आर. एस.पैक्टस, हैलोजन की गोलियां, आई.वी.फल्यूड, ड्रिप, आदि की व्यवस्था की गई है। मलेरिया से बचाव के लिये बाढ/वर्षा से भरे गढढों में एंटी लार्वा कार्यवाही की जा रही है।

(ग)**अतिवृष्टि,ओलावृष्टि एवं पानी भराव की समस्याः–**

जिले के विभिन्न कस्बों/गांवों में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि एवं निचली भूमि में स्थित आबादी के घरों में पानी भराव की समस्या हो सकती है। जिससे जलजनित बीमारियों जैसे मलेरिया,पीलिया,हैजा, उल्टीदस्त आदि के फैलाव का सामना करना पड सकता है। सर्वे,बचाव एवं उपचार बाबत आर.आर.टी तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ कर देगी ।

(घ)खान–पान संबंधीः–

जिले के किसी भी भाग में फूड प्वाइजनिंग, दूषित खाना खाने, दूषित जल पीने से उल्टी–दस्त, गेस्ट्रेएंटाइटिस आदि बिमारीयां होने की संभावना रहती है । ऐसे में जिला स्तर पर गठित स्वास्थ्य टीम जिसमें जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बहुउददेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टैक्नीशियन, चिकित्सा अधिकारी एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्टाफ लेकर प्रभावित स्थल का दौरा/भ्रमण करवाया जाता है तथा बचाव,रोकथाम की कार्यवाही की जाती है।

(च) अकाल राहत एवं नरेगा श्रमिकों को कार्य के दौरान चोट लगना, सर्दी, बुखार, सिरदर्द, डि–हाइड्रेशन आदि किसी भी प्रकार की शारीरिक ब्याधि हो सकती है । इनको समय समय पर चिकित्सा/स्वास्थ्य जांच उपलब्ध करवाई जा रही है । नरेगा कार्य स्थल पर पखवाडे में कम से कम एक बार स्वास्थ्य कार्यकर्ता/ नर्स–2/चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच आवश्यक रूप से की जाती है । इसी प्रकार जिले में जहां भी अकाल राहत कार्य प्रारम्भ होंगें वहां पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा श्रमिकों की समय पर जांच की जायेगी तथा आवश्यक आपातकालीन औषधियां उपलब्ध करवाई जायेगी ।

(2)आंतरिक सुरक्षा,प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन, अकाल,बाढ एवं मौसमी बीमारियों से बचाव के उपाय

(क)आपदा प्रबन्धन हेतु चिकित्सा दलों का गठन (आर.आर.टी.):– प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाओं /मौसमी बीमारियों/मलेरिया आदि की रोकथाम हेतू जिला मुख्यालय एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर रैपिड रिस्पोन्स टीम का गठन किया है जिसमें एक चिकित्सा अधिकारी एक मेल नर्स –II एवं एक पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता टीम के सदस्य होते है। ये टीमे मौसमी बीमारियों की फैलने की आशंका की सूचना मिलते ही तुरन्त प्रभावित स्थल के लिए रवाना हो जाती है। टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण कर उपचार एवं रोकथाम की कार्यवाही की जाती है। चिकित्सा दल के पास उचित मात्रा में औषधि होती है। आवश्यकता पडनें पर अतिरिक्त चिकित्सा दल की व्यवस्था भी कर मौके पर भिजवाई जाती है। क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त दल लगाकर घर–घर सर्वे करवाया जाता है ।

(ख)नियंत्रण कक्ष का गठन :–प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाओं/मौसमी बीमारियों/ मलेरिया आदि की रोकथाम हेतू जिला मुख्यालय एवं सभी सामुदायिक केन्द्रो पर नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है । जहां पर किसी भी समय दूरभाष या किसी अन्य माध्यम से सूचना पंहचने पर तुरन्त संबधित स्वास्थ्य कार्मिकों को सूचित कर दिया जाता है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर बचाव, उपचार व रोकथाम हेतु आपातकालीन दलो का गठन किया गया है ।

(ग)एम्बूलेंस की व्यवस्था :–

जिले में जिला चिकित्सालय,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला मुख्यालय पर एम्बूलेंस की सुविधा उपलब्ध है। जो सूचना प्राप्त होते ही प्रभावित स्थल के लिये तुरन्त प्रस्थान करती है। एम्बूलेंस का उपयोग रोगियों को लाने–ले जाने, चिकित्सा कर्मियों को प्रभावित स्थल/क्षेत्र में लाने–ले जाने के लिये उपलब्ध है। एम्बूलेंस में आपातकालीन औषधियां,स्ट्रेचर,की व्यवस्था रहेगी । जिले के विभिन्न स्थनों पर आपातकालीन व्यवस्था हेतू एम्बूलेंस कार्यरत है जिसको कभी भी 108/104 नं. पर डायल करके बुलाया जा सकता है। 108 नं.आपातकालीन चिकित्सा सुविधा तथा गांवों में प्रसूति सविधा के लिये 104 नं.एम्बूलेंस का उपयोग किया जा सकता है।

<u>(घ) औषधि भण्डारण</u> :–

सभी सीएचसी/पीएचसी/राजकीय चिकित्सालय में जीवन रक्षक औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है :– जैसे हलोजन गोलिया, ब्लीचिंग पाऊडर ,ओ.आर.एस./क्लोरो क्वीन गोलियां/प्रेमाक्वीन की गोलियां/जी.एन.एस./ जी.डी.डब्लयू, ओ.आर.एस.आदि। सभी रोगियों को औषधियां निःशुल्क दी जाती है जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

(च)मलेरिया नियंत्रण हेतू उपाय

मलेरिया नियंत्रण हेतू बुखार के रोगियों का घर–घर सर्वे कर रक्त पटिटकाएं बनाई जाकर जांच कर उपचार दिया जायेगा। मलेरिया पी.एफ. निकलने वाले क्षेत्रों में पाइरेथ्रम का फोकल छिडकाव किया जाएगा। मच्छरों के ब्रीडिंग पैलेसेज को खत्म किया जाएगा अथवा उनमें एम.एल.ओ. डालकर उपचारित किया जाएगा ।

मच्छरों के बायोलौजीकल नियंत्रण हेतू जोहड तालाबों में गम्बूसिया मछलियां छोडी जाएगी। बीटीआई / वेक्टोबेस का भी उपयोग किया जाएगा।

(छ) डी.डी.टी. छिड़काव :–

जिले के एपीआई–2 या अधिक के आबादी क्षेत्र/जनसंख्या में इस डी.डी.टी के दो चक्र छिडकाव किये जातें है। इसके लिये प्रतिवर्ष पृथक योजना तैयार की जाती है।

(ज)पीलिया रोग की रोकथाम

प्रत्येक उपकेन्द्र/प्रा.स्वा.केन्द्र/सीएचसी/राजकीय चिकित्सालय के क्षेत्र से पानी के नमूनेां की बैक्टीरियोलौजीकली जांच हेतू सैम्पल लेकर जन स्वा.अभि.प्रयोगषाला में भिजवाये जातें है तथा नमूना अमानक पाए जाने पर पानी संतोषजनक पाए जाने तक फॉलोअप नमूनीकरण करवाया जाता है । डिग्गी,कुण्डों,एवं टांकों का जलशुद्धिकरण करवाया जााता है । सुपर क्लोरिनेशन की जांच की जाती है तथा पीने के पानी की लाइनों में लीकेज की सूची संबंधित विभाग को उपलब्ध करवाकर मरम्मत करवाई जाती है तथा सुपरक्लोरिनशेन की कार्यवाही भी की जाती है ।

(झ)<u>स्वास्थ्य षिक्षा एवं सर्वे एवं अन्य गतिविधियांः–</u>

समय समय पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर–घर जाकर रोग सर्वेक्षण किया जाता है तथा उनको निम्न प्रकार से स्वास्थ्य षिक्षा दी जाती है :–

- तेज धूप में निकलना हो तो भोजन कर उचित मात्रा में पानी पी कर तथा सिर पर कपड़ा बाध कर या छाता लेकर ही निकले। लू–ताप घात से प्रायः कुपोषण बच्चे गर्भवती महिलाएं वृद्ध तथा श्रमिक आदि जल्दी प्रभावित होते है। इस प्रकार के रोगी को ठण्डे व छायादार स्थान पर लेटायें कपड़े ढीले कर दें। रोगी होश हवास में होतो ठण्डे पेय पदार्थ लेते रहें । रोगी की हालत ज्यादा खराब दिखाई दे तो नजदिकी चिकित्सा संस्थान में उपचार हेतु ले जायें ।
- सार्वजनिक स्थानो एवं विद्यालयों के आस–पास गंदा पानी इकट्ठा न होने देने एवं रोग के बचाव हेतू जन साधारण को जानकारी दी जाएगी ।
- शुद्ध पेय जल आपूर्ति जलदाय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से समन्वय स्थापित कर समय रहते जांच व मरम्मत कराई जाकर पेयजल स्रोतो का नियमित जल शुद्धि करण एवं पानी की जांच हेतू नमूनीकरण की कार्यवाही की जाती है।

- मलेरिया की रोकथाम हेतु रक्त की जॉच करवायें एवं गड्डो में गंदा पानी पाये जाने पर जला हुआ तेल डलवाने की व्यवस्था करवाई जावे एवं निदान हेतु जल/मल/उल्टी एवं खून की जाँच हेतु नमूने लेकर समय रहते जाँच करवायी जावेगी।
- क्षेत्र में लोगो को खान पान में लापरवाही नहीं बरतने, बासी भोजन का सेवन नहीं करने व खाना खाने से पूर्व व्यक्तिगत स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखने हेतु स्वास्थ्य षिक्षा के माध्यम से जानकारी दी जावेगी।
- अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर जनसाधारण को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु त्वरित कार्यवाही की जावेगी। क्षेत्र के अधीन समस्त चिकित्सा संस्थानो में बाढ से प्रभावी रोगियों के लिए पृथक से वार्ड व्यवस्था करायी जावेगी।
- ब्लॉक स्तर, एवं प्रा0 स्वा0 केन्द्रो पर चिकित्सा दलों का गठन कर आवष्यक जीवन रक्षक औषधियो,जल शुद्धिकरण हेतु आवश्यकतानुसार ब्लीचिंग पाउडर तथा आवश्यक दवाईयों के भण्डारण की व्यवस्था कराई जाना सुनिष्चित की जाएगी।
- विगत वर्षो में मौसमी बीमारियों के अधिक रोगी पाये जाने वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर दलों द्वारा सर्वे, जांच, तथा रोकथाम की कार्यवाही को सुदृढ बनाया जावेगा।
- दूषित जल के कारण होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु पानी की जांच हेतु लिये गये नमूनो में असंतोषप्रद पाये पेयजल स्त्रोतो का सुपर क्लोरीनेशन कराते हुए शुद्ध पेयजल आपूर्ति व्यवस्था जलदाय विभाग के सहयोग से करायी जावेगी।
- पी.एच.ई.डी. विभाग के सहयोग से सघन अभियान चलाकर पानी की जांच हेतु अधिक से अधिक नमूनीकरण की कार्यवाही करावे एवं अशुद्ध पाये गये पेयजल स्त्रोतों का सुपरक्लोरिनेशन एवं नमूनो का लोकेशन, विभाग तथा सूची तैयार कर अग्रिम कार्यवाही कराई जावेगी।
- बीमारियों के निदान एवं त्वरित उपचार हेतु जल, मल, उल्टी, खून तथा पानी के नमूनो की कार्यवाही को सुदृढ बनाया जायेगा।
- पेयजल आपूर्ति किये जाने वाली पाईप लाइनो की जांच की जाकर लीकेज पाई जाने वाली पाईप लाइनो की मरम्मत जलदाय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से समन्वय बनाकर कराई जावें।

(3) <u>चिकित्सा/जांच व्यवस्था</u> :– सभी सीएचसी एंव जिला चिकित्सालय में 24 घण्टे आपातकालीन व्यवस्था उपलब्ध करवायी जाती है। आवष्यकता पड़ने पर रोग प्रभावित स्थल के नजदिकी चिकित्सा संस्थान पीएचसी पर भी 24 घण्टे आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध करवायी जाती है। चिकित्सा संस्थानो में विषेष वार्ड उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। रोग प्रभावित स्थल के लिए अलग से एम्बुलैन्स की व्यवस्था की जाती है।

ज्ञाना

(4) <u>प्रचार प्रसार</u> :–

मौसमी बीमारियों के बचाव हेतू समय–2 पर प्रचार प्रसार हेतू पम्पलेटस वितरण किये जाते है दैनिक समाचार पत्रो द्वारा जन साधारण को रोगों से बचने के लक्षण व बचाव के बारे में जानकारी दी जाती है। विभाग द्वार पूरे जिले में दिवारो श्लोग्न लिखवाये जाते है। बैनर/होंर्डिग लगाये जाते है। एवं नुक्कड़ नाटक जन सधारण को स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है।

विभिन्न चिकित्सालयों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं

संस्थान	संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाएं	आउटडोर,इण्डोर,विशेषज्ञ चिकित्सा,लैबोरेटरी जांच,एक्स–रे,निःषुल्क औषधियां,मातृ एवं शिषु कल्याण सेवायें,जननी सुरक्षा योजना, एम्बूलेंस,परिवार कल्याण तथा टीकाकरण,प्रजनन एवं षिषु स्वास्थ्य, ऑपरेषन,पटटी,आधारभूत प्रसव सुविधाए,आपातकालीनजटिल प्रसव सुविधाएं,एमएलसी,पोस्टमार्टम,एक्स–रे, सीबीसी आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई

	जाती है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाएं	आउटडोर,इण्डोर,लैबोरेटरी जांच,निःषुल्क औषधियां,मातृ एवं षिषु कल्याण सेवायें, जननी सुरक्षा योजना,एम्बूलेंस,परिवार कल्याण तथा टीकाकरण,प्रजनन एवं षिषु स्वास्थ्य,पटटी,आधारभूत प्रसव सुविधाए, एमएलसी,पोस्टमार्टम, आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।
उपकेन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाएं	निःषुल्क औषधियां,मातृ एवं षिषु कल्याण सेवायें,जननी सुरक्षा योजना,परिवार कल्याण तथा टीकाकरण,प्रजनन एवं षिषु स्वास्थ्य, पटटी,प्रसव सुविधाए, नमक में आयोडीन,पानी की एफटीके विधि से जांच, आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।

परिशिष्ट– 7 आपदा बाद की क्षति के लिये प्रारुप, हानि, आवश्यकताएं और क्षमता प्रसार

परिशिष्ट – 8 चपेट में आने वालों तथा गांवों की सूची–

केशवराय पाटन (जिला बून्दी) प0 स0 में चम्बल नदी के किनारे बसे गॉवों की सूची (जो कि बाढ़ से प्रभावित होते है)

क्र.स.	गॉव का नाम		क्र.स.	गॉव का नाम	
1	गुडला		24	खेडली बंधा	
2	गुडली		25	बलदेवपुरा	*
3	पटोलिया		26	कोटरी	
4	के0पाटन		27	घाट का बराना	**
5	केशवनगर		28	झपायता	
6	लाखेरी खुर्द		29	चहिचा	
7	सुनगर	*	30	कोटा खुर्द	
8	नीमोठा		31	गुहाटा	
9	खेडली नीमोठा		32	बगली	
10	बालेता		33	बहडावली	
11	जगनाथा		34	खाकटा	
12	जागरून		35	माखीदा	**
13	नोताडा	*	36	सामरिया की झोपडियां	**
14	बीरज	*	37	पीपल्दा	
15	पीपल्दा जागीर	*	38	पीपल्दा थाग	
16	खेडली व्यासान	*	39	पाली बसवाडा	**
17	बलोद	*	40	स्हनपुरा	*
18	जगदरी	*	41	डोबरली	
19	डोलर	*	42	खेडली कलां	

20	रोठेदा	*	43	किशन गंज
21	झरनियां		44	चांदणा खुर्द
22	छेवली		45	चांदणा कलां
23	टीकोली	*	46	किशन गंज

जिला बून्दी में मेज नदी के किनारे बसे गॉवों की सूची (जो कि बाढ़ से प्रभावित होते है)

*	नीचे स्थानों पर बसे गॉव		**	अत्यधिक नीचे स्थानों पर बसे गॉव	*
क्र.स.	**गॉव का नाम**		**क्र.स.**	**गॉव का नाम**	**क्र.स.**
1	नेगढ		29	भैसखेडा	1
2	मराडी		30	पीपल्दा	2
3	नेहरी		31	लेहली	3
4	तलोदा		32	कोडक्या	4
5	नरवा		33	मेनोली	5
6	टहला		34	झाली जी का बराना	6
7	बोरखेडा		35	धींगसी	7
8	मांगली कलां		36	बोरदा काछियान	8
9	बिचडी	*	37	जालेडा	9
10	चेता	*	38	खेडिया दुर्जन	10
11	अलोद	**	39	झाडोल	11
12	डाबला		40	पचीपडा	12
13	मुॅडघसा		41	पापडी	13
14	खटावदा	*	42	रेबारपुरा	14
15	डबलाना		43	छप्पनपुरा	15
16	सुहरी		44	डगारिया	16
17	बडगांव	**	45	बारियां	17
18	झरकास	**	46	डडवास	18
19	कल्याणपुरा		47	खेडली	19
20	मुण्डली		48	डापटा	20
21	मंरा	*	49	खरायता	21
22	फतेहपुरा		50	पापडी	22
23	गुढा सदावर्तियां		51	जाडला	23
24	भीमगंज	*	52	बडा खेडा	24
25	खटकड		53	बडगांव	25
26	अजेता	*	54	करीरियां	26
27	देलुन्दा		55	सखावदा	27
28	बगली	**	56	कॉकरा	28

जिला बून्दी में मांगली नदी के किनारे बसे गॉवों की सूची (जो कि बाढ़ से प्रभावित होते है)

क्र.स.	गॉव का नाम
1	मण्डावरी
2	मण्डावरा

3	सिलोर
4	मेहरामपुरा
5	कालपुरिया
6	खान खेडा
7	बरखेडा
8	कोथ्या
9	भंवरदा
10	उमरच
11	कोटखेडा
12	लालपुरा
13	बागदा
14	रायथल
15	जखाना के पास कुरेल नदी में मिली

परिशिष्ट – 9 आपदा के समय उपलब्ध निजी एवं सार्वजनिक संसाधनों की सूची–

नागरिक सुरक्षा भण्डार में आपदा से बचाव हेतु निम्नांकित सामान उपलब्ध है :–

क0स0	नाम उपकरण	संख्या
1.	लाईफ जैकेट	38
2.	लाईफ बॉय ट्यूब	33
3.	बी0ओ0बी रॉप 12 एम.एम(60 मी0)	7
4.	बी0ओ0बी0 रॉप 14 एम.एम. (60 मी0)	4
5.	गमबूट	32
6.	हेलमेट	37
7.	फुल बॉडी हारनेस	4
8.	स्ट्रेचर फॉल्ड़िग डी टाईप	12
9.	स्ट्रेचर स्पाईरन बोर्ड (फाईबर)	4
10.	ब्लैंकेट	3
11.	कैरावीनर	6
12.	हैण्ड ग्लोब्ज	14
13	मास्क मल्टीपरपज	7
14.	हैण्ड टूल सैट	3
15	ड्रेगन लाईट	16
16	मेगा फोन	8
17.	वायर लेस सिस्टम	1
18.	इमरजेन्सी लाईट	8
19	एक्स	10
20.	बेल्चा	15
21	फावडा	15
22	हेवी चैन विद लॉक	10
23	एमरजेन्सी पोटेबल लाईटिंग सिंस्टम	1
24.	सेवरे	08
25	रेस्क्यू ड्रोन	01
26	मोटर बोट	01
27	फायर सूट	01
28	सेफ्टी गोगल्स	06
29	फेस मास्क	05
30	हाफ बॉडी हारनेस	01
31	पॉकेट मास्क	02
32	डीसेन्डर	02

33	टवीन पुली	01
34	सिंगल पुली	01
35	असेन्डर	02
36	फाइबर रोप 8 एमएम	250 मी
37	फाइबर रोप 10 एमएम	250 मी

उपरोक्त सामान के अतिरिक्त :–

1. एक Bolero Camper आपदा बचाव वाहन RJ 08 GA 4610
1- एक Hero HF Delux मोटर साईकिल RJ 14 KH 2342

पुलिस विभाग व अन्य के पास उपलब्ध उपकरणों व वाहनों की सूची

क.स.	प्रकार	संख्या	अनुमानित क्षमता
1	लाईट व्हीकल	43	301
2	मिनी ट्रक	2	55
3	मिनी बस	4	104
4	मोटर साईकिल/ स्कूटी	74	74
5	हेवी बस	01	52
6	वाटर टेंकर	01	03

पुलिस विभाग व अन्य के पास उपलब्ध **उपकरण सूची**

ROPE RESCUE EQUIPIMENT		
क्र.स.	**नाम उपकरण**	**कुल तादाद**
01	COMEALONG COMPLET SET WITH EMERGENCY STRTCHER	01
02	ROPE RESCUR LINER	01
03	MULTI CABLE WINCH COMPLET SET	01
04	ROPE 8MM 01 SYNTETI C KERNMANTLE 400M 02 ROP REPLING 400M	800 METER
05	ROPE 10MM 01 SYNTETI C KERNMANTLE 400M 02 MULTI PURPOSE ROP REPLING 400M	800 METER
06	ROPE 12MM 01 SYNTETI C KERNMANTLE 400M 02 ROP REPLING 400M	800 METER
07	ROPE LYLON	500 METER 250 440 METER
08	RESCUE PULLY SINGLE	08
09	RESCUE PULLY DUBLE	04
10	PULLY SWIVEL DUBLE 1.5	01
11	PULLY PMP SWIVEL 1.5	01
12	CARABINER (DUBLE LOCK 05 19.04.2021)	31

13	STENDERED FIGURE OF 8	09
14	ACENDER (PAIR)	11.5 Pair
15	SEAT HARNESS SINGLE	25
16	FULL BODY SEAT HARNESS	52
17	MITTONS (PAIR)	50
18	RESCUE THRWO BAG	04
19	EDGE PROTECTOR ACR 02	02
20	STRAP FAST LINK ANCHOR	02
21	SYSTEM SURVIVOR 8ESCAPE	02
22	MPD 13 MM RED	01

जिले में उपलब्ध 104,108 एवं बेस एम्बूलेन्स की सूची –

108 Emergency Ambulance

S.No.	District	Block	Vehicle Reg No.	Base Location	AC Functional / Non Functional
1	Bundi	Bundi	RJ14PD7035	PHC Namana	Functional
2		Bundi	RJ14PE8045	Police Line Bundi	Functional
3		Bundi	RJ14PG3967	CHC Khatkar	Functional
4		Hindoli	RJ14PE7815	CHC Basoli	Functional
5		Hindoli	RJ14PE8048	CHC Hindoli	Functional
6		Hindoli	RJ14PF7018	PHC Bundi Ka Kotda	Functional
7		Kapren	RJ14PE7817	CHC Lakheri	Functional
8		Kapren	RJ14PE8047	CHC Keshoraipatan	Functional
9		Kapren	RJ14PG4007	CHC Deikheda	Functional
10		Kapren	RJ14PE8049	Police Station Kapren	Functional
11		Kapren	RJ14PG5449	CHC Indergarh	Functional
12		Nainwa	RJ14PE7554	CHC Dei	Functional
13		Talera	RJ14PE7816	Ps Talera	Functional
14		Talera	RJ14PE8050	CHC Dabi	Functional
15		Bundi	RJ14PD7115	Brij Sundar Sharma Govt. Hospital	Functional
16		Nainwa	RJ14PE7622	CHC Nainwa	Functional

104 Emergency Ambulance

S.No.	District	Block	Vehicle Reg No.	Base Location	AC Functional / Non Functional

1	Bundi	Nainwa	RJ08PA1922	Dei	Functional
2		Nainwa	RJ08PA2315	PHC Banman Gaon	Functional
3		Nainwa	RJ14Pf 5841	Nainwa	Functional
4		Nainwa	RJ14PF6748	Bansi	Functional
5		Hindoli	RJ14PE6665	Dablana	Functional
6		Hindoli	RJ08PA2273	Hindoli	Functional
7		Talera	RJ08PA2261	Talera	Functional
8		Talera	RJ14PE6538	Barundhan	Functional
9		Talera	RJ14PF7439	Suwansa	Functional
10		K.PATHAN	RJ14PE6671	K.PATAN	Functional
11		K.PATHAN	RJ14PE7455	Kapren	Functional
12		K.PATHAN	RJ14PE6539	J.K.BARANA	Functional
13		K.PATHAN	RJ08PA2294	Lakheri	Functional
14		K.PATHAN	RJ08PA2277	Badakhera	Functional

Base Ambulance

S.No.	District	Block	Vehicle Reg No.	Base Location	AC Functional / Non Functional
1	Bundi	GH Bundi	RJ08PA1217	District Hospital (P.M.O.) Bundi	Functional
2		GH Bundi	RJ08PA1218	District Hospital (P.M.O.) Bundi	Functional
3		GH Bundi	RJ08PA2285	District Hospital (P.M.O.) Bundi	Functional
4		Bundi	RJ08PA0870	Chc Khatkhad	Functional
5		Bundi	RJ08PA2269	Chc Khatkhad	Functional
6		Bundi	RJ08PA1469	Phc Gudhanawat	Functional
7		Bundi	RJ08PA1543	Phc Matunda	Functional
8		Bundi	RJ08PA----	Phc Namana	Functional
9		Bundi	RJ08PA1077	Phc Nim Ka Khera	Functional
10		Bundi	RJ08PA2284	Phc Raithal	Functional
11		Hindoli	RJ08PA0159	Chc Hindoli	Functional
12		Kapren	RJ08PA2370	Chc Indergurh	Functional
13		Kapren	RJ08PA2272	Chc K.Patan	Functional
14		Kapren	RJ08PA2274	Chc Kapren	Functional
15		Kapren	RJ08PA2266	Chc Lakheri	Functional
16		Kapren	RJ08PA2276	Phc Balkasa	Functional
17		Kapren	RJ08PA2271	Phc Barakhera	Functional
18		Kapren	RJ08PA2293	Phc J.K. Barana	Functional
19		Kapren	RJ08PA2270	Phc Mayza	Functional
20		Kapren	RJ08PA2268	Phc Sumandi	Functional
21		Nainwa	RJ08PA0184	Chc Dei	Functional
22		Nainwa	RJ08PA2302	Chc Jajawar	Functional

23		Nainwa	RJ08PA0843	Chc Karwar	Functional
24		Nainwa	RJ08PA2262	Chc Karwar	Functional
25		Nainwa	RJ08 PA 1570	Chc Nainwa	Functional
26		Nainwa	RJ08 PA 0100	Chc Nainwa	Functional
27		Nainwa	RJ08PA2278	Phc Sameedhi	Functional
28		Nainwa	RJ08PA2215	Phc Talwas	Functional
29		Talera	RJ08PA2263	Chc Dabi	Functional
30		Talera	RJ08PA0784	Chc Dabi	Functional
31		Talera	RJ08PA0023	Chc Talera	Functional
32		Talera	RJ08PA0078	Phc Lambakho	Functional
33		Talera	RJ08PA2314	Phc Thikariya Charnan	Functional

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के पास उपलब्ध Resource & Personal Kit

S.No.	Pariticaular	Qty
1	Hand Tool Set (With Contents)	01
	a. Bolt Cuter 12'' & 30 "	
	b. Chisel for concrete 1/2 ' & 1"(Tab aria or Eqvt.)	
	c. Screw driver set (tab aria) Complete set.	
	d. Hacksaw 12" tubular with spre blades	
	e. Claw hammer 4 kg.	
	f. Crescent wrench S"	
2	Life Jacket	4
3	Aluminum Extn ladder 25" folding	2
4	Emergency light	10
5	Mega Phone	1
6	Torch Light	10
7	Face Mask	10
8	spade	10
9	Picks	10
10	Shoul/Fawra	10
11	Light axe	10
12	Stretcher	4
13	Blanket red	7
14	Bukets	10
15	BOB Roap 10 kg	10
16	Fiber Ropes 1 1/2 "	100
17	Tenrs Canvas	1
18	First Aid Box with contents	1
	Bite Stics	
	Flexi splints various sizes	
	Bandages various type	
	Masks Gloves, sponges Scissors	
19	Safety Helmets	10
20	Box steels with 2 lock 6x3x3	2
21	Rubber tubes 4 fcbocy	10
22	Pullies single sheave	2
	Double Sheave	2

23	Gum boot	5
24	Hand Gloves rubber	5
25	Heavy chain with lock bullies	3 mtrs

Resource & Personal Kit		
S.No.	Pariticaular	Qty
1	Hand Tool Set (With Contents) a. Bolt Cuter 12'' & 30 " b. Chisel for concrete 1/2 ' & 1"(Tab aria or Eqvt.) c. Screw driver set (tab aria) Complete set. d. Hacksaw 12" tubular with spre blades e. Claw hammer 4 kg. f. Crescent wrench S"	01
2	Life Jacket	4
3	Aluminum Extn ladder 25" folding	2
4	Emergency light	10
5	Mega Phone	1
6	Torch Light	10
7	Face Mask	10
8	spade	10
9	Picks	10
10	Shoul/Fawra	10
11	Light axe	10
12	Stretcher	4
13	Blanket red	7
14	Bukets	10
15	BOB Roap 10 kg	10
16	Fiber Ropes 1 1/2 "	100
17	Tenrs Canvas	1
18	First Aid Box with contents Bite Stics Flexi splints various sizes Bandages various type Masks Gloves, sponges Scissors	1
19	Safety Helmets	10
20	Box steels with 2 lock 6x3x3	2
21	Rubber tubes 4 fcbocy	10
22	Pullies single sheave Double Sheave	2 2
23	Gum boot	5
24	Hand Gloves rubber	5
25	Heavy chain with lock bullies	3 mtrs

MFR EQUIPMENT		
क्र.स.	नाम उपकरण	कुल तादाद
01	FUL KIT BAG HARD (MFR BOX)	05
02	MFR BOX STEEL SMALL	02
03	DELUXE OB MANNWQUINE	01
04	LAVER-3 AIRWAY & CPR MANEQUIN WITH INTEGRATED FEEDBACK SYSTEM	02
05	INFANTRY CPR MANNEQNEQUIN 5 PCS PACK WITH LUNG BAGS	01
06	SQUADROM PLUS CPR MANNEQUIN 5 PCS PACKED	01
07	WOODEN SPINE BOARD FULL WITH BELT	25
08	WOODEN SPINE BOARD HALF WITH BELT	25
09	AUTO CLAVE	01
10	DIGITAL DIAL B.P. COFF	10
11	STESTHOSCOPE	25
12	PULSE OXIMETER	01
13	SUGAR TEST DIGITAL INSTRUMENT	01
14	THERMAL SCANNER	01
15	PEN LIGHT	25
16	SCISSOR PARAMEDICAL	25
17	REGULATOR OXYGEN LIGHT SYLINDER LS_170_120	25
18	OXYGEN SYLINDER LIGHT WIGHT	02
19	PADDEL BOARD SPLINT (WOODEN) LARGE	45
20	PADDEL BOARD SPLINT (WOODEN) MEDIUM	45
21	PADDEL BOARD SPLINT (WOODEN) SHORT	45
22	PNEUMATIC SPLINT SET WITH AIR PUMP	10
23	FLEXIBLE SPLINT	48
24	COLLAR STIFF NECK TALL	37
25	COLLAR STIFF NONECK	37
26	COLLER STIFF NECK SHORT	40
27	COLLAR STIFF NECK SHORT REGULAR	40
28	COLLER STIFF NECK PEDIATRIC	40
29	MASK OXYGEN ADULT NON RE BREATHER	60
30	MASK OXYGEN CHILD NOR RE BREATHER	60
31	POCKET MASK (CPR)	25
32	BAG VALVE MASK CHILD	25
33	MANNEGUIN FACE SHILED 100 PER PACKET	10
34	RESTRAINT DAITENT 1&8 STRIP	50
35	RESTRAINT DAITENT 2 PCS STRIP	50
36	MEDICAL TRIAGE 10 mtr	05
37	ROLLER BANDAGE 3"	113
38	ROLLER BANDAGE 6"	112
39	MEDICAL ROLLER BANDAGE 6" (सफेद मेडिकल पट्टी)	10
40	MEDICAL ROLLER BANDAGE 10" (सफेद मेडिकल पट्टी)	10
41	GLASSES EYE PROTACTION	87
42	CASUALTY BAG HALF	01
43	CASUALTY BAG FULL	01
44	First Aid box	01

FLOOD RESCUE EQUIPMENTS		
क्रस.	नाम उपकरण	कुल तादाद
01	INFALTABLE BOAT & 30HP OBM WITH ACCESSORIES	07
02	INFALTABLE BOAT & 30HP 2 STROK OBM WITH ACCESSORIES	02
03	INFALTABLE BOAT WITH OUT OBM	[04+03]
04	OBM TOHATSU MF530CL 30HP	04
05	FIBER RESCUE BOAT WITH OBM	02
06	HIGH SPEED LIFE BOAT FOR RESCUE WITH 2 STROK OBM	01
07	REMOTE CONTROLLED MOTORIZED RESCUE BOUYS	01
08	PERSNAL DIVING KIT WITH ACCESSORIES 01 स्कूबा सेट मय मास्क01 नग 02 वीसीडी 01 नग 03 फिंच 01 जोडी 04 शूज 01 जोडी 05 वेट सूट 01 नग 06 ग्लव्स 01 जोडी 07 सलैण्डर मय स्टेण्ड 01नग 08 वेट बेल्ट 01 नग 09 गोगल्स 01 नग 10 पावर मीटर 01 नग 11 टूल 01	01 SET
09	PERSNAL DIVING KIT WITH COMMUNICATION SET 01 ऑक्टोपस (डिमाण्ड रेअ)02 नग 02 वीसीडी –02 नग 03 फिंच 02 जोडी 04 शूज 02 जोडी 05 व्अ सूट 02 नग 06 ग्लव्स 02 जोडी 07 सलैण्डर 02नग 08 व्अ बेल्ट 02 नग 09 गोगल्स 02 नग 10 मीटर गेज 02 नग 11 टूल 02 12 अन्डर वॉटर टार्च 02 नग 13 क्मयूनिकेशन रेअ 01 नग	02
10	PERSNAL DIVING KIT WITH TWO DIVER COMMUNICATION SET	02
11	SCUBA CYLINDER	02
12	KNIFE FOR SCUBA DIVER	01
13	WEIGHT SUIT	10
14	SWIMMING FINS SNORKEL DIVE FACE MASK	08
15	UNDER WATER TORCH	02
16	POWER BREATHER	02
17	LIFE JACKET	97
18	LIFE BUOYS	74
19	STRETCHER FOLDING	06
20	OBM STAND	08
21	LADDER FOR BAOT	03
22	OBM TOOL KIT	01 SET
23	FUEL CONTAINER	03
24	WATER PROOF DREGON LIGTH	01
25	FLOOD RESCUE HELMET	29
26	WATER PROOF TRIPAULIN	02
27	EMERGENCY RESCUE STRETCHER	05
28	AIR COMPRESSOR MACHINE	01
29	BINOCULARS	04
30	OVER ALL COMMUNICATION SET (VAKI TOKY SET)	09
31	RAIN COAT	149
32	DEEP DIVING SCUBA SYLINDER REGULETER	02
33	RAIN SHOES JALI DAR	94
34	RAIN SHOES WITH LOCK	125

35	Dron Camra	01
36	Water Rop	400
37	RESCUE SCOOTER BOAT	01
38	RUBBER BOAT REPIRANG KIT	09
39	POPULER GUARD	16

CSSR EQUIPMENTS

क्रस.	नाम उपकरण	कुल तादात
01	ROTARY RESCUE SAW WITH DIAMOND TIPPED BLADE & REPLACEMENT - 03TYPE WITH WATER PUMT 03	03
02	CARBIDE TIP CHAIN SAW	01
03	DIAMOND CHAIN SAW ब्लेड 01, चैन 01, टूल 01, पॅम्पहोडाकम्पनी 01	01
04	COMBINATION CUTTER & SPREADER कम्परेशमशीन 01, कम्परेशपाईप–दोहरी, मेनुवलबुक,सीडी,	01
05	ANGEL CUTTER (ELECTRICAL)DIA&REPLACAMENT 14" DIA (DIMAND TIPPED BLADE THREE TYPES)	01
06	CIRCULAR SAW (ELECTRIC) 16" REPLACEMENT CARBIDE TIPPED BLADE	01
07	RECIPROCATING SAW BLADE (WOOD & METAL BLADE)	01
	रेसिप्रोकेटिंगसाकम्पलीटसेट	
08	ELETRIC DRILL & BIT SET	01
09	RATORY HAMMER DRILL & BIT	02
10	CHIPPING HAMMER BITS SET CHIPPING HAMMER COMPLETE SET	01
11	GENERATOR PORTABLE 2.5 KV	03
12	GENERATER 10 KV	02
13	INFLATABLE EMERGENCY LIGHTNG SYSTEM (ASKA LIGHT)	02
14	Power Tool	1 SET
	नेटप्लास्टीक– 2 नग गैससैलेन्डर–2 नग पावरमीटर–1 नग पाईप– 2 नग रेगूलेटर–1 नग नोजल– 2 नग	
15	AIR LIFTING BAGS SET WITH AIR CYLINDER	1
	1. रेगूलेटरडबलमीटर–4नगमय पाईप	
	2. रेगूलेटरकन्ट्रोलर– 2 नग	
	3. सिंगल मीटर–4 नग	
	4. प्लेटकनेक्टरपाईप छोटे–8 नग	
	5. प्लेटकनेक्टरपाईप बड़े–8 नग	
	6. नोजलपीतल के – 4 नग	
	7. कालेबैग10साईजक – 20 नग	
	8. प्लेटकनेक्टरपाईपमिडियम–8 नग	
	9. प्लेट 10 साईज– 20 नग	
	10. सिलेन्डर–6 नग	
	11. टेस्टकिट– 1	
16	RAMSET WITH MATCHING FOOTPUMP	01

17	HYDRAULIC JACK 20 TON	01
18	BOLT CUTTER	01
19	COME ALONG 1.5 TON	01
20	LIFE DETECTOR SYSTEM	01
21	KEY HOLE SAW WITH SET OF FOUR SAW (चारप्रकार की)	04
22	VICTIM LOCATION CAMERA & BREACHING SYSTEM	02
23	SMOKE EXHAUSTER (VENTILATOR)	01
24	STRETCHER/SPINE BOARD WITH ACCESSORIES	04
25	HELMET WITH CAMERA	02
26	WEIGHT LIFITING SILING (BELT)	03
27	MOTION SCOUT	12
28	TARPAULIN 6*6 मीटर	05
29	TARPAULIN 8*8 मीटर	01
30	हाईड्रेनसिटीसर्चलाईट	20
31	DRAGUN LIGHT	04
32	ELECTRICE SEFTY LIGHT BAR	06
33	GPS SET	04
34	10000 LUMENS LIGHT	03
35	SAFETY TORCH	03
36	HEAD TORCH	13
37	REFLECTIVE JACKET	143
38	GUM BOOT	31 Pair
39	GLOVES	
	01. Cotton	90 P
	02- Lether	89 P
	03- Electrice	01 P
40	KNEE PAD	69 P
41	SAFTY HELMET	115
42	TRAFFIC CONES WITH TAPE	42
43	EAR PLUGE	25
44	BELL HELLAR & MEGA PHONE	03
45	KIT CARRYING BAG	25
46	AXE MATE KIT	01

47	HAND SAW WITH WOODE	01
48	PRY BAR	01
49	CROW BAR	01
50	PLIER 8"	03
51	VISE GRIPE10"	01
52	TIN SNIPE 12"	02
53	CHISEL	06
54	SNAKECATHER	01
55	HEMMER FOR TYPE SET BRICHS SLEDGHE CLOW CARPANTER	03 SET
56	TOOL BOX WITH ACCESSRIES	01
57	PORTABLE SHELTER	01
58	FIRE EXTINGUISHER	05
59	SPADE SHOVEL	02
60	CARPANTER HAMMER	03
61	CHIPPING HAMMER 20 KG	01
62	EXTENSION CORD SYSTEM 8 MM 100 METER LONG	02
63	VISHEL विशल	25

CBRN EQUPIMENT

क्र.स.	नाम उपकरण	कुल तादाद
01	BREATHING APPARATUS SET WITH SPARE CYLINDERS	01 SET
02	3 M RESPIRATOR GAS MASK WITH 2 CANNISTER	01 SET
03	INTERGRATED HOOD MASK	01

परिशिश्ट –10 सार्वजनिक तथा निजी आधारिक सरंचना की सूची जैसे आश्रय आदि– होटल / गेस्टहाउस / मै0 पैलेसः–

विवाह स्थलों की सूची

S. No.	Name and Location	No. of Rooms	Construction Type
	TEHSIL : BUNDI		
1	Senor Marroge Hall, Chattrapura Road, Bundi	7	Pucca

2	Bhatia Marrige Hall, Khoja Gate	5	Pucca
3.	Dwarika Marriage Garden, Khoja Gate Road	4	Pucca
4.	Grant Parmeshwary Marriage Hall,Bundi	6	Pucca
5.	Ari Sal Singh Ji ,Bahadur Singh Circle,Bundi	4	Pucca
6.	Pancholi Marriage Hall, Nainwa Road Bundi	4	Pucca
7.	Maheswary Marriage Hall, Nainwa Road Bundi	4	Pucca
8.	Shismahal Marriage Hall, Matunda Circle, Bundi	4	Pucca
9.	Hariyali Marraige Garden Jet sagar Road	8	Pucca
10	Algoga Marriage Garden Nainwa Road Bundi	17	Pucca
11	Aanandi peradaise Marriage gardern	&	Pucca
12	Satyam Marriage garden	-	Pucca
13	C M house Marriage garden	-	pucca
14	Aaravali Marriage garden , jaitsager road	-	Pucca
15	Hotal Candana nainwa road bundi	-*	Pucca
16	Parinay Marriage hall nainwa road bundi	-	Pucca
17	Hani hotal nainwa road bundi	-	pucca
18	District club / j.b.R.	-	Pucca
19	Mangalam resort Cittod choraha bundi	-	Pucca
20	Rotri Club , housing bord bundi	-	pucca
21	Vishal Marriage garden, ganesh bag road	-	Pucca
22	Kaserilal Daulat Marriage garden line police	-	Pucca
23	Palak Marriage garden	-	pucca
	TEHSIL NAINWA		
1	Gandhi Vishranti Grah	4	Pucca
2	Dhakdo ki Dharamshala	10	Pucca
3	Jain Dharamshala Bus Stand	4	Pucca
4	Community Hall, Bhawani Nagar Basti	3	Pucca
5	Jain Nasiyaji Dharamshala	6	Pucca
	TEHSIL : K.PATAN		
1	Nand Lal ji ki Badi, Kapren	4	Pucca
2	Jain Mandir Barat Bhawan,Kapren	4	Pucca
3	Meena chatravas	5	Pucca
4	Kesav takies marriage hall, k. patan		P.n.264997
	TEHSIL : INDERGARH		
1.	Nayapura Vivah Isthal, Lakheri	2	Pucca
2.	Shri Raghunath Dharmshala Lakheri	10	Pucca
3.	Bharat Ghar Lakheri	2	Pucca
4.	Nagar Palika Dhermsala , Lakheri	13	Pucca
5.	Gopal Balaji ,Ganesh Pura, Lakheri	4	Pucca
6.	Ram Dwara , Tamboliyon Ka , Lakheri	2	Pucca

7.	Chandra Bihari Ji Ki Haweli, Indergarh	4	Pucca
8.	Ambedkar Bhawan, Indergarh	1	Pucca
9.	Agrawal Bhawan, Indergarh	5	Pucca
	TEHSIL : HINDOLI		
1.	Mahesh watika (maheshwary samaj)	4	Pucca

होटलों की सूची

S.No.	Name and Location	No. of Rooms	Construction Type	Tel. No.
	Tehsil : Bundi			
1	Vrindawati Hotel, Jaitsagar	7	Pucca	2442473
2	Ishwari Niwas Guest House	22	Pucca	2442414
3	Diamond Hotel	9	Pucca	2443656
4	Neelkamal	5	Pucca	
5	Bundi Tourist Palace	7	Pucca	2442650
6	Royal retreat	3	Pucca	2444426
7	BrijBhushan Haweli	16	Pucca	2442322
8	Hotel shivam and restorant	6	Pucca	
9	Kasera peradies	5	Pucca	
10	Kasera herritage	6	Pucca	
11	Hotel badi haveli	5	Pucca	
12	Nai haveli	5	Pucca	
13	Elephant estb-guest house	6	Pucca	
14	Dwarika hotel and garden	6	Pucca	
15	Vishnu paing guest house	5	Pucca	
16	Hotel Suwalka	10	Pucca	
17	Hadi rani paing guest	6	Pucca	
18	Tourist in paing guest house	7	Pucca	
19	The Ummaid bag ,ban ganga road	6	Pucca	
20-	Chandana residency, nainwa road	15	Pucca	
21-	Grand Parmeshwari Hotal Chatrapura	20	Pucca	
22-	Hadoti Palace G.S. Plaza Bundi	50	Pucca	
	Tehsil : Nainwa		Pucca	
1-	Taj plajma	7	Pucca	
2-	Dhaked laj	6	Pucca	
3-	Mamata guest house	7	Pucca	
	Tehsil : Indergarh			
1	A.B. majer hotel ward No.5 lakheri	5	Pucca	
2	Nolakha hotel, lakheri	2	Pucca	

सार्वजनिक निर्माण विभाग के साथ संवेदकों के पास उपलब्ध वाहन एवं अन्य बाचव साधन
खण्ड नैनवां

क्र0 सं0	मुख्यालय का नाम	संवेदक का नाम	मोबाईल नं0	मशीनरी एवं सामग्री
1.	नैनवां	मैसर्स शिवशक्ति कन्स्ट्रक्शन नैनवां प्रो0 मुकेश नागर	9649084450	जे0सी0बी0 – 2 ट्रेक्टर – 2 ग्रेवल – आवश्यकतानुसार डबलयूएमएम – आवश्यकतानुसार मिट्टी के कट्टे – आवश्यकतानुसार
2	नैनवां	मैसर्स चौथमाता एन्टरप्राईजेज प्रो0 श्री जगदीश मीणा	9928940877	जे0सी0बी0 – 2 ट्रेक्टर – 2 ग्रेवल – आवश्यकतानुसार डबलयूएमएम – आवश्यकतानुसार मिट्टी के कट्टे – आवश्यकतानुसार
3	नैनवां	मैसर्स रमेश कॉन्ट्रेक्टर प्रो0 श्री रमेश मीणा	9928501381	जे0सी0बी0 – 2 ट्रेक्टर – 2 ग्रेवल – आवश्यकतानुसार डबलयूएमएम – आवश्यकतानुसार मिट्टी के कट्टे – आवश्यकतानुसार
4	नैनवां	मैसर्स लक्ष्मी बिल्डर्स एण्ड डवलोपर्स प्रो0 श्री युद्धवीर कटेवा	9829363328 734013887	जे0सी0बी0 – 2 ट्रेक्टर – 2 ग्रेवल – आवश्यकतानुसार डबलयूएमएम – आवश्यकतानुसार मिट्टी के कट्टे – आवश्यकतानुसार
5	नैनवां	मैसर्स गोदीसिंह जी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी नीमोद प्रो0 श्री गिरिराज मीणा	9079633302	जे0सी0बी0 – 1 ट्रेक्टर – 2 ग्रेवल – आवश्यकतानुसार डबलयूएमएम – आवश्यकतानुसार मिट्टी के कट्टे – आवश्यकतानुसार

खण्ड लाखेरी

क्र. सं.	मुख्यालय	संवेदक का नाम	मोबाईल नं0	मशीनरी एवं सामग्री
1	लाखेरी	मैसर्स बी.पी.मोदी कन्स्ट्रक्शन, (साईट इन्चार्ज – श्री सुभाष पूनिया)	8503033 577	ट्रेक्टर – 2 ट्रक – 4 जेसीबी – 2 मेटेरियल (बेलास्ट/ग्रिट/जीएसबी) आवश्यकतानुसार
2	लाखेरी	मैसर्स शिवराज कॉन्ट्रेक्टर, (प्रो0–श्री शंकर लाल सुवालका)	9414946 221	ट्रेक्टर – 2 ट्रक – 4 जेसीबी – 1 मेटेरियल (बेलास्ट/ग्रिट/जीएसबी) आवश्यकतानुसार
3	लाखेरी	मैसर्स रॉयलग्रीन कन्स्ट्रक्शन,, (प्रो0–श्री सूर्यप्रकाश सैनी)	8058846 805	ट्रेक्टर – 2 जेसीबी – 1 मेटेरियल (बेलास्ट/ग्रिट/जीएसबी) आवश्यकतानुसार
4	लाखेरी	मैसर्स रमेश जगमुण्ड़ा, (साईट इन्चार्ज – श्री महावीर मीणा)	9928501 381	ट्रेक्टर – 1 ट्रक – 1 जेसीबी – 1 मेटेरियल (बेलास्ट/ग्रिट/जीएसबी) आवश्यकतानुसार

खण्ड बून्दी

क्र. सं.	मुख्यालय	संवेदक का नाम	मोबाईल नं0	मशीनरी एवं सामग्री
1	बून्दी	मैसर्स उत्सव कन्स्ट्रक्शन, देई प्रो0 ज्ञानप्रकाश जैन	8003654858	जे0सी0बी0 –1 ग्रेवल, डब्ल्यू.बी.एम. आवश्यकतानुसार
2	बून्दी	मैसर्स देव कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, रानीपुरा प्रो0 बद्रीलाल गुर्जर	9784813879	जे0सी0बी0 –1 ग्रेवल, डब्ल्यू.बी.एम. आवश्यकतानुसार
3	बून्दी	मैसर्स जनता कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, जयपुर प्रो0 नाथूराम चौथरी	9829065381	जे0सी0बी0 –1 ग्रेवल, डब्ल्यू.बी.एम. आवश्यकतानुसार
4	बून्दी	मैसर्स शिवराज कॉन्ट्रक्टर प्रो0 शिवराज सुवालका	9414963224 9414946221	जेसीबी – 2 ट्रेक्टर – 2 ग्रेवल – आवश्यकतानुसार डब्लयूएमएम – आवश्यकतानुसार
5	बून्दी	मैसर्स पवन कुमार जैन गणेश फ्लोर मिल के सामने दुधाधरी मंदिर, लाड़पुरा कोटा (राज०)	9587018911	जेसीबी – 1 ट्रेक्टर – 2 ग्रेवल – आवश्यकतानुसार डब्लयूएमएम – आवश्यकतानुसार
6	बून्दी	मेसर्स गोविंदम ब्रिज इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड, 718, अनुपम अपार्टमेंट, प्रथम तल, महावीर नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।	8769871111	जेसीबी – 1 ट्रेक्टर – 2 ग्रेवल – आवश्यकतानुसार डब्लयूएमएम – आवश्यकतानुसार

विश्राम स्थलों की सूची

S.No.	Name and Location	No. of Rooms	Construction Type	Tel. No.
	Tehsil : Bundi			
	Digamber Jain Khandelwal Dharamshala	13	Pucca	
	Sant Kanwar Ram Dharamshala	11	Pucca	2443686
	Dhan Mandi Dharamshala	42	Pucca	2442971
	Kailash Narayan Dharamshala	10	Pucca	
	Karigar Dharamshala	13	Pucca	2443005
	Dak Buglow Bundi	5	Pucca	
	Circuit House Bundi	5	Pucca	
	krishi upaj mandi rest house	4	Pucca	
	Rain basera , lanka gate bundi	4	Pucca	2443903
	Tehsil : HINDOLI			
	Chater ganj nursery (forest deptt-)	3	Pucca	
	Rest house Gudha bandh (irrigation deptt-)	2	Pucca	
	Rest house Sanwat garh (irrigation deptt-)	2	Pucca	
	Rest house Gotheda (irrigation deptt-)	3	Pucca	

	Tehsil : NAINWA		Pucca	
	Gandhi visharam girh	3	Pucca	
	Dhakdo ki dharm shala	10	Pucca	
	Shanti veer jan dharm shala	4	Pucca	
	Jain dharm shala ,chandra prabhu ji	6	Pucca	
	Jain dharm shala ,dai	4	Pucca	
	Jain dharm shala ,Nasiya ji ke pas,dai	6	Pucca	
	Tehsil : k.patan			
1-	Vishram girh ,sichaie colony, k.patan	3	Pucca	
2.	Vishram girh Chamble sichaie colony, k.patan	2	Pucca	
	Tehsil : Indergarh			
1-	Trust Mandir Chandra Bihari Dharmshala	7	Pucca	
2-	Radhika Vishram Grah	3	Pucca	

परिशिष्ट – 11 विभिन्न संस्थाओं, एन.जी.ओ. , स्वयं सेवकों की सूची

क.सं.	संस्था का नाम	टेतीफोन नम्बर
1	भारत विकास परिषद, बूंदी	2442114
2	रेडक्रास सोसाईटी, बूंदी	2445559
3	रोटरी क्लब, बूंदी	2456224
4	महावीर इन्टरनेशनल, बूंदी	2442116
5	रोटरेक्ट सोसाइटी, बूंदी	–
6	सेवा भारती समिति, बूंदी	–
7	नागरिक उत्थान परिशद, बूंदी	–
8	मोटर व्यवसाय एसोसिएशन, बूंदी	–
9.	मानव कल्याण संस्कार आश्रम, कार्या0जिला कलेक्ट्रेट बून्दी	
10.	आदर्श सरस्वती महिला कल्याण प्रशिक्षण समिति,कागजी देवरा ब्रह्मपुरी, बून्दी	
11.	सेवा भारती समिति,आदर्श विधा मन्दिर ,बून्दी	
12.	विनायक सेवा संस्थान, मांजी साः का कुण्ड, बून्दी	
13.	अखिल भारतीय मानव सेवा समिति,ब्राह्मणों की हताई, बून्दी	
14.	भारत सेवा समिति, खाईलेण्ड मार्केट,बून्दी	
15.	बून्दी जिला विकास मंच,सदर बाजार, बून्दी	
16.	अनु0जाति एवं जन जाति सेवा समिति,गुरूनानक कालानी हरिजन बस्ती ,बून्दी	
17.	भारतीय सांस्कृतिक एवं मानव विकास केन्द्र 189,रजत गृह कालोनी,बून्दी	
18.	श्री गणपति सेवाश्रम समिति,गणपति गेट,खोजागेट रोड	
19.	जनहितकारी समिति, न्यू कालोनी बून्दी	

20	महिला उत्थान समिति, पंजाबी मोहल्ला,बून्दी	
21	मानव कल्याण समिति, न्यूकालोनी,बून्दी	
22	मानव चेतना विकास समिति,गुरूनानक कोलोनी,बून्दी	
23.	डा0भीमराव अम्बेडकर कल्याण समिति,इन्द्राकालोनी,बून्दी	
24.	बून्दी पर्यावरण संरक्षण एवं वन विकास समिति, सिविल लाईन,बून्दी	
25.	जन जागरण सेवा समिति, भूराजी बैध की गली,बालचंद पाडा,बून्दी	2443044
26.	प्राची संस्थान, डी.23 न्यू कालोनी,बून्दी	2442718
27.	समर्थ मानव संस्थान,बून्दी नई धानमंडी रोड,बून्दी	2444922
28.	रिचमण्डल कला साहित्य एवं प्रशिक्षण सोसाईटी,तिलकचौक	2444124
29.	आस्था शौध एवं विकास संस्था, न्यू कालोनी बून्दी	2447113
30.	सनातन सेवा समिति, बैधनाथ पाडा,बून्दी	2447879
31.	परमार्थ सेवा समिति,के0पाटन	264278
32.	पार्वती देवी धमार्थ कल्याण कारी संस्थान सुमेरगंज मण्डी	253790, 253811
33.	अग्रवाल सेवा समिति, दिगम्बर जैन मंदिर नैनवॉ	257150,257048,
34.	सृष्टि संस्थान,रजत कालोनी,बून्दी	2456458
35.	अलमदीना मुस्लिम वेलफेयर सोसाईटी,बांईपास रोड,बून्दी	
36.	बून्दी जिला महावीर इन्टरनेशनल सोसाईटी,बून्दी,	
37.	जल पशुधन एवं जन सेवा समिति,गुरूनानक कालोनी,बून्दी	
38.	रोटरी कम्प्यूनिटी सर्विस सोसाईटी, विकास नगर,बून्दी	
39.	हाईवे एक्सीडेन्टल वेलफेयर एण्ड ट्रोमा हास्पिटल सोसाईटी,एस0पी0 आफिस,बून्दी	
40.	राज0मेडिकेयर रिलीफ सोसाईटी,के0पाटन,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,बून्दी	
41.	आई.पी.ई.एफ. के0पाटन	
42.	इन्नर व्हील क्लब बून्दी	
43.	भारत विकास परिषद् काप्रेन	265435
44.	मातृ एवं शिशु कल्याण समिति बून्दी	
45.	महिला मण्डल सोसायटी बून्दी	

46.	योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं शोध न्यास समिति बून्दी	
47.	दी डिस्ट्रीक्ट ट्यूरिज्म प्रमोशन काउन्सिल बून्दी	

परिशिष्ट – 12 प्रशिक्षित व्यक्तियों की सूची–

क्रम. संख्या	स्वयं सेवक का नाम	स्वयं सेवक का पूर्ण पता	सदस्य संख्या	मोबाईल नम्बर	प्रशिक्षित सेवा का नाम	विशेष योग्यता तैराक / गौताखोर
1.	श्री अभिषेक कठेरिया	रघुवीर भवन बुन्दी	1.	9521220285	वार्डन सेवा	तैराक
2.	श्री अजय राठौर	चतरगंज तहसील हिन्डोली	2.	7014620242	वार्डन सेवा	तैराक
3.	श्री अजय नायक	नर्सरी रोड बहारली बून्दी	3.	9079669759	वार्डन सेवा	तैराक
4.	श्री भूपेन्द्र बैरवा	ग्राम व पोस्ट सिलोर बून्दी	4.	7976766968	वार्डन सेवा	तैराक
5.	श्री बृजमोहन सैनी	ग्राम व पोस्ट माटुन्दा बून्दी	5.	7742952570	वार्डन सेवा	तैराक
6.	श्री दीपक खत्री	आचार्य जी की गली बून्दी	6.	7891722897	वार्डन सेवा	तैराक
7.	श्री हीरालाल गुर्जर	चतरगंज तह. हिडोली बबून्दी	7.	8890425837	वार्डन सेवा	तैराक
8.	श्री जितेन्द्र कुमार राठौर	सिलोर जिला बून्दी	8.	9588897564	वार्डन सेवा	तैराक
9.	श्री जितेन्द्र सैनी	गुरू द्वारे के सामने देवपुरा बून्दी	9.	9887718532	वार्डन सेवा	तैराक
10.	श्री मनोज सैनी	इन्द्रा कालोनी गेट न0 6 बून्दी	10.	8947002381	वार्डन सेवा	डाइवर
11.	श्री मनोज कुमार राठौर	ग्राम व पोस्ट सिलोर बून्दी	11.	9079122304	वार्डन सेवा	तैराक
12.	श्री मुकेश राठौर	कागदी देवरा बून्दी	12.	8385852843	वार्डन सेवा	कम्प्युटर आपरेटर
13.	श्री महावीर सैनी	कुवॉरती पोस्ट दोलाडा बून्दी	13.	8003189303	वार्डन सेवा	तैराक
14.	श्री नरेश सुमन	मारूती कालोनी बून्दी	14.	9521048107	वार्डन सेवा	कम्प्युटर आपरेटर
15.	श्री नीरज कुमार शर्मा	15/202 धानमण्डी रोड देवदाल मील की गली बून्दी (राज0)	15.	0000000000	वार्डन सेवा	कम्प्युटर आपरेटर
16.	श्री नरेश कुमार सैनी	बिबनवा रोड माटुन्दा बून्दी	16.	9001363667	वार्डन सेवा	डाइवर
17.	श्री पवन कुमार सैनी	माटून्दा	17.	8107623726	वार्डन सेवा	डाइवर
18.	श्री प्रेमशंकर सैनी	देवपुरा बून्दी	18.	8107623726	वार्डन सेवा	तैराक
19.	श्री प्रहलाद माली	कुवॉरती पोस्ट दोलाडा बून्दी	19.	6378630678	वार्डन सेवा	कम्प्युटर आपरेटर
20.	श्री परमेश्वर चौहान	माटुन्दा बून्दी	20.	8504056293	वार्डन सेवा	तैराक
21.	श्री राजेन्द्र सुमन	गुरूद्वारे के सामने देवपुरा बून्दी	21.	9166699943	वार्डन सेवा	कम्प्युटर आपरेटर
22.	श्री रामगोपाल	किशनपुरा रोड माटुन्दा बून्दी	22.	9636197767	वार्डन सेवा	तैराक
23.	श्री रवि कुमार नागर	नागरो का मोहल्ला माटुन्दा बून्दी	23.	9057448073	वार्डन सेवा	तैराक

24.	श्री राकेश कुमार	जवाहर नगर पोस्ट आमली बून्दी	24.	6378559493	वार्डन सेवा	तैराक
25.	श्री रोहन राठौर	कागदी देवरा बून्दी	25.	9672090397	वार्डन सेवा	कम्प्युटर आपरेटर
26.	श्री सुरेन्द्र सैनी	नानकपुरीया चोराहा देवपुरा बून्दी	26.	9782783976	वार्डन सेवा	तैराक
27.	श्री शेखर कठेरिया	रघुवीर भवन बून्दी	27.	0000000000	वार्डन सेवा	—
28.	श्री सोनू सुमन	देवपुरा बून्दी	28.	9413074751	वार्डन सेवा	तैराक
29.	श्री विकेश साल्वी	आचार्य जी की गली बून्दी	29.	8769191408	वार्डन सेवा	तैराक
30.	श्री विशाल गोचर	बालचंद पाडा बून्दी	30.	8854848523	वार्डन सेवा	तैराक
31.	श्री आकाश सैनी	देवपुरा,बून्दी	31.	7014851174	बचाव सेवा	तैराक
32.	श्री अमित सैनी	देवपुरा, बून्दी	32.	9636262940	बचाव सेवा	डाइवर
33.	श्री अंकुश दायमा	रविन्द्र कॉलोनी, नैनवॉ	33.	7023259977	बचाव सेवा	तैराक
34.	श्री अनुराग मेवाडा	लाईन पुलिस रोड, बून्दी	34.	9509886650	बचाव सेवा	डाइवर
35.	श्री आशीष कुमार शर्मा	दबलाना	35.	0000000000	बचाव सेवा	—
36.	श्री बबलेश कुमार	हाउसिंग बोर्ड, बून्दी	36.	9929883753	बचाव सेवा	तैराक
37.	श्री बबली चौहान	माटून्दा तह0 बून्दी	37.	9351380670	बचाव सेवा	तैराक
38.	श्री बलराज सिंह	रामपुरिया तह0 हिण्डोली	38.	9001514484	बचाव सेवा	तैराक
39.	श्री बलराम सैनी	रामगंज तह0 बून्दी	39.	9636267495	बचाव सेवा	तैराक
40.	श्री बनवारी लाल	देवपुरा, बून्दी	40.	9511540255	बचाव सेवा	तैराक
41.	श्री बनवारी लाल मीणा	सोरण तह0 हिण्डोली	41.	9828309445	बचाव सेवा	तैराक
42.	श्री भगवान सिंह हाडा	डेरोली तह0 हिण्डोली	42.	8239147412	बचाव सेवा	डाइवर
43.	श्री बन्टी कुमार हर्शल	रिहाणा तह0 बून्दी	43.	7414886481	बचाव सेवा	तैराक
44.	श्री दीपक शर्मा	देवपुरा बून्दी	44.	9613924444	बचाव सेवा	डाइवर
45.	श्री देवीशंकर	ग्राम देवपुरा तह0 नैनवॉ	45.	7568741622	बचाव सेवा	डाइवर
46.	श्री देवकीनन्दन गोचर	सुवॉसा तह0 तालेड़ा	46.	9549547964	बचाव सेवा	तैराक
47.	श्री धनपाल	पाण्डूला तह0 नैनवॉ	47.	9680382474	बचाव सेवा	तैराक
48.	श्री धनराज मीणा	भॅवरदा तह0 बून्दी	48.	8290364160	बचाव सेवा	तैराक
49.	श्री धनराज मेवाडा	हाडो का पीपल्दा तह0 तालेड़ा	49.	9829424447	बचाव सेवा	तैराक
50.	श्री धीरज कुमार नामा	रजत गृह कॉलोनी, बून्दी	50.	9929589343	बचाव सेवा	कम्प्युटर आपरेटर
51.	श्री दिनेश कुमार स्वामी	देवपुरा , बून्दी	51.	9829146281	बचाव सेवा	डाइवर
52.	श्री दुष्यन्त लोधा	बीबनवा रोड, बून्दी	52.	9785732893	बचाव सेवा	तैराक
53.	श्री गजेन्द्र सिंह	हाडो का पीपल्दा तह0 तालेड़ा	53.	9928741340	बचाव सेवा	तैराक
54.	श्री गिरजेश सैनी	देवपुरा बून्दी	54.	9799701288	बचाव सेवा	तैराक
55.	श्री गोविन्द देव लोधा	गोविन्दपुर बावड़ी तह0 तालेड़ा	55.	9636093143	बचाव सेवा	तैराक
56.	श्री जगदीश गुर्जर	बालचन्दपाड़ा बून्दी	56.	9680628880	बचाव सेवा	तैराक
57.	श्री कुलदीप	विकास नगर, बून्दी	57.	0000000000	बचाव सेवा	

	लोधा					–
58.	श्री लव शर्मा	माटून्दा, बून्दी	58.	9079813389	बचाव सेवा	तैराक
59.	श्री महादेव प्रजापत	रामगंज, तह0 बून्दी	59.	9660859798	बचाव सेवा	तैराक
60.	श्री महेन्द्र सिंह	मण्डावरा तह0 बून्दी	60.	9982541793	बचाव सेवा	तैराक
61.	श्री मंजू बाई पांचाल	काप्रेन तह0 के0 पाटन	61.	0000000000	बचाव सेवा	–
62.	श्री मोहम्मद सलीम	गुरूनानक कॉलोनी, बून्दी	62.	7737447400	बचाव सेवा	डाइवर
63.	श्री मुकेश भील	बरूंधन तह0 तालेड़ा	63.	9521272251	बचाव सेवा	तैराक
64.	श्री नितिन रावत	विकास नगर, बून्दी	64.	7733987185	बचाव सेवा	डाइवर
65.	श्री पवन कुमार रावल	दयानन्द कॉलोनी, बून्दी	65.	8104562047	बचाव सेवा	कम्प्युटर आपरेटर
66.	श्री पवन कुमार शर्मा	इन्द्रा कॉलोनी, बून्दी	66.	7742101631	बचाव सेवा	तैराक
67.	श्री पुरूषोत्तम राठौर	माटुन्दा बून्दी	67.	0000000000	बचाव सेवा	तैराक
68.	श्री राजेश कुमार भील	बरूंधन, तह0 तालेड़ा	68.	6377944486	बचाव सेवा	तैराक
69	श्री राजकुमार जोशी	ब्राम्हणो का लुहारिया तह0 हिण्डोली	69	8239542790	बचाव सेवा	तैराक
70.	श्री रामधन गुर्जर	विषधारी तह0 हिण्डोली	70.	9929079616	बचाव सेवा	तैराक
71.	श्री रेखराज सुमन	देवपुरा, बून्दी	71.	9166471115	बचाव सेवा	डाइवर
72.	श्री रितेश कुमार	तम्बोलिया गली, बून्दी	72.	9351916469	बचाव सेवा	डाइवर
73.	श्री रूबिना जावेद	देई तह0 नैनवॉ	73.	9079180429	बचाव सेवा	तैराक
74.	श्री सत्यनारायण भील	बंरूधन तह0 तालेड़ा	74.	6377429935	बचाव सेवा	तैराक
75.	श्री शंभू यादव	बाणगंगा, बून्दी	75.	9001661464	बचाव सेवा	डाइवर
76.	सुनिता जोशी	बोहरा मौहल्ला, बून्दी	76.	0000000000	बचाव सेवा	–
77.	श्री सुरेश गुर्जर	चतरगंज तह0 हिण्डोली	77.	8003581741	बचाव सेवा	डाइवर
78	श्री उजमा	भैरूपुरा आंतरी तह0 हिण्डोली	78	6375922763	बचाव सेवा	तैराक
79.	श्री विमल कुशवाह	नोताड़ा भोपत तह0 तालेड़ा	79.	9001177352	बचाव सेवा	तैराक
80.	श्री युधिष्ठिर मीणा	मजिस्ट्रेट कॉलोनी, बून्दी	80.	9772377734	बचाव सेवा	तैराक
81.	श्री अर्जुन भील	गुढ़ानाथावतान बून्दी	81	9983498055	वार्डन सेवा	तैराक
82.	श्री ओमप्रकाश शर्मा	बाढ़गंगा बून्दी	82.	9829448283	वार्डन सेवा	डाइवर
83.	श्री ओमप्रकाश गोचर	बालचन्द पाड़ा बून्दी	83.	8209318248	वार्डन सेवा	तैराक
84.	श्री बुद्धिप्रकाश हुण	रामपुरा धोला तह0 बून्दी	84.	9079605602	वार्डन सेवा	तैराक
85.	श्री दुर्गाशंकर वर्मा	माटून्दा	85.	8114843789	वार्डन सेवा	तैराक
86.	श्री दीपक मेघवाल	ग्राम रायता जिला बून्दी	86.	9571694804	वार्डन सेवा	तैराक
87.	श्री गजराज सिंह	बून्दी	87.	9116597537	वार्डन सेवा	तैराक
88.	श्री गोविन्द कुमार	ग्राम रिहाणा बून्दी	88.	9660027067	वार्डन सेवा	तैराक
89.	श्री हनुमान यादव	ग्राम कांटी जिला बून्दी	89.	9660621270	वार्डन सेवा	तैराक

90.	श्री हिम्मत सिंह	बून्दी	90.	6350514016	वार्डन सेवा	तैराक
91.	श्री जुगराज गोचर	ग्राम रिहाणा जिला बून्दी	91.	9828385074	वार्डन सेवा	तैराक
92	श्री काशीराम सुमन	ननकपुरिया जिला बून्दी	92	8890980945	वार्डन सेवा	तैराक
93.	श्री कैलाश योगी	ओंकारपुरा	93.	9610410569	वार्डन सेवा	तैराक
94.	श्री लोकेश गुर्जर	राताबरडा	94.	9783044867	वार्डन सेवा	तैराक
95.	श्री लोकेश सैनी	बून्दी	95.	9587372535	वार्डन सेवा	तैराक
96	श्री मनीष कुमार कठेरिया	रघुवीर भवन बून्दी	96	8824327807	वार्डन सेवा	तैराक
97	श्री मुन्ना मीणा	बून्दी	97	0000000000	वार्डन सेवा	तैराक
98	श्री महादेव मीणा	ऐबरा रायथल	98	9828811874	वार्डन सेवा	तैराक
99.	श्री महावीर सैनी	माटुन्दा	99.	9024679657	वार्डन सेवा	तैराक
100.	श्री मोहम्मद मुशहिद खान	बून्दी	100.	7014711757	वार्डन सेवा	तैराक
101	श्री नवीन कुमार सैनी	बून्दी	101	7976661292	वार्डन सेवा	तैराक
102	श्री प्रवीण सैनी	भैरूपुरा	102	6376283459	वार्डन सेवा	तैराक
103	श्री प्रदीप सैनी	रामगंज	103	8003815463	वार्डन सेवा	तैराक
104	श्री पंकज सैनी	बून्दी	104	8742026670	वार्डन सेवा	तैराक
105	श्री पिंकु कुमार राठौर	सिलोर	105	6378831650	वार्डन सेवा	तैराक
106	श्री पुरूषोत्तम रावत	बून्दी	106	9269621167	वार्डन सेवा	तैराक
107	श्री प्रिंस गौत्तम	बून्दी	107	9782751702	वार्डन सेवा	तैराक
108	श्री राजेश कुमार मीणा	सोरण	108	9772565554	वार्डन सेवा	तैराक
109	श्री रमेश मीणा	भवानीपुरा	109	9649811050	वार्डन सेवा	तैराक
110	श्री राकेश कुमार सैनी	नानकपुरा	110	7014885057	वार्डन सेवा	तैराक
111	श्री रणजीत	बून्दी	111	8824216875	वार्डन सेवा	तैराक
112	श्री राम अवतार शर्मा	बून्दी	112	9799076276	वार्डन सेवा	तैराक
113	श्री शिवराज सिंह	बून्दी	113	9680976711	वार्डन सेवा	तैराक
114	श्री सिबगत अली	बून्दी	114	7737258560	वार्डन सेवा	तैराक
115	श्री शुभम बैरागी	भैरूपुरा	115	9928268647	वार्डन सेवा	तैराक
116	श्री सुरज्ञान सिंह	रामगंज	116	8947941449	वार्डन सेवा	तैराक
117	श्री तुषार सुमन	बून्दी	117	9660200859	वार्डन सेवा	तैराक
118	श्री विवेक शर्मा	बून्दी	118	9672804219	वार्डन सेवा	तैराक
119	श्री विनोद भील	बरून्धन	119	8000629185	वार्डन सेवा	तैराक
120	श्री अनिल कुमार मीणा	भीमगंज	120	9079287543	प्राथमिक उपचार	तैराक
121	श्री अशोक बैरागी	चतरगंज	121	8003536205	प्राथमिक उपचार	तैराक
122	श्री भवानीशंकर कुमावत	अलोद	122	9799207703	प्राथमिक उपचार	तैराक

123	श्री भवानी सिह	अलोद	123	8239327626	प्राथमिक उपचार	तैराक
124	श्री भंवर लाल सैनी	ठिकरदा	124	8003656777	प्राथमिक उपचार	तैराक
125	श्री भैरूलाल गुर्जर	चतरगंज	125	8209773279	प्राथमिक उपचार	तैराक
126	श्री बुद्विप्रकाश गुर्जर	चतरगंज	126	6375201848	प्राथमिक उपचार	तैराक
127	श्री देवेन्द्र सिंह हाडा	रामपुरिया	127	8875601102	प्राथमिक उपचार	तैराक
128	श्री दुर्गालाल गुर्जर	चतरगंज	128	9057563204	प्राथमिक उपचार	तैराक
129	श्री धर्मराज गुर्जर	सहसपुरिया	129	9001076188	प्राथमिक उपचार	तैराक
130	श्री दुर्गालाल गुर्जर	चतरगंज	130	8107103313	प्राथमिक उपचार	तैराक
131	श्री गोविन्द शर्मा	बून्दी	131	9664281139	प्राथमिक उपचार	तैराक
132	श्री हेरम्ब गोचरर	दोताणा	132	9672093175	प्राथमिक उपचार	तैराक
133	श्री हेमराज गुर्जर	चतरगंज	133	7742805633	प्राथमिक उपचार	तैराक
134	श्री हेमन्त सिंह	चैता	134	8107201313	प्राथमिक उपचार	तैराक
135	श्री जुगराज गोचर	करवाला	135	8504098612	प्राथमिक उपचार	तैराक
136	श्री कृष्ण कुमार जूनीवाल	भैरूजी का बरड़ा हिण्डोली जिला बून्दी	136	9680840640	प्राथमिक उपचार	तैराक
137	श्री खुशीराम गुर्जर	चतरगंज	137	8905541678	प्राथमिक उपचार	तैराक
138	श्री खुशीराम सैनी	बून्दी	138	9772078940	प्राथमिक उपचार	तैराक
139	श्री किशनलाल गुर्जर	चतरगंज	139	8769629717	प्राथमिक उपचार	तैराक
140	श्री करण मीणाा	सेलादाता	140	8690727459	प्राथमिक उपचार	तैराक
141	श्री कालूलाल गुर्जर	रिसंदा	141	9664356587	प्राथमिक उपचार	तैराक
142	श्री लेखराज सुमन	जैथल	142	9024885401	प्राथमिक उपचार	तैराक
143	श्री लेखराज गुर्जर	खाचोला	143	7340299616	प्राथमिक उपचार	तैराक
144	श्री लोकेश मीणा	भवानीपुरा	144	9929663319	प्राथमिक उपचार	तैराक
145	श्री लेखराज गुर्जर	चतरगंज	145	8290667561	प्राथमिक उपचार	तैराक
146	श्री लेखराज गुर्जर	रिसन्दा	146	9587766336	प्राथमिक उपचार	तैराक
147	श्री मुकेश कुमार सैनी	ठिकरदा	147	9462000682	प्राथमिक उपचार	तैराक
148	श्री मुकेश गुर्जर	समपुरिया	148	9166966938	प्राथमिक उपचार	तैराक
149	श्री महेन्द्र कुमार गुर्जर	चतरगंज	149	9602114878	प्राथमिक उपचार	तैराक
150	श्री महेन्द्र गुर्जर	चतरगंज	150	8441055666	प्राथमिक उपचार	तैराक

151	श्री मांगीलाल	रिसन्दा	151	8441836169	प्राथमिक उपचार	तैराक
152	श्री मनराज गुर्जर	डाबेटा	152	9828790012	प्राथमिक उपचार	तैराक
153	श्री नरेन्द्र कुमार गुंजल	चतरगंज	153	8619745877	प्राथमिक उपचार	तैराक
154	श्री नन्दलाल मीणा	बोरखेडा	154	9772531096	प्राथमिक उपचार	तैराक
155	श्री ओमप्रकाश	दोताणा	155	7568007428	प्राथमिक उपचार	तैराक
156	श्री प्रहलाद गुर्जर	चतरगंज	156	9664206863	प्राथमिक उपचार	तैराक
157	श्री प्रमेश गुर्जर	चतरगंज	157	9521635688	प्राथमिक उपचार	तैराक
158	श्री रामगोपाल	करवाला	158	9772969762	प्राथमिक उपचार	तैराक
159	श्री राजेश गुर्जर	चतरगंज	159	8619281961	प्राथमिक उपचार	तैराक
160	श्री राजकुमार	पेच कि बाउडी	160	9571798514	प्राथमिक उपचार	तैराक
161	श्री रामफूल गुर्जर	चतरगंज	161	7239985358	प्राथमिक उपचार	तैराक
162	श्री सोराज गुर्जर	सोरण	162	7240758260	प्राथमिक उपचार	तैराक
163	श्री सुरेश गुर्जर	चतरगंज	163	7222867672	प्राथमिक उपचार	तैराक
164	श्री शंकर लाल गुर्जर	चतरगंज	164	9602958496	प्राथमिक उपचार	तैराक
165	श्री विष्णु गुर्जर	चतरगंज	165	8386921459	प्राथमिक उपचार	तैराक
166	श्री विनोद कुमार	दबलाना	166	9680121814	प्राथमिक उपचार	तैराक
167	श्री विवेक जांगिड	अलोद	167	7737794406	प्राथमिक उपचार	तैराक
168	श्री अजय सिह	तालेडा	168	9571690460	अग्निशमन सेवा	तैराक
169	श्री भंवरलाल बंजारा	देई	169	9672338747	अग्निशमन सेवा	तैराक
170	श्री भैरूलाल गोचर	नन्दगाँव	170	6377109887	अग्निशमन सेवा	तैराक
171	श्री धर्मराज भील	तालेडा	171	9602676671	अग्निशमन सेवा	तैराक
172	श्री गिर्राज पांचाल	तालेडा	172	8875343475	अग्निशमन सेवा	तैराक
173	श्री हरिभजन	तालेडा	173	8239316112	अग्निशमन सेवा	तैराक
174	श्री हरप्रीत सिंह	तालेडा	174	8094363332	अग्निशमन सेवा	तैराक
175	श्री हरिनारायण गोचर	नन्दगाँव	175	8890528684	अग्निशमन सेवा	तैराक
176	श्री हिम्मत राज गुर्जर	नन्दगाँव	176	9116741065	अग्निशमन सेवा	तैराक
177	श्री जुगराज भील	तालेडा	177	8058222177	अग्निशमन सेवा	तैराक
178	श्री जोधराज गुर्जर	नन्दगाँव	178	9950281615	अग्निशमन सेवा	तैराक
179	श्री कौशल लोधा	तालेडा	179	7610801325	अग्निशमन सेवा	तैराक
180	श्री कन्हैयालाल गुर्जर	नन्दगाँव	180	7726996441	अग्निशमन सेवा	तैराक
181	श्री लोकेश कुमार	बाँसी	181	9610479230	अग्निशमन सेवा	तैराक

182	श्री मनोज कुशवाह	तालेडा	182	8890717641	अग्निशमन सेवा	तैराक
183	श्री महावीर कुशवाह	तालेडा	183	8619446426	अग्निशमन सेवा	तैराक
184	श्री महावीर कुशवाह	तालेडा	184	8104386486	अग्निशमन सेवा	तैराक
185	श्री महेन्द्र कुमार गुर्जर	नन्दगाँव	185	7891815314	अग्निशमन सेवा	तैराक
186	श्री मनराज गोचर	नन्दगाँव	186	8107814354	अग्निशमन सेवा	तैराक
187	श्री महेन्द्र गोचर	नन्दगाँव	187	8107449304	अग्निशमन सेवा	तैराक
188	श्री नरेन्द्र सैनी		188	9462701773	अग्निशमन सेवा	तैराक
189	निशु नागर	खोत्या	189	6378162900	अग्निशमन सेवा	तैराक
190	श्री पवन कुमार	तालेडा	190	9549990835	अग्निशमन सेवा	तैराक
191	श्री रमेश कुमार	नन्दगाँव	191	9828254118	अग्निशमन सेवा	तैराक
192	श्री राकेश गुर्जर	नन्दगाँव	192	8239967562	अग्निशमन सेवा	तैराक
193	श्री रणजीत गुर्जर	नैनवा	193	9649917814	अग्निशमन सेवा	तैराक
194	श्री सोराज गुर्जर	नैनवा	194	6377099440	अग्निशमन सेवा	तैराक
195	श्री सत्यनारायण	नैनवा	195	7891165749	अग्निशमन सेवा	तैराक
196	श्री सीताराम मालुि	बाँसी	196	8742886498	अग्निशमन सेवा	तैराक
197	श्री शिवराज भील	तालेडा	197	7014224357	अग्निशमन सेवा	तैराक
198	श्री विक्रम सिंह	तालेडा	198	8890071679	अग्निशमन सेवा	तैराक

परिशिश्ट :–13 आपात कालीन आपूर्तिकर्ताओं की सूची

क.सं.	संस्था का नाम	टेतीफोन नम्बर
1	भारत विकास परिषद, बूंदी	2442114
2	रेडक्रास सोसाईटी, बूंदी	2445559
3	रोटरी क्लब, बूंदी	2456224
4	महावीर इन्टरनेशनल, बूंदी	2442116
5	रोटरेक्ट सोसाइटी, बूंदी	—
6	सेवा भारती समिति, बूंदी	—
7	नागरिक उत्थान परिशद, बूंदी	—
8	मोटर व्यवसाय एसोसिएशन, बूंदी	—
9.	मानव कल्याण संस्कार आश्रम, कार्या0जिला कलेक्ट्रेट बून्दी	
10.	आदर्श सरस्वती महिला कल्याण प्रशिक्षण समिति,कागजी देवरा ब्रह्मपुरी, बून्दी	
11.	सेवा भारती समिति,आदर्श विधा मन्दिर ,बून्दी	
12.	विनायक सेवा संस्थान, मांजी साः का कुण्ड, बून्दी	
13.	अखिल भारतीय मानव सेवा समिति,ब्राह्मणों की हताई, बून्दी	
14.	भारत सेवा समिति, खाईलेण्ड मार्केट,बून्दी	
15.	बून्दी जिला विकास मंच,सदर बाजार, बून्दी	
16.	अनु0जाति एवं जन जाति सेवा समिति,गुरूनानक कालानी हरिजन बस्ती ,बून्दी	
17.	भारतीय सांस्कृतिक एवं मानव विकास केन्द्र 189,रजत गृह कालोनी,बून्दी	

18.	श्री गणपति सेवाश्रम समिति,गणपति गेट,खोजागेट रोड	
19.	जनहितकारी समिति, न्यू कालोनी बून्दी	
20	महिला उत्थान समिति, पंजाबी मोहल्ला,बून्दी	
21	मानव कल्याण समिति, न्यूकालोनी,बून्दी	
22	मानव चेतना विकास समिति,गुरूनानक कोलोनी,बून्दी	
23.	डा0भीमराव अम्बेडकर कल्याण समिति,इन्द्राकालोनी,बून्दी	
24.	बून्दी पर्यावरण संरक्षण एवं वन विकास समिति, सिविल लाईन,बून्दी	
25.	जन जागरण सेवा समिति, भूराजी बैध की गली,बालचंद पाडा,बून्दी	2443044
26.	प्राची संस्थान, डी.23 न्यू कालोनी,बून्दी	2442718
27.	समर्थ मानव संस्थान,बून्दी नई धानमंडी रोड,बून्दी	2444922
28.	रिचमण्डल कला साहित्य एवं प्रशिक्षण सोसाईटी,तिलकचौक	2444124
29.	आस्था शौध एवं विकास संस्था, न्यू कालोनी बून्दी	2447113
30.	सनातन सेवा समिति, बैधनाथ पाडा,बून्दी	2447879
31.	परमार्थ सेवा समिति,के0पाटन	264278
32.	पार्वती देवी धमार्थ कल्याण कारी संस्थान सुमेरगंज मण्डी	253790, 253811
33.	अग्रवाल सेवा समिति, दिगम्बर जैन मंदिर नैनवॉ	257150,257048,
34.	सृष्टि संस्थान,रजत कालोनी,बून्दी	2456458
35.	अलमदीना मुस्लिम वेलफेयर सोसाईटी,बांईपास रोड,बून्दी	
36.	बून्दी जिला महावीर इन्टरनेशनल सोसाईटी,बून्दी,	
37.	जल पशुधन एवं जन सेवा समिति,गुरूनानक कालोनी,बून्दी	
38.	रोटरी कम्प्यूनिटी सर्विस सोसाईटी, विकास नगर,बून्दी	
39.	हाईवे एक्सीडेन्टल वेलफेयर एण्ड ट्रोमा हास्पिटल सोसाईटी,एस0पी0 आफिस,बून्दी	
40.	राज0मेडिकेयर रिलीफ सोसाईटी,के0पाटन,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,बून्दी	
41.	आई.पी.ई.एफ. के0पाटन	
42.	इन्नर व्हील क्लब बून्दी	
43.	भारत विकास परिषद् काप्रेन	265435
44.	मातृ एवं शिशु कल्याण समिति बून्दी	
45.	महिला मण्डल सोसायटी बून्दी	
46.	योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं शोध न्यास समिति बून्दी	
47.	दी डिस्ट्रीक्ट ट्यूरिज्म प्रमोशन काउन्सिल बून्दी	

टैंट हाउसों की सूची

क्र.सं.	टेन्ट हाऊस का नाम	फोन नम्बर
	तहसील बूंदी	
1	अग्रवाल टेन्ट हाउस,लंका गेट,बून्दी	2442798
2	श्रीराम टेन्ट हाउस मीरा गेट बून्दी	2444553
3	पापूलर टेन्ट हाउस पुरानी धान मण्डी बून्दी	2444308
4	विशाल टेन्ट हाउस बाहरली बून्दी	2444243
5	हिन्द टेन्ट हाउस मोची बाजार बून्दी	2445660
6	लक्की टेन्ट हाउस मोची बाजार बून्दी	2445196
7	मयूर टेन्ट हाउस मीरा गेट बून्दी	2444945
8	मारूती टेन्ट हाउस मीरा गेट बून्दी	2442598
9	नेशनल टेन्ट हाउस नगर परिषद बून्दी	2442652
10	राजश्री टेन्ट हाउस नैनवा रोड बून्दी	2442652
11	राज टेन्ट हाउस नैनवा रोड बून्दी	2445441
12	जनता टेन्ट हाउस आजाद पाक बून्दी	—
13	अर्जन टेन्ट हाउस बारनमासी बालाजी बून्दी	2446695
	तहसील के0पाटन	
1	जनता टेन्ट हाऊस, के0पाटन मात्राा रोडा	9928326237
2	शाहीन टेन्ट हाउस के0पाटन मात्राा रोडा	07438263286

3	भारत टेन्ट हाउस, तहसील रोउ ,के,पाटन	07438264567
4	महेश टेन्ट हाउस, गुजरों के मन्दिर के पास के0पाटन	9829749168
5	मनोज टेन्ट हाउस	265743,9929420899
6	कृष्णा टेन्ट हाउस	265845,9829979845
7	शर्मा टेन्ट हाउस	265436,9928073436
8	मंगल टेन्ट हाउस	9829778164
9	अन्नपूर्णा टेन्ट हाउस	99280534389
10	श्री नृसिंह टेन्ट हाउस	9352645337
तहसील इन्द्रगढ		
1	अनिल टेन्ट हाउस इन्द्रगढ	
2	गणेश टेन्ट हाउस इन्द्रगढ	
3	महावीर टेन्ट हाउस, इन्द्रगढ	
4	राजावत टेन्ट हाउस,बाटम लेवल, लाखेरी,	261553
5	अजमेरा टेन्ट हाउस गणेशपुरा लाखेरी	
6	साहनी टेन्ट हाउस लाखेरी	
7	राजेश टेन्ट हाउस, लाखेरी	261603
8	सैनी टेन्ट हाउस, बाटम लेवल , लाखेरी	261314
9	कंचन टेन्ट हाउस, नयापुरा लाखेरी	
10	किसान टेण्ट हाउस लाखेरी	
11	कृष्णा टेण्ट हाउस लाखेरी	261603

परिशिष्ट :– 14 रेडियों तथा टेलिविजन स्टेशनों की सूची–

प्रेस एवं मीडिया प्रतिनिधियों की सूची					
1	श्री विजय जैन	ब्यूरो चीफ	राजस्थान पत्रिका	7877795300	Beurooffice.bundi@epatrika.com
2	श्री हरिओम शर्मा	ब्यूरो चीफ	दैनिक भास्कर	7073850255	bhaskarbundi@gmail.com
3	श्री कमलेश शर्मा	संवाददाता	हुक्मनामा	9414539100	bndkamlesh@gmail.com
4	श्री हीरालाल मीणा	संवाददाता	दैनिक नवज्योति, बूंदी	7568626039	hlmeena185718a@gmail.com
5	श्री कलीमुद्दीन अंसारी	जिला संवाददाता	सीमा संदेश	9929056930	kaleemuddinansaribnd@gmail.com
6	श्री राजीव सक्सेना	संवाददाता	पीटीआई/TOI	9461332814	rajivshawari@yahoo.co.in
7	श्री अभिनंदन लढ्ढा श्री निरंजन गुप्ता	प्रधान सम्पादक उप संपादक	दैनिक अंगद	9829074221 92145 51001	dainik.angad@gmail.com
8	श्री विजयंत सिंह आमेरा	सम्पादक	दैनिक राजमार्ग	9983339375	rajmarg.bundi@gmail.com
9	श्री अंचल राठौर	जिला संवाददाता	हाडौती की हलचल/देश की धरती	9414256549	anchal_73bnd@yahoo.com
10	श्री अनंत मूंदडा	संवाददाता	कोटा ब्यूरो	7062431690	anantmundra@gmail.com
11	श्री रियाजुल हुसैन	संवाददाता	चम्बल संदेश/ETV Bharat	82093 30670	**Newrajrhb@gmail.com**
12	श्री विशाल शर्मा	संवाददाता	हाडौती संचार	9983810278	Vishal.journalist85@gmail.com

13	श्री प्रवीण सैनी	संवाददाता	दैनिक निरीक्षक	8890045911	loveaone1@gmail.com
14	श्री राजीव सक्सेना	संवाददाता	जन नायक	8209603264	rajeevmamta.saxena@gmail.com
इलेक्ट्रोनिक मीडिया प्रतिनिधि					
15	श्री राजकुमार दाधीच	संवाददाता	प्रसार भारती, आकाशवाणी	9414393964	rajkumardadhich11@gmail.com
16	श्री सलीम अली	सवांददाता	एनडीटीवी राजस्थान	9928832326	alisalim986@gmail.com
17	श्री रामफूल मेहरा	संवाददाता	जी न्यूज	9414256725	ramphool.mehra44@gmail.com
18	श्री भवानी सिंह हाडा	संवाददाता	News18 Rajasthan/दूरदर्शन	9929977242 7014851021	bhawanisingh.bundi@gmail.com
19	श्री अनंत दाधीच	संवाददाता	बढता राजस्थान/ Samachar Plus	9950812326	anant.dadhich.bundi@gmail.com
20	श्री जगदीश प्रजापत	संवाददाता	एशियन न्यूज	8306190119	jagdishprajapati07@gmail.com
21	श्री दुर्गाशंकर शर्मा	स्वतंत्र पत्रकार	स्वतंत्र पत्रकार	9414175376	exploreinfobundi@gmail.com

परशिश्ट :– 16 परिवर्णी शब्दों की सूची–

एआरएमवी – दुर्घटना सहायता चिकित्सा वैन
बीआईएस – भारतीय मानक ब्यूरो
सीबीओ – समुदाय आधारित संगठन
सीबीआरएन – रासायनिक,जैविक,विकरिण तथा नाभिकीय
सीआरएफ – आपदा राहत कोष
डीडीएमए – जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
डीएम – आपदा प्रबंधन
जीआईएस – भौगोलिक सूचना प्रणली
जीओआई – भारत सरकार
जीपीएस – वैश्विक स्थितिपरक प्रणाली
एचएलसी – उच्च्य सतरीय समिति
आईसीएस – घटना कमान प्रणाली
आईसीटी – सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
आईटी – सूचना प्रौद्योगिकी
आईटीआई – औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
आईटीके – स्वदेशी तकनीकी ज्ञान
एमएचए – गृह मंत्रालय
एनसीसी – राष्ट्रीय केडेट कार्प्स
एनसीसीएफ – राष्ट्रीय आपदा आककस्मिकता कोष
एनसीएमसी – राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति
एनडीईएम – राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन डाटाबेस
एनडीएमए – राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एनजीओ – गैर–सरकारी संगठन
एनआईडीएम – राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
एनआईटी – राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एनएसडीआई – राष्ट्रीय स्थानिक डाटा अवसंरचना
एनएसएस – राष्ट्रीय सेवा योजना
एनवाईकेएस – नेहरु युवा केन्द्र संगठन
पीपीपी – सार्वजनिक निजी भागीदारी
पीआरआई – पंचायती राज संस्थान
आर एण्ड डी – अनुसंधान एवं विकास
एसडीएमए – राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एसडीआरएफ – राज्य आपदा कार्रवाई बल
एसईसी – राज्य कार्यकारी समिति
एसओपी – मानक प्रचालन प्रक्रियाएं
यूएलबी – शहरी स्थानीय निकाय

परिशिश्ट – 17 फोन विवरणी

जिला स्तरीय अधिकारीगणदृजिला बून्दी 02.07.2025						
क्र. स.	नाम	पद	फोन(का.)	फोन(नि.)	मोबाइल नं0	bZ–esy
1	श्री अक्षय गोदारा	जिला कलक्टर, बून्दी	2443000	2443222		dm-bun-rj@nic.in
2	श्री सुदर्शन सिंह तोमर	अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)	2443552	2443332	9828410620	adm-bun-rj@gov.in
3	श्री सुदर्शन सिंह तोमर (कार्य)	अति0 जिला कलक्टर (सीलिगं) .	2442433	2442534	9828410620	admceiling2@gmail.com
4	श्री रवि वर्मा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिमाद, बून्दी	2443596	2443597	9413349977	pd-bun-rj@nic.in
5	श्री वैजनाथ भील (कार्य)	सहायक निदेशक, लोक सेवायें, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग बून्दी			9982161962	
6	श्री बबली राम जाट	अति0 मुख्य कार्य0 अधिकारी जिला परिमाद,बून्दी	2443755	2442390	9829813192	aceobundi@gmail.com

7	श्रीमती एच डी सिंह	उपखण्ड अधिकारी, बून्दी	2445458	2445459	9414178110	sdobundi@gmail.com
8	श्रीमती प्रीति मीणा	उपखण्ड अधिकारी, नैनवां	7437.257221	9530320706	9001276166	sdm.nain.bun@gmail.com
9	श्रीमती भावना सिह (कार्य)	उपखण्ड अधिकारी, के0पाटन	7438.264170	263300	9928709346	sdopatan@gmail.com
10	श्री शिवराज मीणा	उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली	7436.276446		9948025092	sdohindoli@gmail.com
11	श्रीमती एच डी सिंह (कार्य)	उपखण्ड अधिकारी, तालेडा फैदृ2438691	2438056		9414178110	sdm.talera@gmail.com
12	श्रीमती भावना सिह	उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी	7438.262100		9928709346	sdolakheri@gmail.com
13	सुश्री सीमा मीणा	सहायक कलक्टर, बून्दी			8562819969	
14	श्री देवेन्द्र सिंह भाटी	मण्डल वन अधिकारी, बून्दी	2456823	2442814	9413138001	dfobundi@gmail.com
15	श्री अरविन्द झा	उपवन संरक्षक , रामगढ विमाधारी अभयारण			9899954865	
16	श्री विकास मीणा	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी	2445543	2443599	9711135580	rajbun@nic.in
17	श्री अशोक कुमार	जेडी, डीओआईटी (ईदृमित्र)	2445311		8ए82ए65ए17ए172	dlo.doit.bundi@rajasthan.gov.in bundi.doit.emitra@gmail.com
18	श्रीमती चित्रा सिंह	कोमााधिकारी, बून्दी दृ 9460609849	2443989	2442550	7023349849	to-bun-rj@nic.in
19	श्री राकेश शर्मा (कार्य)	लेखाधिकारी, कार्यालय जिला कलक्टर			9413419763	aocollectoratebundi@gmail.com
20	श्री वैजनाथ भील	मुख्य आयोजना अधिकारी, बून्दी			9982161962	cpo_bun@yahoo.com
21	श्री कैलाश चन्द मीना (कार्य)	सहायक निदेशक, अभियोजन	2443179		9460603940	adpbundi1@gmail.com
22		परियोजना प्रबन्धक एस.सी. डी.सी.	2442305			bupmscdc@gmail.com
23	श्री शिवजी राम जाट	जिला रसद अधिकारी, बून्दी	2442815		9460117130	dsofood-bun-rj@nic.in
24	श्रीमती रूचि अग्रवाल	प्रबन्धक, नागरिक आपूर्ति निगम			9460084421	
25	श्रीमती पूनम ढ़ाका	उपनिदेशक जिला सांख्यिकी कार्या. बून्दी	2442364		8952042485	dsobun.des-rj@nic.in
26	श्रीमती ऋचा चतुर्वेदी	उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बून्दी	2443578	8949195085	9414238326	ddbundi.wcd@rajasthan.gov.in
27	श्री भैरू प्रकाश नागर	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग	2456117	9982101544	8112257623	pobundiwe@gmail.com
28	श्रीमती जगजीवन	डी पी एम, राज0 ग्रामीण आजीविका मिशन	2442915		8875562955	dpm.bundi@yahoo.com
29	श्री श्योजी राम मीणा (कार्य)	प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्विज्ञान महावि4ालय, बून्दी			9829171978	gmcbundi@gmail.com
30	डॉ ओ पी सामर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी दृ	2442895द्2447		9950430545	cmho-bun-rj@nic.in
31	डॉ महेन्द्र त्रिपाठी	अति. मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. (प0क0), बून्दी	2443914		8209470952	dycmho-bun-rj@nic.in
32	डॉ0 पीसी मीणा	मातृ एवं शिशु कल्याण अधि0 बून्दी 9079153379	2447496		9828751716	ca_bndg@yahoo.in
33	डॉ प्रभाकर विजय	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बून्दी	2443456		9414175401	pmo-bun-rj@nic.in
34	डॉ0 मालती पारीक (कार्य)	उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग बून्दी	2444053		9414936382	daoayur@gmail.com
35	श्री शिव कुमार	त्व च्ब्ठ ;च्वसनजपवद ब्वदजतवस ठवंतकद्ध	2443516		9414441281	rorpcb.bundi@gmail.com
36	डॉ0 कुलदीप	प्रभारी, जिला क्षय रोग निवारण केन्द्र, बून्दी	2442563	2446555	8668890662	dtorjbdi@rntcp.org
37	श्री राहुल माथुर	डीपीएम, एनआरएचएम	2444169		9829572513	dpm.bundi@yahoo.com
38	डॉ0 रामलाल मीणा (कार्य)	संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, बून्दी	2442816		9414256784	ddah_bundi@yahoo.com, jd.bundi.ah@rajasthan.gov.in
39	डॉ अनिता यादव	आचार्य, राजकीय महावि4ालय, बून्दी	2445415	9024249031	9057540580	pgcbundi@yahoo.com
40	डॉ संदीप यादव	आचार्य, कन्या महावि4ालय, बून्दी	2443477	**8824466330**	9413271066	ggcbnd95@gmail.com
41	श्री एम सी राजोरा	प्रधानाचार्य, प्राविधिक महावि4ालय, हट्टीपुरा, बून्दी			9414939323	

42	श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा	प्राचार्य नवोदय वि4ालय, बून्दी 7005363223	2435606	2435587	9460526822	jnvbundi.9@gmail.com
43	श्री ओम गोस्वामी (कार्य)	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	2970019	7976216029	9414627730	cdeo.bundi.dse@rajasthan.gov.in
44	श्री ओम गोस्वामी	जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (मा0), बून्दी	2442842		9414627730	dsebundi@gmail.com
45	श्रीमती अर्चना कुमारी तंवर (काय	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0), बून्दी	2442909	9414309186	8619484445	deoele.bnd@gmail.com
46	श्री उमा शंकर विजय	प्राचार्य, केन्द्रीय वि4ालय, रजत गृह, बून्दी	2940161		9414607194	kvbundi@gmail.com
47			2443843			dietbundi@yahoo.in
48	श्री योगेश शर्मा	जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी, बून्दी			9214431180	
49	श्री दिलीप गुर्जर (कार्य)	अति0 जिला परियोजना समन्वयक ,समग्र शिक्षा अभियान	2442318		6376232505	adpcrmsabundi@gmail.com
50	श्री हरदेव सिंह बाजिया	उप निदेशक छत्रपुरा फार्म बून्दी	2442368		9414469061	ddagr_atcbundi@rediffmail.com
51	श्री दुर्गालाल मौर्य	उप निदेशक औ4ानिकी ,सब्जी उत्कृमटता केन्द्र			9414352265	ddagr_bun@rediffmail.com
52	श्री पांचु लाल	उप निदेशक , उ4ान	2442057		9ए41ए47ए35ए332	adh.bun.hort@rajasthan.gov.in
53	श्री कौशल कुमार सोमाणी	परियोजना निदेशक, आत्मा	2445497		7976094883	ddagr_bun@rediffmail.com
54	श्री कौशल कुमार सोमाणी (कार्य)	संयुक्त निदेशक, कृमि, बून्दी	2442006		7976094883	
55		सहायक निदेशक कृमि, बून्दी				
56	श्री शिवराज खटीक	जिला विस्तार अधिकारी,सी. ए.डी.बून्दी			9414473990	
57	श्री मुकेश गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता सार्व0 निर्माण विभाग बून्दी	2445885	ए.2446978	7976773305	piu_bundi@rediffmail.com
58	श्री राजकुमार राजोरिया	अधिशामी अभियन्ता, आरएसआरडीसी			9602095362	
59	श्री आर के बैरवा (कार्य)	अधीक्षण अभियंता, जविविनिलि, बून्दी	2445424	9413390764	9414022089	sebundi@gmail.com, sebundiraj@jvvnl.org
60	श्री राजेन्द्र बैरवा	अधि0 अभि0,रिवाईन्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (त्वै)			9784657321	
61	श्रीमती सोनम कुमारी शर्मा	अधिशामी अभियन्ता, आर.यू. आई.डी.पी., बून्दी	2445629		8209225722	bundi.ruidp@rajasthan.gov.in
62	श्री शेखर चन्द्र मीणा	अधि0 अभि0 सार्व0 निर्माण विभाग प्रथम बून्दी	2443760	2443985	8058268259	pwd_bundi@rediffmail.com
63	श्री मुकेश मुडेया	अधि0 अभि0 सार्व0 निर्माण विभाग प्रथम नैनवा	7437.257529	9ए16ए67ए23ए116	9414175916	pwd_nainwan@rediffmail.com
64	श्री एस के सिंहल	अधि0 अभि0 सार्व0 निर्माण विभाग प्रथम लाखेरी	7438.261122		9462111122	pwd_lakheri@rediffmail.com
65		अधि0अभि0 पीएमएसजीवाई (विश्व बैंक) सानिवि				
66	श्री आर के बैरवा	अधि0 अभि0 जयपुर विधुत वितरण निगम, बून्दी	2443770		941339076 4	xend1jvvnlbundi@gmail.com, xend1bundi@jvvnl.org
67	श्री सन्दीप मालवीय	अधि0 अभि0 ज0 वि0 वि0 नि0 लि0दृाा बून्दी	2442078		941402295 2	xendiviibundi123@gmail.com, xend2bundi@jvvnl.org
68	श्री विनोद गोठवाल	अधि0अभि0, 220 केवी, जीएसएस, सीलोर रोड			941406109 2	
69	श्री सुनील कुमार शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग बून्दी	2456448	2456447	941452195 7	eephedbundi@gmail.com
70	श्री के सी गोयल	अधि0 अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग बून्दी			766543664 0	
71	श्री हरेन्द्र किराड	अधि0 अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग लाखेरी			988722708 1	
72	श्री सर्वेश्वर	अधि0 अभि. जन स्वा0अभि0विभाग (प्रो.डि.)बून्दी			978267139 0	
73	श्री जसराम	अधीक्षण अभियन्ता, वाटर शेड, जिला परिमाद	2456107		995067114 9	sewdsc.bundi@rajasthan.gov.in
74	श्री रोहित बगेरा	अधि.अभि.जल संसाधन वि0 बून्दी	2443428		966003230 9	eewrd_bnd@rediffmail.com
75	श्री जम्बू जैन	उपमहाप्रबन्धक, ईआरसीपी,बून्दी			729689564 8	ercpc.spiubundi@gmail.com
76	श्री रामरूप मीना	अधि0 अभि0 जल संसाधन परियोजना खण्ड गरडदा	2444014	2446135	800596350 5	

77	श्री अरविन्द मीणा	अधि0अभियन्ता सी.ए.डी.,बून्दी	2442570	2447377	9ए88ए76ए8 1ए771	lmccadbundi@gmail.com
78	श्री नमोनारायण	अधि0अभियन्ता सी.ए.डी., के0पाटन			992933889 2	xencadkpatan@gmail.com
79	श्री संजय मोदी	अधि0 अभियन्ता नरेगा जिला परिमाद			7ए87ए73ए5 5ए655	mgnregabundi@gmail.com
80	श्री प्रियव्रत सिंह	अधि0 अभियन्ता अभियांत्रिकी जिला परिमाद	2444018	8112213052	941427811 2	
81	श्री अवधेश मीणा	अधि0 अभियन्ता (जल संसाधन) जिला परिमाद		9660650979	8290306769	
83	श्री सी पी गोयल	अधि0 अभियन्ता, ओएफटी के0पाटन			941429703 3	
84		जिला नगर नियोजक				
85	श्री अमजद (कार्य)	सहायक अभियन्ता,आवासन मण्डल	*2456567*		998295786 0	dhckota@rhbmail.in
86	श्री प्रशान्त बेदवाल	खनि अभियन्ता खनिज, प्रथम दृ	2457840	2444909	95875 13162 7976722105	me.bundi1@rajasthan.gov.in
87	श्री सहदेव सारण	खनि अभियन्ता खनिज द्वितीय	2457100		8ए69ए61ए2 9ए481	me.bundi2@rajasthan.gov.in
88	श्री रामनिवास मंगल	खनि अभियन्ता खनिज तृतीयदृ इन्द्रगढ क्षेत्र			982889786 0	
89	श्री धर्मेन्द्र कुमार श्रृंगी	आयकर अधिकारी, बून्दी	2444799		953040059 8	bundi.ito@incometax.gov.in
90	श्री निजामुद्दीन	डीपीसी,स्वच्छ भारत मिशन,जिला परिमाद,कलक्ट्रेट	2442110	2945068	982926618 3	sbmzpbundi3@gmail.com
91	श्री राजेश अरोडा	अधीक्षक, सी.जी.एस.टी, रजत गृह, बून्दी	2456088		941424875 4	
92	श्री सत्यनारायण मीणा	वाणिज्य कर अधिकारी, बून्दी	2443731		941469690 4	
93	श्री संजय भारद्वाज	महाप्रबन्धक, जिला उ‌द्योग एवं वाणिज्य विभाग, बून्दी	2456813	2457701	911650538 8	gmdicbnd@rediffmail.com
94	सौम्य शर्मा	जिला परिवहन अधिकारी, बून्दी	2443420		9ए64ए39ए3 9ए001	dto.bundi.tport@rajasthan.gov.in
95	श्री प्रेम शंकर	पर्यटन अधिकारी, बून्दी	2443697		992862330 4	tibbundi-dot@rajasthan.gov.in
96	श्री अर्पित जैन	सहा0निदे0 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, बून्दी	2443751		981857135 8	dlo.bun@rajasthan.gov.in
97	श्री हुकम चंद जाजोरिया (कार्य)	सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई, बून्दी			968093898 5	dcpubundi@gmail.com
98	श्री हुकम चंद जाजोरिया (अति0 प्रभार)	अधीक्षक राजकीय सम्प्रेमाण एवं किशोर गृह बून्दी		9413761055	968093898 5	
99	श्री हुकम चंद जाजोरिया (अति0 प्रभार)	संरक्षण अधिकारी(संस्थागत देखभाल), डीसीपीयू, बून्दी		9413761055	968093898 5	
100	डॉ0 लखन लाल मीणा	मत्स्य विकास/परियोजना अधिकारी, बून्दी	2442346		882846732 4	fpobundi@gmail.com
101	श्री बी एल मीणा	जिला आबकारी अधिकारी, बून्दी	2457249		829097943 9	deobundi@rajexcise.net
102	श्री भैरू प्रकाश नागर (कार्य)	जिला नियोजन अधिकारी, बून्दी	2443112	9982101544	811225762 3	dgo.bun.emp@rajasthan.gov.in
103	श्री गोपाल सिंह मीणा	सहा0 निदेशक राज्य बीमा एवं प्राव0 निधि बून्दी	2443735		946059298 8	ad.bun.sipf@rajasthan.gov.in
104	श्री मुकेश मोहन गर्ग	प्रबन्ध संचालक,दी बून्दी से0 कॉप0बैंक लि.बून्दी	2447102ए 2443483	8619530103	941491209 3	bccbbnd@yahoo.com
105	श्री मुकेश मोहन गर्ग (कार्य)	उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति, बून्दी	2443957		941491209 3	arcsbundi@gmail.com
106	श्रीमती अनुप्रिया	जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी	2444847	2970030	946860652 2	dipr.bundi@rajasthan.gov.in
107	श्री कान्ति कुमार मीणा	सचिव कृमि उपज मण्डी समिति, बून्दीदृ	2443704	2447712	8ए90ए57ए2 8ए456	apmcbundi@yahoo.in
108	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा	सचिव कृमि उपज मण्डी समिति, के0पाटन	264243		934670580 5	

109	श्री कान्ति कुमार मीणा(कार्य)	सचिव कृमि उपज मण्डी समिति, सु0मण्डी	253815		8ए90ए57ए28ए456	
110	श्री श्याम सुन्दर	सचिव कृमि उपज मण्डी समिति, देई	2457911		7976833584	
111	श्री राजीव गुप्ता	लीड बैंक आफिसर, बैंक आफ बडौदा 2443342	2443706		8ए09ए40ए07ए114	ldm.bundi@bankofbaroda.com
112	श्री राजकुमार	जिला विकास प्रबन्धक, नाबार्ड, गायत्री नगर	2444935	2444935	9459587810	ddm.bundi.nb@gmail.com
113	श्री विमल	मेनेजर सर्किट हाउस, बून्दी	2443149	2443149	9414247861	chbundi@gmail.com
114	श्री 'ानश्याम गोड	मुख्य प्रबन्धक, राज0राज्य पथ परिवहन निगम	2443482	8696349552	9549653310	rsrtc.cmbnd@gmail.com
115	श्री संकेत मोदी(कार्य)	श्रम कल्याण अधिकारी, बून्दी	2442012		8ए05ए31ए15ए665	labourofficebundi@gmail.com
116	श्री फूल चन्द मीणा	अधीक्षक औ4ोगिक प्रशिक्षण संस्थान, बून्दी	2456641		9414774630	
117		अधीक्षक औ4ोगिक प्रशिक्षण संस्थान, लाखेरी	261332			
118	श्री चन्द्रकांत बाकल	निरीक्षक फैक्ट्री एवं बायलर	2457345		9414800337	
119	श्री आर सी शर्मा	प्रबन्धक राज0 स्टेट वेयर हाउस कार्पो0	2443485	9664155861	9413385753	rswc.bundi@ssll.in
120	श्री मनोज मीणा	प्रबन्धक भारतीय खा4 निगम	2443705		8385927428	
121	श्री राजेश गुप्ता	क्षेत्रिय प्रबन्धक ;त्प्ब्द्ध	2444650		7014875520	
122	डॉ हरीश वर्मा	कार्यक्रम समन्वयक, कृमि विज्ञान केन्द्र	2457162	2456343	7014601475	
123	श्री रामराय मीणा	तहसीलदार नैनवां	7437.257229	9530320712	7062707419	tehsildarnainwan@gmail.com, tehsildar.nainwa@gmail.com
124	श्री सज्जन सिह	तहसीलदार, के0 पाटन	7438.264652		9571904749	tehsilkpatan@gmail.com
125	श्री कमलेश कुमार मीना	तहसीलदार, हिण्डोली दृ	7436.276226		9636165353	tdrhindoli@yahoo.in
126	श्री राजेन्द्र कुमार मीणा	तहसीलदार, इन्द्रगढदृ	7458.253854		9414143414	tehsildarindergarh@gmail.com
127	श्री अर्जुन लाल मीणा	तहसीलदार, बून्दी	2443651	9ए41ए39ए60ए508	9352168536	tdrbundi@gmail.com
128	श्री मनीमा कुमार मीणा	तहसीलदार, तालेडा	2438353		7976753982	
129	श्री प्रकाश चन्द मीना	तहसीलदार, रायथल			9460194230	
130	श्री दुमयन्त सिंह (कार्य)	तहसीलदार, भू0अभिलेख			8239111177	
131	श्री पवन मून्दडा	तहसीलदार, निर्वाचन			9413087007	
132	श्री बलवीर सिंह (कार्य)	उप पंजीयक	2443651 च च		9414986673	
133	श्री सचिन पाटोदिया (कार्य)	जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केन्द्र बून्दी	2940290		9461147008	
134	श्री हर्मावर्धन सिंह (कार्य)	खेल अधिकारी			9784350006	harshwardhanchundawat06@gmail.com
135	**श्री धमेन्द्र मीणा (कार्य)**	**आयुक्त, नगर परिमाद, ,बून्दी**	**2443903**	**2442331**	**8696784242**	**bundipalika@gmail.com**
136	श्री रवि दाधीच	अधिशामी अधि0 नगरपालिका, कापरेन	7438.265434	9ए00ए16ए91ए241	9079667812	npkapren@yahoo.com
137	श्री सिकेश काकरिया (कार्य)	अधिशामी अधि0 नगरपालिका, नैनवा	7437.257246	&257888	8209040191	nnagarpalika@gmail.com
138	श्री ब्रजभूमाण शर्मा	अधि0 अधि0 नगरपालिका, इन्द्रगढदृ	7458.253583	253644	7014717618	npindragarh1008@gmail.com
139	श्री नरेश राठोड	अधिशामी अधि0 नगरपालिका, लाखेरी	7438.261627	&261270	9462046313	nagarpalikalakheri9@gmail.com
140	श्री मनोज मालव (कार्य)	अधिशामी अधि0 नगरपालिका, केपाटन	7438.264346		8955077632	npalika3@gmail.com
141	श्री जितेन्द्र मीणा	अधिशामी अधि0 नगरपालिका, हिण्डोली			6376742247	eo.hindoli@gmail.com
142	श्री सिकेश काकरिया	अधिशामी अधि0 नगरपालिका, देई			8209040191	
143	**श्री मनोज जैन (कार्य)**	**विकास अधिकारी प0स0 बून्दी**	**2445008**	**9664092232**	**9166620300**	**bdomem@gmail.com, bdo.bun.bun@gmail.com**

144	श्रीमती नीता पारीक	विकास अधिकारी प0स0 तालेडा	2438466		9460434293	bdo.bun.tal@gmail.com
145	श्री भानू प्रताप सिंह	वि0 अधिकारी प0स0 के. पाटन	7438.264231		9540940470	bdo.bun.kpat@gmail.com
146	श्री नरेन्द्र झाला	विकास अधिकारी प0स0 नैनवां	7437.257225		7073777950	bdo.bun.nan@gmail.com
147	श्री राम कुमार (कार्य)	विकास अधिकारी प0स0 हिण्डोली	7436.276227		7014956125	bdo.bun.hin@gmail.com
148	श्री आदित्य सिंह	सी.डी.पी.ओ. बून्दी			9ए69ए45ए80ए570	
149	श्री विपुल शुक्ला	सी.डी.पी.ओ. तालेडा	2438482		8058992238	
150	श्री मोहनीश	सी.डी.पी.ओ. नैनवा			9ए53ए00ए21ए761	
151	श्री आदित्य सिंह (कार्य)	सी.डी.पी.ओ. हिण्डोली			9ए69ए45ए80ए570	
152	श्री विपुल शुक्ला	सी.डी.पी.ओ. के0 पाटन	264397		8058992238	cdpokpatan@gmail.com
153	सुश्री नाहिदा	जिला अल्प संख्यक अधिकारी			9079863382	bund.mino@gmail.com
154	श्री प्रताप सिंह मीणा	प्रभारी भूदृजल वैज्ञानिक			9509083009	
155	श्री नरेश मीणा	सहायक लेखाधिकारी, कलैक्ट्रेट,			8ए56ए09ए88ए090	
156	श्री शिव कुमार	क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूमाण नियंत्रण बोर्ड,		9352212885	9414441281	
157	श्री हर्मित शर्मा	नायब तहसीलदार, तहसील, तालेडा	9530320716		9610100813	
158	श्री बलवीर सिंह	नायब तहसीलदार, तहसील, बून्दी			9414986673	
159	श्री लीलाधर चौहान (कार्य)	नायब तहसीलदार, तहसील, नैनवां	9530320713		8000993931	
160		नायब तहसीलदार, तहसील, के0पाटन				
161	श्री कंवर प्रसाद दाधीच	नायब तहसीलदार, तहसील, हिण्डोली			9413085485	
162	श्री रामभरोमा मीणा	नायब तहसीलदार, तहसील, इन्द्रगढ			8824754454	
163	श्री कैलाश नारायण	नायब तहसीलदार, उप तहसील, करवर	9530320717		7014806294	
164	श्री र'ाुराज सिंह	नायब तहसीलदार, उप तहसील, दबलाना			9413945429	
165	श्री पृथ्वी सिंह	नायब तहसीलदार, उप तहसील, लाखेरी			9610423065	
166	श्री लीलाधर चौहान	नायब तहसीलदार, उप तहसील, देई			8000993931	
167	श्री दीपकराय सक्सेना	नायब तहसीलदार, उप तहसील, काप्रेन			9694912913	
168	श्री अनिल कुमार धाकड	नायब तहसीलदार, उप तहसील, डाबी	9530320775		8078617562	ntdrdabi@gmail.com
169	श्री भूपेन्द्र सिंह	नायब तहसीलदार, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा			9460665004	
170		नायब तहसीलदार, उप तहसील,रायथल				
171	श्री विकास जादौन	डी एस सी, राज0 कौशल एवं आजीविका मिशन तैस्क्ब	2442510		9461203460	
172	श्री हुकुम मीणा	मुख्य ēलॉक शिक्षा अधिकारी, नैनवां	9928119399			beeonainwa2010@gmail.com
173	श्री गोविन्द प्रसाद मीणा (कार्य)	मुख्य ēलॉक शिक्षा अधिकारी, तालेडा	9414847193			beeotalera@gmail.com
174	श्रीमती अनीता मीणा (कार्य)	मुख्य ēलॉक शिक्षा अधिकारी, हिण्डोली	7568454567			rajssa_hindoli@yahoo.com
175	श्री चन्द्र प्रकाश मे'ावाल	मुख्य ēलॉक शिक्षा अधिकारी, के0पाटन	9784674848			beeokpatan@gmail.com
176		मुख्य ēलॉक शिक्षा अधिकारी, बून्दी				beeobundi@rediffmail.com
177	श्री अशोक बंजारा	निदेशक, बडोदा स्व0 विकास संस्थान त्वैम्ज्र	2457474		8094004570	

178	श्री हुकुम चंद जाजौरिया	परिवीक्षा अधिकारी, सम्प्रेमाण गृह, बून्दी		9413761055	9680938985	
179	श्री राम स्वरूप वर्मा	उप कोमाधिकारी, हिण्डोली	07436.276223	276248	7073069191	
180	श्री सत्यनारायण गोस्वामी (कार्य)	उप कोमाधिकारी, के0पाटन	07438.264705		9414595239	
181	श्री जीतमल (कार्य)	उप कोमाधिकारी, नैनवां	07437.257768		9ए41ए49ए63ए145	
182	श्री जीतमल	उप कोमाधिकारी, इन्द्रगढ	07458.253850		9414963145	
183	श्री सत्यनारायण गोस्वामी	उप कोमाधिकारी, तालेडा			9414595239	
184	श्री राममोहन श्रृंगी	उप कोमाधिकारी, बून्दी			9413419755	
185	श्री आशुतोमा गुप्ता	निरीक्षक, देवस्थान विभाग		9465790121	9877613060	
186	श्री जगदीश वर्मा	संग्रहाध्यक्ष, राजकीय, संग्रहालय, बून्दी	0744.2328447		8104602371	
187	डा0 मोनिका सोनी	डी एम, एनयूएलएम			7733094104	
188	श्री सुरेन्द्र कुमार	सी ओ, भारत स्काउट		8560954295	9414954295	bundiscout@yahoo.com, bundiscout@gmail.com
189	श्री गिरधारी लाल शर्मा	डी ओ , हिन्दूस्थान स्काउट			9460195862	shgbundi@gmail.com
190	सुश्री कृतिक पाराशर	सी ओ गाईड			6377043834	
191	श्री संदीप अग्रवाल	पीडी एनएचआई, पीडी सवाई माधोपुर, कोटा		2970048दृ9	8130006149	piusawaimadhopur@nhai.org] kota@nhai.org
192	श्री गोविन्द सिंह	एस.ई एनएचआई एन एच 52 एवं 148 डी, कोटा			7737271160	

परिशिश्ठः— 18 विधानसभा वार मानचित्र

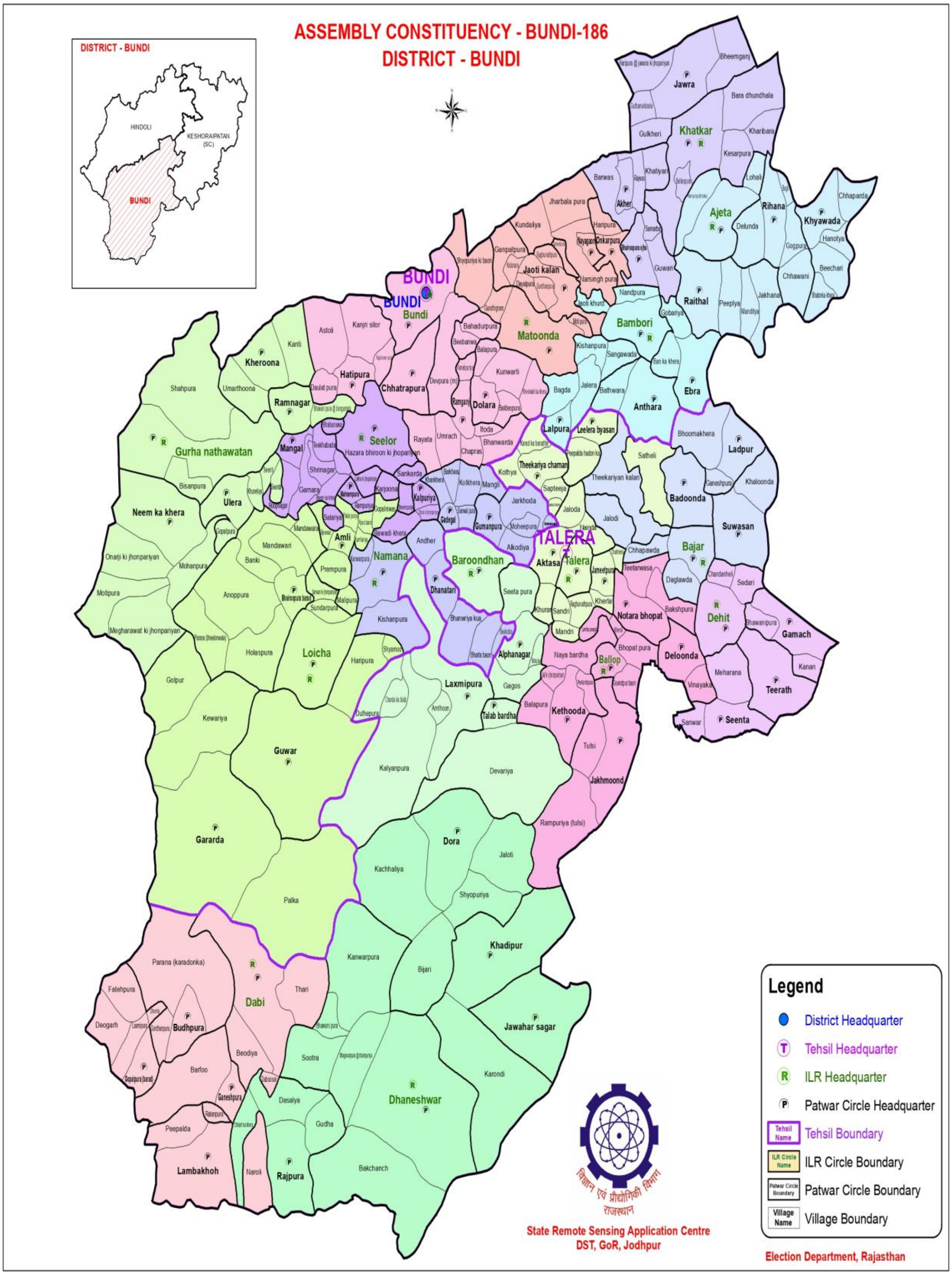

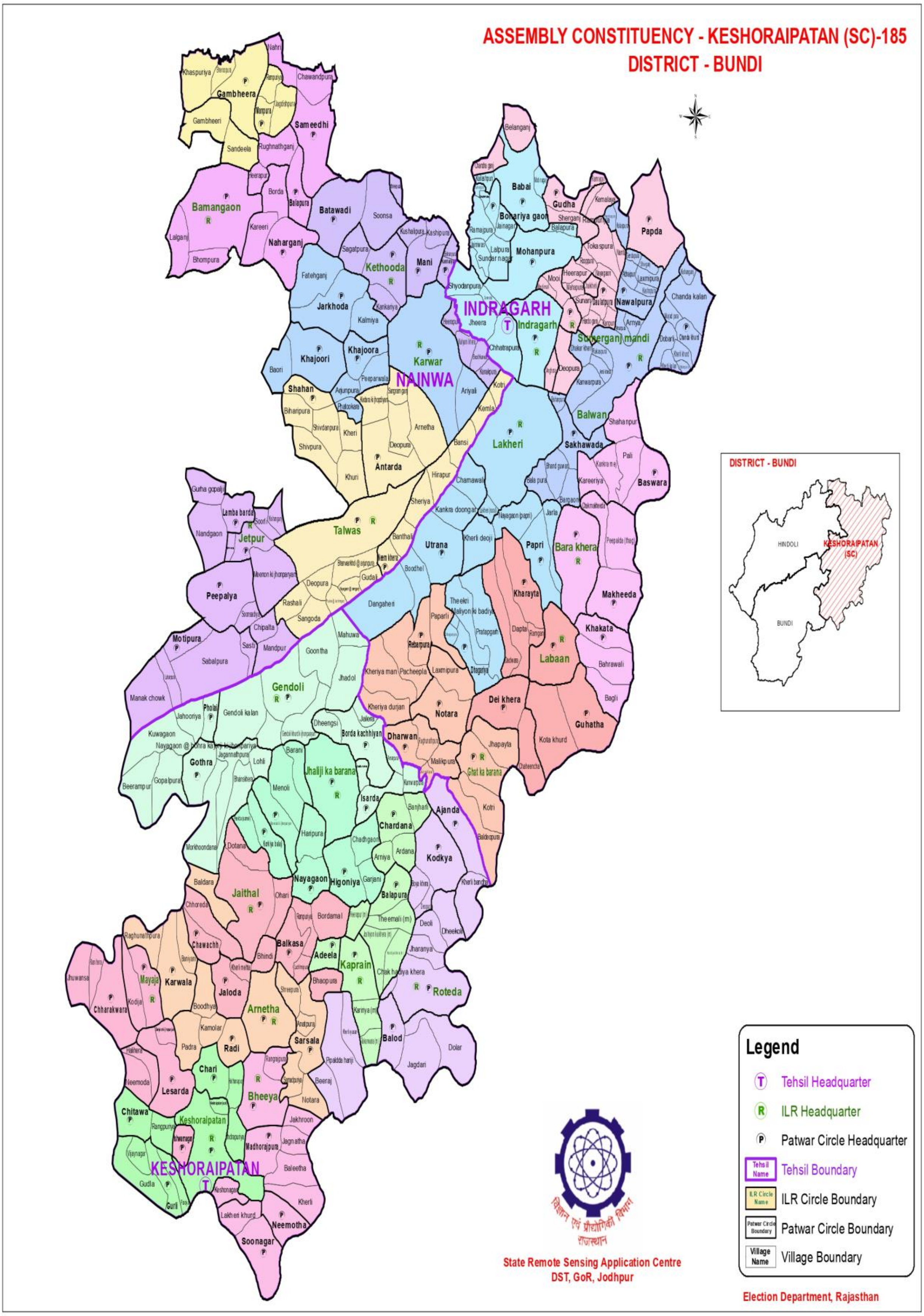
ASSEMBLY CONSTITUENCY - KESHORAIPATAN (SC)-185
DISTRICT - BUNDI
INDRAGARH
NAINWA
KESHORAIPATAN
Bamangaon
Gambheera
Sameedhi
Batawadi
Naharganj
Kethooda
Mani
Babai
Gudha
Papda
Mohanpura
Jarkhoda
Khajoori
Khajoora
Karwar
Indragarh
Sumerganj mandi
Nawalpura
Shahan
Antarda
Lakheri
Balwan
Sakhawada
Baswara
Talwas
Jetpur
Peepalya
Utrana
Papri
Bara khera
Makheeda
Kharayta
Khakata
Labaan
Motipura
Gendoli
Notara
Dei khera
Guhatha
Gothra
Dharwan
Jhaliji ka barana
Ghat ka barana
Ajanda
Chardana
Kodkya
Nayagaon
Higoniya
Balapura
Jaithal
Balkasa
Adeela
Kaprain
Roteda
Mayaja
Karwala
Jaloda
Arnetha
Radi
Sarsala
Balod
Chari
Bheeya
Lesarda
Chitawa
Keshoraipatan
Madhorajpura
Neemotha
Soonagar
DISTRICT - BUNDI
HINDOLI
KESHORAIPATAN (SC)
BUNDI
Legend
Tehsil Headquarter
ILR Headquarter
Patwar Circle Headquarter
Tehsil Boundary
ILR Circle Boundary
Patwar Circle Boundary
Village Boundary
State Remote Sensing Application Centre
DST, GoR, Jodhpur
Election Department, Rajasthan

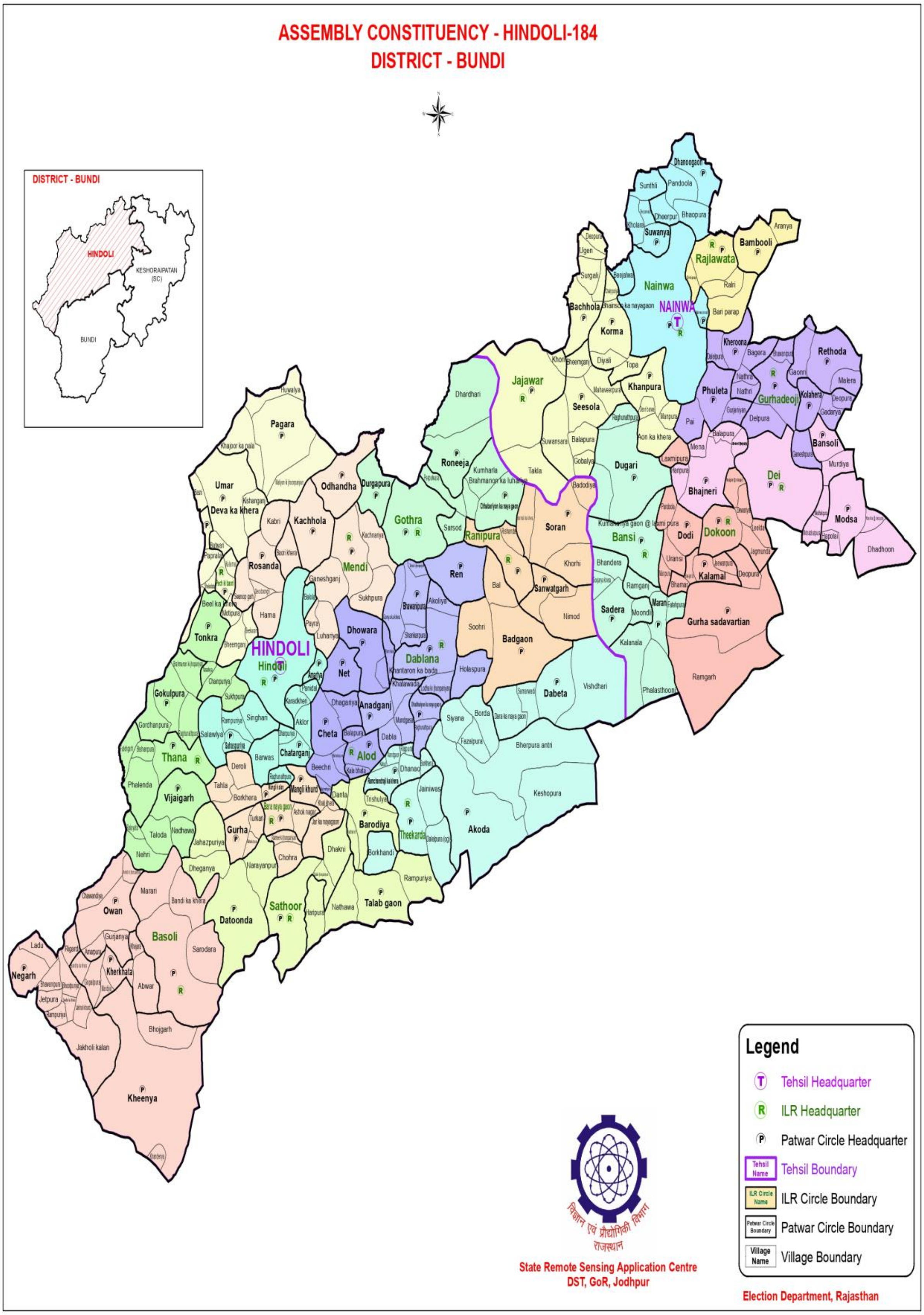
ASSEMBLY CONSTITUENCY - HINDOLI-184
DISTRICT - BUNDI
DISTRICT - BUNDI
HINDOLI
KESHORAIPATAN (SC)
BUNDI
NAINWA
Nainwa
Rajlawata
Jajawar
Gurhadeoji
Dei
Dokoon
Bansi
Ranipura
Gothra
Mendi
HINDOLI
Hindoli
Dablana
Alod
Theekarda
Thana
Sathoor
Basoli
Pagara
Umar
Deva ka khera
Odhandha
Kachhola
Rosanda
Tonkra
Gokulpura
Vijaigarh
Gurha
Datoonda
Owan
Kherkhata
Negarh
Kheenya
Talab gaon
Barodiya
Akoda
Dabeta
Badgaon
Sanwatgarh
Soran
Dugari
Seesola
Korma
Bachhola
Khanpura
Phuleta
Rethoda
Bansoli
Modsa
Bhajneri
Dodi
Kalamal
Gurha sadavartian
Sadera
Ren
Dhowara
Net
Anadganj
Cheta
Chatarganj
Roneeja
Durgapura
Bambooli
Dhanoogaon
Legend
Tehsil Headquarter
ILR Headquarter
Patwar Circle Headquarter
Tehsil Boundary
ILR Circle Boundary
Patwar Circle Boundary
Village Boundary
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान
State Remote Sensing Application Centre
DST, GoR, Jodhpur
Election Department, Rajasthan

परिशिश्ठः– 19 जिला स्तर पर ESF संगठन सैटअप–

Incident Command System — District Magistrate

Disaster Management Team

Heads of Primary Agencies of all ESFs
- Fire Services
- Telephone
- Department of Revenue
- police Service
- District Health Department
- Jal Board
- Department of food and civil supply
- Municipal Corporation
- Power/ Electricity Department
- transport Department

Primary Agencies

Secondary Agencies

These are the agencies coordinates under various ESFs as per their secondary functions and abilities

Quick Response Teams: Field workers at the time of any emergency and works according to their ESF function. They are members of primary and secondary agencies